

राज्यसंसद सरकार द्वारा पुरस्कृत

पुस्तकालय-विज्ञान

लेखक

द्वारकाप्रसाद शास्त्री

पुस्तकालयाध्यक्ष

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

भूमिका लेखक

श्री एस० यशीरुद्दीन एम० ए०, एफ० एल० ए०-

अध्यक्ष

पुस्तकालय-विज्ञान विभाग

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

लेखक की अन्य पुस्तकें :—

प्रश्नालय मंडल और मंचालन (पुस्तक)

भाषा में प्रश्नालयों का उद्देश और विकास (पुस्तक)

पुस्तकों की सूची

द्वितीय संस्करण

१८४६

रूप्य : पाँच रूप्ये

प्रकाशक

ओम प्रकाश वेरी

मुद्रक

रामनिधि त्रिपाठी

मायापति प्रेस,

वाराणसी

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय

पो० वा० नं० ७०

ज्ञानवापी, वाराणसी ।



ଶ୍ରୀ ପ୍ରମତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମତ୍ତ ଏଂକ ପ୍ରମତ୍ତ

ଫଟୋ

ପ୍ରମତ୍ତାନାୟ-ବିଜେନ ବିନାମ୍

ଅର୍ଦ୍ଧାଳ୍ଯ ନିର୍ବିଜେନାଲ୍ୟ

भूमिका

भी द्वारकानाद शास्त्री की इस पुस्तक की भूमिका लियने के आमंत्रण पर मैं द्वारने को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। इस दिवार के अध्यापन से सम्बन्धित होने के नाते पुस्तकालय विज्ञान पर हिन्दी में सख्त और मुश्वेष पुस्तक की आवश्यकता मुझे नहीं प्रवीन होती रही है। भी शास्त्री जी ने ऐसी पुस्तक लिय कर इस छेप से पुनर्निर्मित प्रत्येक व्यक्ति को अग्रना कर्त्ता बना लिया है। बीदिक परम्पराओं से परिपूर्ण हजार यह द्वारने के नाते द्वारार लिए यह बिन्दुल स्वामार्थिक हो जाता है कि हम दिवेशी भाषा के अध्यापन से द्वारने को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करें। निःसन्देह हम उसे द्वारने के विभिन्नों के लादित्य के रूप में कुछ समय तक प्रयोग करते रहेंगे क्योंकि ऐसी समृद्ध मात्रा में पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना हमारी बीदिक प्रगति के लिए यातक हैगा। लेकिन साथ ही हमें इस शात फा ध्यान रखने हुए आगे बढ़ना होगा कि शीघ्र ही हमारी अपनी भाषा शिक्षण-नीति के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का नामंत्रण हो। भी और इस लिए हिन्दी में साहित्योत्थादन में मैलाप प्रत्येक व्यक्ति को हमें सहायता, प्रोल्नाइन प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करनी चाहिए। अब रात्रे शैशव काल में होने हुए भी पुस्तकालय-विज्ञान का विषय अत्यन्त तीव्र गति से प्रत्येक प्रगतिशील देश में अग्रना विहित स्थान प्राप्त कर रहा है। इस भी इस प्रगति में पिछड़े नहीं हैं और यह सत्त है कि हमने अपनी शक्तियों को इस दिशा में शीर्ष स्थल पर पहुँचाने का प्रयास किया है। परन्तु इसके पहलस्तर पर हमारा पुस्तकालय-आनंदोलन सर्वसाधारण तक नहीं पहुँच पाया। हमें राष्ट्रीय जीवन की द्रुतगति में पहलती हुई परिस्थितियों में जन नाधारण की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान देना चाहिए, जिसमें हम अपनी प्रगति के विद्युटेन को शीघ्रतायीम दूर कर सकें। इस कार्य के लिए जन साधारण के द्वारा घोली जाने वाली भाषा ही विचारों के आदान-प्रदान का सर्वोत्तम साधन ही सकती है और यह भाषा भी नहीं बो शीर्षस्थ केवल कुछ लोगों के द्वारा समझी जा सके। अतः प्रत्येक विषय के साहित्य का उत्थादन मातृभाषा में ही होना चाहिए।

इस दिशा में शास्त्री जी का प्रयास सर्वांग सराहनीय है और वे चर्चाई के पात्र हैं। वास्तव में भारत में पुस्तकालय-जगत अत्यन्त अस्त-व्यस्त दशा में है। इसका कारण है प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्षों का और अपनी भाषा में इस विषय की पुस्तकों का अमाव। देश में पुस्तकालयों के वैशानिक संगठन और प्रयासन से सम्बन्धित अपनी भाषा में लिखी गई पुस्तकों की हमें अधिकाविक संख्या में इस समय आवश्यकता है। भी शास्त्री जी को 'पुस्तकालय विज्ञान' पुस्तक हमी प्रकार की है। मुझे आशा है कि भारतीय पुस्तकालय-जगत में हम पुस्तक का महर्ष स्वागत होगा।

पुस्तकालय-विज्ञान विभाग

अलीगढ़ विश्वविद्यालय

१८-६-५७

(६०) . एस० वशीरहीन

विषय-सूची

अध्याय १. पुस्तकालय-विज्ञान की पृष्ठभूमि

पुस्तकालय का नया रूप—पुस्तकालय का जन्म, ज्ञान पर एकाधिकार, संग्रह की परम्परा, पुस्तकालय एक कैशन, एकाधिकार का अन्त; सार्वजनिक रूप का भी गणेश, जागृति का प्रारम्भ, पुस्तकालय-आन्दोलन, दो क्रान्तिकारी परिवर्तन—पुस्तकालय मुरद्वा की अन्तर्गतीय चर्चा—पुस्तकालय का वैज्ञानिक संगठन और संचालन । पृष्ठ ६—१५

अध्याय २. पुस्तकालय-विज्ञान की रूपरेखा

पुस्तकालय विज्ञान का महत्व, विकास, विज्ञान या कला, पुस्तकालय विज्ञान तथा अन्य विज्ञान, स्वरूप और आवश्यकता, सिद्धान्त—पुस्तकालय-विज्ञान का चेत्र—पुस्तकालय-व्यांकण : निदानत और प्रयोग, पुस्तकालय-सूचीकरण : सिद्धान्त और प्रयोग—पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय-संचालन—(आ) पुस्तकालय संगठन (ब) पुस्तकालय-संचालन (स) विज्ञयोग्यकी, पुन्तकों का चुनाव और रिफ़ेस सर्विस, व्यावहारिक रूप । पृष्ठ १६-२६

अध्याय ३. पुस्तकालय भवन की रूपरेखा

परिचय, विवेचन, सार्वजनिक पुस्तकालय का भवन, स्थान, भीतरी भाग की रूपरेखा, प्रकाश, हारा, भरन, चबूतरा-भवन, वाचनालय, लैन-देन-टेबुल, जिडिकियो, वियाल पुस्तकालय-भवन, मॉडल, मार्ट्युग्गर कन्सल्टेंट्स । पृष्ठ २७-३५

अध्याय ४. फर्माचिर : फिटिंग : साज-सामान

कलात्मक टाइरोण, सूचीकार्ड वैविनेट, शैक्षणिक लिस्ट कैविनेट, आलमारियाँ और उसके पाने, पट्टने का मेज, संदर्भ पुस्तकालय की मेज, पत्र-पत्रिकाओं के लिए मेज और रैक, कुम्हे, पुस्तकालय के साज-सामान, स्टेशनरी । पृष्ठ ३६-४१

अध्याय ५. पुस्तकालय स्टाफ

कर्मचारी—ट्रेनिंग कर्मचारी, क्लेरिकल स्टाफ, अन्य कर्मचारी, पुस्तकालयाध्यक्ष—आवश्यकता—प्रौद्योगिकी और गुण—कर्मज्य—नियुक्ति—वेतन । पृष्ठ ४२-४६

अध्याय ६. पुस्तकालय की अर्थन्त्यवस्था

महत्व, साधन, पुस्तकालय-कर का रूप : सिद्धान्त—पुस्तकालय में अर्थदर्शक संग्रहीत धन तथा सूचीपत्र से प्राप्त धन—पुस्तकालय के व्याख्यान भवन के किराये की आय—विविध प्रकार के दान से प्राप्त धन तथा जमा हुए धन का बाजार—प्रदेशीय शासन तथा स्थानीय शासन की इकाइयों द्वारा प्राप्त सामग्रिक अनुदान, आय का वितरण—लेपा—वज्र—समव्यय—हैंडल । पृष्ठ ४७-५२

अध्याय ७. पुस्तकों का चुनाव

आवरणकला, सिद्धान्त, पुस्तक-नुनाव के तीन तत्त्व, स्थानीय साहित्य की प्रधानता, हेत्रीय पाठ्यकों की सामग्री, वाल साहित्य तथा प्रौद्योगिक साहित्य, क्लैसिकल ग्रंथों का

अध्याय १३. समाचार-पत्र और पत्रिका विभाग

महत्त्व, चेत्र, जुनाव, चुनाव के साधन, मैंगाना, लेखा रखने की विधि, (खाता प्रणाली—बाट प्रणाली—विकार्ट प्रणाली—विनिवृत्त इन्डिक्स), प्रदर्शन, स्मरण-पत्र बिल्डरेंसी, बगोकरण : घूमीकरण पृष्ठ १७१—१७८

अध्याय १४. पुस्तकों का लेन-देन विभाग

उद्देश, महत्त्व, स्वरूप, पुस्तकालय के नियम, उधार की सुविधाएँ—उधार की शर्तें, लेन-देन विभाग का संगठन, चार्जिङ और हिस्चार्जिङ उपविभाग, स्थान—फॉन्चर सिटी, चार्जिङ उपविभाग, डिस्चार्जिङ उपविभाग, प्रशासन पक्ष—मदस्यों का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन विधि, पुस्तकालय टिकट, आँकड़े, नवीनीकरण—रिज-वैश्वन—श्रृंगार—पुस्तकों को प्रयोग के लिये देने की प्रणालियाँ, इन्डिकेटर—गाता—न्यूआर्क—डिक्मेन—पंचूड कार्ट—फोटो चार्जिङ—योकेन, न्यूआर्क प्रणाली—ब्राउन प्रणाली—स्मरण-पत्र, लेखा रखना। पृष्ठ ७८—१६५

अध्याय १५. पुस्तकालय : सामुदायिक केन्द्र

मीलिंग रिक्वारी को ममस्या, व्यवस्था, साक्षतिरुकिया-कलाप, पुस्तकालय के ढारा किया-कलार—मिल शो—कम्युनिटी लेसानड और प्लैबैक प्रोग्राम, नव साक्षर प्रांदों का साहित्य, रिक्वारी-प्रैसार कार्य। पृष्ठ १६६—१६८

अध्याय १६. पुस्तकालय के आन्तरिक प्रशासन कार्य

पुस्तकालय के पुस्तकों की जाँच (व्याख्या—उद्देश्य—विधियाँ—निरन्तर जाँच —शान देने योग्य बार्ट), पुस्तकों की सुरक्षा—आवश्यकता, आपत्ति, और निवारण—दैविक आपत्ति, दैविक आपत्ति—जिल्डवंडी और मरम्मत—दैविक छति के प्रकार : निवारण : मारी छति—जिल्डवंडी का लेखा और जाँच—कीड़े—मालिक आशत्ति, पुस्तकालय का वार्षिक विवरण—शहू—उद्देश्य, पुस्तकालय समिति का संगठन और उसका कार्य—आवश्यकता—प्रभार—संगठन—कार्य। पृष्ठ २००-२१६

अध्याय १७. पुस्तकालय-अधिनियम

परिमापा, महत्त्व, आवश्यकता—चेत्र, अह—प्रशासन—टेक्निकल—सेवा—अर्थ-व्यवस्था, पुस्तकालय कानून और भारत, मद्रास पुस्तकालय अधिनियम। पृष्ठ २१७-२२२

अध्याय १८. बाट्मयसूची (विभिन्नोंपैकी)

परिमापा—आवश्यकता, पुस्तकालय-निर्माण अह—कागज—छपाई—पुस्तकों की अवृक्षारिक प्रथा—जिल्डवंडी, पुस्तक-शालेयन अह—निर्माण विधि। पृष्ठ २२३-२२६

परिशिष्ट

(क) परिभाषिक शब्दावली

(ल) सहायक पुस्तकों की सूची

(ग) अनुनामणिका

पृष्ठ २३०-२३३

पृष्ठ २३४-२३६

पृष्ठ २३७-२४०

चित्रों, रेखाचित्रों एवं उदाहरणों की सूची

१.	पुस्तकालय भवन का रेखाचित्र	३०
२.	सार्वजनिक पुस्तकालय का मॉडल	३४
३.	छोटा सूचीकार्ड कैबिनेट	३७
४.	मैगजीन डिस्प्ले रैक	३८
५.	पोस्टर होल्डर	४१
६.	सार्वजनिक पुस्तकालय बजट	५१
७.	सुभाव-पत्र का नमूना	६०
८.	पुस्तक-चुनाव कार्ड	६१
९.	पुस्तक आदेश पत्र का नमूना	६५
१०.	पुस्तक-लेबल	६८
११.	पुस्तक-प्लेट	६९
१२.	तिथि-पत्र	७०
१३.	पुस्तक-पाकेट	७१
१४.	पुस्तक-कार्ड	७२, १६३
१५.	प्रातिसंख्या रजिस्टर	७३
१६.	दान रजिस्टर	७६
१७.	वापसी का रजिस्टर	७७
१८.	श्री मेलविल ड्युवी	८२
१९.	डा० एस० आर० रंगनाथन	८६
२०.	सूचीकार्ड	१२०
२१.	विभिन्न संलेखों के उदाहरण	१३७-१४७
२२.	पाठकों द्वारा कार्ड-सूची का उपयोग	१५४
२३.	अध्ययन-कक्ष का दृश्य	१६८
२४.	सामयिक-जाँच-आलेख के नमूने	१७४
२५.	मैगजीन कवर	१७७
२६.	स्मरण-पत्र का नमूना	१७७
२७.	आवेदन-पत्र का नमूना	१८६
२८.	सदस्य-कार्ड	१८०
२९.	चार्जिङ् ट्रे, तिथि-निर्देशक-कार्ड, डेटर	१८२
३०.	पुस्तकालय का काउन्टर, सदस्य टिकट स्मरण-पत्र	१८३
३१.	निर्गत पुस्तकों के गिनने का पत्रक	१८५
३२.	नोवाइल वान द्वारा पुस्तकालय-सेवा का एक दृश्य	१८६

अध्याय १

पुस्तकालय विज्ञान की पृष्ठभूमि

पुस्तकालय का नया रूप

“बन तंत्र की सफलता और जन कल्याण के लिये यह आवश्यक है कि जन साधारण मुश्किल हीं, उनका हाथिकोण विशाल हो, मतिष्क सुविविसित हो, विचार परम्परा परिमार्दित हो; वे दैनिक जीवन की एवं सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि की समस्त समस्तशाश्वी को समझ सकें और उन पर अपने विचार प्रकट कर सकें। उनका ज्ञान-क्षेत्र व्यापक हो और वे हर विषय के कैंच नीच को समझ सकें, उनकी दृष्टि मुन्द्र हो और वे आपना समय विद्या, विज्ञान और कला के उपार्जन में लगाते ही, तथा वे आपने से अधिक ममाज के हितचिन्तक हों। ये सब गुण ग्रहण करने के लिए अर्थात् जन साधारण की शिक्षा-दीक्षा के लिये पुस्तकालय ही जनता का विश्वविद्यालय है, जिसमें वे पुस्तकें तथा पञ्चविज्ञाएँ पढ़ कर, चित्र देख कर, वार्तालाप और व्याख्यान मुन कर, प्रदर्शनियाँ और सिनेमा देखकर शिक्षा ग्रहण करते हैं।”

पुस्तकालयों की उपयोगिता के संबंध में संयुक्त राष्ट्रीय शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति संगठन (यूनेस्को) का यह व्यापक हाथिकोण है और पुस्तकालयों के संगठन आदि के संबंध में उमका निश्चित मत है कि :—

“पुस्तकालय स्थापित करना सरकार और स्थानीय संस्थाश्वी का आवश्यक कर्त्तव्य है और इसके लिये विधान में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ये पुस्तकालय प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय, जाति एवं समुदाय तथा छोटे बड़े सब के लिये निःशुल्क होने चाहिए। पुस्तकालयों में केवल समाचार-पत्र और पुस्तकें ही न हो बल्कि जन शिक्षा के वे सब साधन हों जिनका ऊपर किया गया है। अर्थात् व्याख्यान, प्रतियोगिता, नाटक, सिनेमा, वार्तालाप, नुमाइश, चित्र-प्रदर्शनी आदि। साथ ही वस्त्रों के लिये और विदेशी नव शिक्षित प्राचीदों के लिए विशेष पुस्तकों का संग्रह होना चाहिए।”

पुस्तकालय की उपर्युक्त व्याख्या उसके लद्द और उद्देश्य को स्पष्ट करती है, और इस व्याख्या के अनुसार जो पुस्तकालय स्थापित होंगे, निश्चित रूप से वे ‘सार्व-जनिक पुस्तकालय’ ‘या पन्तिक लाइब्रेरी’ कहलाएंगे। लेकिन इस आदर्श रूप की

चित्रों, रेखाचित्र

१. पुस्तकालय भवन का रेखाचित्र
२. सार्वजनिक पुस्तकालय का मैट्रिक्स
३. छोटा सूचीकार्ड कैबिनेट
४. मैगजीन डिस्प्ले रैक
५. पोस्टर होल्डर
६. सार्वजनिक पुस्तकालय बजार
७. सुभाव-पत्र का नमूना
८. पुस्तक-चुनाव कार्ड
९. पुस्तक आदेश पत्र का नमूना
१०. पुस्तक-लेबल
११. पुस्तक-प्लेट
१२. तिथि-पत्र
१३. पुस्तक-पाकेट
१४. पुस्तक-कार्ड
१५. प्रासिसंख्या रजिस्टर
१६. दान रजिस्टर
१७. वापसी का रजिस्टर
१८. श्री मेलविल ड्युबी
१९. डा० एस० श्वार० रंगनाथ
२०. सूचीकार्ड
२१. विभिन्न संलेखों के उदाहरण
२२. पाठकों द्वारा कार्ड अन्तर्गत क्रम
२३. अध्ययन-
२४. सं

पुस्तकालय सिवान दी प्रत्यक्षी

उसी एवं में डरहम है। उस काल की विदेशीया यह भी कि प्रायः पुस्तकालय, जगत्पुरुष और आवासार्थीय ही लोगों के साथि सेवन की ओर संन्दर्भकालीन थे।^१ (१) वे इस प्रकार की अद्वितीय से टिक्की गई पोंगियों को प्राप्ति से भी विष मानते थीं और उनकी रुदा करते रहे। उस दुग में जान वर एक प्रकार से उन्हीं वा एकाधिकार था। जनता पोंगियों को पढ़ना उनकी लोगों का जान समझती थी। अब इन उम काल को 'जान पर एकाधिकार वा दुग' कह सकते हैं।

संग्रह की परन्परा

इस प्रकार के लिपिग्रन्थों को प्रायः भटियो, यडो आदि में संग्रह किया जाने लगा। संग्रहों के घरों में दूर्गुणों के हाथ की लिपीं पोंगियों की यादगार के लोग पर भी संग्रह किया जाता रहा। इस प्रकार 'निजी पुस्तकालयों' की भी भी एडी। धीरेखीं बदलने भवान्तरों की दृष्टि दुर्दयों हीए एक दूसरे के मर्दों के दोसों की दृढ़िने के लिए इन्होंने के ग्रन्थ में नम्रद बदलने लगे। आगे अबने जन के बेन्द्र बनो कर वहाँ पर्यावरण मंस्तक में प्राणों का संग्रह किया जाने लगा और उनका सामूहिक रूप से पठन-पाठन होआ रहा। यदि इनी को इनी ग्रन्थ की आवश्यकता होती हो वह उसकी नहल कर लेता आवश्यकता करता लेता। इस प्रकार 'लिपिकर' की मार्ग हुई और वह एक जनता या एक लिपिग्रन्थों की योजना की जाती और अचंक्य लिपिकर की लुशामड भोजनी पढ़ती थी। भमांचार्यों ने पोंगियों की नकल करवा कर उन्हें दान देना शुद्ध पुरुष का धार्य प्राप्ति किया और ऐसे वाक्य आब भी भर्म ग्रन्थों में पाया जाते हैं। इस प्रकार यशोरी पोंगियों का संग्रह होता रहा परन्तु उम काल तक जान पर एकाधिकार बना ही रहा। लोग जान की लोज में अनेक पट्टों को भेलते हुए दून्दूर जाते रहे और ग्रन्थों की नकल परके आग्नी वृनि फतते रहे। ऐस संग्रह मी निजी पुस्तकालय के ही रूप ये यद्यपि घरेलू पुस्तकों के संग्रह से इनमें थोड़ा भेद हो चला था। अब एक में हट कर एक समुदाय नक के लोगों द्वारा पोंगियों का उपयोग प्रारम्भ हो गया। भाय ही ऐसे संग्रह को वर्ता, मर्भं आदि से बचाने की ओर भी ज्ञान दिया जाने लगा। उम वारा में ग्रन्थालय के लिए इतनी योग्यता हो जहाँसी समझी जाने लगी थी कि वह अनुशासी से ग्रन्थों की रक्षा करने की विधि जानता हो और साथ ही निरवस्तीय व्यक्ति ही।

पुस्तकालय पक्के केन्द्रान

संग्रह की परम्परा के साथ ही साथ सासार में साम्माजिक्यादी परम्परा भी रही। उस काल में एक आक्रमणकारी दल द्वारा दूसरे दल के ग्रन्थों की शाक्त से कम नहीं

कल्पना आधुनिक है जब कि पुस्तकालय जगत् भी इस बात का अनुभव करने लगा है कि “पुस्तकालय-सेवा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और प्रकाश आदि”^१। इससे पहले ‘पुस्तकालय’ को इस आदर्श तक पहुँचने में हजारों सीढ़ियों पार करनी पड़ी है और युगों तक साधना करनी पड़ी है, तब कहीं आज उसका यह परिष्कृत रूप हमारे सामने आया है। पुस्तकालय विज्ञान का उद्भव और विकास भी पुस्तकालयों का सर्वतोमुखी विकास करके पुस्तकालय-सेवा को सुलभ बनाने के लिये हुआ है। इसलिए यह आवश्यक है कि पुस्तकालय की परम्परा के क्रमिक विकास को समझ लिया जाय और उसकी उस कड़ी को ऊपर की कड़ी से जोड़ दिया जाय तो आगे चलकर पुस्तकालय विज्ञान को समझने में मदद मिलेगी। इस सम्बन्ध में हमें यह स्परण रखना होगा कि पुस्तकालयों के क्रमिक विकास की परम्परा ही पुस्तकालय-विज्ञान के उत्पत्ति की पृष्ठभूमि है।

पुस्तकालय का जन्म

^२संसार में लेखन कला से पहिले ही साहित्य रचना का प्रारंभ हुआ। पहले लोग संगीत के प्रैमी थे। वे रात रात भर जाग कर गाते बजाते थे। लेखन-कला के आविष्कार से पहिले लोग अपनी भावनाओं और विचारों को चित्रों तथा विविध रेखाओं द्वारा व्यक्त किया करने थे। उन्हें आज भी ‘चित्रलिपि’ कहा जाता है और भारत में हड्ड्या तथा मोहेझोदड़ों की खुदाई के समय तथा मिश्र देश में भी पथर पर खुदे ऐसे ढुकड़े मिले हैं। उस समय जिन वस्तुओं पर ये चित्र बना दिये जाते थे, वे ही पुस्तकें समझी जाती थीं और उनको एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाता था जो कि पुस्तकालय का आदि रूप था। इस प्रकार मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति से पुस्तकालय का जन्म हुआ।

ज्ञान पर एकाधिकार

धीरे-धीरे लिपि का आविष्कार हुआ और मनुष्य ने अपने विचारों और भावनाओं को लिख कर प्रकट करना प्रारंभ किया। पहले तो प्रकृति की कृषा से सुलभ भोज-पत्र ताङ्ग-पत्र, पैपिरस (^३Papyrus) वल्कज, और लकड़ी के फलक आदि पर लिखावट का कार्य होता रहा। फिर धातुओं के आविष्कार के बाद यदा-कदा ताम्र-पत्र, आदि भी काम में लाए गए। कुछ देशों में चमड़े पर भी लिखाई हुई। ऐसी लिखित-सामग्री को रासायनिक पदार्थों की मदद से टिकाऊ बना लिया जाता था जो आज कल भी

१. इन्हरे नेशनल कांग्रेस आफ़्लाइव्रेरीज़ ऐरेड डाकुमेन्टेशन सेंटर्स, ब्रूशेल्स के पृष्ठ पत्र का अंश।
२. महापंडित राहुल सांकृत्यायन के एक लेख के आधार पर पुस्तकालय, पृष्ठ ३३

इसी कहे दरवाज़े हैं। इस दरवाज़े की दिलेवाने तरफ़ी कि जारः तुमेंगि, पर्वतुर्द
द्वीर आवाज़न्दय ही दूरों के छाति सेगर ब्लैर दिलेवाने हैं।^१ (१) में इस प्रकाश की
देखने में लिपि यह है दिलियों को दूरों में भी दिय जाने की उम्मी एवं उनमें स्था
व है। इस दूरों में जान वह दूर दूरात् में उम्मी वा दिलेवाने यह। अन्तां बोलियों को
जान दूरों स्थानों का बाह्य दूरात् होता है। यह दूर दूर वह वी दूर दूर दिलेवाने का दूर है वह सही है।

मंपद वी दूरन्दय

इस दूरात् दिलेवाने की जारः दूरियों, दूरों की दूरियों में मंपद विजा दूरन्दय
है। मंपद के दूरों में दूरन्दयों के दूरों की दिलियों की दूरन्दय के दूरों पर
भी दूर दिलेवाने है। इस प्रकाश 'किंचि तुम्हारादूरा' ही भी यही। भीर भीर
दूरन्दयों की इदि दूर वा दूर दूरात् के दूरों के दूरों को दूरन्दय के लिए
जान जाने के दूरों भी, मंपद वही दूरों। यहाँ जाने जान के दूरन्दय जान वही दूरन्दय
पर्वत जानने में दूरी का मंपद विजा जाने हैं और उन्हाँ तामूहिर जान में पठन-
पठन होता है। दूरः दिलियों की दिली दूरों की जानरक्षण होनी ही यह उम्मी
प्रवक्तु वह में दूरात् दूरात् वहाँ आया है। इस प्रवक्तु 'मिलिया' ही माय दूर जीर
दर दूर जानना यह दूर दिलेवाने ही दूरों की जानी और मंपद लिलिया ही युशा-
या भी दूरी दूरी ही। अंपद जानों में दिलियों की जान जाना हर दूरों जान देना
है तुम्हारा या दूरी दिलेवाने घोर में दूरात् दूरात् भी भयं दूरों में दूरात् जाने है।
इस प्रकाश दूरों दिलियों का मंपद हाँ यह जान उम्मी जान यह एवा-
लिया है यह ही जान। संपद जान की जीव में अनेक दूरों को जेलने हुए दूरन्दय
दूरों वर्त दूरों दूरों की जान वर्त दूरों जानी करते रहे। ऐसे संपद मी दिलियों
तुम्हारादूरा वे ही स्वर्ग में एवरियरॉक्यूट्स के गंगद में इनमें योगा भेड़ ही जला
या। अब एक में इट वह एक अमृताय तक भे छोड़नी द्वारा जीवियों का उपयोग
आयगम ही गया। याय ही ऐसे तंपद की दर्ता, गर्वी आदि जे विजाने वी घोर भी ज्ञान
दिया जाने प्रया। उस प्रय में मंपदाता के लिए इनी योगियता ही जर्वी सम्पदी
जाने लगी भी कि यह अनुष्ठानों में फली वी रघा करने वी रियि जानता ही जीर याय ही
दिलेवाने दर्शक हो।

मुमाकालय एक फ्लान

मंपद वी परम्परा के याय ही याय मंपदाता में साम्मान्यार्थी। परम्परा भी रही। उस
फ्लान में एक आक्रमण्यार्थी इन द्वारा दूसरे इन के मध्यों वी भी शायुरं कम नहीं

हाम नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक पुस्तकालय एक दूसरे से संबंधित न हो और देश में पुस्तकालयों का एक बाल राज न बिला दिया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये आनंदोलन शुरू किया गया उसे 'पुस्तकालय आनंदोलन' कहा जाता है। इस आनंदोलन के दो सदृश हैं :—

(१) पुस्तकों का उत्तराधन वही संस्कार में हो।

(२) शान गमनकी हो। इन दोनों की सामाजिक जागरूकी हो।

इस आनंदोलन का प्रारम्भ १९५१ की शताब्दी के मध्य भाग में हुआ और अब यह शामन में विद्युत् बन पर जारे रखनार में वैक्षणिक गया है। इस आनंदोलन का परिणाम यह हुआ हि निमित्त देशों में 'पुस्तकालय आनंद' बने और पुस्तकालय संघ (लाइब्रेरी एसोसिएशन) स्थापित हुए जिन्होंने उन सभी पहनुचाई पर शान दिया और उनका हल गोचा दिनसे पुस्तकालय आनंदोलन का लकड़ा पूरा हो गया। इस प्रकार 'लाइब्रेरी एक्ट' समुन्दर गढ़ संघ (१९५६ई०), झागर (१९६६ई०), मैनिस्को (१९६७ई०), चेन्नैलॉकेशन (१९६९ई०), बैनमार्क (१९२०ई०), बेल्किम (१९२१ई०), दिनलैण्ड (१९२१ई०), रुस (१९२१ई०), बलगंगिया (१९२८ई०), दक्षिण अफ्रीका (१९२८ई०), पोलैंड (१९३२ई०), और मारवा (१९४८ई०) में घन जुके हैं।

दक्षिण १९७६ई० में अमेरिका के निलाउलिया नगर में लगभग चार सौ पुस्तकालयों का एक सम्मेलन हुआ और उसी अधिशंशन में 'अमेरिकन पुस्तकालय संघ' (अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन) की स्थापना हुई। आज यह संघ ८० एल० ८० के स्वयं में विद्युत वाली बन गया है। उसके बाद रान् १९७७ई० में ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई। धीरे-धीरे संसार के सभी सम्युक्तों में लाइब्रेरी एसोसिएशन बनने लगे हैं। भारत में पुस्तकालय आनंदोलन स्थ० महाराष्ट्र गर भी संयोजनावाच गायकवाड़ के शासनशाल में बहीड़ा स्टेट में १९१०ई० में प्रारम्भ हुआ। आंति इटिया पञ्चिक साइमेरी एसोसिएशन की १९१८ में और अंग्रेज भारतीय पुस्तकालय संघ की १९२३ में स्थापना हुई। मद्रास में १९२८ई० में, पंजाब में १९२६ में, बंगाल में १९२१ई० में, बिहार में १९३७ई० में, और उत्तर-प्रदेश में १९५६ई० में ग्रान्तीय पुस्तकालय-संघ स्थापित हुए।

दो क्रान्तिकारी परिवर्तन

... पुस्तकालय एक और पुस्तकालय गठों के माध्यम से पुस्तकालयों का विस्तार और विस्तार होता रहा। अनेक राष्ट्रों ने अपने देशों में पुस्तकालय विकास की राष्ट्रीय

१. केवल मद्रास ग्रान्त में।

समझा गया। अतः या तो उन्हें अपने कब्जे में कर लिया गया अथवा उन्हें नष्ट कर दिया गया। इससे दो बातें हुईं। एक तो राजाओं और वादशाहों के अपने पुस्तकालय बने जिन्हें केवल फैशन में ही समझा जा सकता है। दूसरे एक देश के अंथ दूर-दूर दूसरे देशों तक पहुँच गए जहाँ उनके अनुवाद हुए, वे पढ़े गए और उनसे लाभ उठाया गया। फिर भी प्रायः यह पाया गया है कि सामन्तवादी युग के पुस्तकालय भी राजाओं और वादशाहों के लिए फैशन के ही रूप में रहे और उनका विरतार 'निजी पुस्तकालय' से अधिक कुछ नहीं हो सका। ऐसे पुस्तकालय प्रायः ग्रन्थेक सभ्य देश में आज भी या तो अपना अस्तित्व अलग बनाए हुए हैं, अथवा किसी बड़े पुस्तकालय के अङ्ग बन गए हैं और उनमें उनका विलयन हो गया है।

एकाधिकार का अन्त : सार्वजनिक रूप का श्री गणेश

ज्ञान पर एकाधिकार की परम्परा अटारहवीं शताब्दी तक चलती रही। यद्यपि श्रेष्ठ के आधिकार के कारण पुस्तकों का उत्पादन बढ़ गया था, शिक्षा में भी प्रगति हो रही थी किन्तु पुस्तकालय के द्वारा जनता के लिए बंद ही थे। उसकी उपयोगिता की ओर से सभी उदासीन थे।^१ सहसा इंग्लैण्ड में लोगों का ध्यान इस शार गया और वहाँ कुछ प्रयत्न किए गये और यह आवाज उठाई गई कि 'पुस्तकालय' सार्वजनिक संस्था होनी चाहिए और सरकार की ओर से विना किसी भेदभाव के सब को 'पुस्तकालय-सेवा' प्राप्त होनी चाहिए। धीरे-धीरे इस आवाज का असर हुआ और सन् १८५० ई० में ब्रिटेन में संसार का पहला 'लाइब्रेरी कानून' पास हुआ। इस कानून के द्वारा सरकार ने नगर-परिषदों को पुस्तकालयों के योग्य भवन-निर्माण करने और उनकी व्यवस्था का अधिकार दिया और इसके लिए वार्षिक प्राप्त पौरड आधी पेनी तक कर लगाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार ज्ञान पर से एकाधिकार का अंत होकर पुस्तकालय का 'सार्वजनिक' रूप होना प्रारम्भ हुआ।

जागृति का प्रारंभ : पुस्तकालय आन्दोलन

इंग्लैण्ड उस समय संसार का नेता राष्ट्र था। वहाँ 'लाइब्रेरी एक्ट' का पास होना था कि पुस्तकालय की सार्वजनिकता की ओर सभी सभ्य राष्ट्रों का ध्यान आकृष्ट हुआ। १५ भितम्बर १८५३ ई० को अमेरिका में चार्ल्स कॉकिन जेवेट की अध्यक्षता में पुस्तकालयों का प्रथम सम्मेलन हुआ। उसमें "उच्चकोटि की पुस्तकों की ज्ञान-राशि को जन साधारण तक पहुँचाना ही पुस्तकालयों का मुख्य उद्देश्य" घोषित किया गया। इस प्रकार धीरे-धीरे पुस्तकालयों की स्थापना में उत्तरोत्तर बढ़ि होने लगी। लेकिन साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि पुस्तकालयों की स्थापना से विशेष

१. विशेष विवरण के लिए देखिए: 'पुस्तकालय सन्देश' विशेषाङ्क सन् १८५५

लाभ नहीं हो सकता जब तक कि प्रत्येक पुस्तकालय एक दूसरे से संबंधित न हो और देश में पुस्तकालयों का एक जात सा न बिछा दिया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो आन्दोलन शुरू किया गया उसे 'पुस्तकालय-आन्दोलन' कहा जाता है। इस आन्दोलन के दो लक्ष्य हैं :—

(१) पुस्तकों का उत्पादन वही संख्या में हो।

(२) ज्ञान सम्बन्धी लोकर्त्तव की सामाजिक जागृति हो।

इस आन्दोलन का प्रारम्भ १९५० शताब्दी के मध्य भाग में हुआ और अब यह यामन से विराट् बन कर सारे संसार में फैल गया है। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि विभिन्न देशों में 'पुस्तकालय कानून' बने और पुस्तकालय संघ (लाइब्रेरी एसोसिएशन) स्थापित हुए जिन्होंने उन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया और उनका हल सोचा जिनसे पुस्तकालय-आन्दोलन का लक्ष्य पूरा हो सके। इस प्रकार 'लाइब्रेरी ऐक्य' संयुक्त राष्ट्र संघ (१८७६ ई०), जापान (१८६६ ई०), मैक्सिको (१९१७ ई०), चेकोस्लोवेकिया (१९१६ ई०), डेनमार्क (१९२० ई०), बेलजियम (१९२१ ई०), किनलैण्ड (१९२१ ई०), रूस (१९२१ ई०), बल्गेरिया (१९२८ ई०), दक्षिण अफ्रीका (१९२८ ई०), पोलैंड (१९३२ ई०), और भारत (१९४८ ई०) में बन चुके हैं।

अन्दूबर १८७६ ई० में अमेरिका के फिलाडेलिया नगर में लगभग चार सौ पुस्तकालयों का एक सम्मेलन हुआ और उसी अधिवेशन में 'अमेरिकन पुस्तकालय संघ' (अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन) की स्थापना हुई। आज यह संघ १० एल० १० के रूप में विश्व व्यापी बन गया है। उसके बाद सन् १८७७ ई० में विद्युत लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई। धर्ति-धर्ते संसार के सभी सम्प्रयागों में लाइब्रेरी एसोसिएशन बनते जा रहे हैं। भारत में पुस्तकालय आन्दोलन स्व० महाराजा सर श्री सत्यजीव गायत्राङ्क के शासनकाल में घड़ीदा स्टेट में १९१० ई० में प्रारम्भ हुआ। आँख इंडिया पन्हिक लाइब्रेरी एसोसिएशन की १९१८ में और आखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की १९३३ में स्थापना हुई। मद्रास में १९२८ ई० में, पंजाब में १९२६ में, बगाल में १९३१ ई० में, विहार में १९३७ ई० में, और उत्तर-मदेश में १९४६ ई० में प्रान्तीय पुस्तकालय-संघ स्थापित हुए।

दो क्रान्तिकारी परिवर्तन

पुस्तकालय ऐक्य और पुस्तकालय संघों के माध्यम से पुस्तकालयों का विकास और विस्तार होता रहा। अनेक राष्ट्रों ने अपने देशों में पुस्तकालय विकास की राष्ट्रीय

प्रणाली बनाई जिसे 'नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम' कहा जाता है। इस प्रणाली से पुस्तकालय-सेवा को सुलभ करने में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन इस सब के अतिरिक्त पुस्तकालय-जगत में दो महान् क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए : (१) पुस्तकालय-सुरक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा, और (२) पुस्तकालयों का वैज्ञानिक संगठन और संचालन।

१. पुस्तकालय सुरक्षा की अन्तर्राष्ट्रीय चर्चा

यदि आज हम पुस्तकालय के प्राचीन इतिहास को एक नजर से देखें तो हमें पता लगता है कि काल की क्रूरता से, उपेक्षा से, तथा सेनाओं की क्रूरता से पुस्तकालय सभी काल में नष्ट होते रहे हैं। यह बात असभ्य मानव समाज की हो तो सहन की जा सकती है किन्तु अभी तो पिछले महायुद्धों में भी निर्दोष पुस्तकालयों पर व्रम वरसाये गए हैं। देखन-देखते मनीला, केन, मिलान, शंघाई, चेकोस्लोवैकिया और कोरिया^१ में पुस्तकालय नष्ट हो गए।

ये सब तो ताजी बातें हैं। लेकिन अब लोगों ने गलती महसूस की है और सम्यता और संस्कृति के प्रतीक इन पुस्तकालयों की रक्षा का अन्तर्राष्ट्रीय आश्वासन मिल गया है। यूनेस्को के एक ग्रस्ताव के अनुसार अब युद्धकाल में पुस्तकालय, अस्पताल की भाँति समझे जाएँगे और हमलावर लोग यह ध्यान रखेंगे कि वे नष्ट न हो सकें।^२ उपेक्षा से नष्ट होने वाले ग्रंथों की ओर सरकारें ध्यान देने लगी हैं और काल की क्रूरता से नष्ट होने वाली अध्ययन-सामग्री को दीर्घजीवी बनाने के लिए या उनको दूसरे रूप में अंकित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया है। माइक्रोफिल्म कर लेना तो अब सामान्य बात होती जा रही है। अनेक रासायनिक पदार्थों के आविष्कार से भी ग्रंथों को सुरक्षित रखने में सुविधा हो गई है। इस लिए पुस्तकालय के क्षेत्र में जहाँ तक काल, उपेक्षा और युद्धों से नष्ट होने का खतरा रहता था, अब उसमें एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है।

२. पुस्तकालयों का वैज्ञानिक संगठन और संचालन

आज हमारे सामने पुस्तकालयों के अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं। एक छोटे से मूर्तिमान पुस्तकालय से लेकर वैज्ञानिक पद्धति से बने स्वच्छ, एवं विशाल भवनों में खुली आलमारियों में सुसज्जित अध्ययन की विविध सामग्री, पट्ट और कर्तव्य-परायण कर्मचारी, तथा अनेक सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय तक एक लड़ी सी लगी हुई है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, सरकारी विभागों से संलग्न पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालय, शिक्षण-संस्थाओं के पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय आदि कितने ही रूपों को

१. यूनेस्को : शान्ति की सेवा के दस वर्ष, पृष्ठ ६

२. वही पृष्ठ १२

पुस्तकालय धारण किए हुए हैं। विषय के अनुसार, वर्ग के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार और देश के अनुसार भी पुस्तकालयों के अवध्य मेंद हो गये हैं। मेडिकल लाइब्रेरी, कानूनी पुस्तकालय, फैब्रिक पुस्तकालय, डॉ. सो. हाइब्रेरी, व्यापारी पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय, महिला लाइब्रेरी, प्रान्तीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय आम पुस्तकालय, मोबाइल लाइब्रेरी, आदि भेदभेद हैं। निजी पुस्तकालयों का प्रचार भी पहले से अधिक यह गया है और सार्वजनिक पुस्तकालयों का विज्ञान वो हीना ही चाहिए। उसका ताना तो विश्वविद्यालयी है।

पुस्तकालय आन्दोलन के प्रमाण के साथ ही इस बात का भी अनुभव किया गया कि पुस्तकालयों का पूर्ण रूप से सदूरप्रयोग तभी ही सकेगा, वे तभी आकर्षण के केन्द्र हो सकेंगे और सोक्षिय बन सकेंगे जब कि उनका वैज्ञानिक रीति से संगठन और संचालन हो। इसके लिए ट्रेनिंग पुस्तकालयों की आवश्यकता हूँ। यो वो पुस्तकालयों के जन्म-काल से ही उनमें संरक्षित सामग्री की रखने की कुछ न कुछ टेक्निक्स चली आ रही थीं, लेकिन इन सब की नमीक्षा करके नए दोगे से नए लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नयीन टेक्निकों का आविष्कार करना और उन्हें वैज्ञानिक सौचे में ढालना, यह एक महत्वपूर्ण घात था। अमेरिका में अनुभवी पुस्तकालयों द्वारा इस विषय का विशेष अध्ययन किया गया और अन्त में कुछ वैज्ञानिक सिद्धान्त और टेक्निक्स निश्चित की गई और उनको 'पुस्तकालय विज्ञान' का रूप दिया गया। इस विज्ञान के अनुसंधान में 'अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन' के सहायक भा. मेलविल ट्र्युवी का विशेष हाथ था। इस प्रकार पुस्तकालयों का ट्रनिग्रेशन की विधिवत् व्यवस्था १६ वीं शताब्दी के उत्तराद्दे में हो पायी। सन् १८७३ ई० में थी मेलविल ट्र्युवी ने संयुक्त यात्रा अमेरिका के कॉलम्बिया कालेज में सभ्य से पहले पुस्तकालय-विज्ञान की ट्रेनिग्रेशन के लिए एक विद्यालय की स्थापना की।^१ धांरे-धीरे आज संसार के सभी सभ्य यात्रों में इस विज्ञान की धिक्का की व्यवस्था हो गई है। अगले अध्याय में इस विज्ञान की रूप-जैला और उसके विद्यान्तों पर विचार किया जायगा।

१. श्री प्रमीलचन्द्र वसु : भारत में पुस्तकालयाध्यक्ष प्रशिक्षण 'पुस्तकालय विद्यालय' १८४६ पृष्ठ ८

अध्याय २

पुस्तकालय-विज्ञान की रूपरेखा

पुस्तकालय-विज्ञान का महत्त्व

जब कोई व्यक्ति किसी नये विषय को पढ़ना चाहता है तो उसके मन में यह प्रश्न उठता है कि वह विषय क्या है? उसका उद्देश्य और विकास के से हुआ और दैनिक जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है? तथा वह विषय विज्ञान है अथवा कला? इसलिए पुस्तकालय-विज्ञान के विद्यार्थी के मन में भी स्वभावतः ऐसा प्रश्न उठेगा कि पुस्तकालय-विज्ञान क्या है? उसका विकास कैसे हुआ आर हमार दैनिक जीवन के लिए उसकी क्या उपयोगिता है? इन प्रश्नों के उत्तर में शुरू में इतना ही जान लेना काफी होगा कि पुस्तकालय-विज्ञान अन्य विज्ञानों की अपेक्षा एक नया विषय है। लेकिन अपने विषय की स्वतन्त्रता, गम्भीरता और उपयोगिता के कारण यह आज संसार में एक अलग विज्ञान मान लिया गया है। इस विज्ञान के सम्बन्ध में प्रकाशित साहित्य भी अनेक अन्य विषयों के साहित्य से कहीं अधिक है। इसलिए संसार के बड़े-बड़े विचारक, राजनीतिज्ञ एवं विज्ञान भी इसकी महत्त्व को स्वीकार करने लगे हैं। इस प्रकार इस विज्ञान ने आधुनिक साहित्य में अपना एक गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। जब तक संसार में ज्ञान-विज्ञान का विकास होता रहेगा तब तक इसकी आवश्यकता भी बनी रहेगी।

विकास

यह शंका हो सकती है कि यदि यह ऐसा महत्वपूर्ण विज्ञान है तो प्राचीनकाल में यह इतना क्यों प्रसिद्ध नहीं हो सका और इसका विकास बहुत विलम्ब से क्यों हुआ? इसका उत्तर स्पष्ट है। प्राचीनकाल में पुस्तकों का संग्रह सुख्य कार्य समझा जाता था। उन पर एक वर्ग विशेष का अधिकार था। यहाँ तक कि जनता की भी यही धारणा बन गई थी कि पुस्तकालय कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था और वातावरण के प्रतिकूल होने से इस विज्ञान का कास नहीं हो सका। धीरे-धीरे जब सभ्य राष्ट्रों ने इस बात को महसूस किया कि लोक-शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन हो सकते हैं तो इस विज्ञान को विकास का अवसर प्राप्त हुआ और आज यह इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसकी

कितनी ही टेक्निकें तो पुस्तकालय से शाहर भी अनेक द्वित्रों में अनाई गई हैं और वे बहो ही उपयोगी और सफल लिए हुए हैं।

विज्ञान या कला

किसी शिष्य के कमबद्ध, अनुभव-जन्म सुकियुक्त शान को प्रियान कहते हैं। विज्ञान का उद्देश्य है कार्य और कारण के बीच एक सुकियुक्त एवं संगत सम्बन्ध स्थापित करना। इसलिए वह किसी वस्तु को अच्छा या बुरा नहीं मानता है। कला का उद्देश्य व्यायाधारिक है। वह किसी वस्तु को अच्छी या बुरी, प्रिय अथवा अप्रिय मान कर भी उसकी व्याख्या करने को तैयार रहती है। अतः कला का काम है बुरे को होड़ कर अच्छे के मार्ग का प्रदर्शन करना। अब 'विज्ञान' और 'कला' की उपर्युक्त व्याख्या को इसने रख कर यदि हम पुस्तकालय-विज्ञान पर विचार करें तो सामान्य रूप से इनमें कला और विज्ञान दोनों का अंश मिलता है। जब वैज्ञानिक रूप में अपने द्वित्रों की जनतां की अध्ययन की बच्ची के आँखें इकट्ठे किए जाते हैं, वैज्ञानिक रूप से सम्पूर्ण तादित को पुस्तकालय में कमबद्ध व्यवस्थित करने की विधि का अध्ययन हित आता है, पाठकों की पुस्तक तक पहुँच की वैज्ञानिक विधि से ऐसी तैयार की जाती है और अध्ययन सामग्री के लेन-देन में सरल और सक्षिप्त टेक्निकों का आविष्कार किया जाता है तो उस अंश में यह केवल कला नहीं है। लेकिन पुस्तकालय को घाकरें बनाने तथा पाठकों की दृच्छा को पहिचानने, पुस्तकों को तथा अन्य अध्ययन सामग्री को खुदने तथा उनको सेल्फ में व्यवस्थित करने तक की प्रक्रिया में कला का भी स्थान रहता है। इसलिए इसे केवल 'पुस्तकालय-कला' नहीं कह सकते। जिस समय में लाइब्रेरियन को लोग 'पुस्तकालय-कला' में दब समझते थे, उस समय उनके अन्दर थे अनुभव की प्रथानांत्र देते थे किन्तु आज ऐसी पात्र नहीं है। आज तो पुस्तकालय-विज्ञान की विद्यामात्र एक नवयुवक लाइब्रेरियन भी एक व्यावृद्ध दर्जनों वर्ष के अनुभवी किन्तु पुस्तकालय-विज्ञान की विद्या से शृंख्ला लाइब्रेरियन से थेहुतर समझा जाता है। इसलिए अब इस विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में ही स्वीकार कर लिया गया है क्योंकि यह विज्ञान वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर ही आधारित है जिसकी चर्चा आगे की जायगी।

पुस्तकालय-विज्ञान तथा अन्य विज्ञान

चूंकि संसार की सभी भावाओं का, सभी देशों का, सभी जातियों और समूहों का साधित विना किसी भेद-भाव के पुस्तकालयों में संगीत होता है और उससे लाभ उठाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यिन किसी भेद-भाव के सुविधा प्रदान की

जाती है, इन लिए इस विज्ञान का सम्बन्ध मंगार के ग्रान-विज्ञान के सभी ज्ञानों से है। यही एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान की अध्ययन-सामग्री को विना किसी भेद-भाव के व्यवस्थित किया जाता है। पुस्तकालय भवन के निर्माण में इस विज्ञान का सम्बन्ध स्थापत्य (Architecture) में होता है। पुस्तकों के जुनाव में हसका सम्बन्ध सामाजिक मानविज्ञान (Social Psychology) से होता है। अध्ययन सामग्री के पठन-पाठन सम्बन्धी और्हकड़ों के अध्ययन में इसका सम्बन्ध संख्यातात्त्व (Statistics) से होता है।

विभिन्न भाषाओं और नादित्य के विभिन्नों के वर्गोंकरण में इसका सम्बन्ध भाषाशास्त्र और साहित्य के इतिहास से होता है। यूनीकरण में अनेक दैशों के लेखकों की नाम परम्पराओं से इसका सम्बन्ध होता है। इस प्रकार अनेक विज्ञानों ने सम्बन्धित इस विज्ञान ने ज्ञान के प्रचार और प्रतार में मानवता को एक नवा मार्ग प्रदर्शित किया है।

इस विज्ञान की टेक्निक का अध्ययन तो सब के लिए आवश्यक है। अग्री सभी वल्लुओं को वैज्ञानिक क्रम से गमना, उनकी वैज्ञानिक गृन्धि, उनका लेन-देन और उनकी सुच्चा तो सभी चाहते हैं और इन कार्यों के लिए सब से अच्छी वैज्ञानिक टेक्निक इसी विज्ञान में भिजेगी। इस प्रकार इस देखते हैं कि इस विज्ञान का संसार के सभी विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है।

शब्दाथ—अंगेजी भाषा में 'लाइब्रेरी साइन्स' एक प्रसिद्ध शब्द है। 'पुस्तकालय-विज्ञान' शब्द उसी का हिन्दी रूपान्तर है। इस विज्ञान ने पुस्तकालय सम्बन्धी पुरानी परम्पराओं और मानवताओं में आमूल परिवर्तन करके पुस्तकालय के वास्तविक उद्देश्य और स्वरूप को संसार के सामने प्रस्तुत किया है। इस विज्ञान का वास्तविक परिचय ग्रास करने से पहिले यदि 'पुस्तकालय' शब्द का अर्थ समझ लिया जाय तो उचित होगा क्योंकि यह विज्ञान उसी से सम्बन्धित है। 'पुस्तकालय' शब्द दो शब्दों के संयोग से बना हुआ है—पुस्तक + आलय। लेखक का भाव जिसमें मूर्त्तीकृत हो उसे 'पुस्तक' कहते हैं। इस लिए अध्ययन की सभी प्रकार की सामग्री इसके अन्तर्गत आ जाती है। 'आलय' शब्द का अर्थ है, स्थान या वर। अतः अध्ययन-सामग्री जिस स्थान पर संग्रहीत की जाती है, उसे 'पुस्तकालय' कहते हैं। यह इस शब्द का सामान्य अर्थ है। लेकिन आज 'पुस्तकालय' शब्द का प्रयोग निम्नलिखित दो अर्थों में होता है :—

स्थिते, वध्यते, ग्रध्यते इत्यर्थः; आद्रियते वा पुस्त-वज् ततः स्वार्थे क = पुस्तक।
कोष, पृष्ठ २३६

पुस्तकालय-विज्ञान की रूपरेखा

(१) अध्ययन-सामग्री का संग्रह

(२) वह स्थान जहाँ पर अध्ययन-सामग्री का संग्रह किया जाता है, उसकी सुरक्षा की जाती है और उस संग्रहीत अध्ययन-सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने की सुविधा दी जाती है।

पुस्तकालय-विज्ञान में 'पुस्तकालय' शब्द के इसी व्यापक एवं आदर्श ग्रन्थ को स्वीकार किया जाता है। चूँकि किसी विषय के कमबद्ध, अनुभव-जल्दी और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, इस लिए सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि 'पुस्तकालय-विज्ञान' वह विज्ञान है जिसके अन्तर्गत पुस्तकालय के सर्वतोमुखी विकास के लिए अध्ययन किया जाता है।

रूपरूप और आवश्यकता

"वह विज्ञान कोई प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। भौतिक और प्राणिगण-विज्ञानी की माँति इसके हितान्तर पर्यावरण वायों पर आधारित नहीं है और न तो इसके नियम अनुमान समीकरण और सामान्य सांख्यिक रीतियों से ही उद्भूत हुए हैं। यह एक सामाजिक शास्त्र है और समाजोन्नति में समर्थ कुछ सिद्धान्तों पर आधारित है। समाजोन्नति में धेग लाने के लिए नवीन टेक्निकों का विकास किया जाता है। सामाजिक शास्त्र के नियमों की परिकल्पना आदर्श मिदान्तों से की जाती है। सामाजिक रीतियों में परिवर्तन होते रहने से इसकी आवश्यकता भी है।"

पुस्तकालय विज्ञान में भी यही किया जाता है। इसके आदर्श सिद्धान्तों द्वारा पुस्तकालय-सेवा में सुधार की आशा की जाती है। इन नियमों के प्रसार में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकालय-सेवा के नए रूपों की कल्पना की जाती है। इससे पुस्तकालय-व्यवस्था में मित्रव्यवस्था आती है और इसका आधार बढ़ता है। पुरानी टेक्निकों में सुधार होता है और नवीन टेक्निकों का आविष्कार होता है। फलतः पुस्तकालय-सेवा का सर्वतोमुखी विकास होता है।"

सिद्धान्त

पुस्तकालय-विज्ञान निम्नलिखित पाँच सिद्धान्तों पर आधारित है :—

(१) पुस्तकों पढ़ने के लिए हैं।

(२) पुस्तकों सव के लिए हैं।

(३) प्रत्येक पुस्तक को पाठक निले।

१ डा० रंगनाथन; 'पुस्तकालय विज्ञान का उद्देश्य और विकास' निबन्ध का एक छंता 'पुस्तकालय संदेश' विद्योपालङ्क १६५५, पृष्ठ २६।

इस प्रश्नार दून्या सिद्धान्त प्रेरणा देता है कि—

(१) सभी वर्ग के पाठकों की दृचि और माँग के अनुमार पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह किया जाय ।

(२) दिना किसी भेद-भाव के नव वर्ग के लोगों को पुस्तकालय-सेवा प्राप्त हो ।

तीसरा सिद्धान्त : प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले

यह निदान बतलाता है कि पुस्तकों का संग्रह कर लेने मात्र से ही पुस्तकालय का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता । पुस्तकें स्वयं किनी को पढ़ने के लिए अनने पास नहीं दूजा सकती । इस लिए पुस्तकालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा उपाय करे जिससे संग्रह की हुई प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक मिल सके । इसके लिए उसे निम्नलिखित उपाय करना चाहिए :—

(१) पुस्तकालय की एक पत्रिका (छारी या इस्तखित) प्रकाशित की जाय और उसके द्वारा ऐसी पुस्तकों की रचना पाठकों को दी जाया करे जो उन्होंने पढ़ी न हो ।

(२) ऐसी पुस्तकों की यूनी समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाय ।

(३) सार्वजनिक समाचारों तथा उत्पन्नों में पुस्तकालयाध्यक्ष भाग लें । पुस्तकालय जो सुनिधि पाठकों को दे सकता है, वहाँ उनका प्रचार किया जाय । गूबनाएँ छुपवा कर दौड़ी जायें । कारबानों, खेल के मैदानों आदि में जा कर वहाँ पुस्तकालय सम्बन्धी प्रचार किया जाय । शिक्षण संस्थाओं में कक्षाओं में इसका प्रचार हो ।

अतः यह सिद्धान्त प्रेरणा देता है कि—

(१) पुस्तकालय-सेवा का अधिकारिक प्रचार करके जनता में पढ़ने की दृचि पैदा करना चाहिए ।

(२) पुस्तकालय में केवल ऐसी पुस्तकों का संग्रह करना चाहिए जो पढ़ी जा सकें जिन पुस्तकों का उपयोग न होता हो उनके लिए संभावित पाठकों की खोज की ओर निर्मल प्रयत्न किए जायें ।

चौथा सिद्धान्त : पाठकों का समय घरे

यह सिद्धान्त बतलाता है कि अपनी इच्छा से अथवा पुस्तकालय की ओर से किए गए प्रचार से प्रेरित हो कर यदि कोई व्यक्ति पुस्तकालय में आवे तो वह जो कुछ भी पढ़ना चाहता है या जानना चाहता है, उसमें उसकी पूरी सहायता करनी चाहिए । पुस्तकालय की ओर से उसे ऐसी सेवा प्राप्त होनी चाहिए कि वह सन्तुष्ट और

प्रसन्न होकर जाय। उसके मन में पुस्तकालय के प्रति एक सुन्दर धारणा घर कर जाय और वह सदा पुस्तकालय में आने के लिए उत्सुक रहे। लेकिन यह कार्य तभी हो सकता है जब कि पुस्तकालय-अध्यक्ष उसकी कठिनाइयों को समझे। प्रसन्नतापूर्वक उसकी उस कठिनाई को दूर करे और उसका समय बचाये। पाठक जब तक सन्तुष्ट न हो जाय तब तक उसके कार्य को पूरा करने में भरसक उसकी सहायता करता रहे। यह एक अनुभूत सत्य है कि यदि पाठक को उसकी अभीष्ट पुस्तक मिलने में देर होती है और उसे धोर प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो वह व्यवहार उठता है। इसके विपरीत यदि उसे चटपट पढ़ने की सामग्री मिल जाती है तो उसका समय बचता है और वह उस पुस्तकालय का प्रशंसक ही जाता है।

अतः पाठकों का समय बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय काम में लाने चाहिए।

(१) प्रत्येक पुस्तकालय अनुलय सेवा की व्यवस्था करे। अनुलय सेवा या रिफ़र्मेंस सर्विस के लिए जो व्यक्ति नियत हो, वह प्रसन्नचित्त और शिष्ट स्वभाव का हो। वह पाठक के प्रवेश करते ही उसकी इच्छा को समझे और तदनुसार उसकी उपयुक्त सेवा करे। वह ऐसी व्यवस्था करे कि पाठक कार्य-रहित होकर व्यर्थ में एक क्षण के लिए भी प्रतीक्षा करने को वाध्य न हो।

(२) पुस्तकालय में आलमारियों की खुली-प्रणाली (ओपेन एक्सेस) हो। प्रत्येक आलमारी में जिन विषयों की पुस्तकें हों, उसके ऊपर निर्देशक कार्ड (गाइड कार्ड) लगे हों। जिससे पाठक स्वयं वहाँ पहुँच कर आलमारियों के खानों में रखी हुई पुस्तकों में से अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें छाँट ले और ऐसा करने की उसको पूरी स्वतन्त्रता हो।

(३) पुस्तकें बाहर ले जाने के लिए ऐसी प्रणाली हो जिसमें पाठक को बहुत देर तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। रजिस्टरों में अनेक जगह हिसाब किताब लिखने की अपेक्षा सरल और वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जाय।

(४) पुस्तकालय की पुस्तकों का चर्गिंकरण वैज्ञानिक ढंग से किया जाय और उनको आलमारियों में अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया जाय। पुस्तकों की सूची सरल और वैज्ञानिक ढंग से बनी हो और उसके उपयोग करने की विधि सूची-कार्ड कैबिनेट के पास गाइड कार्ड पर लिखी गई हो। सम्पादक, टीकाकार, लेखक, विषय, शीर्षक आदि सभी प्रकार की सूचियाँ भी हों जिनसे पाठक को अभीष्ट पुस्तकों को छूँड़ने में सरलता और सुविधा हो।

(५) पुस्तकालय की दैनिक कार्य-प्रणाली भी सरल और सुविधाजनक हो जिससे के कर्मचारीगण भी अपने दैनिक कार्य से फुरसत पाकर पाठकों की सेवा में

यदि उत्तर्युक्त व्यातों की ओर स्थान दिया जाय तो निःसन्देह पाठकों का समय बच सकता है और पुस्तकालय लोकप्रिय हो सकता है।

इस प्रश्नार इम देसने हैं कि यह सिद्धान्त पुस्तकालय सेवा के सच्चे उद्देश्य की ओर इमें प्रेरित करता है विस्ते पाठकों का समय बचे और पुस्तकालय लोकप्रिय हो सके।

पाँचवाँ सिद्धान्त : पुस्तकालय वर्द्धनशील संरथा है

यदि सिद्धान्त इमें वालागा है कि बिम प्रसार बच्चे के शरीर का अंग-प्रत्यंग बदला है, उसी प्रकार पुस्तकालय में पुस्तकों, पाठकों और कर्मचारियों की सख्ता में नियन्तर वृद्धि होती रहती है। पाठकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण ही पुस्तकों और कर्मचारियों की सख्ता में भी वृद्धि होती है। जब ऐसी देश में अधिकारा व्यक्ति निरहा होते हैं तो सावधता के प्रचार एवं प्रसार के माध्य-साध्य उस देश में पाठकों की सख्ता में अधिक वृद्धि होने की सम्भावना रहती है। अतः पाठक, पुस्तकें और कर्मचारियों की सख्ता में वृद्धि का स्थान रखने हुए पुस्तकालय भवन के निर्माण की योजना बनानी चाहिए। इसी उपेक्षा कमी भी न करनी चाहिए। यदि अवैज्ञानिक दृग से छोटे-मोटे दैनन्दी पर पुस्तकालय भवन बनेगा तो उसका परिणाम अन्त में भवंतु होगा क्योंकि अनेक पुस्तकालयों को इसका कुफल भग्ना पढ़ा है। इस लिए पुस्तकालय भवन की विस्तृत और विस्तार-शील योजना पढ़ले से बनानी चाहिए।

दूसरी बात स्थान देने की यह है कि पुस्तकालय में पुरानी भैरवीन युस्तकों में से जो पुनर्लक्ष्य की गति में पिछड़ जायें और अनुपयोगी सिद्ध हो उनका पुस्तकालय से छोड़ कर अलग करना चाहिए और उनके स्थान पर उचम नई, पुस्तकों का रखना चाहिए। ऐसा काने से स्थान मो मिल सकेगा, और पुस्तकालय मी अप-टु-डेट हो सकेगा।

तीसरी बात यह है कि पुस्तकालय का छुटाना वर्तमान रूप देख कर कमी भी वर्गोंकरण और दूचीकरण की अवैज्ञानिक मनमानी पद्धति को न लागू करना चाहिए, नहीं तो मध्यिक में गच्छणा उत्पन्न हो जाता है और वहे हुए हँगढ़ को नयी प्रणाली में पढ़ाने में धन और श्रम का बोर अवश्य होना है। इस लिए ग्रामम से ही सैंडबूल वर्गोंकरण पद्धति और दूचीकरण के सिद्धान्त को अनाना चाहिए।^१

इस प्रकार यदि सिद्धान्त उत्तर्युक्त तीन व्यातों की ओर विशेष रूप से स्थान आकृष्ट करता है।

१. विशेष विवरण के लिए देखिए—डा० रंगनाथन : 'पाइव लॉज आफ लाइब्रेरी साइंस'

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुस्तकालय-विज्ञान में पुस्तकालय-सेवा को लोकप्रिय और सर्वसुलभ बनाने के लिए वैज्ञानिक विधि से विचार किया जाता है। यह विज्ञान पुस्तकालय भवन, पुस्तकालय स्टाक, पुस्तकों का निर्वाचन, उनका वर्गीकरण और सूचीकरण, पुस्तकों का लेन-देन आदि सभी अंगों की सुनिश्चित एवं वैज्ञानिक विधि बतलाते हुए पुस्तकालय को एक लोककल्याणकारी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में परिवर्तित करता है। इसमें संदेह नहीं है कि यदि पुस्तकालय-विज्ञान की निर्दिष्ट विधियों के द्वारा पुस्तकालय का संगठन और संचालन किया जाय तो उसका आदर्शस्वरूप राष्ट्र के लिए गौरव-प्रद होगा।

पुस्तकालय-विज्ञान का क्षेत्र

पुस्तकालय-विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसके अन्तर्गत जितना विषय समाया हुआ है, उसको संक्षेप से हम तीन समूह (ग्रूप) में विभाजित कर सकते हैं:-

१. पुस्तकालय वर्गीकरण : सिद्धान्त और प्रयोग

२. पुस्तकालय-सूचीकरण : सिद्धान्त और प्रयोग

३. पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय-संचालन

४. पुस्तकालय वर्गीकरण : सिद्धान्त और प्रयोग

इसके अन्तर्गत वर्गीकरण के सामान्य सिद्धान्त, वर्गीकरण का उद्देश्य, प्रमुख वर्गीकरण पद्धतियों जैसे ब्राउन, कटर, कांग्रेस, ड्युनी, कोलन आदि का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन तथा किसी एक या एकाधिक पद्धति का विशेष अध्ययन कराया जाता है। यह वर्गीकरण का सिद्धान्त पक्ष कहलाता है।

अभ्यास या प्रयोग के लिए किसी एक पद्धति के अनुसार अधिक से अधिक पुस्तकों का वर्गीकरण अभीष्ट होता है।

२. पुस्तकालय-सूचीकरण : सिद्धान्त और प्रयोग

इसमें पुस्तकालय-सूची का उद्देश्य, सूचियों के विभिन्न प्रकार, सूची में संलेख के प्रकार, अनुवर्ण सूची और अनुवर्ग सूचियों का तुलनात्मक अध्ययन और विस्तृत ज्ञानकारी, लेखक और शीर्षक के लिए ए० एल० ए० कोड तथा अनुवर्ण सूची के लिए कटर के डिक्शनरी कैश्लॉग के नियम, अनुवर्ग सूचीकल्प, अनुवर्ण सूची कल्प, और सूचीकरण विधान का संगठन, आदि आता है। यह इसका सिद्धान्त पक्ष है।

इसके प्रयोग पक्ष में अनुवर्ग-सूची कल्प और अनुवर्ण-सूची कल्प के अनुसार अधिकाधिक पुस्तकों का सूचीकरण करना अभीष्ट होता है।

३. पुस्तकालय संगठन और पुस्तकालय-संचालन

(अ) पुस्तकालय-संगठन

इसके अन्तर्गत पुस्तकालय-विशान के सिद्धान्त, पुस्तकालयों का इतिहास और पुस्तकालय आन्दोलन, विभिन्न देरों में पुस्तकालय कानून, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों का संगठन, पुस्तकालय-समिति और उसका काम, पुस्तकालय के नियम, पुस्तकालय-योग्यना के सिद्धान्त विभिन्न विभागों में पुस्तकों के स्टाक और फनींचर की विठिंग की व्यवस्था, भंडार घर की समस्या, पुस्तक-संग्रह की सुरक्षा, प्रकाश और इत्या का प्रबन्ध, खुली आलमारी की प्रणाली वाले पुस्तकालयों में विशेष रूप से स्टैक रूम आदि की विठिंग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

(ब) पुस्तकालय-संचालन

इसके अन्तर्गत संचालन में सामान्य सिद्धान्तों और व्यावहारिक कामों का विशेष विनृत अध्ययन, जैसे बजट तैयार करना, फंड को आवश्यकतानुसार बाँटना, हिसाब-किताब रखना, पुस्तकों को मँगाने के लिए आर्डर तैयार करना, शैलफ के लिए पुस्तकों को संक्षार कर के तैयार करना, पुस्तकों का लेन-देन, वाचनालय और अनुलय सेवा के लिए दैनिक कार्य, पुस्तकालय के विविध आकड़े तैयार करना, विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के कार्य और उनका उद्देश्य, वापिक रिपोर्ट तैयार करना, शैलफ की पुस्तकों का व्यवस्थापन, मरडार घर के दैनिक कार्य, स्टाक की जांच आदि सभी-लित हैं।

(स) विद्यियोग्रैफी, पुस्तकों का चुनाव और रिफ़ेस सर्विस विद्यियोग्रैफी

इसके अन्तर्गत विद्यियोग्रैफी, पुस्तक-उत्पादन का इतिहास, कागज, छपाई, चेत्र, बिल्डिंग्सी, पुस्तकों का कोलेशन और वर्णन, विद्यियोग्रैफी के विविध प्रकार और उनके तैयार करने की रीतियाँ, आदि का अध्ययन किया जाता है।

पुस्तकों का चुनाव

विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तक-चुनाव के सिद्धान्त और उनका प्रयोग, चुनाव के साधन, चुनाव की प्रणाली, विद्यियोग्रैफी, विषय-गूची, सामग्रिक पत्र-पत्रिकाओं की समालोचनाएँ तथा सुभाष-पत्र आदि की सहायता से पुस्तकों का चुनाव, पुस्तकों का निगेटिव सेलेक्शन आदि जाता है।

रिफ़ेस सर्विस

रिफ़ेस सर्विस या अनुलय सेवा के सिद्धान्त, प्रक्षुत अनुलय सेवा, उसके प्रकार और उसका उपयोग, व्याप्त अनुलय-सेवा, विद्यियोग्रैफी का उपयोग, रिफ़ेस

लाइब्रेरी के विविध उपकरण और रिफ़ोर्म स्टाफ़ का संगठन आदि इसके अत्यंत आता है।

उपर्युक्त रूपरेखा से इस विज्ञान की गम्भीरता, उपयोगिता और असीमता का अनुमान किया जा सकता है। ऊपर के त्रिभिन्न दो पिक पर स्वतन्त्र बहुमूल्य पुस्तकों लिखी गई हैं और इस प्रकार इसका साहित्य भी समृद्ध हो चुका है और इसके प्रत्येक अंग पर विशेष अध्ययन एवं खोज जारी है।

व्यावहारिक रूप

इस पुस्तक में ऊपर वर्ताए गए ग्रूप के क्रम से विपर्यों की चर्चा नहीं की गई है। वहिक पुस्तकालय-विज्ञान के व्यावहारिक रूप के अनुसार अध्यायों को खाला गया है। मतलब यह है कि पुस्तकालय के लिए पहले उनका भवन आवश्यक होता है, उसमें फर्नीचर और स्टाफ़ की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद बजट के अनुसार पुस्तकों का खुनाव, उनको मँगाना, उनका संस्करण, वर्गांकरण, सूचीकरण, लेन-देन, रिफ़ोर्म सर्विस, एवं अतिरिक्त क्रिया-कलाप तथा सुरक्षा आदि की व्यवस्था होती है। अतः इसी क्रम से अध्याय रखे गए हैं और प्रत्येक अध्याय में वैज्ञानिक ढंग से उसके विषय का विवेचन किया गया है। अतः अगले अध्याय में इसी व्यावहारिक क्रमानुसार पहले पुस्तकालय-भवन की योजना पर विचार किया जायगा।

पुस्तकालय भवन की योजना

परिचय

'पुस्तकालय भवन की योजना' एक प्रसार का वक्तव्य है जो कि इसी पुस्तकालय की आवश्यकता और मौग के सम्बन्ध में तैयार किया जाता है। इसमें पुस्तकालय की बहरी रुपरेखा बताई जाती है और बनता की सेवा करने वाले पुस्तकालय के विभागों के भीतरी सम्बन्ध का वर्णन किया जाता है। उनके आकार और उचित स्थान को निश्चित किया जाता है और साथ ही पूरे पुस्तकालय भवन का विस्तृत विवरण इस योजना में दिया जाता है। इस किए यह अत्यावश्यक है कि पुस्तकालय भवन की योजना पर्याप्त विस्तृत रूप में तैयार की जाय। इस सम्बन्ध में एक बही कठिनाई यद है कि अधिकारी हॉजीनियर जिनके कंधों पर पुस्तकालय भवन बनाने का भार रखा जाता है, पुस्तकालय-संगठन की विधियाँ और उसकी सेवाओं से अपरिचित होते हैं। दूसरी ओर अधिकारी लाइब्रेरियन भी पुस्तकालय भवन की योजना बनाने का अनुभव नहीं रखते। अतः यदि अनुभवी लाइब्रेरियन और कुशल भवन-निर्माण हॉजीनियर मिल कर पुस्तकालय-भवन के निर्माण की योजना बनावें तो वह अधिक सफल होगी।

विशेषता

यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि पुस्तकालय-भवन की कोई एक योजना सभी पुस्तकालयों के किए ठीक नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि प्रत्येक पुस्तकालय की स्थानीय दशा, उसका बजट, उसकी सेवाओं का प्रकार तथा कुछ अन्य थाते दूसरे पुस्तकालय से भिन्न होती हैं।

सार्वजनिक पुस्तकालय का भवन

अब जब कि हम वर्तमान सार्वजनिक पुस्तकालयों के भवन निर्माण पर विचार करते हैं तो सबने पहले हम देखते हैं कि उसका उद्देश्य अपने सेवा के प्रत्येक सदस्य की सेवा करना है। क्योंकि आजकल के सार्वजनिक पुस्तकालय शान के एक प्रकाश-स्वरूप हैं जहाँ से सभी वर्ग के लोगों की शान का प्रकाश मिलता है। एक अच्छी पुस्तकालय-सेवा प्रशान करने के लिए चार समस्याओं का सम्मान करना पड़ता है:—

१ Mr. Charles M. Mohrhauoldt. 'ए विलिङ्गम प्रैग्रेस फ़ार ए पब्लिक लाइब्रेरी' नामक लेख के आधार पर (जरनल आफ दि हॉउंड्यन लाइब्रेरी एसोसिएशन भाग १ अंक १)

- (१) उत्तम पुस्तकों तथा अन्य अध्ययन सामग्री का चुनाव
- (२) इन पुस्तकों और सामग्री का बर्गीकरण या वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थापन
- (३) संग्रहीत सामग्री की कार्ड-सूची
- (४) पुस्तकालय का उत्तम रीति से उपयोग कराने के लिए ट्रेंड स्टाफ

मुद्रित पुस्तकों के अतिरिक्त अब पुस्तकालय अन्य साधनों द्वारा भी अपने क्षेत्र के लोगों को ज्ञानवान् बनाने का यत्न करते हैं। इसके लिये शिक्षा-प्रद किल्म, फोटोग्राफ, रिकार्डिङ, व्याख्यान, वाद-विवाद प्रतियोगिता और रेडियो आदि की सहायता ली जाती है। इस लिए पुस्तकालय भवन की योजना में इन सब वस्तुओं के लिए भी स्थान रखना पड़ता है।

उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ज्ञान के भण्डार स्वरूप इन पुस्तकालयों में जो विविध प्रकार की सामग्री एकत्र की जाती है उनका समुचित उपयोग कराने में तथा पुस्तकालय के पवित्र लक्ष्य की पूर्ति में पुस्तकालय भवन का भी बहुत बड़ा हाथ है। आधुनिक पुस्तकालयों के भवन का निर्माण मुक्त द्वार (open access) प्रणाली पर होना चाहिए। पुस्तकों के रखने के लिए इस योजना में भवन के निचले भाग में ही व्यवस्था हो जिससे आने-जाने वाले बाहर से भी उन्हें देख सकें।

इस लिए पुस्तकालय-भवन का खाका बनाते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए।

- (१) आने वाले व्यक्तियों की सुविधा
- (२) आवश्यकता पड़ने पर भविष्य में विस्तार होने की गुंजाइश
- (३) भविष्य में यदि परिवर्तन करना हो तो उसकी सम्भावना
- (४) बनावट में सादगी
- (५) स्थायी रूप से कम से कम पार्टीशन
- (६) शान्त और आकर्षक भीतरी भाग
- (७) पुस्तकालय के उपयोग कर्ताओं के लिए घूमने फिरने को काफी जगह।
- (८) अधिकांश कर्मचारियों के लिए एक ही बड़ा हाल, न कि छोटे-छोटे और कमरे।

स्थान

सार्वजनिक पुस्तकालय के भवन के लिए सब से मुख्य महत्व उसके स्थान का है। जिस भाग में जनता की आवादी अधिक हो और अधिक न अधिक लोग पुस्तकालय में आ सकें, वही स्थान इसके लिए उत्तम होगा। इस निए यह तरफ है कि पुस्तकालय भवन शान्ति के बातावरण के खंडाल से निर्भन में न बनाया

जाय। जहाँ दूकानें हों, बाजार हों और लोग अन्य कार्यवशा वहाँ आवें तो साथ ही पुस्तकालय से भी लाभ उठा सकें।

ऐसा द्वेष जो नया बस रहा हो उसमें पुस्तकालय भवन बिना खूब सोचे-समझे नहीं बनवाना चाहिए।

यह स्थान इतना विस्तृत है कि पुस्तकालय की वर्तमान आवश्यकता को तो पूरा करे ही साय ही पुस्तकालय के भविष्य के लिए भी वृद्धि के समय काम दे सके। इसके लिए न तो वर्गाकार भूमि ठोक पड़ती है और न तिकोनी। आयताकार भूमि जो सड़क के किनारे हो वह अधिक अच्छी पड़ती है और उस भूमि पर प्राकृतिक प्रकाश अधिक मिल सकता हो।

भीतरी भाग की रूप रेखा

भीतरी भाग मुन्द्र और स्वच्छ हो जो पाठक को मुख्य द्वार से पुस्ते ही आकृष्ट कर सके। फर्श ऐसा हो कि उस पर चलने से आवाज न हो। यदि फर्श पर नारियल या जट की चटाई, या दरी आदि चिढ़ी हो तो अच्छा हो। दरवाजों में नीचे की देहली न हो जिससे किसी असाधान पाठक को ठोकर न लग सके। चाहर से भीतरी कमरों तक पहुँचने वाले प्रकाश के बीच में हो कर रास्ता न होना चाहिए। प्रवेश-द्वार पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। फर्श और दीवारें ऐसी हों कि चलने और बोलने में गूँज न उठें। कमरे कम से कम हो जिससे निरीक्षण में मुविधा हो।

पुस्तकालय भवन की छत न तो बहुत ऊँची होनी चाहिए और न बहुत नीची। भवन की दीवारों पर या फर्श पर आलमारी या किसी फनांचर की स्थाप्ति निषिद्ध न होनी चाहिए, जिसको आवश्यकता पड़ने पर हटाने में अमुविधा हो।

प्रकाश

पुस्तकालय में प्रकाश की सदा आवश्यकता पड़ती है। इस लिए प्रकाश के सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि पुस्तकालय भवन में एक विशेष दंग से प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राकृतिक प्रकाश पुस्तकों और पाठकों दोनों के लिए बहुत ही बहुरी है। इस लिए अधिक से अधिक प्राकृतिक प्रकाश भवन के अन्दर पहुँचना चाहिए किन्तु सूर्य की किरणें पुस्तकों पर सीधी न पड़ें। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में विजली के प्रकाश का मुचाईरूप से प्रथम्य होना चाहिए। विजली के घलों की किटिङ्ग ऐसे स्थानों पर हो जहाँ से कर्मचारियों और पाठकों के मुँह पर सीधा प्रकाश न पड़ सके। पढ़ने-लिखने में प्रकाश सदा चार्ए से अथवा ऊपर से आना चाहिए। प्रकाश बहुत तेज न हो।

आलमारियों से पुस्तकों निचालने के लिए प्रकाश के दिटिङ्ग की ऐसी व्यवस्था

होनी चाहिए कि प्रकाश पुस्तकों पर पड़ सके। ऐसा न हो कि जब पुस्तक निकालने वाला व्यक्ति पुस्तक निकालने के लिए आलमारी के पास खड़ा हो तो उसकी परछाई से ही आलमारियों के खानों पर ग्रेडेरा छा जाय और पुस्तकें निकाली या ढूँढ़ी न जा सकें।

वाचनालय में प्रकाश की व्यवस्था फर्मांचर के आकार-प्रकार के अनुसार होनी चाहिए।


हवा

पुस्तकालय में शुद्ध वायु का अवश्य संचार होना चाहिए। यह हवा पर्याप्त मात्रा में खिड़कियों, दरवाजों और रोशनदानों से मिलती है। पुस्तकालय में खिड़कियाँ तो हों किन्तु उन पर पतले तार की जाली लगी रहनी चाहिए जिससे पुस्तकें जोड़ी से बाहर न जा सकें और हवा भी मिलती रहे। तार की जाली के साथ शीरों की किंवाड़े होना अधिक अच्छा है। हवा का तापमान स्थान के अनुकूल एक निश्चित छिग्री तक होना चाहिए जिससे पाठकों को कष्ट न हो और पुस्तकों को भी किसी प्रकार की हानि न पहुँचे।


भवन

१. “पुस्तकालय का आकार-प्रकार सेवा की जाने वाली जनसंख्या पर निर्भर है। यहाँ मैं एक छोटे पुस्तकालय-भवन का वर्णन करूँगा, जो प्रायः २०,००० जनसंख्या की सेवा कर सकता है और जिसमें प्रायः १०,००० ग्रन्थों को स्थान मिल सकता है। निम्नलिखित चित्र उसे स्पष्ट करता है :—

८० फीट



४० फीट



१. डा० रंगनाथन : पुस्तकालय-संचालन, भवन तथा सामग्री : ‘पुस्तकालय’

च—चांद

टा—टारेलमैट्रिक टाइ

इ—इंजन इंजिन

टे—ट्रोटर ट्रोटर

उ—अन-ऐन ऐनल

क—कूला-कूला (क्षात्रमार्ग)

ए—एचनासिद

ऐ—नवन नवन

‘चयन-भवन’

‘चयन भवन’ के विवरण किम्बुग के पहले एकांशी ग्रन्थ आलमारी (रेक) का दिल्ली निवास करना प्रधिक उचित होगा । इसमें चार विभाग होते हैं । दो विभाग ही और होते हैं । दोनों मुख्य मार्ग चतुर का जाली के विमानक द्वाय विमल होते हैं । ये विभाग तीन रेक्टेंड दोनों रोड द्वाय द्वाय जाते हैं । ब्रिन्सा प्रमाण $7' \times 11'$ $\times 2'$ होता है । प्रत्येक विभाग में साथारण्ड: $5' \times 4' \times 1'$ प्रमाण के बाँच परिवर्तनीय पलाजी का स्थान होता है । उनके अधिरिक दो घड़े हुए (मिपर) पलक होते हैं दिनमें एक टींकी तल से ६' ऊँचा होता है और दूसरा मिर्जने ६' ऊँचे होता है । इस प्रकार उन चार विभागों में भी प्रत्येक में ७ पलक होते हैं और एकांशी आलमारी में युग्म द्वच पलक होते हैं । इनमें प४ लघ्ये छींडी का स्थान होता है और उनमें प्रायः १,००० ग्रन्थ गर्मी वा सकने हैं । एकांशी आलमारी का शाही प्रमाण $7' \times 11' \times 11'$ होता है । प्रत्येक एकांशी आलमारी के सामने ५' चौड़ा मार्ग होता है । इस बात का इसे ध्यान रखना चाहिये । इस प्रकार प्रत्येक १,००० ग्रन्थों के लिये ३८ कर्ग फीट भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस यह मह सकते हैं कि १ वर्ग कुट भूमि २५ ग्रन्थों के बहुमर है । १२,००० ग्रन्थों के लिए १२ आलमारियों की आवश्यकता पड़ती है । उन १२ आलमारियों के लिये भी, सभी दीक्षारों से सटे हुये गुले भाग को बढ़ दर्ले हुये, ५०० वर्ग फीट की आवश्यकता पड़ती है । यदि इस मार्गों का भी ध्यान रखते हों १ वर्ग कुट १५ ग्रन्थों के बहावर होगा और १२,००० ग्रन्थों के लिए ८०० वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस चेत्रफल को प्राप्त करने का एक मार्ग यह है कि चयन-भवन का प्रमाण $7d' \times 11'$ ग्राम द्वाय और दूसरा प्रकार यह है कि $5d' \times 1d'$ -राजा जाय ।

याचनालय

प्रत्येक पाठ्यक के लिए १२ वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होती है । इस चेत्रफल १. मंचय भवन (Stock room) कहना उचित है ।

में गेज, कुर्सी और कुर्नी के पीछे की भूमि इन सब का समावेश हो जाता है। वाचनालय में ४० पाठकों के समूह का समावेश करने के लिये ४८० वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होती है। अनुसन्धान-ग्रन्थों को वाचनालय में ही रखना अतिकर है। उनके लिये दो ग्रन्थ-आलमारियाँ अपेक्षित हैं। यदि उन दोनों को समानान्तर रखा गया तो उनके सामने के मार्ग तथा उनके सिरे और दीवारों के बीच के मार्ग को एकत्र कर प्रायः १०० वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। समाचार पत्र के आधार तथा लेन-देन-टेबुल के सामने की खुली भूमि के लिये प्रायः ४०० वर्ग फीट स्थान की अपेक्षा होती है। वाचनालय की पूरी लम्बाई भर व्याप्त मध्यवर्ती मार्ग के लिये १२० वर्ग फीट भूमि की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मोटे तौर पर ४० पाठकों के वाचनालय के लिये १,१०० वर्गफीट क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इस क्षेत्रफल को प्राप्त करने के लिये $64\frac{1}{2}' \times 17'$ प्रमाण का पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ भवन होना चाहिये।

लेन-देन-टेबुल

लेन-देन-टेबुल अथवा कर्मचारी वेरा प्रायः १०० वर्गफीट भूमि में व्याप्त होना चाहिये। इसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर ११ फीट तथा उत्तर से दक्षिण की ओर ६ फीट विस्तृत बना कर उपयोग के योग्य बना सकते हैं। इस वेरे को प्रवेश-उपग्रह के अन्दर की ओर बनाया जा सकता है यह प्रवेश-उपग्रह $16' \times 17'$ प्रमाण का होता है। यह वेरा वाचनालय की पूर्व से पश्चिम की दीवारों में से किसी एक के मध्यभाग से बाहर निकला होना चाहिए। इस प्रकार लेन-देन-टेबुल के प्रत्येक पार्श्व में आने-जाने के लिए ३ फीट छोड़ा मार्ग निकल आयेगा। निरीक्षण की दृष्टि से यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा यदि लेन-देन-टेबुल को वाचनालय के अन्दर की ओर २ फीट धुसरा हुआ बनाया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि लेन-देन-टेबुल प्रवेश-उपग्रह के केवल ७ फीट भाग को ही अधिकृत करेगा। फलतः प्रवेश-उपग्रह में प्रदर्शनखानों के लिये तथा स्वतन्त्र आवागमन के लिये $11' \times 17'$ अथवा प्रायः १६० वर्ग फीट स्वतन्त्र भूमि उपलब्ध हो सकेगी।

खिड़कियाँ

चयन-भवन के प्रत्येक प्रतिमार्ग में दोनों सिरों पर एक-एक खिड़की होनी चाहिये। प्रत्येक खिड़की $3' \times 5'$ प्रमाण की हो सकती है। खिड़की का दासा (सिल) भूमि से $21\frac{1}{2}'$ ऊँचा होना चाहिये। खिड़कियाँ के दासों को लकड़ी का बनाना अधिक क होगा, क्योंकि लकड़ी के बने होने पर वे अस्थायी रूप से ग्रन्थों के लिए

मेंबर का बाने हे महत्व। संचारी के बाहर बढ़े हुए बाली के भरोलों के अल्पिक्रिया प्रदेश के नियमी में वीगड़ से लटके हुए रीडिंग के क्षियाइ भी होने चाहिए और यह चार्टर को छोर खुलने चाहिए। याचनालय की नियमितीयाँ भी इसी प्रकार दूरी दूरी वा दूरी दूरी तुर दगाई आनी चाहिए। प्रवेश-उपग्रह में भी पार्श्व भी होने दूरी दूरी में संचितित होनी चाहिए।"

विशाल पुस्तकालय-भवन

आपुमेन पुस्तकालयों की सेवाएँ बहुतुर्गी हैं और उन पर धारित भा बहुत है। इनमें दूब का दबाव के प्रत्येक व्यक्ति को विवासियों में भी भाव के पुस्तकालय-सेवा द्वारा करने के लिए आपुनिक साधन-विनियुक्त पुस्तकालय के भवन में निम्नलिखित विभाग द्वारा काम का होना आवश्यक होता है :—


१. लेन-देन विभाग (Lending library)
२. बाल वर्त (Children's section)
३. नवाचार-प्रध कक्ष (Newspaper library)
४. प्रश्नावान कक्ष (Reading and magazine room)
५. संदर्भ कक्ष (Reference library)
६. माननित्र कक्ष (Map room)
७. शिल्प संग्रह विभाग (Special collection department)
८. व्याचारण कक्ष (Lecture hall)
९. दृश्य-प्रध उपकरण कक्ष (Audio visual equipment room)
१०. गूचा-प्रध कक्ष (Public catalogue room)
११. प्रसार विभाग (Circulation department)

इनमें अतिरिक्त पुस्तकालय के संचालन और स्टाफ़ कक्ष के अन्तर्गत निम्नलिखित कक्ष होने चाहिए :—

- (अ) जयन कक्ष (Stock room)
- (ब) पुस्तकालयाधी कक्ष (Librarian's room)
- (ग) पुस्तकालय समिति कक्ष (Committee room)
- (घ) बायोलॉज (Office)
- (इ) बिल्डरी विभाग (Binding department)
- (च) स्टाफ़ वर्क कक्ष (Staff work room)
- (छ) स्टाफ़ विआम कक्ष (Staff rest room)
- (ज) मर्केट घर (Store room)
- (झ) स्लान एवं शौचालय कक्ष (Bath and lavatory)

इन विभागों और कक्षों वा भवन में स्थान निर्धारण अस्थायी और लोचदार पार्टीशन के द्वारा होना चाहिए जिससे आवश्यकतानुसार उन्हें घटाया बढ़ाया जा सके।

इन विभागों और कक्षों की स्थिति निम्नलिखित रूप में की जा सकती है :—



‘नगर सार्वजनिक पुस्तकालय का मॉडल

१. (श्री सी० जी० विश्वनाथन की ‘पब्लिक लाइब्रेरी आर्गनाइजेशन विद्येशल रिफ़ैन्ट डृहंडेया’ से साभार उद्धृत)

विभिन्न प्रधार के अन्य पुस्तकालयों की भी अपनी कुछ विशेष आवश्यकताएँ और कार्यक्रम होते हैं। तदनुसार ही उनके लिए भवन निर्माण करना उन्नित है। अब तक अनेक उत्तर चांडीच से गुजराते के बाद विशाल पुस्तकालय भवनों के लिए मॉड्युलर 'कन्स्ट्रक्शन' सब से कम खर्च और सुविधाजनक माना गया है।

इस नवीन विचार के जन्मग्राता थी एंगस स्टीड मैकडॉनल्ड ने सर्वप्रथम यह विचार मन् १६२२-३३ ई० में प्रकट किया था।

उन्होंने स्थान रिस्टार की संभावना का सीनित धन साकार रूप में देने के लिए, आवश्यकतानुसार सामरिक परिवर्तनों को अल्प व्यय में तथा विना किसी बाधा के संभव बनाने के लिये तथा नवीन भवनों के निर्माण के सभी एकलालता, मितव्ययिता, स्थान विलास, संभावित सामरिक परिवर्तनों तथा कार्यानुगमन को मृत्तरूप देने के लिए मॉड्युलर प्रणाली का विचार प्रदान किया।

मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन

पुस्तकालय-भवन की निर्माण कला के चेत्र में सब से नपी पढ़ति है। 'मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन'। इस पढ़नि में पहले पुस्तकालय-भवन के लिए एक बहुत बड़ा सा हॉल बनाया जाता है। उसके बाद उसके भीतरी भाग में एक समान आकार बाटे मॉड्युल्स बना लिए जाते हैं। हर एक 'मॉड्युल' एक आपताकार चेत्र के रूप में बनता है। मॉड्युल के कोनों पर चार तरफ बनाये जाते हैं जो छत का बेम सेंभाल सकें और भार सेंभाल सकने वाली दीवाल का काम दे सकें। 'मॉड्युल्स' की ऊँचाई फर्श से छत तक फीट से १० फीट तक होती है। ये 'मॉड्युल्स' १८×१८ फीट के, १८×२२ फीट के या २७×२७ फीट आदि कई नाप के बनाये जाते हैं। मॉड्युल के आन्तरिक विभाजन बुक्सेलफ द्वारा किये जाते हैं जिसकी एक साइट ३ फीट होती है जो कि पुस्तकों के सेलफ की प्रामाणिक लम्बाई मानी जाती है। और दूसरी साइट ४२ फीट की होती है। यह माप मॉड्युल्स में किट हो जाती है, यही इस की विशेषता है। अपनी सुविधानुसार मॉड्युल्स का आकार छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। स्थायी अवस्था के तर्जों को जैसे सीढ़ी, इलेवेनर, आदि को मध्य भाग में स्थान दिया जाता है जिससे मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन से जो स्थान निर्धारित रूप में प्राप्त हुआ है, उसका पूरा लाभ उठाया जा सके। मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन की पढ़ति से पुस्तकालय-भवन बनाने में अपेक्षाकृत कम खर्च पड़ता है। इसमें आन्तरिक सौन्दर्य की ओर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है नहीं तो सम्पूर्ण निर्माण अनावश्यक हो जाता है। छोटे पुस्तकालयों के भवन के लिए 'मॉड्युलर कन्स्ट्रक्शन' आवश्यक नहीं है।

प्रश्नांतर १

फर्नीचर : फिरिङ्ग : याज-नामान

चौड़ाई २ फीट ४॥ इंच


ऊँचाई २ फीट ७॥ इंच

गहराई १ फुट ११ इंच

इसके दोनों किनारे और तले के तज्ज्ञे हैं इन मोटे होने हैं और पीछे की तरफ का तग्ज्ञा है इंच मोश होता है। इसके भीतरी भाग को तीन तख्तों के द्वारा घौंट दिया जाता है। इससे चार भाग हो जाने हैं। इन तख्तों की मोशाई है इंच और चौड़ाई ४ इंच होनी चाहिए। इसी प्रकार पैच तख्ते खड़े भीतर की ओर देने से ६ बतारें बन जाती हैं। इन तख्तों की मोशाई है इंच और चौड़ाई ३ इंच होती है। कैविनेट की दराजे इन्हीं खानों में रखी जाती हैं। इनकी भीतरी

चौड़ाई ६ इंच, ऊँचाई ४॥ इंच और

गहराई १ फुट, १०॥ इन होती हैं। हर एक दराज जो ग्रलग से तैयार होती है, उसकी चौड़ाई ५ इंच तथा गहराई १ फुट ८ इंच। दराज के दोनों किनारे तथा पीछे के लिए जो तज्ज्ञे लगाये जाने हैं उनकी मोशाई, मिर्क ३ इंच और ऊँचाई २ है ८ इंच हो। इसका आगला तख्ता चौड़ाई में ६ है ८ इंच और ऊँचाई में ५ है ८ इंच होता है। इस तरह वह कैविनेट के खाने में पूरी तरह समझ जाता है। हे इंच धरे वाली एक निकिल की हुड़े छुड़ (रड़) दराज के ठीक शीब में आगे से पीछे तक लगी रहती है। उसका जो सिंग सामने वी श्रोत निरुला रहता है, उसमें एक पैच लगा दी जाती है बिन पर घुमा देने से छुड़ कस टटती है। दराज के भीतर की ओर पीछे एक लकड़ी का छोटा सा दकाव लगा दिया जाता है जिससे कार्ड पीछे की तरफ गिर कर टूट न जाय। दराज के सामने भाग में छुड़ की पैच के ऊपर एक पीतल का लेवेल होल्डर लगाया जाता है। वह १५" x १५" का होता है। इसमें सूचीकाड़ों के अनुसार लेवेल लगा दिया जाता है। सूचीकाड़ "बो ५" x ३" के होते हैं, इन्हीं दराजों में क्रमशः रखे जाते हैं और छुड़ उन सूचीकाड़ों के शीब में बने हुए लेवेल से होकर पार चली जाती है। इस प्रकार सूचीकार्ड सुरक्षित रहते हैं क्योंकि छुड़ कस देने पर



छोटा सूची-कार्ड बैविनेट


पढ़ने की मेज (Reading table) — एक पाठक को $2 \times 1\frac{1}{2}$ फीट अर्थात् ३ वर्ग फीट स्थान मिलना आवश्यक है। पढ़ने की मेज फीट लम्बी ३ फीट चौड़ी और ३२ इंच ऊँची ही जिस पर दोनों सरफ द पाठक बैठ कर पढ़ सकें। इसकी लकड़ी पड़की नालू या शीशम की हो। आम आदि की लकड़ी न हो कि चरसात में फूज जाय। इसके ऊपर मोमजामा (oil cloth, लगा हो जिससे गन्दी न हो)। मेज पर पढ़े स्थाही के धब्बे भद्दे लगते हैं और उन्हें छुड़ाने में भी असुविधा होती है।

संदर्भ पुस्तकालय की मेज—संदर्भ पुस्तकालय में प्रत्येक पाठक अपने लिए अलग स्थान चाहता है। पुस्तकालय की बड़ी मेजें उसको नहीं बँचती। इस कमी को दूर करने के लिए एक योहानी मेज का प्रचलन हुआ है। यह ६ फीट लम्बी होती है। इसमें लम्बाई के बीचो-बीच ६ इंच से ६ इंच तक ऊँचा एक पाठीशन या लकड़ी की टीवार बीच में होती है जिससे एक पाठक को दूसरे से कोई चापा न पहुँच सके। प्रत्येक भाग में कलमदान तथा कुछ पुस्तकें आदि रखने के लिए स्थान रहता है। इसके निचले भाग में एक शैल (गाना) रहता है जिस पर घातया पुस्तकें, आयर कोड, छाता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ रख कर पाठक निश्चिन्त हो कर पढ़ सकता है। पाठीशन में लगा एक लैम भी दोना चाहिए।

पत्र-पत्रिकाओं के लिए मेज और रैक—इनके दो प्रकार होते हैं। एक तो ३ फीट की गोल मेज जिस पर चारों ओर से लोग बैठ कर पढ़ सकें। दूसरी द फीट \times ३' फीट की साधारण मेज जिस पर द बरकि एक साथ पढ़ सकते हैं। पत्रिकाओं ने लिए लम्बे रैक जो मेज पर डिके हुए हों और उनमें पत्रिकाओं के आकार के लाने बने हों तथा उनमें रखी हुई पत्रिकाओं का निरैश कार्ड बाहर लगा हो। यह रोति मेज के बीच हल्का रैक लगा कर भी हो सकती है।

भानिह पत्रिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो रैक होता है, उसको 'भानिह डिस्प्ले रैक' कहते हैं।

कुर्सी—पाठकों के लिए बहिरार कुर्सियाँ जो अधिक चौड़ी न हों, उपरोक्ती होती हैं। वे मजबूत, अच्छे



मैगजीन डिस्प्ले रैक

उनके गिरने का डर नहीं रहता। इस सूचीकार्ड के हर एक दराज में १००० कार्ड तक फाँड़ल हो सकेंगे और कुल २४ दराजों में २४००० सूचीकार्ड का प्रबन्ध हो सकेगा।

जिस मेज पर यह सूचीकार्ड कैविनेट रखा जाता है, उस मेज की ऊँचाई ऊपर के तख्ते सहित १ फुट १० फूट १० इंच होती है। इसके ऊपर का तख्ता चौड़ाई में २ फीट ५ फूट ५ इंच और गड़राई में २ फीट होता है। मेज का दाँचा तख्ते को छोड़ कर २ फीट ४ फूट ५ इंच \times १ फुट ११ इंच का होता है। इसके पाये, सिरे पर ३ \times ३ इंच और तले में २। \times २। इंच होने चाहिए। यह अच्छे दर्जे की सामौन की लकड़ी से बना हुआ होना चाहिए। इसमें जो पीतल या धातु के पेंच आदि लगाए जायें वह भी अच्छी किस्म की धातु के हों। दराजों की तथा उसके खानों की नाप ऐसी फिट होनी चाहिए कि दराज एक दूसरे खाने में भी जरूरत पड़ने पर बदल कर रखी जा सके।

शेलफ लिस्ट कैविनेट—यह कैविनेट भी काड़ों को रखने के लिए होता है। इसमें पुस्तकों के कार्ड सेलफ में व्यवस्थित पुस्तकों के क्रम से रखे जाते हैं। यह सेलफ लिस्ट वार्षिक जाँच के समय विशेष उपयोगी होती है। विषय-सूची (Subject Catalogue) न होने पर इससे सहायता ली जाती है। इसमें ताले की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए।

आलमारियाँ और उनके खाने—पुस्तकालय के लिए आलमारियाँ बनवाने में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। अनुभव बतलाता है कि ६ फीट से अधिक ऊँची आलमारियाँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनमें पुस्तकें रखने और निकालने में कठिनाई होती है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि इन आलमारियों के अन्दर के लाने इस प्रकार बने हों कि उन्हें इच्छानुसार छोटा बड़ा किया जा सके। इसका सबसे सरल उपाय यह है कि आलमारी के अन्दर के दोनों ओर की दीवारों पर एक इंच की दूरी पर खाँचे लगे हों जिनमें लकड़ी के तख्तों को अटका कर जहाँ आवश्यक हो Shelf या खाना बना लिया जावे। आलमारियों की चौड़ाई ३ फीट और खानों की गहराई १० इंच या १ फुट पर्याप्त है। बड़े आकार की पुस्तकों (जैसे संगीत आदि की पुस्तकों संदर्भ अन्य आदि) के लिए अधिक गहरी और चौड़ी आलमारियाँ रहनी चाहिए। इनकी लकड़ी अच्छी किस्म की होनी चाहिए।

जिल्द बैंधे समाचार-पत्रों, मासिक पत्रिकाओं और बड़े आकार के ग्रन्थों को खड़े रखने से वे दूट बाते हैं। उनके लिए विशेष प्रकार की आलमारियाँ हों जिनमें वे मुर्शित रह सकें। न्युले, बिना बैंधे समाचार-पत्रों, मासिक पत्रिकाओं और अन्य फुटकर कागज-पत्रों के लिए लकड़ी के न्युले रैक होने चाहिए जिससे हवा और प्रकार भी मिलता रहे और निकालने और रखने में सुविधा हो।

पढ़ने की मेज (Reading table) — एक पाठक को $2 \times 1\frac{1}{2}$ फीट अर्थात् ३ वर्ग फीट स्थान मिलना आवश्यक है। पढ़ने की मेज द फीट लम्बी ३ फीट चौड़ी और ३२ इंच ऊँची ही जिस पर दोनों तरफ द पाठक बैठ कर पढ़ सके। इसकी लकड़ी पढ़की सालू या शीशाम की हो। आम आदि की लकड़ी न हो कि बरसात में पूज्ज जाय। इसके ऊपर मोमजामा (oil cloth) लगा हो जिससे गन्दी न हो। मेज पर पड़े स्थाही के धब्बे भद्रे लगने हैं और उन्हें छुड़ाने में भी असुविधा होती है।


संदर्भ पुस्तकालय की मेज—संदर्भ पुस्तकालय में प्रत्येक पाठक अपने लिए अलग स्थान चाहता है। पुस्तकालय की बड़ी मेजें उसको नहीं बैंचती। इस कमी को दूर करने के लिए एक दोषात्मी मेज का प्रचलन हुआ है। यह ६ फीट लम्बी होती है। इसमें लम्बाई के बीचो-बीच ६ इंच से ८ इंच तक ऊँचा एक पाठ्यशन या लकड़ी की टीवार बीच में होती है जिससे एक पाठक को दूसरे से कोई विघ्न पूँछ सके। प्रत्येक भाग में कलमदान तथा कुछ पुस्तकें आदि रखने के लिए स्थान रहता है। इसके निचले भाग में एक शैलफ (चाना) रहता है जिस पर फालतू पुस्तकें, आपर कोद, छाता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएँ रख कर पाठक निश्चिन्त हों कर पढ़ सकें। पाठ्यशन में लगा एक लैम्प मा होना चाहिए।

पत्र-पत्रिकाओं के लिए मेज और रैक—इनके दो प्रकार होते हैं। एक तो ३ फीट की गोला मेज जिस पर चारों ओर से

लोग बैठ कर पढ़ सके। दूसरा द फैल 3×3 फीट की साधारण मेज जिस पर द वर्षिक एक साथ पढ़ सकते हैं। पत्रिकाओं के लिए लम्बे रैक जो मेज पर टिके हुए हों और उनमें पत्रिकाओं के आमार के टाने बने हों तथा उनमें रखी हुई पत्रिकाओं का निर्देश कार्ड भाहर लगा हो। यह रोति मेज के बीच हल्स रैक लगा कर भी ही सकती है।

मातिह पत्रिकाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो रैक होता है, उसको 'मैगजीन डिस्प्ले रैक' कहते हैं।

कुर्सी—पाठकों के लिए बैंदरार कुर्सियाँ जो अधिक चौड़ी न हों, उपरोक्ती होती हैं। वे मजबूत, अच्छे



मैगजीन डिस्प्ले रैक

डिजाइन की और आरामदायक हों। इन कुर्सियों के पावं में रवर की गढ़ी लगी रहनी चाहिए जिससे हटने या लिसकाने में आवाज न हो। इससे कर्श भी खराब नहीं होता है।

जिन सार्वजनिक पुस्तकालयों में 'बाल-विभाग' होता है, वहाँ उस विभाग में सभी फर्नीचर वस्त्रों की आयु के लिहाज से बनवाए जाते हैं और उनकी भी स्टैरडर्ड नाप होती है, सामाजिक-शिक्षा विभाग आदि के यदि विभाग संलग्न हों तो उनके फर्नीचर भी कुछ विशेष प्रकार के होते हैं।

पुस्तकालय के साज-सामान

उपर्युक्त फर्नीचर के अतिरिक्त प्रत्येक पुस्तकालय में ऐक्सेशन रजिस्टर, सूचीकार्ड, गाइड कार्ड, तिथि-पत्र, विभिन्न प्रकार के लेवल, स्टील बुक सपोर्टर, बुक प्लेट, बुक-पाकेट, सटस्य-कार्ड या टिकट, चार्जिङ ड्रे, डेटर, डेटगाइट कार्ड आदि अनेक सामान होने चाहिए। इन सब का परिचय और उनकी उपयोगिता इस पुस्तक में व्याख्यान दे दी गई है।

घड़ी और कैलेण्डर

प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालय में ठीक समय देने वाली एक घड़ी का होना अत्यावश्यक है। यह ऐसे स्थान पर लगी हो और इसका डायल ऐसा हो कि पाठक को समय का ज्ञान अपने स्थान पर बैठे-बैठे ही हो सके। बड़े और स्पष्ट अक्षरों में छपा एक कैलेण्डर भी होना चाहिए जो प्रमुख स्थान पर लगा हो।

पाठकों की साइकिलों के लिए स्टैरड और निजी सामग्री रखने के लिए मुख्य द्वार के पास ही सदा हृआ एक निश्चित स्थान होना चाहिए। इसके लिए यदि टिकट अणाली रहे तो अच्छा हो।

इसके अतिरिक्त पुस्तकालय भवन की सच्चिता की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिये। नीली रोशनी के बल्ब, आकर्षक रंग की दीवार और कलात्मक चित्र पाठकों को पुस्तकालय के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं और तदर्थ सुन्दर बातावरण उपस्थित करते हैं।

लाइब्रेरी पोस्टर्स

पुस्तकालय में कुछ अच्छे पोस्टर्स लगवा देना सुविधाजनक होता है। कुछ पोस्टर्स इस प्रकार होते हैं :—

१—पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए


२—मौन अपेक्षित है

३—रिजर्व पुस्तकें

४—रिट्रेस पुस्तकें

५—कागजों कुट्टियों में पढ़ने योग्य पुस्तकें

लाइब्रेरी पोस्टर्स के लिए पोस्टर होल्डर चतुर उपयोगी होता है। यह लकड़ी का बना होता है और इसके धीन में नीचे रहता है जिसमें पोस्टर लगा दिये जाने हैं—



पोस्टर होल्डर

इनके अनिवार्य दैनिक काम-काव के लिए निम्नलिखित स्टेशनरी का होना भी आवश्यक है :—

१ टप्पती	गोददानी	फैन्ची
कार्बन डेवर	मुद्र के लिए लाद	विभिन्न उपयोग के कागज
पेपर का विलाप	मिट्टी का तेल	धृती
मोमबत्ता	गेहूँ का आदा	लाइपराइटर
पैनिल (काली)	बड़दे के छोटे शैंगार	रिचन
पैनिल (लाल)	चालू का कागज	विज्ञली के घल्य
पैनिल (नीरी)	रबर (पैनिल)	माइक्रिल
पैन होल्डर	रबर (स्पाही)	धागा
निष	दियामजाई	निन
काली स्पाही	लालटेन	फुट रुत
लाल स्पाही	करडा	पेपर कटर
स्थाम्प पैट	दबात	स्पाही शोतल
स्थाम्प पैट की स्पाही	फैन्चेश्डर	दबात
स्टेंसिल	सामुन	चुरचनी
स्लुर	फेनाइल	स्टेंसिल की स्पाही
पैपर डेट	छाता	सुई
जैम विलाप	चाहू	डेटर

अध्याय ५

पुस्तकालय स्टाफ़

कर्मचारी

पुस्तकालयों के लिए विशेष योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उनकी संख्या पुस्तकालय की सेवा के प्रकार पर निर्भर करती है। किन्तु एक मध्यम श्रेणी के पुस्तकालय के लिए आठ या नौ व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, तीन पुस्तकालय-सहायक, दो कलर्क, एक बुकलिस्टर और एक चपरारी।

टेक्निकल कर्मचारी

एक मध्यम श्रेणी के अच्छे पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष विज्ञान या कला में उच्चतम उत्तराधि तथा पुस्तकालय—विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त होना चाहिए। हिन्दी और अंग्रेजी के ज्ञान के साथ-साथ उसे संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच और रसी भाषा की भी जानकारी होनी चाहिए। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को कम से कम स्नातक तथा पुस्तकालय-विज्ञान का डिप्लोमा प्राप्त होना चाहिए। अगर पुस्तकालयाध्यक्ष एक विषय का जाता हो तो एक ऐसे सहायक का जुनाव करना चाहिए जिसकी प्रमुख रुचि पुस्तकालय की विधियों की ओर हो। उसके सेवा कार्यों में पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा निश्चित कर्तव्यों का पालन करना समिलित है। पुस्तकालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह पुस्तकालय का भार भी अपने ऊपर ले सकता है।

पुस्तकालय-सहायक को कम से कम मैट्रीकुलेट तथा पुस्तकालय-विज्ञान का प्रमाण-पत्र प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। उसे पुस्तकालय-कार्य रचिकर लगने चाहिए। उसके सेवा कार्यों में लिखिक के कार्यों के साथ ही पत्रिकाओं के निरीकण से लेकर उच्च चार्टर्ड के कार्य जैसे सारांशीकरण या साहित्यिक खोज जैसी भी समिलित हैं।

क्लैरिकल स्टाफ़

आशुलिपिक एवं टाइपिस्ट की कम से कम हाई स्कूल तक की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही सूची-पत्र टाइप करने, पत्रों तथा अन्य विशेष वस्तुओं की फाइलिंग विशेष ज्ञान होना चाहिए। सन्तोषजनक कार्य के लिए उसमें निम्न स्तर की अपेक्षा ऊँचे दर्जे की बुद्धिमत्ता की भी जरूरत है।

अन्य कर्मचारी

बुक्लिफ्ट को कम से कम भिड़िल पास होना चाहिए। उसके सेवा कार्यों में किताबों पर लेखिल एवं पाकेट लगाना तथा किताबों के सूचीकरण एवं बगाँकरण के पश्चात् आलमारियों में लगा देना है। कापिस लौट कर आई हुई किताबों को यह पुनः आलमारियों में रखेगा। चपरासी को किताबों से धूल हटाने, संदेश ले जाने और इसी तरह के अन्य कार्य सांप्रदाने चाहिए। इनके अतिरिक्त दस्तरी, फर्गुण तथा चौकीदार का भी होना आवश्यक है।

पुस्तकालयाध्यक्ष

पुस्तकालय की समूर्ख उन्नति पुस्तकालयाध्यक्ष पर निर्भर है, अनः उसकी आवश्यकता, योग्यता, कर्तव्य, गुण, नियुक्ति और घंतन पर विशेष ध्वनि देना आवश्यक है।

आवश्यकता

पुस्तकालय के संगठन और सचालन के लिए सर्वप्रथम अनिवार्य रूप से आवश्यक व्यक्ति होता है, पुस्तकालयाध्यक्ष। अतः प्रत्येक पुस्तकालय के लिए एक योग्य अध्यक्ष की आवश्यकता होती है जो कि पुस्तकालय-विभाग के सिद्धांतों के अनुसार पुस्तकालय का संगठन और सचालन कर सके। एक गलत धारणा अभी तक ऐसुड़े हुए देशों के यिदिल लोगों तक के भीतर घर मिट हुए हैं। यह धारणा यह है कि लाइब्रेरिन दूने के लिए कोई विशेष गुण या योग्यता की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस बाम को बर सरदा है। यह एक अनुचित धारणा है। कारण यह है कि आज के पुस्तकालय प्राचीन काल के पुस्तकालयों में सर्वथा भिज्ञ है। उनका उद्देश्य शीर लद्य एवं दम भिज्ञ है। आज पुस्तकालय लोक-शिक्षा का एक प्रमुख माध्यन है। पुस्तकालय-सेवा प्रत्येक व्यक्ति को उसी प्रकार भिज्ञनी चाहिए जिन प्रकार की स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा आदि का सुविधाएँ। ऐसी महत्वपूर्ण रोग प्रशान करना साधारण व्यक्ति के दश के बाहर है। साथ ही केवल उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी इस काम को पूर्ण रूप से नहीं बर सकता। यदि यह पुस्तकालय-विभाग की शिक्षा-दीक्षा न प्रदण किए हुए हों। अतः प्रत्येक पुस्तकालय के लिए एक लगनशील, कर्मठ पुस्तकालयाध्यक्ष की आवश्यकता है।

योग्यता और गुण

यहें यहें पुस्तकालयों के अध्यक्ष विश्वविद्यालय से विश्वान या बला में इनात्मात्तर डिप्लोमा प्राप्त और पुस्तकालय विभाग में भी डिप्लोमा प्राप्त, अनुभवी व्यक्ति

ही रखे जाने चाहिए। विशेष प्रकार की लाइब्रेरी के लिए उस विषय का अन्य विद्वान् व्यक्ति लाइब्रेरियन होना चाहिए, जैसे कानून की लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन कानून का अच्छा वेता हो। बहुत छोटे-छोटे पुस्तकालयों को चलाने के लिए भी पुस्तकालय-विज्ञान में प्रमाणपत्र प्राप्त लाइब्रेरियन का होना अच्छा होता है। लाइब्रेरियन पुस्तकालय संगठन और सचालन सम्बन्धी पुस्तकालय-विज्ञान के आधुनिकतम सिद्धान्तों से परिचित हो, अनुभवी हो, कर्मठ हो और पुस्तकालय का स्तर ऊँचा उठाने की क्षमता रखता हो।

पुस्तकालय-अध्यक्ष को मृदुभाषी, मिलनसार, शिष्ट और प्रसन्नमुख होना चाहिए। उसके अन्दर कार्य को धैर्य और लगनपूर्वक करने की क्षमता होनी चाहिये। पुस्तकालय के गौरव की वृद्धि करना उसका लक्ष्य होना चाहिए। उसके हृदय में अपने प्रोफेशन के प्रति अनुराग होना आवश्यक है।

कर्तव्य

(१) वह अपने पुस्तकालय में ऐसी सभी पुस्तकें तथा अन्य सामग्री जुटाने का प्रयत्न करे जो पाठकों के लिए सामयिक और आवश्यक हों। अपने पुस्तकालय को लोकप्रिय बनाना और अपने पाठकों से नम्रता और सहानुभूति का व्यवहार करना उसका प्रथम कर्तव्य है।

(२) पुस्तकों तथा शिक्षा सम्बन्धी अन्य साधनों (पत्र-पत्रिकाएँ, नक्शे, चार्ट आदि) को चुन कर मँगाना और उन्हें इस ढंग से पुस्तकालय में रखना जिससे उनकी उपयोगिता बढ़ सके।

(३) पाठकों तथा अपने चेत्र के लोगों में अध्ययन करने की रुचि उत्पन्न करने के साधनों को खोजना और उन साधनों का उपयोग करना।

इसके लिए वह निम्नलिखित उपायों को काम में ला सकता है :—

(क) पुस्तकालय में प्राप्त या नवागत पुस्तकों की विशेषताएँ वह पाठकों को स्वयं बताए।

(ख) नवीन पुस्तकों के ऊपरी जैकेट (कवर) को निकाल कर पुस्तकालय में ऐसे स्थान पर टाँगने की व्यवस्था करे जहाँ पाठक उसे भली-भर्ति देख सकें।

(ग) उत्तम पुस्तकों की समय-समय पर प्रदर्शनी की व्यवस्था करे।

(घ) पुस्तकालय-सप्ताह मनाने का आयोजन करे और उस अवसर पर पुस्तक-चर्चा सम्बन्धी विचार गोष्ठी, प्रतियोगिताएँ तथा सत्साहित्य प्रदर्शन आदि करे जिससे

जनरुचि जाग्रत हो मंके। पुस्तकालय में ऐसे भाषण भी कराए जायें जिनमें उस पुस्तकालय में प्राप्त पुस्तकों की कुछ निशेगताएँ बताजाई जायें।

(च) पुस्तकालयाध्यक्ष सामाजिक कार्यों में भाग ले और उस कार्य में अपने पुस्तकालय की पुस्तकों आदि से सहयोग प्रदान करे।

(छ) पुस्तकालय में महान् व्यक्तियों जैसे ईगोर, प्रेमचन्द, तिलक, गांधी जा आदि महान् नेताओं और लेनवकों की जयन्तियाँ मनाने का आयोजन किया जाय और उनमें नमनिधन जो भी साहित्य पुस्तकालय में हो उसकी प्रदर्शिनी की जाय।

(च) वर्तमान चालू विषय पर व्याख्यान-माला का आयोजन करे।

(झ) नाटक निलेने और सुन्दर कहानियाँ गुनाने की व्यवस्था करे।

(झ) पुस्तकों की गृही का लोगों में प्रचार करे।

(ठ) मैत्रिक लालंडन से पुस्तकालय के आकर्षक अर्थ जनता को दिलाए जायें।

(ठ) पुस्तकों की मरमी गढ़ियाँ रख कर पुस्तकों का प्रचार कराया जाय।

(४) पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के छेत्र का विस्तार समझे और अपने छेत्र में उपर्युक्त साधनों से ऐसी जनरुचि जाग्रत कर कि जनता के दिल से वह भ्रम दूर हो जाय कि पुस्तकालय कुछ थोड़े से पड़े-लिखे लोगों की चीज है।

(५) पुस्तकालयों की एकता तथा आपसी लेन-देन का सम्बन्ध रखना भी पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य है। ऐसा करने से वह अपने को एक परिवार के अहङ्क कर में पायेगा और उसकी अनेक कठिनाइयाँ भी दूर हो जायेंगी।

(६) पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह ग्रौइ शिक्षा और जनशिक्षा के कार्य में अपना अधिक सहयोग प्रदान करे।

(७) पुस्तकालयाध्यक्ष को संसार में होने वाली सामरिक वातां की जानकारी रखनी चाहिए और उसमें जिजामु चर्ने रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

नियुक्ति

वास्तव में पुस्तकालय-अध्यक्ष एक ऐसा केन्द्र यिन्द्र है जिस पर अनेक कर्तव्य आ कर मिलते हैं। पुस्तकालय की सामान्य व्यवस्था से ले कर देश के अम्बुद्धान के पवित्र कर्तव्य तक सभी उसमें अपेक्षित हैं।

इसलिए बब पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो अपने पुस्तकालय के अनुरूप योग्यता वाले व्यक्ति के निमित्त विज्ञापन निकालना चाहिए। आये हुए समस्त प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के पश्चात् कुछ व्यक्तियों को साक्षात्कार

के लिए बुलाना चाहिए जिससे उनके व्यक्तित्व और लाइब्रेरियन के लिए अपेक्षित गुणों की भी कुछ भलाक मिल सके। प्रार्थी के पूर्वानुभव और उल्लेखनीय कार्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। योग्यता और गुणों से विमूर्पित लो पुस्तकालय-विज्ञान मित्र जाय उसकी नियुक्ति करनी चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन की तथा विशेषज्ञों की सहायता भी इस कार्य में ली जा सकती है।

वेतन

कुछ सम्पन्न राष्ट्रों को छोड़ कर पिछड़े हुए सभी देशों में अभी पुस्तकालय-अध्यक्ष का पेशा, पद एवं वेतन की विधि से इस समय इतना आकर्षक नहीं है कि उच्च शिक्षा दीक्षा से युक्त, प्रतिभाशील व्यक्ति इसे ग्रहण करने के लिए उत्साहित हों। कारण यह है कि कुछ तो देशों की आर्थिक स्थितिवश और कुछ नियुक्तिकर्ता अधिकारियों की अज्ञानतावश अभी पुस्तकालय-कर्मचारियों के महत्व को समझा नहीं गया है। फिर भी पुस्तकालय-सेवा को सर्व-सुलभ बनाने के लिए नये लगनशील, योग्य, प्रतिभावान् व्यक्तियों को भी इस ओर आकृष्ट करने के लिए प्रशासन आदि विभागों के समान वेतन का उच्च स्तर होना आवश्यक है। ऐसा होने से पुस्तकालय-सेवा का समुचित विकास होने में सफलता मिल सकेगी।

अध्याय ६

पुस्तकालय की अर्थ-व्यवस्था

महत्व

सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा समुदाय को जो पुस्तकालय-सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की बाती है, उसमें अर्थ का एक विशेष महत्व है। समुचित रूप से कार्य-संचालन और प्रभावशाली सेवा के लिए अर्थ-व्यवस्था पुस्तकालय का अनिवार्य अङ्ग है सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा का प्रकार और संरक्षा इन दोनों का अर्थ से घनिष्ठ सम्बन्ध है। समुचित अर्थ-व्यवस्था के बिना पुस्तकालय सेवा को न तो स्थायित्व मिल सकता है और न तो जन-नाभारण तक उसकी निरंतर पहुँच हाँ हो सकती है। अतः सार्वजनिक पुस्तकालय की अर्थ-व्यवस्था आधार में मुद्रित होनी चाहिए।

साधन

पुस्तकालय की अर्थ-व्यवस्था के लिये साधारण रूप से निम्नलिखित साधन प्राप्त हो सकते हैं :—

१. पुस्तकालय-कर

२. पुस्तकालय में अर्थ-दण्ड से संग्रहीत धन, तथा सूची-पत्र की विकी से प्राप्त धन

३. पुस्तकालय के व्याख्यान भवन के किये की आय

४. विधिय प्रकार के दान से प्राप्त धन, जमा हुए धन का व्याप

५. प्रदेशीय सरकार तथा स्थानीय स्नायक शासन की इकाइयों द्वाय प्राप्त साम-
पिक अनुदान

२. पुस्तकालय-कर

सार्वजनिक पुस्तकालय आपुनिक प्रबालंब की देन है। अतः वह जनता के लिए अनुदान के धन से ऊँट बनता द्वारा संचालित होना चाहिए। प्रारंभ में पुस्तकालयों

जाती है। वस्तुतः यह आय नाम-मात्र के लिए ही होता है। किंतु भी यदि इन प्रकाशित सूची-नंबरों को नाकाशिय बनाया जा सके तो आय के साथ साथ वे पुस्तकालय-प्रबार का भी चार्य कर सकते हैं।

३. पुस्तकालय के व्याख्यान-भवन के किराये का आय

विन पुस्तकालय में व्याख्यान भवन का व्यवस्था है, वे उन्हें स्थानाय अन्य संगठनों या नस्याओं का उन आयावनों के लिए किस निधारित किंवदं पर उत्पाद के लिए दद। ३। उन ग्राम धन भा आय का एक साधन है किन्तु वासविकता यह है कि यह आय सभा पुस्तकालय के लिए मुलभ नहीं है।

४. विविध प्रकार के दान से प्राप्त धन तथा जमा हुए धन का व्याज

पुस्तकालय में आमधार रखने वाले भुक्त से उदार व्याकु समय समय पर अपने संगठने धन का कुछ अर्थ दान रुप मद दिया करने हैं यद्यपि यह आय अनिरिच्छित ही होता है। ऐसूज ग्रामों तथा फर्ड फाउन्डेशन के दान संसार के कितन ही पुस्तकालयों का इत प्रकार का आय प्राप्त हुइ है।

इस प्रकार के दान का धन तथा अन्य साधनों से प्राप्त धन को बैंकों में जमा करने पर जा कुछ व्याज मिलता है, इससे भा कुछ आय हो जाता है।

५. प्रदेशीय शासन तथा स्वायत्त शासन की इकाइयों द्वारा प्राप्त सामयिक अनुदान

पुस्तकालय-सेवा को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर प्रत्येक देश की प्रदेशीय सरकारें तथा स्थानीय-स्थायी शासन की इकाइयाँ (स्युनिसिल बोर्ड, जिला बोर्ड आदि) पुस्तकालयों को स्थायी और अस्थायी रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करती रहती है। 'पुस्तकालय-कर' से प्राप्त आय तथा अन्य साधनों से प्राप्त आय की कमी की पूर्ति के लिए ऐसे अनुदान दिये जाते हैं जो आवश्यक भी हैं।

आय का वितरण

उपर्युक्त साधनों से प्राप्त आय निम्नलिखित मर्दी में वितरित की जा सकती है।

१—पुस्तकें

२—संमाचार-पत्र और पत्रिकाएँ

३—जिल्दवंदी

४—फर्नीचर और फिटिङ

५—छपाई, स्टेशनरी

६—पुस्तकालय-स्थाफ का वेतन

७—पुस्तकालय-भवन का किराया (यदि किराये पर हो)

८—कुण्ड का आंशिक सुगतान (यदि कुछ हो)

९—पुस्तकालय-भवन और उसके साज-सामान को सुच्यवस्थित रखने का व्यय

१०—प्रकाश, हवा आदि पर व्यय

११—बीमा सम्बन्धी व्यय

१२—विविध

लेखा

सार्वजनिक पुस्तकालय चूँकि जनता के धन पर आधारित संस्था है, अतः उसके आय-व्यय का लेखा उचित ढंग से रखना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक पुस्तकालय अपना निजी ढंग अपनाने के लिए स्वतंत्र है; किन्तु इस ढंग में सरलता और सुगमता का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे यह एक सहायक हो, वाधक न हो।

बजट

प्रत्येक पुस्तकालय में गत और वर्तमान वर्षों के आय-व्यय के आधार पर अधिमं वर्ष के आय व्यय का अनुमान-पत्र तैयार किया जाता है। इसे 'लाइब्रेरी बजट' कहते हैं। इसके अनुमान-पत्र के दो भाग होते हैं। बाईं ओर आय और दाहिनी ओर व्यय के अनुमानित अँकड़े रखे जाते हैं जो कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के आँकड़ों परनामक अध्ययन भी प्रस्तुत करते हैं :—

प्रस्तुतकालिय की अर्थात्यवस्था

२२

सार्वजनिक प्रस्तुतकालिय-बजट (अनुमान पत्र)

आय	दृष्टि	गत वर्ष का वर्तमान वर्ष		आदित्य वर्ष का अनुमान-नित व्यय	
		वर्ष	वर्ष		
१. प्रस्तुतकालिय-कर		धन	१. प्रस्तुतकालिय-कर	धन	धन
२. प्रस्तुतकालिय में छाये दृष्टि से संगठित धन, यथा प्रदीपयों की विकी से माल धन			२. साप्तऋण और परिकारै ३. निवेदयंत्री		
३. प्रस्तुतकालिय के लियात्मक भवन फे कियाये की आय			४. प्रस्तुतकालिय-स्त्राद का वेतन ५. छागार, देशनरी ६. प्रस्तुतकालिय-स्त्राद का वेतन ७. प्रस्तुतकालिय भवन फा कियाया ८. कल्प शुगलन		
४. आपरिक अनुदान			९. प्रस्तुतकालिय भवन की ध्वनिया १०. प्रस्तुतकालिय इत्या आ?		
(५) प्रदेशीय सरकार से			११. दीमा १२. विविध		
(६) राजनीय दशायत्व शामन की इच्छायों से			१३. धोप		

पुस्तकों का चुनाव

आवश्यकता

संसार के प्रत्येक पुस्तकालय में प्रति वर्ष पुस्तकों सहीदी जाती हैं परन्तु अधिकारा पुस्तकालयों के अध्यक्ष उन सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित नहीं हैं जिनके ऊपर पुस्तकों का चुनाव निर्भर है। ग्रायः इस अशान के कारण पुस्तकालयों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता और पाठकों की शान-पिपासा रान्त नहीं हो पाती। फलतः वे पुस्तकालय से विमुत हो जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तकालय का सर्वाधिक उपयोग पुस्तकों के उत्तम सकलन पर निर्भर है। इसीलिए प्रसिद्ध अमेरिकन विद्यान् मेलबिल ड्यूवी का कथन है :—

“पुस्तक-न्ययन व्यक्तियों के असुन्तम पठन, अधिकाधिक उपयोग तथा न्यूनतम व्यय पर आधारित होना चाहिए।”

यूनेस्को के घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि :—

‘‘मर्वाङ्गूर्ध्वं सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबार, नक्शे चित्र, पिल्म, संगीत, रिकार्ड्स आदि का संग्रह करना चाहिए और उनके उपयोग करने में पाठकों को गाइड करना चाहिए।’’

इसके अतिरिक्त यदि हम बच्चमान रिधति पर विचार करें तो भी हमें पुस्तकों के चुनाव की आवश्यकता प्रतीत होती है। सुदृशकला के इस युग में प्रतिदिन इतनी अधिक संख्या में पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ छुप रही हैं कि उन सब का स्थानांकिती भी समृद्ध पुस्तकालय के भी सामर्ज्य से भरे हैं। अपने सीमित बजट के भीतर उत्तम एवं आवश्यक पुस्तकों का संग्रह ही पुस्तकालय को उपयोगी बना कर उसके भविष्य को उज्ज्वल कर सकता है। इस प्रकार जब पुस्तकों के चुनाव की आवश्यकता स्वीकार कर ली जाती है तो प्रश्न उठता है कि किसी पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चुनाव कैसे किया जाय।

सिद्धान्त

पुस्तकों के चुनाव में निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए :—

१. यूनेस्को : द प्रॉफेक्ट लाइब्रेरी, ए लिविंग्स फोर्से पार पापुलर एक्स्प्रेसन, पेरिस, यूनेस्को।

अध्याय ७

पुस्तकों का चुनाव

आवश्यकता

संसार के मध्येक पुस्तकालय में प्रति वर्ष पुस्तकों सहीदी जाती हैं परन्तु अधिकार पुस्तकालयों के अव्यक्त उन सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित नहीं हैं जिनके ऊपर पुस्तकों का चुनाव निर्भर है। प्रायः इस अव्याप्ति के कारण पुस्तकालयों का भमुचित उपयोग नहीं हो पाता और पाठकों की ज्ञान-पिपासा शान्त नहीं हो पाती। फलतः ये पुस्तकालय से विमुख हो जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तकालय का सर्वाधिक उपयोग पुस्तकों के उत्तम संकलन पर निर्भर है। इसीलिए प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान् मेलविल ड्यूरी का कथन है :—

“पुस्तक-चयन व्यक्तियों के असुरक्षित पठन, अधिकाधिक उपयोग तथा न्यूनतम व्यय पर आधारित होना चाहिए।”

यूनेस्को के घोषणा पत्र में भी कहा गया है कि :—

‘‘मर्दाहृष्टर्ण सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकों, पत्रिकाओं, आखबार, नश्यं चित्र, फिल्म, संगीत, रिकार्ड्स आदि का संग्रह करना चाहिए और उनके उपयोग करने में पाठकों को गाइड करना चाहिये।’’

इसके अतिरिक्त यदि इम बनेमान स्थिति पर विचार करें तो भी हमें पुस्तकों के चुनाव की आवश्यकता यतीत होती है। मुद्रणकला के इन युग में प्रतिदिन इतनी अधिक मंचव्या में पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाएँ छूप रही हैं कि उन सब का सहीड़ना किसी भी समृद्ध पुस्तकालय के भी सामर्थ्य से परे है। अपने सामिति चबट के भाँतर उत्तम एवं आवश्यक पुस्तकों का संग्रह ही पुस्तकालय को उपयोगी बना कर उसके भविष्य को उज्ज्वल कर सकता है। इस प्रकार जब पुस्तकों के चुनाव की आवश्यकता स्वीकार कर ली जाती है तो प्रश्न उठता है कि किसी पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चुनाव कैसे किया जाय।

सिद्धान्त

पुस्तकों के चुनाव में निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए :—

.१. यूनेस्को : द प्रिलिक लाइब्रेरी, ए लिविङ्ग फोर्स फार पापुलर एज्जेन्यन, मेरिस, यूनेस्को।

समन्वय

भारतीय पुस्तकालयों के लिए समस्त प्रदेशों में अभी पुस्तकालय-कर की समुचित व्यवस्था नहीं हो सकी है यद्यपि इस दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। उस समय तक के लिए दान, अनिवार्य चन्दा तथा सरकारी; अर्ध सरकारी अनुदान ही आय के प्रमुख साधन हैं। जन्हें प्रत्येक पुस्तकालय का आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न मदों में वितरित किया जा सकता है। उनके अनुमान-पत्र में तदनुसार आय और व्यय की मदों में हेर-फेर भी किया जा सकता है।

स्टैण्डड

यद्यपि पुस्तकालय के व्यय की मदों में कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। फिर भी व्यय के अनुपातों में सामान्यतः निम्नलिखित सुझाव दिया जा सकता है :—

६० प्रतिशत वेतन में

२० प्रतिशत पुस्तकों, समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा जिल्दवंदी में

२० प्रतिशत आवश्यकतानुसार अन्य मदों में

भारतीय पुस्तकालयों में परिस्थितियों के अनुसार सम्पूर्ण व्यय को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

१. पुस्तकालय व्यवस्था पर व्यय

२. पठन-सामग्री तथा व्यय की अन्य मदें

भारतीय पुस्तकालयों में प्रशिक्षित कर्मचारियों का बहुत अभाव है। अतः पुस्तकालय-सेवा को प्रभावशाली और समर्थ बनाने के लिए प्रारम्भ से ही प्रशिक्षित कर्मचारियों का होना आवश्यक है। उनके लिए व्यय के धन का पचास प्रतिशत वेतन तथा शेष पचास प्रतिशत में व्यय की अन्य मदों को समिलित करने में अधिक मुश्विधा होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सरकार के पास एक 'रिजर्व लाइब्रेरी फंड' होना आवश्यक है जिसमें से अत्यावश्यक स्थिति में समय-समय पर पुस्तकालयों को विशेष रूप से अनुदान देकर पुस्तकालय-सेवा का समुचित विस्तार किया जा सके।

पुस्तकों का चुनाव

आवश्यकता।

संसार के प्रत्येक पुस्तकालय में प्रति वर्ष पुस्तकों स्वरीदी जाती है परन्तु अधिकाश पुस्तकालयों के अव्यक्त उन सिद्धान्तों से पूर्णतया परिवित नहीं हैं जिनके ऊपर पुस्तकों का चुनाव निर्भर है। प्रायः इस अध्यान के कारण पुस्तकालयों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता और पाठकों की शान-पिपासा शान्त नहीं हो पाती। फलतः वे पुस्तकालय से विमुख हो जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तकालय का सर्वाधिक उपयोग पुस्तकों के उत्तम सकलन पर निर्भर है। इसीलिए प्रसिद्ध अमेरिकन विद्वान् बेलविल छब्बी का कथन है :—

“पुस्तक-चयन व्यक्तियों के अत्युत्तम पठन, अधिकाधिक उपयोग तथा न्यूनतम व्यय पर आधारित होना चाहिए।”

मूलेस्को के धोपणा पत्र में भी कहा गया है कि :—

“मर्वाङ्गौर्ण सार्वजनिक पुस्तकालय को पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबार, नक्शे चित्र, मिल्स, संगीत, रिकार्ड्स आदि का संग्रह करना चाहिए और उनके उपयोग करने में पाठकों को गाइड करना चाहिये।”

इसके अतिरिक्त यदि हम वर्तमान स्थिति पर विचार करें तो भी हमें पुस्तकों के चुनाव की आवश्यकता प्रतीत होती है। मुद्रणकला के इस युग में प्रतिदिन इतनी अधिक संख्या में पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाएँ छुप रही हैं कि उन सब का स्वरीढ़ना किसी भी समृद्ध पुस्तकालय के भी सामर्थ्य से परे है। अपने समिति ब्रड के भारतर उत्तम एवं आवश्यक पुस्तकों का संग्रह ही पुस्तकालय को उपयोगी भना कर उसके भविष्य को उन्नत कर सकता है। इस प्रकार जब पुस्तकों के चुनाव की आवश्यकता स्वीकार फरली जाती है तो प्रश्न उठता है कि किसी पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का चुनाव कैसे किया जाय।

सिद्धान्त

पुस्तकों के चुनाव में निम्नलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिए :—

- १. मूलेस्को : द प्रतिक साइब्रेरी, ए लिब्रिज पोर्ट फार पापुलर एक्सिलेन, बेरिस, मूलेस्को।

१. पुस्तकों के चुनाव में उन लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाय जिनको पुस्तकालय-सेवा पहुँचानी है। प्रत्येक विषय में पुस्तकों की संख्या और उनका अनुपात पाठकों की आवश्यकता पर निर्भर है।

२. जिस क्षेत्र में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं, उन सभी भाषाओं की पुस्तकें पुस्तकालय में उर्सा अनुपात में हैं।

३. पुस्तकों के चुनाव करने वालों का पुस्तकों के चुनाव में व्यक्तिगत, राजनीतिक और धार्मिक आधार कदापि न हो। उनका मस्तिष्क जज की भाँति निष्पक्ष हो।

४. खरीदी जाने वाली पुस्तकें बाजार में मिलने वाली पुस्तकों में अपने विषय की सर्वोत्तम हों।

पुस्तक-चुनाव के तीन तत्त्व^१

पुस्तक चुनाव में तीन तत्त्वों का मेल होता है:—(१) माँग (२) पूर्ति, और (३) धन। माँग करने वाले पाठक होते हैं। पूर्ति धन के द्वारा पुस्तकों तथा अन्य अध्ययन सामग्री खरीद कर की जाती है। इसलिए पाठक, पुस्तकों और धन इन तीनों में एकरूपता लाना जरूरी होता है। पाठक दो प्रकार के होते हैं, एक तो अपनी जरूरत और रुचि से पुस्तकालय का उपयोग करने वाले और दूसरे वे जो पुस्तकालय के आस-पास के क्षेत्र में रहने हैं किन्तु उन्हें पुस्तकालय द्वारा पाठक बनाया नहीं गया है। ऐसे पाठकों में बालक, प्रौढ़ आदि हो सकते हैं। पुस्तकालय का कर्तव्य है कि वह उनमें भी पढ़ने की रुचि उत्पन्न कर के उन्हें अपना पाठक बनाए।

पुस्तकों

पुस्तकों के चुनाव में साधारण रूप से पाँच वर्गों का ध्यान रखना चाहिए:—

१. स्थानीय साहित्य की प्रधानता

२. क्षेत्रीय पाठकों की रुचि की अनुकूलता

३. कलैसिकल ग्रन्थों का संग्रह

४. सामयिक साहित्य तथा अनिवार्य सामग्री

५. संतुलन

इन वर्गों का ध्यान रखने पर सूचना मात्र देने वाली, मनोरंजनात्मक तथा गम्भीर अध्ययन वाली, इन तीनों प्रकार की अध्ययन सामग्री का यथोचित संग्रह हो जाता है।

१. ब्राउन : मैनुअल आफ लाइब्रेरी इकोनोमी, अध्याय १३ तथा कुछ अन्य लेखों के आधार पर।

(१) स्थानीय साहित्य की प्रधानता

पुस्तकालय जिस द्वेरा में स्थित हो, उसके आसपास के स्थानों के सम्बन्ध में वहाँ के महान् पुरुषों एवं वहाँ की प्रसिद्ध घटनाओं के सम्बन्ध में जो मानचित्र, पुस्तकों रथा अन्य सामग्री प्राप्त हो, उसे पढ़ते खरीदना चाहिए। ऐसी सामग्री रहने से पुस्तकालय की उपयोगिता बढ़ती है और सर्वसाधारण का मुकाबला भी पुस्तकालय की ओर होता है। जैसे प्रयाग के पुस्तकालयों में प्रशाग का इविहास, यहाँ से सम्बन्धित विकिष्ण मानचित्र एवं चित्र, प्रयाग माहात्म्य, भरद्वाज आश्रम यहाँ के महान् पुरुषों महामना मालवीय बी, श्री मोतीलाल नेहरू, राजपौर्ण दंडन जी आदि की जीवनियाँ, अद्वितीय आदि से सम्बन्धित खोज विषयक पुस्तकों को खरीदने का बजट में विशेष स्थान होना चाहिए।

(२) चेत्रीय पाठकों की सामग्री

पुस्तकालय जिस द्वेरा में स्थित हो, वहाँ और उसके पास जिस प्रवृत्ति के पाठक रहने हों; उनको रुचि को ज्ञान में रखने हुए, उन विषयों की पुस्तकें खरीदनी चाहिए। मान स्त्रीजिए कि एक पुस्तकालय गोव के मध्य में स्थित है तो वहाँ पर देहांती जीवन के लिए उपयोगी दृक्का साहित्य होना चाहिए। यदि वहाँ गहन ज्ञान के उत्कृष्ट ग्रन्थ खरीदे जायेंगे और उन्हीं का संग्रह होगा तो निश्चय है कि उनमें पुस्तकालय की उपयोगिता कठापि न बढ़ सकेगी। चेत्रीय आवश्यकता का ज्ञान पाठकों द्वारा उपयोग में लाइ गई पुस्तकों के विषयानुसार योगांकरण से भी हो सकता है। पुस्तकों के अन्त के तिथि-पत्र से भी यदृ ज्ञात हो सकता है कि बौन-कौन सी पुस्तकें कितनी धार और कितने भाषण के अन्दर उपयोग में आई हैं। इनमें पुस्तकों की माँग का मही अनुमान लग सकता है। अपने चेत्र के पाठकों से मिल कर उनमें भी पुस्तकों की माँग के सम्बन्ध में ममति ली जा सकती है।

धाल-साहित्य तथा प्रौढ़ साहित्य^१

यदि पुस्तकालय के चेत्र में वालक और प्रौढ़ पाठक हैं तो उन वालको और प्रौढ़ों को उनकी रुचि के अनुमार पुस्तकें, अलबार तथा क्लोटी पुस्तकें पढ़ने के लिए ही जाये जिसमें उनकी रुचि बनी रहे और ज्ञान का विकास हो। यदि उन्हें ऐसी सुविधा न मिली तो वे व्याके त्योंने निरक्षर बन जायेंगे।

दूसरी धारा यह है कि उपादातर लोगों में पढ़ने की इच्छा नहीं रहती। क्योंकि

१. L. M. Harrod : Book Selection in Public Libraries in Asia. निवेद के आवार पर। इंडियन लाइब्रेरी जर्नल भाग १ अंक १

पढ़ने की आदत Reading habit प्रेरलू स्थिति और उदाहरण से बनती है। जिस घर में बड़े बूढ़े पढ़ते हैं, उस घर के बच्चों में भी पढ़ने की आदत आप से आप बन जाती है। इसलिए सब से पहले बच्चों में पढ़ने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि यदि बच्चे पढ़ेंगे तो उनसे आशा है कि वे भवित्व में भी पढ़ते रहेंगे।

यहाँ पर अब पुस्तकों का चुनाव दो भागों में बैट जाता है:-

(१) जो साक्षर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उच्च पुस्तकों को भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए, तथा (२) नवसाक्षर व्यक्तियों में जागृति और माँग बढ़ाने के लिए। पहले वर्ग के लोगों की माँग की जानकारी पुस्तकालय अपने रिकार्डों से तथा सभाव-पत्र से कर सकता है। किन्तु दूसरे वर्ग के लिए विविध प्रकार की ऐसी गेन्ट्रक पुस्तकें हों जो उनके लिए अच्छी सूचनाएँ देती हों। उनके जीवन में सुधार और सामाजिक कल्याण की भावना पैदा करती हों। नव साक्षर व्यक्तियों के लिए उपयोगी साहित्य के चुनाव से पहले शिक्षा-प्रसार अधिकारी तथा इस प्रकार की अय एजेन्सी से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। जिससे पता लग सकता है कि वैसा साहित्य कहाँ अच्छा मिल सकेगा। पाठकों की रुचि को कायम रखना सबसे जरूरी है। यही उनके पढ़ने की उन्नति की कुंजी है। प्रौढ़ों की पुस्तकें सरल भाषा में लिखी गई हों और उनके गेजर्मर्ग की बातों से सम्बन्धित हों। पढ़ने वालों में अधिक संख्या प्रायः विद्यार्थियों की होती है किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि पब्लिक फंड में कोर्स की पुस्तकें विद्यार्थियों के लिए न खरीदी जायें क्योंकि ऐसा करने से ज्ञेत्रीय जनता को पुस्तकालय सेवा न प्राप्त हो सकेगी और उनका पैसा भी एक विशेष वर्ग (विद्यार्थी) के लिए खर्च हो जायगा। इस बात की भी कोशिश की जाय कि विद्यार्थी भी कोर्स के अतिरिक्त मनोरंजन के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़े। पुस्तकें ऐसी चुनी जायें जो पढ़ने की गणज से पढ़ी जायें न कि बाध्य हो कर पढ़ी जायें। पुस्तकों के प्रदर्शन द्वारा विद्यार्थियों में जनरल रीडिङ का आदत डाली जा सकती है।

सरल भाषा में लिखा गई कहानियों की पुस्तकें भी मनुष्य तथा उसके अनुभवों के विषय में हों। उनके वर्णन में असम्भव तथा अत्युक्ति कम हो। नव साक्षर और बच्चे जो दूसरी भाषा सीखते हों, उनके लिए उस भाषा के उपन्यासों और काव्यों के संक्षिप्त संस्करण या अनुवाद विशेष रूप से रचिकर होते हैं।

बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें प्रौढ़ों के अनुकूल नहीं होतीं। नवसाक्षर व्यक्ति प्रायः अपना शैक्षिक, सामाजिक और व्यावसायिक दर्जा ऊँचा उठाना चाहते हैं। इसलिए ये प्रायः उपन्यास, कहानियों की अपेक्षा अन्य साहित्य विशेष पसन्द करते हैं।

चित्र और कार्टून में विशेष ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि वे पाठकों की

पुस्तकों का चुनाव

इचिके अनुहूल ही और यह देख भाल की जाय कि कहीं पाठक उन्हीं में न उलझें रहें बल्कि उनके सहारे मुछ्य आगे सीरें।

नमनाद्वार और अर्थसाक्षर व्यक्तियों के लिए पुस्तकें होयी होनी चाहिए। ये प्रायः वही पुस्तकें नहीं पढ़ना पसन्द करते। यह मनोवैज्ञानिक बात भी है कि पुस्तकें जट्ठी गत्तम करके थे यह भी महात्म करें कि उन्होंने कई पुस्तकें पढ़ी। पुस्तकें १४ प्लाइट या इससे बड़े प्लाइट में सूची होनी चाहिए ? कागज पहुँच बदिया किस्म का हो। जिन्हें वैधी पुस्तकें अच्छी मजबूत ही, उनका क्वार धुँगला, मटमैला न हो। पुस्तकें जाकड़ पर मैंगाई जायें और उनको देत बर पसन्द किया जाय तो अच्छा हो।

समाजार पथ और परिकारें उनके लिए अशश्य ही जानी चाहिए वो यह मक्के। नमनाद्वारों तथा श्रीदों को परिवाशों के द्वारा और गम्भीर साहित्य की ओर पढ़ने की इचिके रहती है। लेकिन भावुक और गंदी परिकारें पुस्तकालय में न मैंगाई जायें।

रुचि सुधार

यदि चेत्र की जनता गन्दे तथा अश्लील साहित्य की मैंग करती है तो पुस्तकालय का कर्तव्य है कि यह जनता की ऐसी इचिक का परिपार करे और लोकप्रिय और इचिक स्वरूप साहित्य की ओर उसे मुख्यने का प्रयत्न करे।

(३) कलैसिक्ल ग्रंथों का संग्रह

मुछ्य पुनके ऐसी भी होती हैं इचिक: संग्रह प्रत्येक पुस्तकालय में होना चाहिए। कोई भी पाठक जब पुस्तकालय में आ जाए तो यदि उसे ऐसा (कलैसिक्ल) ग्रन्थ नहीं मिलने तो पुस्तकालय के प्रति उसके मन में अनाशय हो जाती है। बाहरणार्थ यदि किसी भी पुस्तकालय के हिन्दी विभाग में प्रेमचन्द्र के उपन्यास, रामचन्द्र गुरुल का हतिहास, तुलसी, सूर और मीग के ग्रन्थ, र्वीन्द्रनाथ टेगोर की गीताजलि, महात्मा गांधी की आत्मस्था आदि न हों तो पाठक कठावि ऐसे पुस्तकालय को मान्यता नहीं प्रदान कर सकता है। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष का कर्तव्य है कि पुस्तकों के चुनाव में कलैसिक्ल ग्रंथों के संचयन का विशेष ध्यान रखे और ब्रम्यः उनका संग्रह बढ़ावा रहे।

(४) सामयिक साहित्य तथा अनिवार्य सामग्री

समाज-सम्प्रय पर किसी विशेष घटना आदि से सम्बन्धित मुछ्य उपयोगी पुस्तकें छुट्टी रहती हैं। यद्यपि ऐसे साहित्य स्थायी नहीं होने किन्तु पाठक प्रत्येक पुस्तकालय में इनकी आवश्यकता करते हैं। पञ्चाङ्ग, रेलवे टाइम-टेब्ल, एवं स्थानाय पत्र-विकारें आदि अनिवार्य सामग्रा के अन्तर्गत आती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तियों से संबंधित

पुस्तकों भी इसी श्रेणी की हैं। इनके बिना भी पुस्तकालय में एक बड़ी कमी का अनुभव होता है। अतः पुस्तकों के चुनाव के अन्तर्गत ऐसी सामग्री आवश्य होनी चाहिए।

(५) संतुलन

कुछ विशिष्ट पुस्तकालयों को छोड़ कर प्रत्येक पुस्तकालय में प्रायः सभी विषयों की कुछ न कुछ पुस्तकें खरीदी जाती हैं किन्तु इस विषय में यह ध्यान रखना चाहिए कि एक विषय की पुस्तकों खरीदने में दूसरे विषय की पुस्तकों के बजट को हानि न पहुँच सके। अर्थात् सारा बजट किसी एक विषय को पुस्तकों के खरीदने में ही खर्च हो जाय और अन्य विषयों की आवश्यक पुस्तकों न खरीदी जा सकें। इस संतुलन को बनाए रखने का सरल उपाय यह है कि पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने पुस्तकालय की पुस्तक-सूची को देख कर वह निर्णय कर लेना चाहिए कि पुस्तकालय में किस विषय का संग्रह दुर्बल है और किस विषय का संग्रह सत्रल है। तदनुसार बजट के धन का यथोचित विभाजन कर लेना चाहिए। ऐसा करने से ही उस दुर्बल संग्रह को सबल बनाया जा सकता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक पुस्तकालयों में विधिवाली साहित्य को वर्गानुसार इस आनुपात में रखा जा सकता है।

०००	सामान्य वर्ग	३
१००	दर्शन	४
२००	धर्म	५
३००	समाज विज्ञान	७
४००	भाषा शास्त्र	४
५००	शुद्ध विज्ञान	६
६००	उपर्योगी कला	६
७००	ललित कला	७
८००	साहित्य	२८
९००	इतिहास जीवनी यात्रा	८

पुस्तकों का चुनाव

चुनाव में इस अनुपात से मी सहायता ली जा सकती है, यद्यपि यह अनुपात कोई निश्चित मिदान्त नहीं है। इसमें आवश्यकतानुसार कुछ हेर-फेर भी किया जा सकता है।

पुस्तक-चुनाव के साधन'

अंग्रेजी भाषा के ग्रन्थों के लिए निम्नलिखित मुख्य साधन हैं :—

ब्रेट ब्रिटेन के 'बुकसेलर' और 'पब्लिशर्स सर्कुलर', तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 'पब्लिशर्स बॉकली'। ये तीनों साताहिक हैं। ब्रेन ब्रिटेन का 'इंग्लिश कैटलॉग' संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 'बिलसन कैटलॉग' ये दोनों वार्षिक हैं। भारत में प्रकाशित ग्रन्थों के लिए विभिन्न प्रदेशों के रजिस्ट्रार आफ बुक्स द्वारा प्रकाशित 'ब्याटला लिस्ट आफ पब्लिकेशन्स' मुख्य साधन है।

इनके अतिरिक्त विभिन्न प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं के सूचीपत्र, पुस्तकों में दी हुई सूचियाँ, चिकित्योग्रेसी, दैनिक अखबारों के साताहिक अक आर मासिक पत्रिकाओं के समालाचना स्तम्भ जिनमें नई प्रकाशित पुस्तकों का सूचनाएँ तथा समालोचनाएँ दृष्टना हैं, विशेष विषय की पत्रिकाएँ, विशेष भाषा के नवीन प्रकाशन को ध्वना देने वाली पत्रिकाएँ जैसे हिन्दी में 'प्रकाशन समाचार' और 'हिन्दा प्रचारक' आदि तथा विदेशी के मुकाबले मी पुस्तक चुनाव के अच्छे साधन हो सकते हैं।

पुस्तकों के चुनाव में पुस्तकों का लेन देन करने वाले पुस्तकालय के साधियों की मी मलाह लेना चाहिए। वे भी पाठकों का माँग के विषय में चर्चा सकते हैं।

सुभाव-पत्र

पाठकों का सुभाव भी इस विषय में कुछ कम महत्व नहीं रखता। ग्राम सावधान पाठक कहीं न कहीं से प्रामाणिक एवं स्टैण्डर्ट पुस्तकों की टोह लगा सें हैं। यहाँ तक कि कुछ पाठकों को तो पुस्तक प्रकाशित होते हैं। उसका पठा लग जाता है। अतः अधिक अच्छा हो कि पुस्तकालय में किसी निश्चित स्थान पर कुछ सुभाव-पत्र रख दिए जायें और पाठकों से निवेदन किया जाय कि जो पुस्तकें उनकी दृष्टि में महत्व-पूर्ण और पुस्तकालय के लिए उपयोगी हों, उनका नाम तथा पूर्ण विवरण वे उस सुभाव-पत्र में लिख कर ढाल दें। ऐसा करने से घन और समझ दोनों को बचत हो सकती है।

सुभाव पत्र का नमूना^१

हिन्दी संग्रहालय प्रयाग
(पाठकों के लिए सुभाव-पत्र)

महोदय,

निम्नलिखित पुस्तक हमारे पुस्तकालय में नहीं हैं। यह पुस्तक यहाँ अवश्य होनी चाहिए।

लेखक

पुस्तक

प्रकाशक

सुभाव-दाता

पुस्तक-निर्वाचन समिति का निर्णय

पुस्तक चुनाव समिति

आजकल यह पद्धति अच्छी मानी जाती है कि प्रत्येक पुस्तकालय के लिए एक पुस्तक-चुनाव समिति (Book-Selection Committee) हो। पुस्तकालय में रचि रखने वाले प्रत्येक विषय के कुछ स्थानीय विद्वानों की एक ऐसी समिति बना लेनी चाहिए।

चुनाव की विधि


पुस्तकालयाध्यक्ष स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से विचारार्थ प्राप्त (Approval) पुस्तकों से, तथा अन्य विविध साधनों से तैयार की हुई सूचियों से अपने बजट और आवश्यकता के अनुसार एक सूची अन्तिम रूप से तैयार करे। यह अच्छा होगा कि ५" X ३" कार्ड पर यह सूची तैयार की जाय। प्रत्येक कार्ड पर एक-एक पुस्तक का नाम, विषय, लेखक, प्रकाशक और मूल्य लिखा रहे। इन कार्डों को पुस्तक-चुनाव कार्ड या 'बुक सेलेक्शन कार्ड' कहते हैं।

^१ उन : मैनुअल आफ लाइब्रेरी इकोनोमी : अध्याय १३ में दिए गए नमूने के

पुस्तक-चुनाव कार्ड का नमूना

प्रामाणिक सं०	लेसक		
प्राप्ति सं०	पुस्तक		
को आदिष्ट	संस्करण	पृष्ठ	स्थान
आदेश सं० और ता०	प्रकाशक		
प्राप्त होने वी ता०	माग	वर्ष	मूल्य
मूल्य	से चुनी गई
इस्ताव्वर			

इस प्रकार के काढ़ी को पुस्तक-चुनाव सामर्ति में पेश करना चाहिए। इस समिति में संटर्म ग्रन्थ, भाषाओं के कोश, साहित्य के इतिहास आदि क सम्बन्ध में विचार करते समय बहुत लावधारी रखनी चाहिए। समिति का निर्णय हो जान पर तुक सेलेक्शन कार्ट, स्वतः निम्नलिखित तीन भागों में बंट जायेंगे।



स्वीकृत पुस्तकों को भेंगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुनर्विचारार्थ प्रस्तुत होने वाली पुस्तकों के कार्ड अलग रख लेना चाहिए और अव्वीकृत पुस्तकों के कार्ड छाँट देने चाहिए।

अनुमत यह बतलाता है कि खरीदने के लिए स्वीकृत पुस्तकों को भी यदि आर्डर देने से पहिले पुस्तकालयाभ्यह दूकान पर देख ले तो कभी-कभी बहुत लाम हो जाता है। यदि भूल से किसी पुस्तक को खरीदने के लिए आकर्षक नाम होने या प्रसिद्ध लेसक की होने के कारण स्वीकृति दे दी गई हो और वह उपयोगी न हो तो उसको वापरीदने से रोका जा सकता है।

पुस्तकालय का परिमार्जन (weeding)

प्रायः पुस्तकालयों में पुस्तकों का संग्रह अप-डु-छॉट नहीं, रहता है। एक बड़ा दोपहरी पुस्तकालय के संचालकों में यह होता है कि वे इतने मोह-ग्रेस्ट होते हैं कि एक बार जो रही पुस्तक भी पुस्तकालय में आ जाय उसे छॉट देना वे उचित नहीं समझते। फल यह होता है कि पुस्तकालयों में पुराने दर्द की अनुपयोगी पुस्तकों की भग्नार रहती है और वे व्यर्थ ही आलमारियों में स्थान धेरे रहती हैं। अनुभवी पुस्तकालय-विज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार प्रतिवर्ष वार्षिक जाँच के समय आउट आफ डेट पुस्तकों एवं सामयिक आवश्यकता की पृष्ठि करने में असमर्थ पुस्तकों को छॉट दिया जाता है और उनके स्थान पर अप-डु-डेट और उत्तमोत्तम उपयोगी पुस्तकों का संग्रह करके पुस्तकालय को आकर्पक और उपयोगी बना लिया जाता है। अतः पुस्तकालय को जहाँ एक ओर उत्तम पुस्तकों का चुनाव करना चाहिए वहाँ दूसरी ओर रही और समय की माँग को पूर्ण करने में असमर्थ पुस्तकों को तुन कर छॉट देना चाहिए। इस क्रिया को पुस्तकालय का परिमार्जन, विचयन या निगेटिव सेलेक्शन भी कहते हैं।

लाभ

सार्वजनिक पुस्तकालयों में विचयन का कार्य होते रहने से नवी पुस्तकों को उचित स्थान मिलता है। पुरानी अनुपयोगी पुस्तकें छॉट जाने से पुस्तकालय समृद्ध और आधुनिक साहित्य से परिपूर्ण दिखाई देता है। ऐसा करने से पुस्तकालय की पुस्तक सूची भी ठीक रहती है और सभी हिसाव साफ रहता है। विचयन का यह कार्य पुस्तकों की जाँच करते समय भी हो सकता है। देखने पर पुस्तकालयों में सैकड़ों ऐसी पुस्तकें पाई जायेंगी जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। ऐसी पुस्तकों को जल्द से जल्द छॉट देना चाहिए। जब कभी भी पुस्तकालय की सूची छपे या पुनर्गठन का कार्य हो, त्रिवर्ष में स्थायी महत्व रखने वाली पुस्तकें तो थोड़ी ही संख्या में होती हैं।

चेकार पुस्तकों को छॉटने के नियम

विज्ञान—सब सामान्य पुस्तकें जो महत्वपूर्ण न हों और व्यर्थ हो गई हों। विज्ञान की कोर्स की पुस्तकें (गणित और जादूगरी को छोड़कर) १० साल बाद छॉट दी जायें।

उपयोगी कला—इस वर्ग में से भी ऊपर के नियम के अनुमार छाँट दी जायें। केवल एह विज्ञान और पेटेन्ट आदि को छोड़ कर।

ललित कला—इन्हेविंग, उत्तम सचिव पुस्तकें और संग्रह न छाँटे जायें। शेष छाँट दी जायें। पुराने हुंग की लुप्तशायः पुस्तकें न छाँटी जायें।

धर्म और दर्शन—ऐतिहासिक और व्याख्यात्मक कोसं की पुस्तकें जब सामग्रिक न रहें, सम्बन्धात्मक हल्का साहित्य, भजन आदि छाँट दिये जायें किन्तु धार्शनिक पढ़ति के मतवाद के ग्रन्थ रख लिए जायें।

समाज-विज्ञान—इस वर्ग में राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून और भरवार के सम्बन्ध में जो पुस्तकें हों उन्हें खुब ध्यानपूर्वक ठोहरा कर तब छाँटना चाहिए। इण्डिक विधि की पुस्तकों के स्थान पर ऐतिहासिक तथा महत्वपूर्ण पुस्तकें आनी चाहिए। लोक-सभा, ठास-प्रथा आदि जो सामग्रिक तथा ऐतिहासिक विषय हों उनकी पुरानी छोटी छोटी पुस्तकों के स्थान पर व्याख्यात्मक आधुनिक ग्रन्थ रखे जायें।

भाषा और साहित्य—पुराने व्याकरण वे खटके छाँट दिये जायें और इसी प्रकार साधारण सूक्ली कोश भी। साहित्य के इतिहास, ग्रन्थ-मूली और पुस्तकालय-विज्ञान के ग्रन्थ कभी न छाँटे जायें।

उपन्यास—ऐतिहासिक महत्व के उपन्यासकारों के उपन्यास कभी भी न छाँटे जायें। जिन उपन्यासकारों के उपन्यास दो वर्षों तक कोई पाठक पढ़ने को न मारे, उनको छाँट दें। निरन्तर प्रसिद्धि सबसे बड़ी युक्ति है।

पद्य, नाटक—ग्रन्थावली कभी भी न छाँटी जाय जब तक कि विलक्षण बेकार न साबित हो। लेकिन कवि या नाटककार जिनका इतिहास में कोई स्थान नहीं है, और पढ़े नहीं जाते, उन्हें खटके छाँट देना चाहिए।

इतिहास भूगोल—ऐतिहासिक पुस्तकें जो केवल अनुनान के आधार पर लिखी गई हों, इतिहासकारों द्वारा नहीं, उन्हें छाँट देना चाहिए। यात्रा की सामान्य पुस्तकें छाँट दी जायें जो १० वर्ष पुरानी हों गई हों (गाइड बुक के साथ स्थानीय घर्मान को छोड़कर)।

अन्वेषण के प्रमुख ग्रन्थ न छाँटे जायें। गजेटिवर चड़े पुस्तकालयों को दे देना चाहिए। इतिहास जो कि साहित्यिक और कलात्मक हो, उन्हें न छाँटा जाय।

जीवनी—जीवनी ग्रन्थ कभी न छाँटना चाहिए। साधारण व्यक्ति का जीवन चरित्र ५० वर्ष पुराना होने पर छाँट दिया जाय।

मिश्रित—पुराने विश्वकोश छाँट दिये जायें। इनको सुरक्षित भी रखा जा सकता है। स्थानान्य समाचार-पत्र डाइरेक्टरी को छोड़ कर सब अखबार और डाइरेक्टरी पुरानी से छाँट दी जायें किन्तु विशिष्ट मासिक पत्रिकाएँ न छाँटी जायें।

सामान्य वातें

(१) जासूसी साहित्य छाँट दिया जाय या निर्गत करने से वर्जित कर दिया जाय।

(२) अध्याय या चित्र रहित पुस्तकका अध्याय और चित्र प्रकाशक का प्राप्त करें नहीं तो दूसरी लाइब्रेरी से उधार लेकर उसका फोटो आदि लेकर या प्रतलिपि करके उसे पूण कर ल।

(३) यदि किसी पुस्तक का मूल अरा बेकार हो गया हो और उसमें के चित्र उपयोगी हों तो निकाल कर चित्रों को चित्र-संग्रह के साथ रख लेना चाहिए और मूल ग्रन्थ को छाँट देना चाहिए।

(४) स्थानान्य लेखकों की स्थानान्य विषय पर प्राप्त पुस्तकों और स्थानान्य साहित्य कभी न छाँटे जायें।

नोट :—ग्रन्थ सूची, दुष्प्राप्य ग्रन्थ और विशेष संग्रह पर ऊपर के काँडे भी नियम लागू न होंगे।

छेटी पुस्तकों की व्यवस्था—इस प्रकार जो पुस्तकें छेट जायें उनकी व्यवस्था स्थानान्य विधि के अनुसार होना चाहिए। ऐसी पुस्तकों की एक सूची अलग स या लाइब्रेरी की बुलेटिन में छपनी चाहिए। इस सम्बन्ध में लोगों के एतराज सुने जायें। यदि छेटी पुस्तकों में से काँडे पुस्तक किसा विशेष पाठक के लिए उपयोगी हो तो उसे दे दी जाय या रख ली जाय। ऐसा पुस्तकों की सूची आसपास के छेट पुस्तकालय तथा सेंट्रल लाइब्रेरी को भेज देनी चाहिए। यदि इनमें से कुछ पुस्तकों को वे रखना चाहें तो उन्हें दे दी जाय। शेष पुस्तकों पर पुस्तकालय की तिथि सहित छेटी हुई (Discarded) मुहर लगाकर उनको बेच देना चाहिए और उस धन से अच्छी सामयिक पुस्तकें खरीद लेनी चाहिए।

अध्याय =

पुस्तकों की प्राप्ति और उनका संस्कार

दर भूगतने के लिए पुस्तकों का अंतिम निर्णय हो जाय तो आर्डर देने से पहले उन पुस्तकों को आगे पुस्तकालय की पुस्तक-सूची (Catalogue) से तथा पहले भेजे गये आर्डरों से दुबारा छाँच (Checking) कर लेनी चाहिये जिससे इस बाबत का अंतिम निश्चय हो जाय कि पुस्तकें पुस्तकालय में नहीं हैं। यदि कोई भूल हो तो उसको सुधार लेना चाहिए। उसके बाद उन काढ़ों के सहारे निम्नलिखित रीति से आदेश-पत्र (Order Form) तैयार करना चाहिये। इसकी दोहरी प्रतिलिपि कार्बन पेपर लगा कर तीवार करनी चाहिये और उसे आगनी पाइल में रखना चाहिये।

‘आदेश-पत्र’ का नमूना

ठिन्डी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।

दिनांक.....

श्री लक्ष्मस्थारक.....

महोदय.....

इस पात्रा निम्नलिखित पुस्तकें उचित कर्माशन काट कर विल सहित भेजने की यथा-र्थात् व्यवस्था करे। प्रत्येक पुस्तक नवीनतम् सत्करण की हो और उसमें किसी प्रकार की न्यूनता न हो।

क्रम संख्या १	लेखक २	शीर्षक ३	प्रकाशन वर्ष ४

१ : नाउन : मैनुअल आफ लाइब्रेरी इकोनोमी : सेक्यान २४६ के आधार पर संशोधित स्वरूप

प्रकाशक ५	मूल्य ६	प्रति ७	विशेष ८
*			

इस आर्डर की अधिकांश पुस्तकें जिस बुक्सेलर से मिल सकें उसके पास भेजना ऊपर चाहिए। वे पुस्तक चुनाव-कार्ड अब 'आर्डर कार्ड' हो जायेंगे। उनको लेखक क्रम से व्यवस्थित करके 'आर्डर ट्रे' में रख लेना चाहिये।

पुस्तकों की प्राप्ति और परीक्षा

प्राप्ति: पुस्तक विक्रेताओं एवं प्रकाशकों से आर्डर की सभी पुस्तकें नहीं प्राप्त होतीं। अतः पुस्तकालयाध्यक्ष को अपने आर्डर फार्म की दोहरी प्रति निकाल कर उसके अनुसार बुक्सेलर द्वारा भेजी गई पुस्तकों की जाँच कर लेनी चाहिये।

यहाँ पर तीन बातें पर ध्यान देना आवश्यक है।

(१) पहली बात तो यह है कि आर्डर की सूची और उनके कार्ड पुस्तक आर्डर ट्रे से निकाल कर रख लें। जो पुस्तकें प्राप्त हो गई हों उनके नाम पर सूची में सही चिह्न (टिक मार्क) कर दें और उनके कार्ड भी अलग कर लें और उन पुस्तकों में लगायें। जो पुस्तकें न मिली हों उनके नाम सूची में खाली छोड़ दें और उनके कार्ड भी ट्रे में रहने दें। ऐसा करने से अप्राप्त पुस्तकों के कार्ड सामने रहेंगे और जब दूसरा आर्डर भेजना हो तो उसमें इन पुस्तकों के नाम भी शामिल कर देना चाहिये। ऐसा करने से पुस्तक-सूची तैयार करने में पहले जो परिश्रम किया गया था वह व्यर्थ न जायगा और पुस्तकें भी कभी न कभी मिल ही जायेंगी।

(२) दूसरी बात यह है कि कभी-कभी पुस्तकों की सप्लाई में किसी पुस्तक के नाम पर उसी नाम वाली किसी दूसरे लेखक की पुस्तक आ जाती है। इसलिए आर्डर-ग्रन्टी से प्रकाशक, पुस्तक और लेखक का नाम अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। यदि ऐसा न किया गया तो पुस्तक पर सुहर लग जाने या रजिस्टर पर चढ़ जाने के बाद भूल का सुधार नहीं हो सकेगा।

(३) तीसरी शात यह है कि कभी-कभी पुस्तक देखने में तो अच्छी रहती है किन्तु भीतर कोई पेज फटा रहता है या कोई फर्मा ही गायब रहता है या उल्टा लगा रहता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक पुस्तक की भीतरी दशा की भी जाँच कर ली जाय। पुस्तक के जी पेज खुले न हों उन्हें चाकू से खोल देना चाहिये नहीं तो पाठक पढ़ते समय उसे अमावधानी से जल्दी में डॅगली या कलम से खोलेंगे तो पुस्तक खराब हो जायगी। पुस्तक में दी गई विषयसूची से -प्लेट, चार्ट, मैप और डाइग्राम आदि की भी जाँच कर लेनी चाहिये।

मुहर और लेचिल

पुस्तकों के आर्डर फार्म का चिल से पूर्ण रूप से मिलान कर लेने के बाद पुस्तकों पर पुस्तकालय की मुहर लगानी चाहिये। सामान्य रूप से मुहर लगाने में बहुत कामयादी की जाती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पुस्तकालय के नाम की यह सादी मुहर प्रत्येक पुस्तक में दो तीन ऐसे स्थानों पर लगानी चाहिये जहाँ पर लगाने से छुगा हुआ विषय सराब न होने पाये। प्रत्येक पुस्तकालय के अर्थव्याप्ति को चाहिये कि वह अपने पुस्तकालय के लिये कोई एक गुप्त पृष्ठ निच्चय कर ले और पुस्तक के उस पृष्ठ पर मुहर अवश्य लगे। ऐसा करने से यह लाभ होता है कि यदि संशोगात् पुस्तक चोरी चली जाय और ऊपर की पृष्ठ की मुहर फाढ़ दे तो इस भीतरी गुप्त पृष्ठ पर पड़ी हुई मुहर से आप सप्रमाण सिद्ध कर सकेंगे कि यह पुस्तक आप के पुस्तकालय की ही है।

जैसे मान लीचिए पन्दित लालाघास ने अपनी गुप्त पृष्ठ संख्या १०० को चुन लिया तो उसके प्रत्येक पुस्तक के १००वें पृष्ठ पर पुस्तकालय की मुहर अवश्य होगी। इसके अतिरिक्त भी २-३ स्थानों पर मुहर लगानी चाहिए। एक मुहर भीतरी कवर (Inner cover) के भीतरी ओर निचले भाग पर नीचे से कुछ ऊपर हट कर लगानी चाहिये। पुस्तकों के प्रत्येक मानचित्र, प्लेट और चित्र पर नुहर लगानी चाहिये।

इनर कवर में सब से नीचे पुस्तक जहाँ से प्राप्त हुई हो उसका आर्डर नं० और तारीख भी लिप्त देना चाहिए।

यदि कोई पुस्तक बाहर ले जाने के लिए स्वीकृत हो लेकिन लौटने पर उसकी जाँच करना चाही हो तो उस पर निम्नलिखित लेबल लगाता है :—


1 Notice to Staff

This book is to be
examined on its
return to library

कर्मचारियों को सूचना

यह पुस्तक जब पुस्तकालय में
लौटाइ जाय तो इसकी जाँच
होनी चाहिए।

पुस्तक प्लेट (Book Plate)—यह पुस्तक के भीतरी कवर के भीतर की ओर नुहर के नीचे लगाया जाता है। इस पर पुस्तक की प्राप्ति संख्या (Accession No.) और क्रामक संख्या लिखी जाती है। इसमें पुस्तकालय का नाम भी छाया रहता है। इसका नमूना इस प्रकार है :—



पुस्तक प्लेट
पुस्तक प्लेट के भीतरी माग का मैटर

हिन्दी पुस्तकालय
इलाहाबाद

प्राप्ति संख्या.....

क्रामक संख्या.....

लेबुल—पुस्तक के भीतर और बाहर लगाने के लिए अनेक प्रकार के लेबुल होते हैं। इनके उद्देश्य भी अलग-अलग हैं। इनमें सब से मुख्य लेबुल वह होता है जो पुस्तक की पीठ पर लगाया जाता है, इसकी 'बुक लेबुल' कहते हैं। वह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। उनके नमूने इस प्रकार हैं :—



लगाने की रीति—प्रत्येक पुस्तक के पुढ़े पर निचले भाग से १२५ इंच ऊपर लेबुल लगाना ठीक होता है। इसके लिए पीतल या लोहे का १॥" का एक पटरी का टुकड़ा नाप के तौर पर स्थायी रूप से रखना चाहिए और उसी से नाप-नाप कर ये कागज का गोल लेबुल ठीक रहता है। लेकिन जो पुस्तकें व्यादा पढ़ी जाती हैं या जिनकी जिल्द चिकनी होती है उनकी पीठ किसी चीज से थोड़ा खुरच कर उन पर कपड़े के अच्छे लेबुल लगाना चाहिए क्योंकि वे टिकाऊ होते हैं। लेबुल लगाने से पहले पुस्तक के जाकेट को उतार लेना चाहिए और उसे सूचना-बोर्ड पर लगवा देना चाहिए।

बुक लेबुल के अतिरिक्त पुस्तकालय की जो पुस्तकें बाहर देने के लिए बर्जित कर दी गई हों, उनके अन्दर (Reference) या निर्देश-ग्रंथ का निम्नलिखित लेबुल लगाया जाता है :—

Not to be issued

Reference

निर्देश ग्रंथ

यदि कोई पुस्तक बाहर से जाने के लिए स्वीकृत हो लेकिन लौटने पर उसकी जाँच करना जरूरी हो तो उस पर निम्नलिखित लेभुल लगता है :—


1. Notice to Staff

This book is to be
examined on its
return to library

कर्मचारियों को सूचना

यह पुस्तक जब पुस्तकालय में
लौटाई जाय तो इसकी जाँच
होनी चाहिए।

पुस्तक प्लॉट (Book Plate)—यह पुस्तक के भीतरी कवर के भीतर की ओर नुक्ते के नीचे लगाया जाता है। इस पर पुस्तक की प्राप्ति संख्या (Accession No.) और क्रामक संख्या लिखी जाती है। इसमें पुस्तकालय का नाम भी छापा रहता है। इसका नमूना इस प्रकार है :—



पुस्तक प्लॉट

पुस्तक प्लॉट के भीतरी माग का मैट्र

हिन्दी पुस्तकालय
इलाहाबाद

प्राप्ति संख्या

क्रामक संख्या

तिथि-पत्र (Date Slip)—प्रत्येक पुस्तक के आखिरी पेज में सटा कर या जिल्द के भीतरी भाग पर एक स्लिप लगती है, इसी को तिथि-पत्र कहते हैं। इसका नमूना इस प्रकार है:—

तिथि-पत्र

Date Slip

वर्ग संख्या	लेखक संख्या
भाग	प्रति
प्राप्ति संख्या		

यह पुस्तक पुस्तकालय में नीचे लगी हुई अन्तिम मुहर की तारीख तक लौट आनी चाहिए। यदि पुस्तक उसके बाद रखी गई तो एक आना प्रतिदिन अर्थ-दण्ड देना पड़ेगा।

२७-५-७			
--------	--	--	--

पुस्तक पाकेट (Book Pocket)—पुस्तक के बिल्ड के आलिरी भाग के भीतर एक छिन्नाघनुमा पाकेट लगाया जाता है। यह तिथि-पत्र के सामने पहुँचा है। इसी ने पुस्तक-बार्ड रखा जाता है। ये पाकेट कई तरह के होते हैं, एक नमूना इस प्रकार है :—

थैलाकार पुस्तक-पाकेट

(Bag Shaped)

पुस्तक-बार्ड

पुस्तक का नाम —————

हिन्दी संभालय, प्रयाग

- १—मदर्सों को पुस्तकों १४ दिन के पहले और शिविरार्थियों को एक मास के पहिले बापस वार देनी चाहिए।
 - २—गुरुवारात्र की रुचानुसार या संग्रह मन्त्री की विशेष स्वीकृति से पुस्तक पुनर्निर्गत की जा सकती है।
 - ३—यदि पुस्तक देय तिथि भर में बापस न की गई तो देय तिथि से प्रतिदिन एक आना अर्थ दण्ड देना पड़ेगा।
 - ४—पुस्तक में से पृष्ठ फाईना, चित्र निकालना या उसमें लिखना अथवा अन्य किसी प्रकार की हानि पहुँचाना अपराध समझ जायगा।
 - ५—इन प्रकार की किसी हानि के लिए दोपी सदस्य को इस पुस्तक के रखान पर दूसरी नई पुस्तक लारीद कर देनी होगी या उस पुस्तक का न्यून जमा करना पड़ेगा।
- इन पुस्तकों को सच्च रखने में सहायता कीजिए।

पुस्तक-पाकेट में रखा हुआ पुस्तक-बार्ड

पुस्तक-कार्ड (Book Card)—यह कार्ड साइज का होता है और इस पर पुस्तक का संक्षिप्त विवरण लिया जाता है। कभी-कभी दूसे बहुत छोटे साइज में 'टिकट' के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। इसकी साइज लेन-देन की प्रणाली पर निर्भर है।

<u>पुस्तक-कार्ड</u>			
पुस्तक का नाम _____			
लेखक _____			
प्राप्तिसंख्या _____			
सदस्य क्रमांक	निर्गत तिथि	सदस्य क्रमांक	निर्गत तिथि

- इसका नमूना पुस्तकों की लेन-देन प्रणाली वाले अध्याय में इस पुस्तक या गया है।

इनके अतिरिक्त यदि पुस्तकालयका आवश्यक समझे तो और प्रकार के भी कुछ लेबुल लगावा सकता है।

पुस्तकों का रजिस्टर पर दर्ज करना

इस प्रकार जब पुस्तकों पर लेबुल और मुहर लग जायें तो पुस्तकों को लाइब्रेरी के स्थान में दर्ज करना आवश्यक होता है। इसके लिए तीन तरीके हैं :—

१. प्राप्तिसंख्या रजिस्टर

२. प्राप्तिसंख्या कार्ड

३. बाउचर-प्रणाली

१. प्राप्तिसंख्या रजिस्टर—बहुत समय से पुस्तकालयों में एक मोया रजिस्टर आई हुईं पुस्तकों को दर्ज करने के लिए रखा जाता रहा है। इसी रजिस्टर को वैशाखिक दंग से बना कर कुछ कालम निरिचित कर दिए गए हैं। उसी पर पुस्तकों दर्ज कर ली जाती हैं। इसका नमूना इस प्रकार है :—

तारीख १	क्रम संख्या २	लेखक ३	पुस्तक का नाम ४

वाइं ओर का भाग

प्रकाशक ५	स्थान ६	काल ७	पृष्ठ ८	खोत ९	मूल्य १०	वर्ग सं० ११	लें सं० १२	भाग की सं० १३	वापरी १४	विशेष १५

दाहिनी ओर का भाग

८. बिल पर भी प्रत्येक पुस्तक के सामने प्राप्तिसंख्याएँ लिख कर अन्त में 'पुस्तकों प्राप्त हुई और दर्ज की गई'। ऐसा लिख कर ऐक्सेशन बल्कि को अपना संवित्त हल्लावार कर देना चाहिये।

८—ऐक्सेशन कार्ड

ऐक्सेशन रजिस्टर की उपर्युक्त प्रणाली बहुत पुरानी है और इसका बहुत रिवाज है। नगर इस कान को सखल रखने के लिए पुस्तकों का विवरण इस प्रकार के रजिस्टर पर नहीं दर्ज किया जाता बल्कि पुस्तक-नुमाय के सिलसिले में तैयार किए गये ५" X ३" के कार्ड को ही 'ऐक्सेशन कार्ड' के रूप में बदल दिया जाता है और उस पर छपे प्राप्तिसंख्या शब्द के सामने ऐक्सेशन नम्बर लिखते जाने हैं और उन कार्डों को एक श्रृंखला कैबिनेट में रखते जाते हैं जो 'ऐक्सेशन कैबिनेट' कहलाता है।

ऐक्सेशन रजिस्टर रखने पर यदि पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें खो जायें तो उनका लेता रखने के लिये एक अलग रजिस्टर रखना पड़ता है, उसे यामसी का रजिस्टर या Withdrawal Register कहते हैं। लेकिन ऐक्सेशन कार्ड-प्रणाली में खोई हुई या छायी गई पुस्तकों के ऐक्सेशन कार्ड निकाल कर उसी ऐक्सेशन कैबिनेट में विद्युत्तया द्वे (दण्ड) में कमशः रखने जाने हैं। इस प्रकार 'ऐक्सेशन कार्ड' की प्रणाली ऐक्सेशन रजिस्टर की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है किन्तु अभी इसका प्रचार कम हो पाया है।

३—चाउचर-प्रणाली

पुस्तकों का लेता रखने की तीसरी चाउचर-प्रणाली है। इस प्रणाली में पुस्तकों को उपर्यन्ते पर पुस्तक विकेता से दोहरा बिल माँग लिया जाता है। उनमें से बिल की एक प्रति पर मुगवान की कार्रवाई की जाती है और दूसरी प्रति पर कमशः १, २, ३ से ऐक्सेशन नम्बर पुस्तक के नाम के सामने ढालते जाते हैं और बिलों का कमशः इन्टर्कट करते जाते हैं। अन्त में घर के बिलों को एक फाइल में बांध कर रख देते हैं और फाइल के ऊपर अनुक ऐक्सेशन नम्बर से अनुक नम्बर तक, और वर्ष लिख देते हैं। यह प्रणाली आधुनिकतम आविष्कारों की है। इनका मत है कि पुस्तक सम्बन्धी पूरा विवरण तो सूची-कार्ड पर रहता ही है, वेवल कमसंख्या और पुस्तक का मूल्य आदि आवश्यक लेखा रखने के लिये 'ऐक्सेशन रजिस्टर' खालने की कोई जरूरत नहीं है।

१. दिल्ली पञ्चिक लाइब्रेरी में इस प्रणाली का सफल प्रयोग हुआ है।

इस रजिस्टर को प्रातिसंख्या रजिस्टर या एक्सेशन रजिस्टर कागज मोटा, चिकना और टिकाऊ होना चाहिए। इसकी जिले होनी चाहिए। सामान्य रूप से इस रजिस्टर में १४ खाने होते पुस्तक प्रकाशक और कहाँ से प्राप्त (खोत) एवं विशेष विवरण के नियम

प्रातिसंख्या रजिस्टर पर पुस्तकों को चढ़ाते समय निम्नलिखि रखना चाहिए :—

१. पुस्तक के जितने भी भाग हों वे सब क्रमशः और जायें। ऐसा इस लिए किया जाता है कि जिससे किसी भाग अलग विवरण दिया जा सके और रजिस्टर पर उस भाग के कालम में तत्सम्बन्धी उल्लेख स्पष्ट रूप से अलग किया जा स

२. इस रजिस्टर में सैकड़े या हजार के बाद संख्या रखनी चाहिए। यदि ४६६ के बाद भूल से ६०० लिख फॉर्म का फर्क पड़ जायगा। इससे बचने के लिए छपे हुए प्राति लाने चाहिए।

३. जितनी पुस्तकें एक दिन दर्ज करना हो उनको रख लेनी चाहिये और फिर उन पर प्रातिसंख्या प्रातिसंख्या पर उस पुस्तक का विवरण लिखन

४. यदि रजिस्टर पर प्रातिसंख्या ही सी प्रातिसंख्याएँ एक साथ ही न डाका विवरण दो लाइन ले लेता है, में गड़बड़ी हो सकती है।

५. विशेष विवरण के होना चाहिए।

६. यदि पुस्तक धन्यवाद-पत्र की कवर के

पुस्तकों की प्राप्ति और उनमें संस्कार

रजिस्टर अलग से रखना पड़ता है, इसको वापसी का रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर में निम्नलिखित कालम होते हैं :—

क्रम संख्या	पुस्तक	लेखक	प्राप्तिसंख्या	बद्धिष्ठत करने का कारण	विशेष

इस रजिस्टर की क्रमसंख्या को प्राप्तिसंख्या रजिस्टर के वापसी कालम में भरना चाहिए और इस प्रकार प्राप्तिसंख्या रजिस्टर में से इस रजिस्टर की संख्या धय दोने से पुस्तकालय की पुस्तकों की वर्तमान संख्या का पता लग जाता है।

निकाल

पुस्तकालय की परिस्थिति के अनुमार्द सुविधाजनक प्रणाली अपना कर पुस्तकों का लेखा रखना आवश्यक है।

भारतीय पुस्तकालयों में भी अब धीरे-धीरे कार्ड-प्रणाली और बाउचर प्रणाली अपनाइ जा रही है किन्तु ऐसेशन रजिस्टर की खाता-प्रणाली पुगनी होने के बारें अभी चल रही है।

इनमें से कोई भी प्रणाली अपनाई जाय किन्तु पुस्तकों और प्राप्तिसंख्याओं को भली भाँति मिलान कर लेने के बाद तब पुस्तकों वर्गीकरण के लिये और 'क्रिल' को सुगतान के लिये आगे बढ़ा देना चाहिये।

दान-प्राप्त पुस्तकों का लेखा

प्रत्येक पुस्तकालय में कुछ पुस्तकों दान के रूप में मिलती रहती हैं। प्राचीन लोगों का मत था कि ऐसी पुस्तकों के लिये एक 'दान रजिस्टर' अलग से रखना चाहिये।

दान रजिस्टर का नमूना

दान संख्या	प्राप्तिशंख	पत्र	घटनवाद	दान का विवरण	क्रम पुस्तक, संख्या	दाता का नाम और पता	उचार विभाग	प्राप्तिसंख्या	विशेष

Gift Register

डा० रंगनाथन का मत है कि एक्सेशन कार्डों में दान प्राप्त पुस्तकों का भी काउंहोना चाहिये किन्तु उनके कार्डों का रंग बदल देना चाहिये और उन पर दोहरी संख्या अर्थात् प्राप्तिसंख्या और दान संख्या Donation No. दोनों डालनी चाहिये।

वापसी रजिस्टर (Withdrawal Register)²

साता-प्रणाली में पुस्तकों के लो जाने, फट जाने वा अनुपयोगी हो जाने के कारण ऑर्डर दिये जाने पर जो पुस्तक कम हो जाती हैं, उनका लेखा रखने के लिए ए

१. न्राइन : मनु अल आफ लाइव्रेरी इकोनोमी, प्लृ २११

२. विमलकुमार दत्त : ए प्रैक्टिकल गाइड टु लाइव्रेरी प्रोसीजर : प्लृ १४

पुस्तकों की प्राप्ति और उनमें संस्कार

रजिस्टर अलग से रखना पड़ता है, इच्छों वापसी का रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर ने निम्नलिखित कालम होने हैं :—

क्रम संख्या	पुस्तक	लेखक	प्राप्तिसंख्या	वहिष्ठत करने का कारण	विशेष

इस रजिस्टर की कम्पनी को प्राप्तिसंख्या रजिस्टर के वापसी कालम में मरना पड़ता है और इस प्रकार प्राप्तिसंख्या रजिस्टर में से इस रजिस्टर की संख्या घटा देने से पुस्तकालय की पुस्तकों की वर्तमान संख्या का पता लग जाता है।

ऐक्सेशन कार्ड-प्रणाली में ऐसी पुस्तकों से सम्बन्धित कार्डों को वापस निकाल कर अलग व्यवस्थित कर लिया जाता है जिसमा जिक्र कपर किया जा चुका है।

पुस्तकालय की परिस्थिति के अनुसार मुविधावनक प्रणाली अपना कर पुस्तकों का लेखा रखना आवश्यक है।

भारतीय पुस्तकालयों में भी अब धोरे-धारे कार्ड-प्रणाली और बाउचर प्रणाली अपनाइ जा रही है किन्तु ऐक्सेशन रजिस्टर की लाता-प्रणाली पुरानी होने के कारण अभी चल रही है।

पुस्तक-वर्गीकरण

पुस्तकालय में जो पुस्तकें या अन्य प्रकार की अध्ययन-सामग्री खरीदी जाती है या दान स्वरूप प्राप्त होती है, उनको रजिस्टर पर चढ़ाने और आवश्यक लेभुल आदि लगाने के बाद किसी वैज्ञानिक क्रम से आलमारियों में व्यवस्थित करना पड़ता है जिससे उनका अधिक से अधिक उपयोग सरलतापूर्वक हो सके। पुस्तकालय-विज्ञान के अन्तर्गत इस क्रिया को 'पुस्तक-वर्गीकरण' या 'बुक-क्लैसीफिकेशन' कहा जाता है।

वर्गीकरण

'वर्गीकरण' शब्द का प्रयोग एक प्रणाली या रीति के लिए होता है जब कि एक एक वर्ग की वस्तुओं या विचारों को उनकी समानता के दृष्टिकोण से व्यवस्थित कर के एक समूह बना लिया जाता है और उन समूहों को उससे भी बड़े समूह में सम्मिलित कर दिया जाता है। यह रीति तब समाप्त होती है जब अन्तिम रूप में सब समूहों को अपने में समेटने वाला एक बड़ा समूह बन जाता है।

'विभाग' शब्द इसकी उल्लेखी प्रणाली को सूचित करता है। इसके अनुसार एक समूह को उपविभागों में किसी गुण के आधार पर विभाजित किया जाता है। उसके बाद इसी प्रकार उस उपविभाग को अन्य उपविभागों में बाँटा जा सकता है जब तक कि आगे फिर भाग करना अनावश्यक या असम्भव न हो जाय।

साधारण रूप से यह कहा जा सकता है कि ये दोनों रीतियाँ वर्गीकरण की हैं। इसलिये यह कहा जा सकता है कि वर्गीकरण समूह बनाने की तथा अलग करने की प्रणाली है। यह समान वस्तुओं को एकत्र करती है और असमान वस्तु को अलग करती है।

वर्गीकरण सम्भवतः प्रकृति के संमिश्रण में क्रम को खोजने की सब से सरल रीति है। यह एक प्रकार से छाँटने की विधि है कुछ उन गुणों की, जो वस्तुओं में पारे जाते हैं। प्रत्येक विज्ञान के इतिहास में यह पहली विधि है जो कि प्रयोग में लाई जाती है। वर्गीकरण एक-एक वस्तु को समूह में क्रम-बद्ध करने में सृष्टि को सहायता ही

१. होवार्ड फिलिप्स : 'ए प्राइमर आफ क्लैसीफिकेशन' के आधार पर।

नहीं देवा चलिक वस्तुओं में पारस्परिक सम्बन्ध को भी प्रकट करता है और उनके नियमों की सौज की ओर भी रक्षा दिलाता है।

प्रकार

यह वगाकरण दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। सामान्य वगाकरण के अन्तर्गत जान का पूरा स्तर आ जाता है और विशेष वगाकरण जान की विनी एक शाखा तक ही सीमित रहता है।

पुस्तक-वर्गोंकरण

पुस्तकालय की नीमा में पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए 'वर्गोंकरण' के दो अर्थ देते हैं :—

१. किमी प्रणाली की छपी हुरे सारणी (शेड्यूल), जिसके द्वारा पुस्तक और नूसी-पत्र में संलेख (इन्ट्री) एक कम-बढ़ रूप में व्यवस्थित हो सकें।

२. इन सारणियों के अनुसार पुस्तकों का स्थान-निर्धारण (Placing) और पुस्तकों विधा संलेख की क्रमबद्ध-व्यवस्था (तरतीब)।

पुस्तक-वर्गोंकरण का सम्बन्ध मूर्चिमान विचारों से है जो लिखित रूप में होते हैं। इसलिए अध्ययन सामग्री को पुस्तकालय की आलमारियों में आवश्यक और उपयोगी ढंग से व्यवस्थित करने का सम्बन्ध वगाकरण के प्रयोग पद (Practical) से होता है। अतः पुस्तक-वर्गोंकरण केवल मरितिक में विचारों को व्यवस्थित करने की प्रणाली नहीं रह जाती बल्कि चीजों को एक स्थान पर एकत्र करना चाही दी जाता है जिससे कि वे सरलतापूर्वक मिल सकें।

प्राचीन काल में पुस्तकों की इच्छा तरतीब के लिए निम्नलिखित अनेक सिद्धान्तों का प्रयोग किया गया था जो कि आज भी वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार हैं :—

१. आकार	Size
२. परम्परा	Orthodoxy
३. जिल्दनंदी का रंग	Colour of binding
४. मूल्य	Value, Format (Rare binding, book rarities-etc.)
५. साहित्यिक मूल्य	Value, literary
६. प्राप्तिसंख्या	Accession number
७. फालिकम्, प्रकाशन काल	Chronology, date of publication

Chronology by period

८. समय विभाग के अनुसार

कालक्रम

९. प्रसिद्धि, सचिव

१०. प्रेस और प्रकाशक

११. लेखक और शीर्षक

१२. माधा

१३. प्रकाशन का भौगोलिक

स्थान

१४. प्रतिपाद्य विषय का भौगोलिक

स्थान

१५. विषय, अकारादि क्रम

१६. विषय, क्रमबद्ध

Popularity, interest

Press and publisher

Author and title

Language

Geographical place of publication

Geographical place of subject-matter

Subject, alphabetical

Subject, Systematic

पुस्तक-वर्गीकरण का महत्व

पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह पाठकों के लिए किया जाता है। इस लिये उनका यह संग्रह इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए जिससे पुस्तकालय-सेवा मुक्तैदी से और

प्रभावकारी ढंग से हो सके।

*किसी पुस्तकालय की सफलता अथवा असफलता में पुस्तकों के वर्गीकरण से अधिक आवश्यक कोई अङ्ग नहीं है। इसके कुछ उपयोग तो बिल्कुल स्थृत हैं। वर्गीकरण अध्ययन-सामग्री को विषयों के अनुसार आलमारियों के लिये और सूची में व्यवस्थित कर देता है। इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष और पाठकों को पुस्तकें प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त इसके और भी उपयोग हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष अपने स्टाक की सबलता और निर्बलता का ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकता है यदि पुस्तकें भलीभांति वर्गीकृत हों। इसलिए किसी संग्रह को सबल बनाने का इससे सुरक्षित और सरल कोई उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित वर्गीकृत होता है और वर्गीकरण की कमी उत्तम संग्रह को भी पुस्तकों गोदाम के समान होता है और वर्गीकरण की वर्गीकृत या अवर्गीकृत पुस्तकें देती है। संक्षेप में, वर्गीकरण, पुस्तकों का पता लगाने, नई पुस्तकें चुनने और अन्य व्यापारी पुस्तकों को छूटने के लिए एक प्रारम्भिक चाही है।

इतना ही नहीं, पूर्ण रीति से और वैज्ञानिक ढंग से किया वर्गीकरण किसी विषय

१. द्राउन : मैनुअल अफ लाइब्रेरी इकोनोमी अव्याय ?५ के आवार पर

पर पुस्तकों के संग्रह को ही नहीं दिखलाता बल्कि उस संग्रह में उचम पुस्तकों को भी बतलाता है।

‘पुस्तकें इसलिए पढ़ी जाती हैं’ क्योंकि उनका विषय सूचना और आनन्द प्रदान करता है। अधिकांश पाठक पुस्तकों को उनके आकार, शीर्षक, यहाँ तक कि लेखक की अपेक्षा उसके प्रतिपाद्य विषय के अनुसार माँग करते हैं। अन्य क्रम से व्यवस्थित पुस्तकों द्वारा पाठकों की तृतीय नहीं हो पाती। इसलिए विषय के अनुसार पुस्तकों का क्रमबद्ध रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आधुनिक पुस्तक-वर्गोंकरण विषयानुसार होने लगा है यद्यपि आलमारियों में क्रमबद्ध रखने में विषयों के अन्तर्गत लेखक और शीर्षक का भी ध्यान रखा जाता है।

पुस्तक-वर्गोंकरण के विशेष तत्त्व

किसी भी शान-वर्गोंकरण को उचम पुस्तक-वर्गोंकरण का रूप देने के लिए उसमें निम्नलिखित पांच तत्त्वों का बोड़ना आवश्यक है:—

१. सामान्य वर्ग	Generalia Class
२. रूप वर्ग	Form Classes
३. रूप विभाग	Form Division
४. प्रतीक संस्करण	Notation
५. अनुक्रमणिका	An Index

सामान्य वर्ग के अन्तर्गत उन विषयों को रखा जाता है जिनको अन्य वर्गों में नहीं रखा जा सकता। जैसे, विश्वकोश, कोश, पत्रिकाएँ, समाचार-पत्र आदि जो कि ज्ञान को सामान्य रूप में आत्मसात् करते हैं।

रूप वर्ग वे हैं जिनके अन्तर्गत साहित्य की विविध सामग्री स्वसम्बन्धित विविध रूप के अनुसार रखी जाती है।

किसी विशेष विषय पर पुस्तकों विभिन्न शाखाओं से लिखी जाती है जैसे कोश, पत्रिकाएँ, पुस्तिका, स्पोर्ट, इतिहास आदि। इसलिए वर्गोंकरण पद्धति में रूप विभाग (फार्म डिवीजन) होना आवश्यक है।

वर्गोंकरण के क्रम से पुस्तक का नोटेशन एक प्रकार के प्रतीकों की सीरीज है जो एक वर्ग या किसी विभाग या वर्ग के उपविभाग और रूपों के फ्रैंस के लिए एक सुविधाजनक साधन है। इसलिए यह वर्गोंकरण की सात्यी ने एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह अनेक प्रकार का हो सकता है। ये बहु छंडों या अब्दों की प्रतीक संकरा

१. निलिप्त : ए प्राइमर शास्त्र बुक बैलिंग्लिकेशन’ के आधार पर

Chronology by period

८. समय विभाग के अनुसार

कालक्रम

९. प्रसिद्धि, रचना

१०. प्रेस और प्रकाशक

११. लेखक और शीर्षक

१२. मांगा

१३. प्रकाशन का भौगोलिक स्थान

१४. प्रतिपाद्य विषय का भौगोलिक स्थान

१५. विषय, अकारादि क्रम

१६. विषय, क्रमबद्ध

Popularity, interest

Press and publisher

Author and title

Language

Geographical place of publication

Subject, alphabetical

Subject, Systematic

पुस्तकचर्चाकरण का महत्व

पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह पाठकों के लिए किया जाता है। इस लिये उनमें यह संग्रह इस प्रकार व्यवस्थित होना चाहिए जिससे पुस्तकालय-सेवा मुस्तैदी से और प्रभावकारी ढंग से हो सके।

*किसी पुस्तकालय की सफलता अथवा असफलता में पुस्तकों के वर्गीकरण से आधिक आवश्यक कोई अङ्ग नहीं है। इसके कुछ उपयोग तो बिल्कुल स्टैट हैं। वर्गीकरण अध्ययन-सामग्री को विषयों के अनुसार आलमारियों के लाने में और सूची में व्यवस्थित कर देता है। इस प्रकार पुस्तकालयाध्यक्ष और पाठकों को पुस्तकों प्राप्त करने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त इसके और भी उपयोग है। पुस्तकालयाध्यक्ष अपने स्थान की सबलता और निर्बलता का ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त कर सकता है यदि पुस्तकों भेंडीमाँति वर्गीकृत हों। इसलिए किसी संग्रह को सबल बनाने का इससे सुरक्षित और सरल कोई उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण द्वारा एक दूसरे से सम्बन्धित पुस्तकों को इसाम होता है और वर्गीकरण की कमी उत्तम या अवर्गीकृत पुस्तकालयाध्यक्ष के समान होता है। गलत ढंग से वर्गीकृत या अवर्गीकृत पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए एक प्रारम्भिक चामी है। योगी पुस्तकों को छाँटने के लिए एक प्रारम्भिक चामी है। इतना ही नहीं, पूर्ण रीति से और वैशानिक ढंग से किया वर्गीकरण किसी विषय गोदाम के समान होता है और वर्गीकरण की कमी उत्तम संग्रह को भी बेकार बदल देती है। संक्षेप में, वर्गीकरण, पुस्तकों का प्राप्त लगाने, नई पुस्तकों चुनने और अपनी पुस्तकों को छाँटने के लिए एक प्रारम्भिक चामी है।

१०. ब्राउन : मैनुअल अफ लाइब्रेरी इकोनोमी अध्याय १५ के आधार पर

पर पुस्तकों के संग्रह को ही नहीं दिलाता बल्कि उस संग्रह में उचम पुस्तकों को भी दिलाता है।

'पुस्तक' इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि उनका विषय सूचना और आनन्द प्रदान करता है। अधिकांश पाठक पुस्तकों को उनके आवार शीर्षक, यहाँ तक कि लेखक की ओरेवा उसके प्रतिराय विषय के अनुसार मार्ग करते हैं। अन्य कम से अधिक विषय पुस्तकों द्वारा पाठकों की तृती नहीं हो पाती। इसलिए विषय के अनुसार पुस्तकों का व्यवस्था रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आधुनिक पुस्तक-वर्गोंकरण विषयानुसार होने लगा है यद्यनि आलमारियों में कमबद्ध रखने में विषयों के अन्तर्गत लेखक और शोर्डक का भी स्थान रखा जाता है।

पुस्तक-वर्गोंकरण के विशेष तत्त्व

किसी भी ज्ञान-वर्गोंकरण को उचम पुस्तक-वर्गोंकरण का सम देने के लिए उसमें निम्नलिखित पांच तत्त्वों का बोहना आवश्यक है :—

१. सामान्य वर्ग	Generalia Class
२. रूप वर्ग	Form Classes
३. रूप विभाग	Form Division
४. प्रतीक संख्या	Notation
५. अनुक्रमणिका	An Index

सामान्य वर्ग के अन्तर्गत उन विषयों को रखा जाता है जिनको 'अन्य वर्गों' में रखा जा सकता। जैसे, विश्वकोश, कोश, परिचय, समाचार-पत्र आदि जो कि 'का' को सामान्य रूप में आत्मसात् करते हैं।

रूप वर्ग ये हैं जिनके अन्तर्गत साहित्य की विविध सामग्री स्वसम्बन्धित विविध के अनुसार रखी जाती है।

इसी विशेष विषय पर पुस्तकों विभिन्न दृष्टिकोण से लिखी जाती है जैसे कोश, रूप, पुस्तका, रिपोर्ट, इतिहास आदि। इसलिए वर्गोंकरण पद्धति में रूप विभाग (डिवीडन) होना आवश्यक है।

वर्गोंकरण के क्रम से पुस्तक का नोटेशन एक प्रकार है जो है जो या किसी विभाग या वर्ग के उपविभाग लिए एक बनक साधन है। इनलिए यह है। यह अनेक स्थान संख्या

साधारण कही जाती है। इसके अतिरिक्त विविध रूप से जो प्रतीक संख्याएँ बनाई जाती हैं वे भिन्नित कहलाती हैं।

सारणी में जिनने टर्म्स आए हाँ उन सब की अक्षर-क्रम से व्यवस्थित सूची के अनुक्रमणिका या इन्डेक्स कहते हैं। उनके साथ तत्सम्बन्धी नोटेशन भी लगे रहते हैं। जहाँ तक सम्भव हो, इसमें उन सभी टर्म्स के संक्षिप्त रूप और उनके साथ सम्बद्ध वे सब विषय भी आ जाते हैं जो सारणी में चाहे न भी आ पाए हों। ये इन्डेक्स विशिष्ट तथा साक्षेप दो प्रकार के होते हैं। विशिष्ट में एक टॉपिक जो कि सारणी में आया हो उसका या उसके पर्याय का संलेख दिया जाता है और सापेक्ष में सभी टॉपिक जो सारिणी में आए हों या न आए हों वे और उनके पर्याय तथा उनसे सम्बन्धित टॉपिक का संलेख दिया जाता है। इनमें सापेक्ष (रिलेटिव इन्डेक्स) अधिक उपयोगी होता है।

पुस्तक-वर्गीकरण का माप दण्ड (Criteria)

१. इसको यथासम्भव परिपूर्ण होना चाहिए जिसमें ज्ञान का सम्पूर्ण क्षेत्र आ जाय।

२. यह सामान्य से विशेष की ओर क्रमबद्ध होना चाहिए।

३. इसमें प्रत्येक प्रकार की पुस्तक के लिए स्थान निर्धारित करने की उचित गुंजाइश हो।

४. उपयोगकर्ताओं की सुविधा के दृष्टिकोण से मुख्य वर्ग तथा उसके विभागों और उपविभागों का सुव्यवस्थित क्रम होना चाहिए।

५. इसमें जो टर्म्स प्रयोग किए जायें वे स्पष्ट हों, उनके साथ उनकी व्याख्या हो जिनमें उनका क्षेत्र वर्णित हो और आवश्यक स्थानों पर शीर्षक नोटेशन आदि से युक्त हो जिससे वर्गीकरण करने वाले को सहायता मिल सके।

६. यह योजना में और नोटेशन में विस्तारशील हो।

७. इसमें सामान्य वर्ग, वर्ग, भौगोलिक विभाजन, आदि उपर्युक्त सभी ग्रंथ हों और साथ में अनुक्रमणिका भी हो।

८. यह इस रूप में छापा हो जिसे सरलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सके।

९. समय समय पर इसका संशोधन और परिवर्द्धन भी होते रहना चाहिये जिससे कि आधुनिक रहे।

१०. १०. की पद्धतियाँ

उपर्युक्त मापदण्ड के आधार पर पुस्तकों के वर्गीकरण के लिए जो सारणी जाती है, उसे 'पुस्तक-वर्गीकरण पद्धति' या 'बुक क्लैसीफिकेशन स्कीम' कहते हैं।

इस समय संसार में अनेक पुस्तक-वर्गोंकरण पद्धतियाँ प्रचलित हैं किन्तु उनमें से निम्नलिखित ६ पद्धतियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। ये विशेष रूप से प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण हैं।

क्रम	आविष्कारवर्ष	पद्धति का नाम	आविष्कारी	चङ्ग देश
१	१८७३	दशमलव पद्धति	मेलविल द्युवी	संयुक्त राष्ट्र आ.
२	१८८१	विस्तारशील पद्धति	चाल्स ए० कलर	"
३	१८०४	कांग्रेस ला० पद्धति	ला० आफ कांग्रेस	"
४	१८०६	विषय पद्धति	जेम्स डफ ब्राउन	ग्रेट ब्रिटेन
५	१८३३	कोलन पद्धति	शिंग रंगनाथन	भारतवर्ष
६	१८३५	बाह्म्य रुची विषय	हेनरी एवलिन न्यूलिस	संयुक्तराष्ट्र

१—दशमलव वर्गोंकरण पद्धति

इस पद्धति के आविष्कारक भी मेलविल-द्युवी (१८५१-१८३१) एम्हस्ट कालेज पुस्तकालय (अमेरिका) के पुस्तकालयावाचक थे। इस पद्धति से पूर्व अधिकांश पुस्तकालयों में किसी प्रकार की संतोषजनक वर्गोंकरण पद्धति प्रचलित नहीं थी। विषय के आधार पर पुस्तकों का वर्गोंकरण नहीं के बराबर था। द्युवी महोदय ने अपने कार्य-काल में पुस्तकालय के कर्मचारियों और पाठ्यक्रम की कठिनाइयों का अनुभव करके १८७३ ई० में इस प्रणाली का प्रयोग किया। उन्होंने "एक ऐसी पद्धति आविष्कार करने का प्रयत्न किया जिसके द्वारा पुस्तकों, पुस्तकालयों, शूचीकारणों, विलिड-ग्रूप्स और नेट्स आदि का ठीक उसी भावि वर्गोंकरण, व्यवस्थापन और अनुक्रमणिका की जा सके, जिस



श्री मेलविल डॉ. द्युवी

प्रकार किसी भी अच्छी पुस्तक में अनुक्रमणिका निर्देश दिया रहता है और जिसके आधार पर उस पुस्तक में किसी भी टॉपिक को उचित स्थान पर खोजने में सुविधा और सरलता रहती है।” इस पद्धति को संसार के सभी देशों में बड़े पैमाने पर अपनाया गया। कहीं पर मौलिक रूप में और कहीं कुछ संशोधित रूप में। अमेरिका के लगभग ६६ प्रतिशत सार्वजनिक पुस्तकालयों में, ६४ प्रतिशत विशेष पुस्तकालयों में तथा ८८ प्रतिशत स्कूल कालेज-पुस्तकालयों में इसको अपनाया गया है। इस पद्धति का प्रभाव परवर्ती सभी वर्गीकरण पद्धतियों पर किसी न किसी रूप में पड़ा है।

रूपरेखा

इस पद्धति में विषयों की प्रतीक संख्या शुद्ध है क्योंकि केवल अंकों के द्वारा ही विषयों का प्रतीक दिया गया है। वर्गसंख्या बनाने में तथा विषयों के सूचन में प्रभेद करने में दशमलव का प्रयोग किया गया है। इस पद्धति की रूपरेखा त्वयं ढ्युवी महोदय के शब्दों में इस प्रकार है :—

‘सम्पूर्ण ज्ञान को ६ वर्गों में विभाजित किया गया है और इसकी संख्या १ से ६ तक निश्चित की गई है। कोश, पत्रिकाएँ आदि जो सामान्य हैं, और किसी वर्ग के अन्तर्गत नहीं आतीं इनको शून्य नामक एक अलग वर्ग के अन्तर्गत रखा गया है। प्रत्येक वर्ग उसी प्रकार ६ विभागों में विभाजित हैं। विभागों को भी ६ उपविभागों में बाँटा गया है। और यह विधि जब तक आवश्यकता पड़े तुहराई जा सकती है। ये दस वर्ग इस प्रकार हैं :—

वर्ग

- ० सामान्य कृतियाँ
- १ दर्शन
- २ धर्म
- ३ समाज-विज्ञान
- ४ भाषा-शास्त्र
- ५ शुद्ध-विज्ञान
- ६ उपयोगी कलाएँ
- ७ लेखित कलाएँ
- ८ साहित्य
- ९ इतिहास

Classes

- ० General Works
- १ Philosophy
- २ Religion
- ३ Social Sciences
- ४ Philology
- ५ Pure Sciences
- ६ Useful Arts
- ७ Fine Arts
- ८ Literature
- ९ History

१ अमेरिकन लाइब्रेरी डाइरेक्टरी १९४५ के अनुसार

२ देखिए :—‘डेसिमल क्लैसीफिकेशन’ की भूमिका

किस वर्ग के अन्तर्गत कौन-कौन से विषय आते हैं, संचेप में मोटे तौर पर निम्न-लिखित चक्र से प्रकट हो सकेगा :—

क्रम	वर्ग	प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत विषय	वर्ग की प्रतीक संख्या
०	सामान्य कृतियाँ	सूचीपत्र, विश्वकोश, पत्रिकाएँ, सामाचार पत्र तथा अन्य कुटकर	०००
१	दर्शन	दर्शनशास्त्र तथा उससे सम्बंधित सब विषय	१००
२	धर्म	संसार भर के धर्म, धार्मिक सम्प्रदाय, भव आदि	२००
३	समाज विज्ञान	राजनीति, अर्थशास्त्र, काव्य, शास्त्र, गिज्ञा आदि	३००
४	भाषा-शास्त्र	संसार की समस्त भाषाओं का इतिहास तथा उससे सम्बन्धित विषय	४००
५	शुद्ध विज्ञान	गणित, ज्योतिष, रसायन, जन्म-विज्ञान आदि	५००
६	उपयोगी कलाएँ	चिकित्सा, खेती, इंजीनियरिंग, कला-कौशल आदि	६००
७	खलिल कलाएँ	वित्तकला, मूर्तिकला, सज्जीत, शिकार, मनोविज्ञान आदि	७००
८	साहित्य	संसार की समस्त भाषाओं का साहित्य	८००
९	इतिहास	भूगोल, ऋग्वेद, जीवनी एवं विश्व का इतिहास	९००

इच्छ प्रकार इसमें ००० से ६६६ तक १००० शीर्षक मुख्य विषयों के हैं। इसके बाद आवश्यकतानुसार दशमलव लगा कर अन्य सबसेक्षण्ठ बनाए जा सकते हैं।

इन दस वर्गों में प्रत्येक के पुनः नौ उपवर्ग हो जाते हैं। जैसे:—

८००	साहित्य	<u>800 Literature</u>
८१०	अमेरिकन	810 American
८२०	इंग्लिश ऐंग्लो-सैक्सन	820 English Anglo-Saxon
८३०	जर्मन तथा अन्य ट्यूटैनिक	830 German and other Teutonic
८४०	फ्रेंच प्रोवेंक्जन आदि	840 French provencal etc.
८५०	इटालियन रूमानियन आदि	850 Italian Rumanian etc.
८६०	स्पेनिश, पोर्टगीज आदि	860 Spanish portuguese etc.
८७०	लेटिन तथा अन्य इटैलिक	870 Latin and other Italic
८८०	ग्रीक तथा अन्य हेलेनिक	880 Greek and other Hellenic
८९०	अन्य साहित्य	890 Other literatures

इन उपवर्गों में से प्रत्येक के पुनः ६ विभाग हो जाते हैं। जैसे :—

८२०	अंग्रेजी साहित्य	<u>820 English literature</u>
८२१	काव्य	821 poetry
८२२	नाटक	822 Drama
८२३	कथा साहित्य	823 Fiction
८२४	निबंध	824 Essays
८२५	वक्तृता	825 Oratory
८२६	पत्र-साहित्य	826 Letters
८२७	व्यंग, हास्य	827 Satire Humour
८२८	मिश्रित	828 Miscellany
८२९	सेक्सन साहित्य	829 Anglo-Saxon literature

अनुसार इन विभागों में उपविभाग बनाने के लिए दशमलव का प्रक्रिया है:—

English Poetry

Early English 1066-1400

Elizabethan 1400-1548

 an 1548-1625

Elizabethan 1625-1702

५ Queen Anne Early 18th century 1702-1745

६ Later 18th century pre-revolutionary 1745-1800 .

७ Early 19th century post-revolutionary 1800-1837

८ Victorian period 1837-1900

९ Early 20th century 1901—

इनमें से भी प्रत्येक उपविभाग के आवश्यकतानुसार प्रभेद किए जा सकते हैं ।

वैते :—

८.१.८ Victorian Period 1837-1900

८.१.८.१ Tennyson, Alfred, 1st Baron 1809-92

८.१.८.२ Browning, Elizabeth Barrett 1809-61

सामान्य उपविभाजन (अध्या रूप विभाग)

इस पद्धति में प्रत्येक विषय के वर्गों और उपवर्गों के सामान्य विभाजन के लिए कुछ निश्चित प्रतीक संख्याएँ रखी गई हैं जिनका उसी ढंग से स्पायोग होता है । वे निम्नलिखित हैं :—

०१ दर्शन, तिदान्त आदि	०१ Philosophy, Theories etc.
०२ रूपरेखा	०२ Compends, Outlines
०३ कोश	०३ Dictionaries, Cyclopaedias.
०४ निर्वच, व्याख्यान आदि	०४ Lectures, Essays Letters etc,
०५ पत्रिकाएँ	०५ Periodicals, Magazines
०६ सभा, समितियाँ, परिषद् आदि	०६ Societies Associations
०७ शिक्षा, अध्ययन, प्रशिक्षण आदि	०७ Study, Teaching, Training Education
०८ संग्रह, प्रथाबली	०८ Polygraphy Collections
०९ इतिहास आदि	०९ History and general local Treatment

प्रतीक संख्या

इस पद्धति में वर्गों, उपवर्गों, विभागों और उपविभागों को क्रमबद्ध सम्बन्धित करने के लिए साधारण शंकों का प्रयोग प्रतीक संख्या के रूप में किया गया है । उपविभागों के भेद-प्रभेद दर्शान्तर्य चिह्न लगा कर किए गए हैं जैसा कि पीछे रूपरेखा के अन्तर्गत उदाहरण सहित बताया गया है ।

वर्गसंख्या बनाना
इनका प्रयोग वर्गसंख्या के निर्माण में इस प्रकार होता है ।—

जैसे :—

४५४

४५४.०२

भारतीय इतिहास

भारतीय इतिहास की रूपरेखा

का शून्य ० (दशमलव चिह्न के बाद) नहीं लगता, जैसे :—

३७०

३७०.२

शिक्षा

शिक्षा का इतिहास

इसके अतिरिक्त सारणीगत आन्तरिक निर्देशों के द्वारा भी विभिन्न विषयों की वर्गसंख्या बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे “सम्पूर्ण सारणी के अनुसार विभाजित कीजिए”, “भौगोलिक विभाजनों के अनुसार वर्गसंख्या बनाइये आदि ।”

अनुक्रमणिका

इस पद्धति की अनुक्रमणिका सापेक्षिक और वर्गीकरण सारिणी की पूरफ़ है । इस वर्गीकरण के हर एक संस्करण में सापेक्षिक अनुक्रमणिका का आकार बदलता ही गया है क्योंकि ज्ञान-क्षेत्र में विषयों की उपशाखाएँ और प्रशादाएँ बदलती रही हैं । यह अनुक्रमणिका अंग्रेजी-वर्षामाला के अक्षरों के अनुसार क्रम से व्यवस्थित है जिसमें प्रत्येक विषय के अन्तर्गत उससे सम्बन्धित तथा सम्भावित सब विषयों को सम्मिलित करने का पर्याप्त प्रयत्न किया गया है ।

समीक्षा

यह पद्धति सरल, सुगम और सुवोध है । अंकों द्वारा बनाई गई प्रतीक संख्याएँ अकारी सहायक याद-रखी जा सकती हैं और लिखने, बोलने तथा स्थान-निर्देशन में काफी सहायक होती हैं । रूप विभाजक, भाषा विभाजक और भौगोलिक विभाजक ने इसके स्मरणीय गुणों को और भी बढ़ा दिया है । इस पद्धति में ग्रनी यार प्रतीक संख्याएँ हैं । अतः उपयोग में सुविधा पड़ती है । दशमलव के ने उसके विस्तार को असीमता प्रदान की है जो कि वर्गीकरण के क्षेत्र में एक देन है ।

संस्करण के बाद से ही बराबर इस पद्धति का संशोधन और परिवर्द्धन रहा है जिससे समस्त ज्ञान-विज्ञान की शाखाओं-प्रशादाओं की पुस्तकों के लिए

इसमें स्थान का समावेश होता आया है। अतः यह सदा आधुनिक रूप में पाई जाती रही है। अपनी लोकप्रियता के कारण अब तक इसके १६ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं।

बहुत इस पद्धति में अनेक गुण हैं वहाँ इसमें दोष भी अनेक हैं जिनके कारण यह पद्धति निरंतर आलोचना का विषय रही है। इन आलोचनाओं के आधार पर इस पद्धति में समय-समय पर मुधार भी होते रहे हैं। इसके निम्नलिखित दोष हैं :—

१. अमेरिकन पक्षपात

२. सम्पूर्ण विषयों का अतार्किक ढंग से व्यवस्थापन

३. कुछ विषयों की पक्षपातपूर्ण अतमान व्यवस्था, (जैसे पाश्चात्यभाषाओं और उनके सूहित्य को, पाश्चात्य दर्शन और इसाई धर्म को प्रायमिकता)

४. नए विषयों के स्थान का अभाव

भी० ई० वी० शोफोल्ड, डा० रंगनाथन तथा निस आदि वर्गांकरण-आचार्यों के अनुसार यह पद्धति सेदान्तिक इष्टि से अपूर्ण है। यही कारण है कि अधिकांश पुस्तकालयों ने इसे आवश्यकतानुसार सशोधित करके अपनाया है। भारतीय पुस्तकालयों के व्यवहार के लिए भी इस पद्धति में पर्याप्त सशोधन अपेक्षित है। इसके अधिकांशिक प्रयोग और इसकी लोकप्रियता से प्रेरित हो कर इसके नये संस्करणों को त्रुटिहीन और सार्वभीम बनाने का प्रयास सम्पादक मंडल द्वारा किया जा रहा है।

२- विस्तारशील वर्गांकरण प्रणाली

धी० चार्ल्स ए० कटर (१८८७-१८०३) बोस्टन एथेनियम पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष थे। उस समय वहाँ १,७०,००० ग्रंथों का संग्रह था। दशमलव वर्गांकरण प्रणाली में अनेक कमियों का अनुभव करके उन्होंने १८८१ ई० में अपनी एक नई प्रणाली प्रस्तुत की जिसे विस्तारशील वर्गांकरण प्रणाली या 'इक्सर्वेसिव कलेसी-प्रिकेशन स्टीम' कहा जाता है। भी कटर महोदय का यह विचार था कि कम या अधिक रूप में संग्रह के अनुरूप वर्गांकरण की विलूत प्रणाली की आवश्यकता पुस्तकालयों को पड़ती है क्योंकि पुस्तकों का संग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। यदि वर्गांकरण प्रणाली इस बढ़ते हुए संग्रह का अनुगमन नहीं कर पाती तो वह अरने उद्देश्य में असफल रहती है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए कटर महोदय ने स्थनिर्दित वर्गांकरण को सात भिन्न सारणियों में प्रकाशित किया जिससे छोटे से छोटे पुस्तकालय प्रभम सारणी को अपनाने के बाद संग्रह की बुद्धि होने पर आवश्यकतानुतार क्रमणः अन्य सारणियों को अपनाने जायें। इस पद्धति का कुछ सशोधनों सहित प्रयोग अमेरिका की २४ और ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी में हो रहा है।

प्र० विद्या

इस प्र० विद्या में विभिन्न शोधकों के बीच विभिन्न विद्याओं के विवरण आदि दिया गया है। इसके अन्त में विभिन्न विद्याएँ विवरण दिया गया है :—

- A विज्ञान और विज्ञान
- B ऐतिहासिक विज्ञान
- C सामाजिक विज्ञान
- D विज्ञान और कलाएँ, विज्ञान और विज्ञान
- E विज्ञान
- F विज्ञान और विज्ञान
- G विज्ञान और विज्ञान
- H विज्ञान और विज्ञान
- I विज्ञान और विज्ञान
- J विज्ञान और विज्ञान
- K विज्ञान और विज्ञान
- L विज्ञान और विज्ञान
- M विज्ञान और विज्ञान

पृष्ठम् ५३४ विज्ञान में विभिन्न विद्याओं में विभिन्न विद्याएँ दिया गया है :—

विभिन्न विद्याएँ में विभिन्न विद्याओं में विभिन्न विद्याएँ दिया गया है :—
के लघु में प्रयुक्त हिता दिया गया है :—

- A ज्ञानान्य कृतियाँ
- B धर्म और धर्म
- C इतिहास और यहूदी धर्म
- D ऐतिहासिक विज्ञान
- E जीवनी
- F इतिहास
- G भूगोल और भूमण्ड
- H सामाजिक विज्ञान
- I समाजशास्त्र
- J नागरिकशास्त्र, सरकार आदि
- K विधान
- L विज्ञान और कलाएँ
- M प्राकृतिक इतिहास

इस्तक-वर्गीकरण

N वनस्पति विज्ञान

O जीवविज्ञान

P प्रायिक्विज्ञान

Q शोषण

R उपयोगी-कलाएँ, टेक्नोलॉजी

S रचनात्मक कलाएँ, इंजीनियरिंग और विहिंडग

T रन्तु यित्प, इस्तरित्प और मणीन निर्मित

U युद्धकला

V व्यायाम, मनोरंजन कलाएँ

W कला, ललित कला

X भाषा द्वारा आदान-प्रदान की कला

Y साहित्य

Z पुस्तक-कलाएँ

इसकी सातवीं सारणी सबसे बड़ी और भिन्न है। जिसमें बड़े यहप के अवृत्तों के साथ छोटे यहप के अवृत्तों को बड़ा कर विषयों के उपविभाग किये गये हैं और एक सिवाय विभाजन करने का प्रयास किया गया है।

प्रतीक संख्या

स्थानीय यूजी और रूप विभाजन को छोड़ कर सम्पूर्ण प्रतीक संख्याएँ अवृत्तों के रूप में हैं।

जैसे :—

W कला, ललित कला

Ww फर्नीचर

Ww_a शब्दा

Wwo कैरिनेट

Wwch कुर्सियाँ

Wwcy. पटियाँ

रूप विभाजन

.१ डिवान्त

.२ चिकित्सो-प्रैची

- .३ जीवनी
- .४ इतिहास
- .५ कोश
- .६ हैण्डबुक आदि
- .७ पत्रिकाएँ
- .८ सभा-समितियाँ
- .९ संग्रह

स्थानीय सूची

- २१ आस्ट्रेलिया
- २११ पश्चिमी आस्ट्रेलिया
- २१६ न्यू साउथ वेल्स
- ३२ ग्रीस
- ३५ इटली
- ३० यूरोप
- ३६ फ्रांस
- ४० स्पेन
- ४५ इंग्लैंड

वर्गसंख्या वनाना

इनका प्रयोग वर्गसंख्या के वनाने में इस प्रकार है :—

- F 45 इंग्लैंड का इतिहास
- G 45 इंग्लैंड का भूगोल

अनुक्रमणिका

प्रथम छु: सारणियाँ अकारादि अनुक्रमणिका से युक्त हैं जिनमें विषयों से संबंधित वर्गीकरण की सापेक्षिक प्रतीक संख्या दी हुई है।

समीक्षा

इस पद्धति की प्रशंसा रिचार्ड्सन, ब्राउन और ब्लिस जैसे वर्गीकरण के आचार्यों ने की है क्योंकि इसमें विविधोंग्रैफिकल वर्गीकरण की सम्भावनाएँ विद्यमान हैं। यदि कठर महोदय को अपनी अंतिम सारणी को पूरा करने का और पहले की सारणी का तुलनात्मक परिवर्द्धन, संशोधन करने का अवकाश मिला होता—जो उनके

अतामिक निखन से न हो सक्य—वां सम्भवः वह पद्धति सर्वोत्तम और सर्वमान्य हो सकती। इसमें विस्तारणीज्ञता, संविस्तवा और सरलता के गुण पर्याप्त रूप में मिलते हैं जो हिसी भी वर्गांकरण पद्धति को सार्वभीम बनाने के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

परिदर्शन और संशोधन न होने के कारण इन सारणियों का पुनः प्रकाशन न हो उद्धा, जिससे प्रत्येक सारणी दूसरी सारणी से सर्वथा भिन्न है। अतिम सारणी वां एक भिन्न है। अतः कठर महोदय का यह उद्देश्य कि पुस्तकालय कमिट्टि विकास के साथ-साथ एक के बाद दूसरी सारणी को अपनाते जायें, सफल नहीं हो सक्य।

३—लाइब्रेरी आफ कांप्रेस वर्गांकरण पद्धति

लाइब्रेरी आफ कांप्रेस की स्थापना १८०० ई० में ऐस्ट आफ कांप्रेस के अन्तर्गत वैधानिक पुस्तकालय के रूप में हुई थी। १८६७ ई० तक यह अपने पुणे भवन 'कैरियर' में थी तब रुचात् नए भवन में—जिसका निमांण लारिंगटन में किया गया-लाई गया। यह सचार का सबसे बड़ा, तुसविजव तथा बहुमूल्य भवन है। अनेक संथाओं से गुबाने के बाद भी इसके सप्रह में शीघ्रतापूर्वक इतनी वृद्धि हुई और साथ ही साथ सेवा-क्षेत्र भी इतना विस्तृत हो गया कि सम्पूर्ण सप्रह का पुनर्वर्गांकरण तत्कालीन अधिकारियों के लिये अनियार्य सा हो गया। १८६६ ई० में डा० हरवर्ट पुटनम प्रथम प्रतिवित पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किए गए। उनके समने २० लाख ग्रंथों के वर्गांकरण की समस्या थी। विषय के आचार्यों और विदेशी की एक कमेटी बना कर उन्होंने इस कार्य को प्रारम्भ किया। उस समय प्रतिवित समस्त वर्गांकरण-पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए समिति ने एक ऐसी पद्धति का निमांण करना चाहा जो व्यावहारिक और सैदानिक कम हो। जिससे पुस्तकालय का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समिति ने पद्धति की पूर्णता की अपेक्षा उसकी उपयोगिता पर अधिक ध्यान दिया। साथ ही प्रतिपाद्य विषयों के भावी विकास की ओर भी समिति का पर्याप्त ध्यान था। भावी विकास योजना की कार्यान्वयित करने के लिए उसने अंग्रेजी वर्णमाला के I O W X और Y अक्षरों को रूपरेखा में छोड़ रखा है।

रूपरेखा

इसके वर्गों की रूपरेखा इस प्रकार है :—

A सामान्य कृतियाँ, विविध

B दर्जन, धर्म

तीकसंख्या

इस पद्धति में प्रतीकसंख्या अंक और अक्षरों के मिलित हैं। यगो और उनके ख्य विभाजनों के लिए एकहरे बड़े अक्षर और दोहरे बड़े अक्षरों का प्रयोग किया गया है। उनके विभाजनों और उपविभाजनों के लिए साधारण क्रम में अंकों का योग किया गया है।

२ विज्ञान

२A गणित

२B खगोल विद्या

२C भौतिकविज्ञान

QC भौतिकविज्ञान

१ पत्रिकाएँ, सभा समितियाँ आदि

३ संग्रहीत कृतियाँ

५ कोश

७ इतिहास आदि

५१ शोधशाला

५३ यन्त्र

६१ सारणी

७१ निर्बंध

उनके अर्थात् रूप विभाजन, भौगोलिकविभाजन, भाषा और साहित्य तथा जीवनी के लिये पुनः अक्षरों और अंकों के आधार पर इस पद्धति के कुछ अपने सिद्धान्त हैं। ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि वीच-वीच में अंकों या अक्षरों के क्रम को छोड़ देने से भावी संभावित विकास को पर्याप्त स्थान दिया गया है किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति में संदिग्धता के नियम का उल्लंघन स्वभावतः हो गया है। वर्ग-संख्या आवश्यकता से अधिक लम्बी हो गई है।

अनुकमणिका

प्रत्येक वर्ग की अपनी अलग स्वतंत्र अकारादि क्रम से व्यवस्थित सापेक्ष सूची है जिनमें विशेष संदर्भों को छोड़ कर दूसरे यगों के विषय-संबंध नहीं दिखाए गए हैं।

समीक्षा

यह पद्धति अपने में एक प्रसार से पूर्ण है। प्रत्येक वर्ग का अलग इन्डेक्स है। धन की कमी न होने से इसके संशोधन और परिवर्द्धन में कोई कठिनाई नहीं होती। इसे अनन्तीक्षी सरकार और वहाँ के विशेषज्ञों की सहानुभूति प्राप्त है किन्तु इसकी प्रतीक संख्याएँ बहुत बड़ी हो जाती हैं। वे याद रखने के योग्य भी नहीं हैं। छोटे पुस्तकालयों के लिए उनकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। विशेष प्रकार के पुस्तकालय

इस पद्धति को अपना सकते हैं। इसमें अमरीकन विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। यदि संक्षिप्त और स्मरणीय प्रतीक संख्या का प्रयोग सुलभ हो जाय तो मथम श्रेणी के पुस्तकालयों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

४—विषय वर्गीकरण पद्धति

श्री जेम्स डफ ब्राउन (१८६२—१९१४) ने अनेकों प्रयोगों के पश्चात् क्रमशः १८०६, १९१४ और १९३६ में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय संस्करण विषय वर्गीकरण के प्रकाशित किए। तृतीय संस्करण श्री जेम्स डी० स्टुअर्ट द्वारा परिवर्द्धित एवं संशोधित किया गया था। दशमलव वर्गीकरण पद्धति में अमरीकन विषयों पर अधिक वल होने से ब्राउन महोदय ने यह पद्धति मुख्यतः वृटिश पुस्तकालयों के लिए बनाई किन्तु दशमलव पद्धति की भाँति विस्तारशीलता ने होने के कारण यह अधिक लोकप्रिय न हो सकी। जिन ४१ पुस्तकालयों ने इसको अपनाया था, वे या तो इसमें कठिपय संशोधन कर रहे हैं या दशमलव पद्धति को अपना रहे हैं। फिर भी सरल, और व्यावहारिक होने के कारण इसका अध्ययन वर्गीकारों के लिए लाभदायक है।

रूपरेखा

इस पद्धति के अनुसार मुख्य वर्गों को निम्नलिखित चार समूहों में व्यवस्थित किया गया है:—

पदार्थ एवं शक्ति	Matter and force
जीवन	Life
मन	Mind
आलेख	Record

समस्त ज्ञान ब्राउन महोदय के अनुसार इन चार समूहों के अन्तर्गत आ जाता है परन्तु यह पुस्तक-वर्गीकरण के अनुसार व्यायसंगत नहीं है। उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को प्रतीक मान कर निम्नलिखित वर्ग विभाजन किया है:—

A	सामान्य
B-C-D	भौतिक विज्ञान
E-F	प्राणि-विज्ञान
G-H	जातिगत और ग्रीष्मविज्ञान
I	जीवविज्ञान और गृहकलाएँ
J-K	दर्शन और धर्म

L	सामाजिक और राजनीति विज्ञान
M	भाषा और साहित्य
N	साहित्यक रूप
O-W	साहित्य और भूगोल
X	जीवनी

प्रतीक संस्क्या

बहु वर्ग विभाजन अपने में पूर्ण नहीं है। विषय का ज्ञान कराने के द्विए अद्वयों के साथ वांछे भी प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ सामाजिक और राजनीति का स्पष्टीकरण निम्नलिखित रूप में किया गया है :—

राजिक और राजनीति विज्ञान

राजनीतिविज्ञान
 सरकार सामान्य
 पर्याय (विधान)
 नगर राज्य
 सामंत प्रधा (फुटडल प्रणाली)
 सामंत
 राज्य वन्न

इन के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रतीक संस्क्या L २०० हुई।

सामान्य व. विभाजन या रूप विभाग

सामान्य उपविभागों के स्थान पर इस पद्धति में वर्गांकृत सूची में दिए गए टम्स का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के साथ किया गया है। ये टम्स निश्चित स्थान रखते हैं और किसी अंग वक्त सारणी की सघनता को विस्तारशील बनाने में सहायक होते हैं। इसके अनुसार सम्बन्धित विपरी वी पुस्तकों एक स्थान पर लाने में सुविधा होती है। ये संचियाँ दो प्रकार की हैं, भौगोलिक विभाजन और विषय के विभिन्न रूपों की वालिका (सञ्जेक्ट कंटेनोरिकल ट्रेवल्स) इस वालिका में ६७३ टम्स हैं। वैसे :—

B ३०० स्थान (आर्किटेक्चर), सामान्य

B ३०० १-----विनियोगमें

B ३०० २-----कोश

इन वर्णों के नाम से यह विषय की अधिकतम विषय नहीं होता है।

वर्णसंख्या बनाना।

जैसे—१) ३.३० जापान की इमारत
२) ३.३३ जापान का भूगोल

आनुकूलणिका

इन पद्धति के अनुनार आनुकूलणिका विधि प्रभार के अनुसार निर्दिशन द्वारा आवाहित है। एक विषय तथा उसके अंगों के सम्बन्धित विषय अन्तरादि कन में से ले गए हैं और उनके सामने उनकी प्रतीक संख्या दी गई है। इसलिए पद्धति की भाँति एक विषय के अन्तर्गत सापेक्षिक तथा सम्बन्धित विषयों को एकत्र कर के नहीं ला गया है।

समीक्षा

एक पुस्तक, एक विषय, एक व्याज और एक प्रतीक संख्या की प्रणाली के अंतर्गत विषय वर्गीकरण पद्धति के निर्माता श्री ब्राउन महोदय अन्ने उद्देश्य में सख्त नहीं हो सके क्योंकि आज के युग में एक पुस्तक में एक विषय का निर्धारण यदि असम्भ

नहीं वो छठिन अवश्य है। अब त्रिविद्या का चिदानन्त इस पदति में लागू नहीं हो सकता। सिद्धान्त पद्म का और व्यवहार पद्म का संधर्ष इस पदति के योग्यकार को प्रत्येक पुस्तक के साप अनुभव करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के निश्चित स्थान ने विस्तारणीखता को राधान न दे कर सारणी में संक्षिप्त उत्पन्न कर दी है। दहो बारह है कि इसके बाहर स्थान विटेन में भी इसका पर्याप्त स्थान न हो सका।

५—द्विविन्दु प्रणाली

इस प्रणाली के आविष्कारक डॉ० एस० आर० रंगनाथन वी हैं। आप पुस्तकालय विज्ञान के एक प्रख्यात भारतीय आज्ञार्थी हैं। आप का वन्न १२ अगस्त सन् १९८२ ई० को घिनाली (मद्रास) में हुआ था। आप ने मद्रास विश्विविद्यालय कालेज में एम० ए० पास कर के पहला दो० की परीक्षा पास की। उसके बाद आप गवर्नर्मेंट कालेज मंगलोर में २५ वर्ष की आयु में गणित एवं भौतिक विज्ञान के अध्यापक हो गये। उसके बाद प्रेसिडेंसी कालेज में गणित के अध्यापक नियुक्त हुए।



डॉ० एस० आर० रंगनाथन

सन् १९८३ ई० में अध्यारन कार्य छोड़ कर मद्रास विश्वविद्यालय-पुस्तकालय के लाइब्रेरियन बने। वहाँ से आप पुस्तकालय-विज्ञान की घिन्दा प्रदर्शन करने के लिए चूनीर्विटी कालेज, लन्दन गये जहाँ पर आप ने पुस्तकालय-विज्ञान सम्बन्धी गहन अनुभव प्राप्त किया जिसे वहाँ के पुस्तकालयों में प्रचलित वर्गीकरण और सूचीकरण की विदेशी पद्धतियों से आप संतुष्ट नहीं हुए। १९८५ ई० में भारत लौट कर आप ने भारतीय वाइम्य के अनुस्य एक नई वर्गीकरण पदति का आविष्कार किया। इसको कालेज चैलीसीफिकेशन स्कीम या द्विविन्दु प्रणाली कहते हैं। इस पदति को संवेद्य आप ने मद्रास विश्वविद्यालय-पुस्तकालय में लागू किया। इसके अतिरिक्त 'कैसीपाइड कैलेग' कोड आदि ५० मौलिक ग्रंथ और द्वारों निर्वन-

लिख कर आप ने पुस्तकालय-विज्ञान के साहित्य की श्री वृद्धि की ओर तब से आज तक आप भारतीय पुस्तकालय-आनंदोलन का नेतृत्व करते रहे हैं। मद्रास, बनारस और दिल्ली के विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय-विज्ञान विभाग के अध्यक्ष रह कर आप निरन्तर पुस्तकालय जगत की सेवा करते रहे हैं। आप की सेवाओं के उपलक्ष्म में दिल्ली विश्वविद्यालय ने आप को आनंदरी डाक्टरेट की पदवी से विभूषित किया है। आप ने मद्रास यूनिवर्सिटी को पुस्तकालय विज्ञान की विशेष शिक्षा और साज के लिए अभी हाल में एक लाख रुपया दान रूप में दिया है। आप को भारत का मेलविल ड्युवां या जेम्स डफ ब्राउन कहना उचित होगा।

पद्धति की रूपरेखा—यह पद्धति सर्वप्रथम १९३३ई० में 'मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन' की ओर से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इसके संशोधित संस्करण भी क्रमशः १९३६, १९५० ई० में निकले हैं। मूल पुस्तक चार भागों में विभक्त है; प्रथम भाग में वर्गीकरण के नियम दिये गये हैं। दूसरे भाग में वर्गीकरण पद्धति की सारणा दी गई है जिसमें मुख्य वर्ग, विभाजन के सामान्य वर्ग, भाँगोलिक विभाजन, भाषानुमार विभाजन, एवं काल-क्रम विभाजन के प्रतीक अक्षर और संख्याएँ दी गई हैं। इसी भाग में इन सामान्य वर्ग और मुख्य वर्गों का विस्तृत रूप भी दिया गया है। तृतीय भाग में सारणी की एक अनुक्रमणिका या इन्डेक्स अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दिया गया है। चौथे भाग में क्रामक संख्या या कॉल नम्बर के उदाहरण दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त लेखक ने इस पुस्तक की भूमिका में कोलन पद्धति की विशेषताओं पर विस्तृत रूप में प्रकाश डाला है। इस पद्धति में दिए गए विषय आदि के प्रतीक अक्षरों और संख्याओं को कोलन : चिह्न के द्वारा जोड़ा जाता है। इसीलिए इसे 'कोलन प्रणाली' कहा जाता है।

यह पद्धति भारतीय दर्शन के पंचभूत सिद्धान्त पर आधारित है। वे ये हैं—

Personality	विषय की परिपूर्णता
Matter	पदार्थ
Time	काल
Energy	शक्ति
Space	आकाश (देश)

इन सिद्धान्तों के आधार पर प्रतिपाद्य विषयों का निर्णय किया जाता है। इन्हें के आधार पर डा० रंगनाथन ने सम्पूर्ण ज्ञान को दो भागों में विभाजित किया है शास्त्र और शास्त्रोत्तर विषय (Sciences and Humanities)। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रयाग उन्होंने अपनी पद्धति को अन्तर्राष्ट्रीयता प्रदान करने के दृष्टिकोण से किया है। आध्यात्मिक अनुभूति और गूढ़विद्या के लिए त्रिकोण तथा सामान्य वर्ग के

लिंग १ में ह वह लगेग कहता है कि वह भी गई है। मुख्य शब्दों का विवरण
इस प्रकार है। :-

मुख्य शब्द

- १ से ६ तक सामान्य शब्द
- १ वाक्यरूपनि
- २ पुस्तकशब्दसंक्षिप्त
- ३ अंग
- विभाग अंग
- ४ छंसा
- ५ विधार
- ६१ विदेश
- ६२ आवास
- ६३ विद्युती
- ६४ अनुसूचित
- ७ विद्युती
- ८ वार्षिक दृष्टि
- ९ वृत्ति
- १० विज्ञप्ति
- शास्त्र
- A शास्त्र (सामान्य)
- B गणित
- C वाल्य शास्त्र
- D वन्यजल्ला
- E रसायन शास्त्र
- F रसायन विज्ञ
- G शास्त्रविज्ञान
- (सामान्य) और वीर शास्त्र
- H भूगर्भशास्त्र
- I उद्धिक्षयास्त्र
- J शृंगी
- K अन्तु शास्त्र

Main Classes

- | | |
|----|--|
| | <u>1 to 9 Generalia</u> |
| 1 | Bibliography |
| 2 | Library science |
| 3 | Dictionaries, encyclopedias |
| 4 | Societies |
| 5 | Periodicals |
| 61 | Congresses |
| 62 | Commissions |
| 63 | Exhibitions |
| 64 | Museums |
| 7 | Biographies |
| 8 | Year-books |
| 9 | Works, essays |
| 98 | Theses |
| | <u>Sciences</u> |
| A | Science (General) |
| B | Mathematics |
| C | Physics |
| D | Engineering |
| E | Chemistry |
| F | Technology |
| G | Natural Science
(General) and Biology |
| H | Geology |
| I | Botany |
| J | Agriculture |
| K | Zoology |

- L चिकित्सा शास्त्र
- M उपयोगी कलाएँ
- △ आध्यात्मिक अनुभूति
और गूढ़ विद्या

शास्त्रेतर विषय

- N ललित कला
- O साहित्य
- P भाषाशास्त्र
- Q धर्म
- R दर्शन
- S मानसशास्त्र
- T शिक्षाशास्त्र
- U भूगोलशास्त्र
- V इतिहास
- W राजनीति
- X अर्थशास्त्र
- Y अन्य समाजशास्त्र
- Z विधि

सामान्य विभाजन

बगों के सामान्य विभाजन के लिए पद्धति में अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का प्रतीक दिया गया है जो प्रत्येक विषय के साथ प्रयुक्त हो सकता है। यह विभाजन इस प्रकार है—

- सामान्य विभाजन
- a वाङ्मय सूचि
- b व्यवसाय
- c प्रोगशाला,
वैधशाला
- d अजायवर, प्रदर्शनी
- e यंत्र, मशीन,
फार्मूला

- L Medicine
- M Useful arts
- △ Spiritual experiences and mysticism

Humanities

- N Fine arts
- O Literature
- p Linguistics
- Q Religion
- R Philosophy
- S Psychology
- T Education
- U Geography
- V History
- W Political Science
- X Economics
- Y (Others) Social Sciences
including sociology
- Z Law

Common Sub-divisions

- Common Sub-divisions
- a Bibliography
- b Profession
- c Laboratories, Observatories
- d Museums, exhibitions
- e Instruments, machines
appliances, formulas

- f नक्षत्र, स्ट्रनिक्यास्त्री
- g चार्ट, शारस्वत, बोर्ड,
रेस्ट तुर्स, गूप्तिर्वा
- h छपा
- i वित्ति,
- स्पॉर्ट और इटि
- k विवरण, एवरेज़,
दर गृही
- l विद्वद्
- m स्टाम्पिङ
- n गोर्हिं फ्रैंच, निर्देशिका,
विविध
- p नाम्बर्टम, क्रमेन,
उभा
- q विवेद, अधिनियम, रद्द
- r अध्यालय का सिनार्कोव विवरण
उपर युक्ति या नियमन
विवरण
- s मंडला वर्त
- t आर्कोग, मनिया
- u योगा,
उर्द्वाद्या,
अभियान,
अन्येत्रा, आदि
- v हातिहास
- w बीमां, पत्र
- x मैट्झुन, चर्चन
- z यार

वर्गसंख्या बनाने की विधि

प्रत्येक वर्ग के अन्वर्गीत पुस्तकों के विवर का निर्णय करने के लिए उसके साथ
एक गूर्ह दिया गया है जो विशित है। प्रत्येक गूर्ह के अन्वेष अब दूर है जो गृहण्य

- f Maps, atlases
- g Charts, diagrams, graphs,
handbooks, catalogues
- h Institutions
- i Miscellanies, memorial
volumes, Festschriften
- k Cyclopaedias, diction-
aries, concordances
- l Societies
- m Periodicals
- n Yearbooks, directories
calendars, almanacs
- p Conferences, Congresses
Conventions.
- q Bills, Acts, Codes
- r Government departmental
reports and similar
periodical reports of
corporate bodies
- s Statistics
- t Commissions, committees
- u Travels, expeditions,
surveys or similar des-
criptive accounts, explo-
rations, topography
- v History
- w Biography, letters
- x Collected works, selections
- z Digests

पाँच सिद्धान्तों पर आधारित हैं। प्रत्येक अंग कोलनः से संयुक्त है। उसके नीचे प्रत्येक अंग के अलग-अलग उपविभाजनों का स्थान अंकों के प्रतीकों से निर्धारित किया गया है। उदाहरण :—

L औषधि

L (O) : (p)

इसका अर्थ हुआ औषधि (L) के दो अङ्ग हैं, आर्गन (O) और प्राव्लम (p)

इस सूत्र के अनुसार आर्गन मनुष्य के शरीर के विभिन्न अवयव हुए और प्राव्लम, मनुष्य द्वारा उन अवयवों का विभिन्न प्रकार से अध्ययन हुआ।

इनफेक्शस डिज्नीज़ेज ऑफ रिस्पेरेटरी आर्गन्स

L 4 : 42

इसमें L मुख्य वर्ग औषधि,

4 रेस्पेरेटरी आर्गन मुख्य वर्ग का आर्गनिक अंग
: संयोजक चिह्न जो गुण परिवर्तन का योतक है।

42 इंफेक्शस डिज्नीज़ेस मुख्य वर्ग का प्राव्लम अङ्ग

इस प्रकार मुख्य वर्ग के अन्तर प्रतीक के साथ उसके विभिन्न अंकों के विभिन्न प्रतीक मिला कर कोलन से संयुक्त करने पर वर्गसंख्या का निर्माण किया जाता है।

इसके अनिरिक्त इस पद्धति में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग वर्गसंख्या निर्माण के लिए किया जाता है।

- १ कोलन विधि
- २ भौगोलिक विधि
- ३ काल-क्रम विधि
- ४ विषय विधि
- ५ अकारादि क्रम-विधि
- ६ अभीष्ट श्रेणा विधि
- ७ क्लैसिक विधि
- ८ सम्बन्ध योतक विधि
- ९ अष्टदलीय विधि

इनमें से भौगोलिक और काल-क्रम विधियों के प्रयोग के लिए चार्ट दिए हुए हैं। इन सब विधियों के प्रयोग के लिए सिद्धान्त दिए गए हैं जिनके अनुसार वर्ग-संख्या का निर्णय होता है।

समीक्षा

प्राउन महोदय के विषय वर्गीकरण और ड्यूबी महोदय के दशमलव वर्गीकरण के सिद्धान्तों का उपशेषी समन्वय इस पद्धति की विशेषता है। विश्लेषण और तंत्रज्ञ-पत्र की समावना इसमें परिपूर्ण है। सूक्ष्मतम् विचारी का वैयक्तीकरण और उनका वर्गीकरण इस पद्धति के अतिरिक्त अन्य किसी पद्धति में संभव नहीं हो सका। अष्ट-टलीय विधि के प्रयोग ने वर्गीकरण चुंब में नये विषयों के लिए असीमित स्थान दे रखा है। यह ढाँचे रंगनाथन का अपना आविष्कार है।

^१‘यह पद्धति सिद्धान्तभूत व्यायों का अवलम्बन करके बनाई गई है। ‘मूल-भूत’ वर्गीकरण अधिकतम् विभागों में व्यायानुकूल है, विवरण में पूर्ण वैशानिक है तथा व्याख्यान में विद्वत्तापूर्ण है।’ ^२‘इस पद्धति में भारतीय वाद्यम् को व्यवस्थित करने के लिए अति प्रशंसनीय योजना है।’

खेद है कि इस पद्धति का मूल अंग्रेजी से भारतीय मापाद्यों में पूर्ण रूप से अनु-वाद नहीं हो सका है। केवल इसके सम्बन्ध में कुछ परिचयात्मक लेख या पद्धति के कुछ अंश ही प्रकाशित हो सके हैं। अतः इसका विशेष प्रचार अभी नहीं हो पाया है।^३

६—वाद्यम् वर्गीकरण पद्धति

हेनरी एकलिन निलास महोदय ने अपनी दो पुस्तकों के आधार पर इस पद्धति का निर्माण किया। इन दोनों पुस्तकों में लेखक ने वर्गीकरण के सिद्धान्तिक पद्धति की विस्तृत समीक्षा की है और आदर्श वर्गीकरण पद्धति के नियमों का प्रतिपादन किया है। लेखक के मनानुसार वर्गीकरण मुख्यतः पुस्तक-वर्गीकरण, आलोचनात्मक, वाद्यम् और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। इसी सिद्धान्त के आधार पर उन्होंने

१—निलास महोदय का मत

२—दस्तूर० सी० भरतिक महोदय का मत

३—इस पद्धति के विस्तृत ज्ञान के लिए देखिए:—

ढाँचे रंगनाथन : कोलन न्सैसीफिकेशन स्कीम : चतुर्थ संस्करण

अपना विस्तृत तथा परिष्कृत वर्गोंकरण प्रस्तुत किया। इसकी सारणियाँ को उद्घोने एक ही विषय के अनेक अंगों का उपनिभाजन करने के लिए तैयार किया और उसे कम-बढ़व सारणी की संज्ञा दी।

रूपरेखा

निम्नलिखित मुख्य वर्गों में उद्घोने १ से ८ तक के वर्गों के बाल्य संख्यक वर्ग (ऐन्टीरियर न्युमरल क्लासेज) बनाए हैं जो निम्नलिखित हैं :—

- १—वाचनालय संग्रह मुख्यतः संदर्भ के लिए
- २—विद्यियोग्रेफी, पुस्तकालय-विज्ञान और इकोनोमी
- ३—चुने हुये या विशिष्ट संग्रह, पुस्तक पुस्तक आदि
- ४—विभागीय और विशेष संग्रह
- ५—अभिलेख और पुरालेख, सरकारी संस्थागत आदि
- ६—पत्रिकाएँ (संस्थाओं के क्रमिक प्रकाशनों सहित)
- ७—विविध
- ८—संग्रह—तथानीय ऐतिहासिक या संस्थागत
- ९—ऐतिहासिक संग्रह या प्राचीन प्रथ

लेखक ने मुख्य विषय वर्ग को अपने ज्ञान वर्गोंकरण के अनुसार निम्नलिखित रूप में व्यवस्थित किया है :—

दर्शन—विज्ञान—इतिहास—शिल्प और कलाएँ

इस पद्धति में विषयों को उपर्युक्त रूमूहों के अन्तर्गत रखा गया है जिनका विस्तार अंग्रेजी वर्षामाला के A से Z तक के अक्षरों का प्रयोग कर के किया गया है। जैसे :—

A दर्शन और सामान्य विज्ञान (तर्कशास्त्र, गणित, पदार्थविज्ञान, संख्या तत्त्व सहित)

B भौतिकशास्त्र (व्यावहारिक; विशिष्ट, विशेष भौतिक टेक्नोलोजी सहित)

L इतिहास (सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और जाति-

गत भूगोल तथा सिक्कों आदि के अध्ययन सहित)

U कलाएँ उपयोगी और औद्योगिक

W भाषा विज्ञान

इत्यादि

पूरी वारची का उपविभाजन इस प्रकार है :—

AM—AW	गतित	AN अंकगणित सामान्य
AM	सामान्य	ANA प्रामाणिक ग्रंथ
AN	अंकगणित	ANB व्यावहारिक अंकगणित
AO	बीज गणित	ANC अंक
AP	समीकरण	AND दरामलव अंक
AQ	अंक बीजगणित	ANE ड्यूडेसिमल प्रयोगी

इसके अधिकारिक किसी वर्ग या उपवर्ग, भौगोलिक, भाषागत, ऐतिहासिक काल, साहित्यिक रूप, जीवनी, तथा विषय विशेष के विभाजन तथा उपविभाजन के लिए इस पद्धति के अन्तर्गत २० क्रमबद्ध सारणियों का प्रयोग किया गया है। इनमें एक और दो पूरी पद्धति में, तीन से सात तक वर्गों के बड़े समूहों में और आठ से बीस तक उच्चतम विशिष्ट विशेषों के लिए प्रयुक्त हुई हैं।

प्रतीक संख्या

अप्रेजी वर्षभाला के बड़े अक्षर, लोअर केस अक्षर और अंकों को मिला कर बनाई गई है। अंकों की मुख्य प्रतीक संख्या—जो अक्षरों में है—के साथ मिला दिशा जाता है। दोहरे या तेहरे अक्षरों को भी प्रयोग में लाया गया है। जैसे T ५३ विभिन्न वाप्रैक्टी आफ इन्झ्योरेंस, OJBI डिक्शनरी आफ द पोलिटिकल हिस्ट्री आफ जापान आदि। इस प्रकार की प्रतीक संख्याओं की विशेषता यह है कि विषयों के भाषा, साहित्य के रूप, ऐतिहास तथा अन्य रूप विभाजनों के अनुसार वर्गसंख्या बनाने में सरलता रहती है।

अनुक्रमणिका

इस पद्धति की अनुक्रमणिका सापेक्ष है

ममीजा

इस पद्धति में विषयों का सूक्ष्म वर्गीकरण विना विषयों की भूलता को बोड़े हुए किया जा सकता है। विषयों का विश्लेषण और संश्लेषण पूर्ण रूप से प्राप्त हो, सकल है। वर्गीकरण की आल्टरेटिव व्यवस्था इस पद्धति की अपनी विशेषता है। विसके द्वाय नवीन विषयों को स्थान प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। व्यावहारिक दृष्टिकोण से पुस्तक-वर्गीकरण के लिए यह पद्धति उपयुक्त और उपयोगी मिल नहीं हो सकी क्योंकि इसमें सैद्धान्तिक पूर्णता की ओर अधिक प्यान दिया गया

卷之三

२०१८ वर्षातील ३० जुलै तारीखी तक असंगवार आणि असंगवारी नाही.

માર્ગદરોહ કાળજી

जैसी गहिराये गए विषयों का अध्ययन करते हुए जो अवश्यकता प्राप्त हो तो उन्हें अवश्यकता के बारे में इस चौथे अध्ययन का विषय बनाया जाए जो उसके लिये उस विषय का अध्ययन निवारण, उस विषय का अध्ययन विषय का अध्ययन हो जाता है। इसके अनुसार कल्पना एवं ध्यान का अध्ययन विषय के अध्ययन का अध्ययन करने का योग्य विषय होता है। यद्यपि यह विषय अधिक विषयमें दृष्टि भवति तो उसकी विशेषता के अनुभवों के दृष्टिकोण में दृष्टि भवति विषय को विद्याया जाता। अधिक विषयों का अध्ययन (Learning Symbols , भाषाओं के लिये विद्या, विद्युत विषयों का अध्ययन एवं अन्य विषय) (:) और कोकण विषय के विवरण में इस विषय के विषय विवरणों द्वारा विवरण के द्वारा एक नया विषय लिया जा सकता है।

पुनर्जन्मगीर्हतयः प्रयोगः पदः

वर्गोंकरण के अलाने का मत्ता उद्देश्य है मुसोला नगं सारों को वैज्ञानिक इस लिए वर्गोंकरण की पद्धति का विद्यानिक जन प्रात-स्तरों के बाट कर्किराम में सही योग्यता है जाय कि

(१) वह किसी भी पुस्तक के प्रतिपाद्य निष्प नो निश्चित कर सके। ये बातें तभी भली भाँवा होंगी।

परिचय हो ।

(२) वह अपनाईं गई पद्धति के अनुसार उस पुस्तक का सब से ठीक और उपयोगी स्थान निर्धारित कर सके।

(३) वह सही जोकेयाल - २

वर्गीकरण के प्रयोग में -

उसका मुख्य उद्देश्य या रुचि, क्या है? और उसी प्रकार की पुस्तकें यदि पहले से ही प्रतीकालय में किस वर्ग में रखी गई हैं? वह पुस्तक किस वर्ग में रखी जाय और उसकी क्या वर्ग संख्या लगाई जाय?

इस प्रकार पुस्तक-वर्गीकरण की कला दो भागों में बँट जाती है, एक तो पुस्तक का विषय नियांत्रित करना और दूसरे वर्गीकरण पद्धति में से उसके सही स्थान का पता लगाना। विषय का नियांत्रण वर्गीकार की धिक्षा सम्बन्धी योग्यता और सामान्य ज्ञान पर निर्भर है। विषय रुग्लत नियांत्रण से अनेक भूलें हो जाती हैं जो कि वर्गीकरण पद्धति का टेक्निकल अवानता से भी अधिक हानिकर सिद्ध होता है। “इस लिए वर्गीकरण करने में सदा ध्यान में रखना चाहिए कि पुस्तक उस वर्ग में रखा जाय वहाँ उसका सबसे अधिक उत्तराधिकारी है सके और उस वर्ग में रखने का कारण हाना चाहिए और उस कारण को समझने की ज़रूरत भी हाना चाहिए।”

वर्गीकरण के नियम

(अ) सामान्य

(१) वर्गीकरण में पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं की सुविधा का ध्यान सदा रखना चाहिए। इस लिए पुस्तक को उस स्थान पर रखना चाहिए जहाँ वह सब से अधिक उपयोग हो। आर उस स्थान पर रखने का कारण भी हाना चाहिए।

(२) पुस्तक का वर्ग नियांत्रण पहले उसके विषय के अनुसार, और फिर उसके रूप (पार्ट) के अनुसार हो बिस रूप में वह उपस्थित की गई है। सामान्य वर्ग और शाहित्य का छाड़ कर जहाँ कि केवल उसके रूप त हो वर्ग नियांत्रित होता है।

(३) जब कि संग्रहीत कृतियों (collected works) और सभा सभितियों के प्रचारण के प्रन्थों का वर्गीकरण करना हो तो प्रकाशन के प्रकार का और पुस्तकालय के रूप का भी ध्यान रखना चाहिए।

(च) पुस्तक का विषय नियांत्रित करने के लिए निम्नलिखित साधन हो सकते हैं :—

- | | |
|---------------------------|--|
| (१) पुस्तक का नाम | (५) अनुक्रमणिका |
| (२) विषय-सूची | (६) संदर्भ प्रन्थ (फ़िल्स तुनस) |
| (३) अध्यायों के शीर्षक | (७) प्रतिपाद्य विषय (सन्जेस्ट मैट्र) |
| (४) भूमिका या प्राचल्यन | (८) विशेषज्ञ |

१ “Classify a book in the most useful place”

“Always have a reason for your placing, and be able to express it”

आदि में आता ही वो उसमें वही टीक रथान पर रखा जाए न कि नोटे लप में वर्ग के अन्तर्गत ।

२. अनुबाद, आलोचनाएँ, नोट्स, जो किसी विशेष पुस्तक के ही, ये मूल पुस्तक के साथ रखे जायें ।
३. वही तक सम्भव हो विशेष रथान से सम्बन्धित किसी विप्र की पुस्तक को विप्र के साथ रखा जाय ।
४. किसी विशेष देश, दशक या अन्य वैदिक भा इताला देने वाली पुस्तकें अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशेष विप्र के साथ रखी जायें ।
५. यदि एक विप्र दूसरे को प्रभावित करता हो या संयोगित करता हो तो प्रभावित विप्र के अन्तर्गत रखा जाए ।
६. जब कि कोई विप्र विशेष टड़िदेह से प्रविमादित किया गया हो वो उसे उसी विप्र के अन्तर्गत रखा जाए ।
७. जो पुस्तकें विशेष प्राचार के पाठकों के लिए हों, विशेष आचार की हों, विशेष काल की हों या विशेष रूप से सचित्र हों, उन पर 'पहले विप्र किर रूप' (First by subject then by form) का नियम लागू नहीं होता ।
८. 'का इतिहास' 'की स्पैरेला' 'विष्वरू निर्वाच' आदि शब्दों को किसी पुस्तक के नाम में देख कर कभी भी मर्ली मात्र विचार किए रिना उसका वर्ग-निर्धारण न करना चाहिए ।

वर्गोंकरण की सहायक सामग्री

वर्गकर को वर्ग-निर्धारण करने के लिए वर्गोंकरण पदति के अतिरिक्त निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और उसका होना आवश्यक है :—

१. एक अच्छा पटलस जिसमें पूर्ण रूप से संदर्भ की अनुक्रमणिका दी हो,
२. एक अच्छा आधुनिक गजेटियर,
३. एक अच्छा आधुनिक राष्ट्रीय गजेटियर,
४. Haydn की डिक्यानरी आफ डेट्स,
५. Blair का या अन्य किसी का कोनोलोजिकल टेबुल,
६. उपाधिसूचक तालिका A Book of Dignities
७. एक अच्छी बाइबिलिकल डिक्यानरी

- (स) वर्गसंख्या निर्धारित करने में सदा ध्यान रखना चाहिए कि :—
१. पुस्तक उस वर्ग में रखी जाय जहाँ वह पाठकों के सब से अधिक उपयोग में आ सके ।
 २. पुस्तक के विषय के अनुतार उसका सब से सही और ठीक वर्ग, 'उपवर्ग' आदि निश्चित किया जाय ।
 ३. उस पुस्तक के निर्माण के स्पष्ट उद्देश्य से भी वर्ग निर्धारण में सहायता ली जाय ।
 ४. वर्गीकरण में एक सम्पत्ता लाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पन्न कठिनाइयाँ और तत्सम्बन्धी निर्णयों का पूरा नोट रखा जाय और बाद में यदि किसी पुस्तक या पुस्तकों का वर्गीकरण गलत समझा जाय तो उसे शुद्ध करके समुचित स्थान पर रख दिया जाय ।

कुछ व्यावहारिक सुझाव

वर्गीकरण के प्रयोग में दक्ष होने के लिए वर्गकार को वर्गीकरण पद्धति की सारणी को विशेष रूप से उसके नोट और वर्ग बनाने की, विधियाँ आदि को बार-बार पढ़ना चाहिए, और उसके बाद अपने पुस्तकालय के संग्रह को आलोचनात्मक दृष्टि कोण से देखना चाहिए और विशेष रूप से नई पुस्तकों के वर्ग निर्धारण में सरक्ती रखनी चाहिए । वर्गीकरण कार्य में अधिक समय देना चाहिए । केवल अनुक्रमणिका के सहारे वर्ग-निर्धारण न करना चाहिए; उसके द्वारा निर्धारित होने वाले वर्ग की जाँच भर कर लेनी चाहिए । वर्गीकृत सूचियों, बुलेटिन और प्रामाणिक पुस्तकालयों के सूचीपत्रों के सहारे वर्गीकरण करने में सुविधा हो सकती है ।

क—जब कि किसी पुस्तक में दो भिन्न विषय हों तो उसका पहले विषय के अनुसार वर्गीकरण करना चाहिए जब कि दूसरा विषय अपेक्षाकृत अधिक महत्व का न हो ।

ख—यदि पुस्तक में दो परस्पर सम्बन्धित विषय हों तो सामान्य रूप से उनमें से पहले विषय के अन्तर्गत पुस्तक का वर्गीकरण हो यदि दूसरा विषय इसी महत्व का न हो ।

ग—दो से अधिक विषय वाली पुस्तकों को उस वर्ग में रखना चाहिए जहाँ वह सब से अधिक उपयोगी हो ।

घ—यदि पुस्तक में ऐसा विषय हो जो किसी वर्ग के अन्तर्गत किसी उपवर्ग

आदि में आता हो तो उसको वहीं ठीक स्थान पर रखा जाय न कि मोटे रूप में वर्ग के अन्तर्गत ।

२. अनुचाद, आलोचनाएँ, नोट्स, जो किसी विशेष पुस्तक के हो, वे नूज़ पुस्तक के साथ रखे जायें ।
३. जहाँ तक सम्भव हो विशेष स्थान से सम्बन्धित किसी विषय की पुस्तक को विषय के साथ रखा जाय ।
४. किसी विशेष देश, व्यक्ति या घन्य टाइपिक का इवाला देने वाली पुस्तके अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशिष्ट विषय के साथ रखी जायें ।
५. यदि एक विषय दूसरे को प्रभावित करता हो या संशोधित करता हो तो प्रभावित विषय के अन्तर्गत रखा जाए ।
६. जब कि कोई विषय विशेष दृष्टिकोण से प्रतिपादित किया गया हो तो उसे उसी विषय के अन्तर्गत रखा जाए ।
७. जो पुस्तकें विशेष प्रकार के पाठकों के लिए हीं, विशेष आकार की हों, विशेष काल की हों या विशेष रूप से सचित्र हों, उन पर 'पहले विषय फिर रूप' (First by subject then by form) का नियम लागू नहीं होता ।
८. 'का इतिहास' 'की रूपरेका' 'विषयक निवंथ' आदि शब्दों को किसी पुस्तक के नाम में देख कर कभी भी मली भाँति विचार किए दिना उसका वर्ग-निर्धारण न करना चाहिए ।

वर्गीकरण की सहायक सामग्री

वर्गीकरण को वर्ग-निर्धारण करने के लिए वर्गीकरण पद्धति के अतिरिक्त निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और उसका होना आवश्यक है :—

१. एक अच्छा एटलास जिसमें पूर्ण रूप से संदर्भ की अनुक्रमणिका दी हो,
२. एक अच्छा आधुनिक गजेटियर,
३. एक अच्छा आधुनिक यात्रीय गजेटियर,
४. Haydn की डिक्शनरी आफ डेस्स,
५. Blair का या घन्य किसी का कोनोलोगिकल टेब्ल,
६. उपाधिकृत वालिका A Book of Dignities
७. एक अच्छी बाइबिल डिक्शनरी

८. पारिभाषिक शब्दावलियाँ

६. अनेक भाषाओं के कोश

इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वालयोंमें फिल पत्रिका विभिन्न क्रेस्टन्स तथा सभी विषयों पर प्रामाणिक ग्रंथ भी होने चाहिए जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार से सहायता ली जा सके।

निर्णय

पुस्तकों के वर्गांकरण में निष्पत्ता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। पुस्तक को लिखने में लेखक का जो अभिप्राय रहा हो, तदनुसार उसका स्थान निश्चित करना चाहिए। ऐसे वर्ग या उपवर्ग में किसी पुस्तक का न रखना चाहिए जिस पर दूसरे लोगों के द्वारा आलांचना करने की गुंजाइश हो। पुस्तकों के वर्गांकरण में वर्गकार की अपनी राय का विशेष महल नहीं होता। जिन पुस्तकों के वर्ग निर्धारण में पद्धति के अनुसार कुछ भी कठिनाई हो, ऐसे मामलों में जो भी निश्चय हो, उनका लेखा भी वर्गकार को अलग रखना चाहिए। इससे भविष्य में सहायता मिलेगी और वर्गांकरण में एकरूपता आर सामंजस्य बना रहेगा। वर्गांकरणपद्धति की सारणी का सबसे उत्तम उपयाग उसी रूप में करना उचित है जैसे कि वह है। स्थानाय परिस्थितियों के अनुसार यदि कुछ हेर-फेर या संशोधन अनिवार्य हो तो उसको वैज्ञानिक ढंग से एक निश्चित रूप में करना उचित है।

सूक्ष्म और स्थूल वर्गांकरण

स्थूल वर्गांकरण में मुख्य उपवर्गों और विभागों का प्रयोग किया जाता है। जैसे ड्युवी पद्धति के केवल सौ या एक हजार मुख्य उपवर्गों का प्रयोग करना या किसी उपवर्ग के विस्तृत विभागों और उपविभागों को छोड़ देना। ऐसा वर्गांकरण छोटे पुस्तकालयों के लिए या पुस्तकालय में जिस वर्ग में पुस्तकों के संग्रह की कम संभावना हो उचित है। पुस्तकों की संख्या में वृद्धि होने पर वर्गांकरण की प्रतीक संख्या को भी तदनुसार बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। रिफ़ेस लाइब्रेरी और वडे पुस्तकालयों में सूक्ष्म वर्गांकरण आवश्यक होता है। फिर भी प्रत्येक पुस्तकालय की परिस्थिति पर यह निर्भर है।

पुस्तकों के वर्गांकरण में हमेशा पुनरुक्ति दोष से बचना आवश्यक है। इसके लिए विभागों और उपविभागों का क्षेत्र और उनकी परिभाषा एँ स्पष्ट रूप से समझा आवश्यक है। संदेहात्पद स्थानों पर पुस्तकों का स्थूल रूप में ही वर्गांकरण करना अन्धा है।

सहायक प्रतीक संख्याएँ

बब पुस्तकों का विषयानुसार वर्गांकरण हो जाता है तो कुछ निश्चित शीर्षक के अन्तर्गत उन्हें एकत्र व्यवस्थित करने के लिए प्रायः एक और संख्या की आवश्यकता नहीं रह जाती है। योल्फ में वर्गसंख्या के अन्तर्गत पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए प्रत्येक रीतियाँ अपनायी जाती हैं, उनमें से मुख्य हैं हैं :—

१—प्रधान के दर्पे के कम के अनुसार

२—प्रतिवाय विषय के नूल्यांकन के अनुसार (उचम पुस्तकों पहले या उचम पुस्तके अन्त में)

३—प्रातिसंख्या के कम के अनुसार

४—लेखक के अध्यादि कम के अनुसार

इनमें से अन्तम कम सब से अधिक सुगीधाबनक माना जाता है क्योंकि पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं को यह कम बल्दी समझ में आ जाता है। कम पढ़े-लिखे लोगों के लिए यह कम अधिक उपयोगी है। इस कम से समय की बचत भी होती है।

योल्फ में लेनदेनों के अध्यादि कम से पुस्तकों को व्यवस्थित करने में एक लेखक की पुस्तकों को दूसरे लेखक की पुस्तकों से अलग करना और एक लेखक की पुस्तकों में से भी एक पुस्तक को दूसरी पुस्तक से अलग करना जरूरी है। लेखक चिह्न के संकेत द्वारा पृष्ठ करने की अनेक साधिणियाँ छूटी हुई हैं। उनमें कुछ में केवल एक और कुछ में अब और अद्वार दोनों के संयोग से ऐसे प्रतीक बनाए गए हैं जो लेखकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतीक संख्याएँ बब वर्गसंख्या के साथ जोड़ दी जाती हैं तो उन्हें पुस्तक संख्या (त्रुक नम्बर) वा लेखकाङ्क भी कहा जाता है।

कटर की लेखक सारणी (ऑर्धर टेब्युल)

सब से प्रसिद्ध लेखक सारणी कटर महोदय की है जिसको कि उन्होंने अपनी 'विस्तार्याल वर्गांकरण पद्धति' में बताया है। यह अद्वार कम से बनी एक सारणी है जिसे लेखक के नाम के प्रारम्भिक अद्वार या अद्वारों के अधार पर बनाया गया है। इसमें अद्वारों को बहुत वैज्ञानिक कम से रखा गया है।

बैसे :—

(१) यदि लेखक का नाम किसी व्यञ्जन अद्वार से प्रारम्भ होता हो तो उसका पहला अद्वार लिया जाता है, जैसे :—

Holmes n73

Huxley n98

Lowell L95

(२) यदि लेखक का नाम स्वर अन्तर से या S अन्तर से प्रारम्भ होता है तो आदि के दो अन्तर लिए जाते हैं, जैसे—

Anne AN 7

Upton UP I

Semmes SE 5

(३) यदि लेखक का नाम Sc से प्रारम्भ हो तो आदि के तीन अन्तर लिए जाते हैं, जैसे :—

Scammon sca 5

लेखक का यह चिह्न वर्गसंख्या के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे :—

G 45 B 34

इसमें G 45 = इंगलैंड का भूगोल और B 34 = Beard

यह प्रायः इस प्रकार लिखा जाता है— G 45

B 34

यद्यपि इस सारणी में बारह सौ से ऊपर चुने हुए नामों की प्रतीक संख्याएँ वी शाई हैं किन्तु बहुत से ऐसे नाम आ जाते हैं जिनके लिए सोच समझ कर निकटम नाम की प्रतीक संख्या डालनी पड़ती है। इस लेखक सारणी का प्रयोग किसी भी वर्गीकरण पद्धति के साथ किया जा सकता है।

कट्टर की इस लेखक सारणी का संशोधित और परिवर्द्धित रूप भी छूटा है जिसमें J, Y, Z, E, I, O और U अक्षरों को दो अंक और Q और X को एक अंक बाला दिया गया है और शेष अक्षरों में तीन अंकों का क्रम रखा गया है। जैसे :—

Roi 744

Role 745

Rolf 746

इनके अतिरिक्त श्री L. Stanley Jast, श्री Merrill और श्री डिकिसन की नई लेखक सारणियाँ प्रसिद्ध हैं।

श्री ब्राउन महोदय ने 'विषय वर्गीकरण पद्धति' में और डा० रंगनाथन जी ने 'कोलन वर्गीकरण पद्धति' में इस उद्देश्य के लिए अपनी अलग-अलग विधि अपनाई हैं।

भारतीय प्रयास

भारतीय भाषाओं की वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला से भिन्न है। भारत में लेखक अपने व्यक्तिगत नामों से अधिक प्रसिद्ध होते हैं। इन दोनों कारणों से 'कट्टर' श्री

'टेबुल' भारतीय लेखकों की प्रतीक संख्या बनाने में उचित सहायक नहीं ही पाता। अतः भारतीय नामों के लिए कुछ लोगों द्वारा स्वतन्त्र प्रयोग किए गए। इनमें श्री प्रभीलचन्द्र बसु का 'अथकार नामा' प्रसिद्ध है। यह चैंगला में है और कठर महोदय की सारणी के दर्शि पर बनाया गया है। इसके अनुसार प्रतीक संख्याएँ इस प्रकार हैं :—

ज	१०
बग	११
बग जोधम	१२
बग ज्योति	१३
बगत	१४

इसके अविरिक्त श्री चत्तीशचन्द्र गुह ने भी एक लेखकानुक्रमिक संकेत अपनी 'प्राच्य वर्गीकरण पद्धति' में दिया है।

समीक्षा

अब अधिकांश पुस्तकालय-वैशानिकों का यह मत है कि किसी लेखक सारणी पर प्रयोग उचित नहीं है। व्यावहारिक रूप में उनका प्रयोग व्यर्थ है। उनका कहना है कि श्रंकों के संभित धेरे में संसार की सभी भाषाओं के विभिन्न प्रकार के लेखकों के नामों की लाना असम्भव है और इससे उलझन और बढ़ जाती है। इन सारणियों में बो भी प्रतीक बनाया जाता है, उसमें यदि अलग से दूसरा और प्रतीक न जोड़ा जाय तो वह और भी उलझन पैदा कर देता है। इससे लेखक का असली नाम ढक जाता है। अतः यदि जरूरी ही पड़े तो लेखक के नाम के प्रारम्भ के तीन अक्षरों को तो ले सेना अधिक अच्छा है। अगर अधिक विस्तार की ज़रूरत हो तो प्रारम्भ के चार, पाँच या छः अक्षर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। यदि उस रीति से तो उत्तम ही है जिसमें प्रारम्भ के एक या दो अक्षर ले कर तब श्रंकों के सहारे बाकी अक्षरों को श्रंकों में बदलना पड़ता है।

वर्गीकरण की रीति

जिन्हीं पुस्तकों का वर्गीकरण करना हो उन सब को अपने पास एक मेज पर रख लेनी चाहिए। सब से पहले उनको भोटे-झोटे बगों ऐसे सामान्य वर्ग, दर्शन, धर्म, साहित्य आदि के हिसाब से छँट लेना चाहिए। उसके बाद एक वर्ग की छँटी पुस्तकों को लेकर उनको छोटे-छोटे उपवर्गों में छँट लेना चाहिए। इतना करने के बाद अब नाईं गई वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उन पुस्तकों पर विषय की प्रतीक संख्याएँ '(वर्गसंख्या) डालना चाहिए।

वर्ग संख्या कहाँ डालें ?

वर्गीकरण की प्रतीक संख्या सादी पैसिल से साफ तथा कुछ बड़े अक्षरों में इनर कवर के भीतर की ओर प्राप्तिसंख्या मुहर से ऊपर उसी पेज के बीचों बीच स्थान पर डालनी चाहिए । पैसिल से डालने का मतलब यह है कि जरूरत पड़ने पर उसे बदला भी जा सके और रवर से मिटा कर उसके स्थान पर दूसरा सहो नम्र डाला जा सके ।

इनर कवर के भीतर की ओर संख्या इस लिए लिखी जाती है कि जित्त के पृष्ठ जाने अथवा ऊपरी पेज न रहने पर भी उस पर आँच न आवे और उसके सहरे पर बाहरी लेबुल आदि ठीक किया जा सके ।

प्रतियों और भाग

यदि किसी पुस्तक की एक से अधिक प्रतियों पुस्तकालय में हों तो पुस्तक के नाम के आदि अक्षर के बाद कोलन चिन्ह (:) लगा कर प्रतियों का संकेत कर देना चाहिए । यहाँ पर यह याद रखना जरूरी है कि पहिली प्रति हमेशा मूल प्रति होती है । इस लिए उस पर कोई प्रति की सूचक संख्या नहीं पड़ती । उसके बाद दूसरी प्रति पर : १ तीसरी प्रति पर : २ आदि क्रमशः लिखा जाता है ।

यदि पुस्तक के कई भाग हों तो पुस्तक के प्रथम अक्षर के बाद डैस (-) चिह्न लगाकर—१ और—२ आदि क्रमशः लिखे जाते हैं ।

नोट—प्रति की सूचक संख्या कई भागों वाली पुस्तकों पर भाग के निर्देशक चिह्न के बाद में लगती है । जैसे प्रेमचन्द की रंगभूमि पुस्तक के प्रथम भाग की २ प्रतियों हों तो उसकी दूसरी प्रति पर २—१ : १ लिखा जायगा ।

वर्गीकरण हो जाने पर पुस्तकें सूचीकरण के लिए सूचीकार के पास भेज जायेंगी ।

अध्याय १०

सूचीकरण

आवश्यकता

देश विदेश में प्रनेक क्षेत्रे बड़े पुस्तकालय हैं जिनमें पुस्तकों का सम्रद होता रहा है। लेकिन इन संग्रहीत पुस्तकों का तर तक कोई उपयोग नहीं हो सकता बब वक़ कि पुस्तकालय में उनकी एक अच्छी सूची न हो। पुस्तकालय चाहे क्षेत्र हो चाहे पढ़ा सिन्हा उसको उपयोगिता और उसको प्रतिश्ठा उसमें संग्रहीत पुस्तकों के उपयोग पर ही निर्भर करती है। पाठक जो कुछ भी पढ़ना चाहता है वो जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, वहि उसकी माँग तुरन्त पूरी हो जाती है वो वह पुस्तकालय की प्रयोगसाक्षर दिना नहीं रह सकता। यदि माँग के समय कोई पुस्तकालय पाठक की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, और उसमध्यन्थी सामग्री उसके भीतर मीड़द ही हो ऐसे पुस्तकालय को तो माल गोशाम ही समझना चाहिए।

इस द्वितीय पुस्तकालय में संग्रहीत समस्त पुस्तकों, पत्रिकाओं वथा अन्य सामग्री का वर्गीकरण और मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। वर्गीकरण का विवेचन निष्ठुते अध्याय में किया गया है। मूल्यांकन उसका पूरक है। वर्गीकरण के बाद मूल्यांकन इस प्रकार जै करने की आवश्यकता है जिससे पाठकों को पुस्तकालय का पूर्ण रूप से उपयोग करने में मुश्किल हो। यह मूल्य इतनी और ऐसी पूर्ण होनी चाहिए कि पाठकों को उनकी अभीष्ट पुस्तकें न्यूनतम नम्रता में प्रस्तुत कर दें, चाहे पुस्तक जैसी भी हो और उसके सम्पन्न में पाठक की स्वतंत्रता ही पुंखली और नीमित रूपों न हों। प्रत्येक पुस्तकालय इस कर्तव्य को पूरा करना चाहता है, क्योंकि यह मूलभूत आधार है और इसी पर उसका भविष्य निर्भर करता है। फलतः पुस्तकालय की प्रतिश्ठा और पाठकों की मुश्किल के लिए प्रत्येक पुस्तकालय में एक उच्चम पुस्तकालय का होना आवश्यक है।

परिभाषा

मूल्यांकन शब्द का अर्थ है—मूल्यी बनाना। सूची बनाने की प्रक्रिया को भी ‘मूल्यांकन’ कहते हैं। लेकिन पुस्तकालय के क्षेत्र में ‘मूल्यांकन’ इन पद्धति को कहते हैं जिसमें मूल्यांकन के किसी सिद्धान्त का आदि से अन्त तक अनुसरण करते हुए किसी भी पुस्तकालय के सम्पूर्ण अध्ययन औरिक संग्रह की ऐसी विवरणात्मक

सूची तैयार की जाय जिससे पाठकों को पुस्तकालय का पूर्ण उपयोग करने में सहायता और सुविधा हो।

सूचीकरण की प्राचीन परम्परा

प्राचीन काल के पुस्तकालयों में भी पुस्तक-सूची रखी जाती थी लेकिन उस समय सूची बनाना कोई टेक्निकल काम नहीं समझा जाता था। प्रायः एक रजिस्टर में पुस्तकों के नाम आगत-क्रम से लिख लिए जाते थे। ऐसा करने से एक साथ आई हुई विभिन्न विषयों की पुस्तकें एक ही क्रम से दर्ज हो जाती थीं। बाद में यह सूची विषय-क्रम से बनने लगी। युले पन्नों या रजिस्टर पर विषयों का शीर्षक (हेडिंग) डाल कर उस विषय की पुस्तकें लिख ली जाती थीं। इस प्रकार उस समय बोगीकरण और सूचीकरण में कोई भेद नहीं समझा जाता था। मुद्रण-कला के आविष्कार के बाद जब छपाई सुलभ हो गई तो ऐसी पुस्तक-सूची को कुछ समृद्ध पुस्तकालय छपवा लिया करते थे। पुस्तक-सूची का यह स्थूल रूप था। सार्वजनिक पुस्तकालय (पब्लिक लाइब्रेरी) के सदत्य छपी पुस्तक-सूची की एक प्रति खरीद लिया करते थे और उसको देख कर घर बैठे उस पुस्तकालय से अभीष्ट पुस्तकें मँगा लिया करते थे। दूरस्थ व्यक्ति भी किसी पुस्तकालय से छपी पुस्तक-सूची मँगा कर उससे सरलतापूर्वक यह जान लेता था कि असुक पुस्तकालय में किस विषय की कितनी और कौन-कौन सी पुस्तकें हैं। इन लाभों के साथ-साथ इस प्रकार की छपी सूची में एक भारी दो यह था कि ये कभी पूर्ण नहीं हो पाती थीं। छपने के बाद जो पुस्तकें पुस्तकालय में आती थीं, उनको उसमें कैसे शामिल किया जाय, यह एक समस्या थी और इस दौरे कोणा से छपी पुस्तक-सूची सदा अधूरी दशा में रहती थी। इस दोष को दूर करने लिए प्रति वर्ष नई आई हुई पुस्तकों की एक पूरक सूची (सालीमेंटरी लिस्ट) दी जाती थी लेकिन इससे भी यह दोष पूर्ण रूप से दूर नहीं हो पाता था। इस दौरे इस बात की आवश्यकता पड़ी कि पुस्तकालयों की पुस्तक-सूची तैयार करने में वो ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई जाय जिसके द्वारा पुस्तक-सूची के उपर्युक्त दोष हो सकें।

नवीन प्रणाली

विदेशों में इस विषय पर अनुभवी लाइब्रेरियनों द्वारा अनेक परीक्षण किए गए और अंत में वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि चूँकि छापे के आविष्कार की सुविधा के कारण पुस्तकों की भरमार हो रही हैं और पुस्तकालयों में नई पीढ़ी के लोग आ हैं हैं, इस लिए पुस्तकालय में ऐसी पुस्तक-सूची होनी चाहिए जो सुवेध, सन्तोष-

जनक और पूर्ण रूप से उपयोगी हो। इस दृष्टिकोण से रंबिस्टर पर बनने वाली मा
छुराई जाने वाली पुस्तक-सूची को उन लोगों ने अर्थ घोषित कर दिया। उन्होंने सूची-
करण के कुछ सिद्धान्त भी बनाए और तदनुसार सूची तैयार की जाने लगी।

सूचीकरण की इस योजना में दो चाँते आवश्यक हैं :—

१. एक सुधार्य एवं प्रशिक्षित सूचीकार की नियुक्ति
२. एक स्टैण्डर्ड कैटलॉग कोड का अनुसरण करने का निर्णय

सूचीकार को इस कोड के प्रत्येक नियम की सही जानकारी होनी चाहिए। यदि
किसी कैटलॉग कोड का टदगारीवक अनुसरण न किया जायगा तो सूचीकरण ने एक-
लाता, सखलता और सुगन्धता बनी नहीं रह सकती।

वैज्ञानिक सूचीकरण के गुण

पुस्तकालय की पुस्तकों तथा अन्य अन्यमत्तामयी का सूचीकरण नियन्त्रित छुट्टी
गुणों पर आधारित होता है :—

१. पुस्तकालय के उपयोगकर्ताओं के अनुकूल हो।
२. उसके निर्माण का आधार सुदृढ़ हो।
३. वह सभा आधुनिकतम (आर-डु-डेट) रूप में रहे।
४. वह उपयोग के ग्राम्य चनायी जाय।
५. उसकी उत्ता नियन्त्रण में रखा जा सके।
६. वह पाठकों की पुस्तकों वक्त पहुँच करने में पूर्ण रूप से समर्प हो।


कठर महोड़व ने सूचीकरण के नियन्त्रित उद्देश्य बताए हैं जो आज भी परम
आवश्यक समझे जाने हैं :—

किसी दस्तिकी को जो पुस्तक के लेखक, नाम या विषय को जानता हो अथवा
इन बींनों से अनभिज्ञ हो या किसी पुस्तक के दौँदने में संकरण या उसका रुर बताने
में सहायक हो।

कार्ड सूची

पुस्तक-सूची को सब से नवीन प्रणाली 'कार्ड सूची' है। विसमें संभवतः उपर्युक्त
सभी गुण आ चारे हैं इस प्रणाली के अनुलार प्रत्येक पुस्तक का विवरण सूचीकरण
के कुछ नियमों (रूपरूप) के अनुसार $4'' \times 3''$ आकार के कार्डों पर तैयार किया
जाता है।

इसका नमूना इस प्रकार है :—



सूची-कार्ड

इस छोटे से कार्ड पर संक्षिप्त विवरण के रूप में पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, टीकाकार, सम्पादक, अनुवादक, प्रकाशक प्रकाशन तिथि प्रातिसंख्या, तथा कामः संख्या आदि सभी वार्ते आ जाती हैं। ऐसे सूची-कार्डों को विषय-क्रम से लेखक क्रम से, वर्ग-क्रम से तथा अन्य क्रमों से कार्ड कैबिनेट के दराजों में व्यवस्थित कर दिया जाता है जो इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं।

लाभ

इस प्रकार से व्यवस्थित कार्ड सूची हमेशा पूर्ण (अप-डु-डेट) रहती है। सूची-कार्ड दराजों में रखे रहते हैं, इस लिए इनका उपयोग एक साथ कई लोग न सकते हैं। इस व्यवस्था से पाठक को पुस्तक के विषय में कम से कम जानकारी पर भी उसे वह पुस्तक सरलतापूर्वक मिल जाती है। जैसे केवल पुस्तक का नाम मात्र ही, केवल लेखक या सम्पादक या केवल पुस्तक का विषय मालूम हो तो भी न निराश नहीं होना पड़ता। कारण यह है कि इस पद्धति में एक पुस्तक के विवरण अलग-अलग कार्डों पर तैयार किए जाते हैं जितने प्रकार से पाठक उन पुस्तक की माँग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था में एक लेखक की उन पुस्तकें एक जगह पर मिल जाती हैं और एक विषय की भी सब पुस्तकें एक स्थान पर आ जाती हैं। इस विधि से पुस्तक-सूची में एक शैली, सरलता और एकलयन न जाती है। पाठक लोग सरलतापूर्वक कार्ड-सूची के सहारे हजारों पुस्तकों में ने अभीष्ट पुस्तक प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि सूचीकरण के सामान्य नियमों (लॉगिंग रूल्स) पर आधारित होती है। अतः यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होती है।

सूचीकरण की पद्धतियाँ—

यूची बनाने के लिए कोई न कोई पद्धति या सिद्धान्त को मान कर उद्दनुमार कार्य करना पड़ता है क्योंकि व्यक्तिगत दंग पर बनाइ गई सूची के भयद्वारपरिणाम होते हैं। यदि कार्ड-सूची को तैयार करने और कार्ड क्रिनेट के टाराओं में व्यवस्थित करने में मनमानो की जाय तो वह कार्ड-सूची विलुल ही अनुभ्योगी और अष्ट हो जायगी। इस सम्बन्ध में H. W. Acomb का यह कथन विलुल नच है कि “सूचीकरण एक कला नहीं है स्तंकि सूचीकरण में स्वेच्छानुसरण इसको आपत्तिजनक बना देगा।”

इस लिए काठों पर विवरण तैयार करने में यूचीकरण के नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाना आवश्यक है। इसना ही नहीं यदि किसी पुस्तकालय में किसी कारण से एक सूचीकार (कैटलॉगर) के स्थान पर दूसरा सूचीकार रखा जाय तो उसे वहाँ की कार्ड-सूची को देख कर समझ लेना चाहिए कि वे कार्ड किस सिद्धान्त के अनुसार बने हुए हैं। तब उसे स्वयं भी उसी परम्परा का पालन करना चाहिए। जिन आमूल परिवर्तन किए हुए उसे कोई नई शैली या नया सिद्धान्त नहीं अपनाना चाहिए।

संहिता (कोड)

सूचीकरण के लिए निम्नलिखित तीन संहिताएँ (कोड) विशेष प्रसिद्ध हैं :—

१. अमेरिकन लारोसिएशन का कैटलॉगिङ रूल्स (A. L. A. Cataloguing Rules)

२. डा० रंगनाथन जा० कलीसीफाइड कैटलॉग कोड,

३. चालस ए० कठर का डिक्शनरी कैटलॉग रूल्स

इनमें से चुन कर सिसी एक के अनुसार पुस्तकालय की पुस्तकों की यूची तैयार करनी चाहिए। यहाँ यह चात असरणीय है कि इन सभी संहिताओं की अपनी अलग-अलग विधेयताएँ हैं किन्तु यदि कोई सूचीकार सभी में से कुछ-कुछ विशेषताएँ लेना चाहे तो यूची भ्रष्ट हो कर अनुभ्योगी और बेकार हो जायगी।

संलेख—यूची-कार्ड पर जो विवरण लिखा जाता है उसे संलेख (इन्ड्री) कहते हैं। यह संलेख, पुस्तक का संक्षेप में पूरा विवरण होता है जो कि किसी न किसी शीर्षक के अन्तर्गत बनाया जाता है।

संलेख के भेद—सेक्ट, आखणा, विषय और अन्तर्निर्देश (क्रॉस रिफ़ेस) के शीर्षक (Heading) होते हैं। इस लिए संलेख मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं :—

१ लेखक संलेख (अर्थर इन्ड्री)

२ विषय संलेख (सब्जेक्ट इन्ड्री)

३ आख्या संलेख (टाइटल इन्ड्री)

४ अन्तर्निर्देशी संलेख (क्रॉस रिफ़ेन्स इन्ड्री)

ये गाधारणा रूप से तीन भागों में बँटे जाते हैं :—

१ मुख्य संलेख (मैन इन्ड्री)

२ अतिरिक्त संलेख (ऐडेंड इन्ड्री)

३ अन्तर्निर्देशी संलेख (क्रॉस रिफ़ेन्स इन्ड्री)

मुख्य संलेख—यह संलेख प्रायः पुस्तक के लेखक के नाम पर बनता है लेकिन कुछ दशाओं में जब कि लेखक का पता न चले या लेखक संदिग्ध हो तो लेखक में मुख्य संलेख नहीं बनता। भारतीय साहित्य में वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और पुण्यां आदि धर्म ग्रन्थों के मुख्य संलेख ग्रन्थों के नाम से हीं बनाए जाते हैं। यही नियम कुण्ठन, वाइचिल आदि अन्य धर्म ग्रन्थों पर भी लागू होता है। यदा कदा संग्रहकर्ता और सम्पादक के नाम पर भी मुख्य संलेख बनाए जाते हैं। इनका विशेष नियम आगे किया जायगा।

मुख्य संलेख से पुस्तक सम्बन्धी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है क्योंकि इसमें लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक, प्रकाशन काल, पृष्ठ संख्या, आकार, ग्रामक संख्या, प्रातिसंख्या सीरीज, संकेत आदि सभी आवश्यक विवरण दिये जाते हैं। मुख्य संलेख का उदाहरण पृष्ठ १३७ पर दिया गया है।

अतिरिक्त संलेख—इस संलेख में बहुत ही आवश्यक सूचनाएँ सूची-कार्ड पर लिखी जाती हैं। मुख्य संलेख का भाँति इसमें विशेष विवरण नहीं दिया जाता। पुस्तक के संयुक्त लेखक, सम्पादक, अनुवादक, टीकाकार, चित्रकार, भूमिकालेखक और पुस्तक के आख्या और विषय के कार्ड अतिरिक्त संलेख के अन्तर्गत बनाए जाते हैं। अतिरिक्त संलेख का उदाहरण पृष्ठ १४० पर दिया गया है।

अन्तर्निर्देशी संलेख—रिफ़ेन्स एक शीर्पक से दूसरे शीर्पक पर जाने का एक त्रुक्ति या निर्देश है। इस लिए यह संलेख एक नाम से दूसरे नाम को या एक विषय से दूसरे विषय तक जाने को पाठक को प्रेरणा देने के लिए बनाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है। अंग्रेजी के सूची-कार्डों में इसके लिए See और See also शब्दों का उपयोग किया जाता है। हिन्दी में 'देखिए' 'और भी देखिए' शब्द उन्हीं के संलेख के उदाहरण पृष्ठ १४१ पर दिए गए हैं। देखते हैं कि विभिन्न संलेखों में ऐसे साधन मौजूद हैं जिनमें सूची-

करण या वास्तविक उद्देश्य पूर्य हो जाता है प्रीति से तैयार कार्ड-सूची पुस्तकालय रस्ते लाले को खोलने के लिये एक ताली के समान हो जाती है जो पाठकों और पुस्तकालय-कर्मचारियों के लिए बहुत खानधानक होती है।

सूची के भेद

पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें आती हैं लेकिन उनके पाठकों को उन पुस्तकों के समझ में प्रत्येक फटिंग से पूरी जानकारी नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि द्यानी अभीष्ट पुस्तक को कोई पाठक तो लेखक का नाम ले कर मार्गिता है, कोई पुस्तक या नाम चता कर तथा कोई पुस्तक का विषय चता कर। उछ थोड़े ने हंग ऐसे भी होते हैं जो पुस्तक के प्रकाशक टीकाकार और सीरीज़ को भी चता कर पुस्तक की मार्गिता हैं। ऐसी अवस्था में पुस्तकालय में आई हुई पुस्तकों की निम्नलिखित सूचियाँ यूनी-वार्ड पर तैयार करना आवश्यक हो जाता है।

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| १. लेखक सूची | (अंधर कैटलॉग) |
| २. आलगा सूची | (दाइटिल कैटलॉग) |
| ३. विषय सूची | (संज्ञेक्षण वैटलॉग) |
| ४. अनुवर्ण सूची | (दिक्षणीय कैटलॉग) |
| ५. अनुवर्ग सूची | (क्लैसीफाइड कैटलॉग) |

इतनी प्रकार की सूचियों को तैयार करने वा एक मुख्य कारण यह है कि पाठक यदि केवल लेखक, पुस्तक वा विषय का ज्ञान रखता हो तो भी उसकी अभीष्ट पुस्तक अवश्य मिल जाय। अब इन सूचियों के विषय में तकनिक विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है।

१. लेखक सूची—‘लेखक’ पुस्तक का जन्मदाता है। इस लिए उसके नाम के अनुमार सूची रहने से पाठकों को यह जात हो जाता है कि अमुक लेखक की कौन कौन सी और कितनी पुस्तकें इस पुस्तकालय में हैं। जब एक नाम की कई पुस्तकें हो जाती हैं तो उनका अलगाव भी लेखक के नाम से ही होता है। यह सूची लेखकों के अकादमिक से व्यवस्थित की जाती है। इस लिए लेखक सूची के जिन पुस्तकालय का यूनीकरण अभूत माना जाता है।

२. आलगा सूची—यह पुस्तकों के नामों की सूची है जिसमें पुस्तकों के नाम शब्दग्रन्थमें व्यवस्थित किए जाते हैं। पुस्तक का नाम मालूम रहने पर भी इससे पुस्तक द्वैदने में सहायता मिलती है।

३. विषय सूची—यह पुस्तकों की वह सूची है जो कि कुछ समिति विषयों के अन्तर्गत वर्णनुक्रम (अल्फावेटिकल आर्डर) से व्यवस्थित की जाती जाती है। विषय हैं इसका शीर्षक होता है। विषय का ढाँचा, लेखक सूची की ही भाँति होता है। प्रत्येक क्रम के अन्तर्गत एक विषय की सब पुस्तकें एक स्थान पर आ जाती हैं। जो पाठ्य एक विषय पर अनेक पुस्तकें देखना चाहते हैं, उनके लिए यह विशेष उपयोगी होती है।

४. अनुवर्ण सूची—इस सूची में लेखक, आख्या, विषय, टीकाकार, अनुवादक, संपादक, अन्तर्निर्देशी और सीरीज आदि सभी प्रकार के तैयार कार्ड एक ही वर्णनुक्रम (अल्फावेटिकल आर्डर) में डिक्शनरी की भाँति व्यवस्थित किए जाते हैं। इसी लिए इसको 'कोश सूची' या 'डिक्शनरी केटलांग' भी कहते हैं। इस प्रकार यह सूची यद्यपि किसी विशेष विषय की नहीं होती, फिर भी यह पाठ्यक्रमों को पुस्तकें ढूँढ़ने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है। जिन पुस्तकालयों में लेखकसूची, विषयसूची और आख्यासूची अलग-अलग नहीं रखी जाती, वहाँ अनुवर्ण सूची के लिए उन्हें व्यवस्थित कर लिया जाता है।

५. अनुवर्ण सूची—पुस्तकों के वर्गीकरण के अनुसार जो विषय विभाजन हैं, उन्हीं विषयों पर जो पुस्तकें होती हैं, उनकी जो सूची होती है, उसे अनुवर्ण सूची कहते हैं। इस सूची में संलेखों को वर्ग संख्या के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यह सूची वर्गीकरण की अनुयायिनी होती है। अतः अच्छा या बुरा जैसा भी वर्गीकरण होगा, तदनुसार वर्गों में उन विषयों की पुस्तकें मिलेंगी। यदि सही और ठीक वर्गीकरण हो तो छोटे से छोटे विषय पर भी पुस्तकों का जितना संग्रह पुस्तकालय में हो, उसका उपयोग किया जा सकता है। इस सूची के संलेखों को विषय के वर्गों, उपवर्गों, विभागों और उपविभागों आदि के अन्तर्गत लेखकों के अकारादिक्रम से व्यवस्थित किया जाता है।

प्रत्येक पुस्तकालय में उसकी आवश्यकतानुसार अनुवर्ण सूची अथवा अनुवर्ण सूची का होना आवश्यक है। पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पुस्तकों का चुनाव करने तथा अन्य कार्यों के लिए पुस्तकालय के कर्मचारियों को भी इन सूचियों से सहायता मिलती है।

शेल्फ लिस्ट—इन सूचियों के अतिरिक्त पुस्तकालय की आलमारियों में पुस्तकों को जिस क्रम से रखा जाता है, उसकी भी एक सूची होती है, जिसे 'शेल्फ लिस्ट' कहते हैं। इसकी सहायता से प्रतिवर्ष पुस्तकालय की पुस्तकों की जाँच की जाती है।

सेल्फ लिस्ट के कार्ड पुस्तक के मुख्य संलेख की भाँति बनाए जाते हैं। इसका उदाहरण पृष्ठ १४३ पर दिया गया है। इनको भी कार्ड कैविनेट के दराजों में वर्गसंख्या

के बन के अन्तर्गत सेलक कम से अधिक ५० छिंगा चाहा है। ऐसके बिट्टे घट्टे घन रहोंगे जो खरेदा द्वारा होते हैं।

प्रयोग पथ

काँडे-सूखी पदानि की रोति

गूची काँडे का एक नमना पीढ़ी दिला या जुका है और दर्ता यह भी बगावा गवा है जिसे बाट्टे ४'x१' के ढंगे है। इन गूची काँडों के बते से ३० लंबामीटर पर ४५ ग्रॅम लंगे रहते हैं। गूचीकार की उपचारकारी पर इस दैद से ऊरार की जगह तुम्हारे वर मिट्टिया तितने के लिए निष्ठी है। ये काँडे सारे और सूखदार दों प्रकार के होते हैं। ये दोनों नम्बम और भाये तीन प्रकार के बदन के होते हैं। यदि काँडों पर दाप से दिलना हो तो मध्यम बदन के सूखदार काँडों का प्रयोग किया जाया है। यदि काँडे याहर बराए बाये तो मध्यम बदन के सारे काँडे अन्तें पढ़ते हैं। इन काँडों पर दांड़े झोल दा लहा लाल रेताएं होती हैं। सूखदार काँडों पर इन पहा इन्हीं नींवी रेताएं भी होती हैं।

प्रारंभिक कार्य

गूचीकार की दिल युस्तक का गूचीकरण करना हो उससे उठा कर उसके आखरा ४२ दो व्यानारूपक पदना चाहिए और यह देतना चाहिए कि उसका सेलक थोन है। यह सेलक दिस प्रकार यह है। अगलिये सेलक है या संय सेलक आदि। इसके अधिकारीक पुस्तक की विद्यमानी पर भी इष्टि दालनी चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो छारछारी ठोंग पर पूरी पुस्तक को देता जाना चाहिए। सेलक द्वारा लिखित नूमिया, आस्तपन, चियां भी यही आंतर पुस्तक के साबन्न में सम्भविता यदि कवर ४३ पर छुरी हो तो उन्हें भी देता लेना चाहिए। इन सब सामनों से पुस्तक के विभिन्न प्रकार के संलेखों के निर्णय और निर्माण में सहायता मिलती है।

सेलक के नाम पर मुख्य संस्कृत तथा अन्य सहयोगियों के एवं आख्या और लिये के अधिकारित उक्तेत साधारण रूप से बनाना चाहिए। विशेष दंग की पुस्तकों के सुलेख गूचीकारण के विधिय नियमों के अनुसार बनाये जाते हैं।

गूचीकारण के सम्बन्ध में आगे ४० एवं ४१ फैट्लारिंग सूखे के अनुसार सुलेख बनाने वाली नर्चा की जायगी।

संलेख के भाग—संलेख के निम्नलिखित नौ अङ्ग (Items) होते हैं। इनमें से प्रत्येक को संलेख के भाग (पार्ट आफ इन्ड्री) कहते हैं :—

१ क्रामक संख्या	Call Number
२ लेखक	The Author
३ आख्या, उपाख्या	The title (including sub-title)
४ मुद्रणाङ्क	Imprint
५ पत्रादि विवरण	Collation
६ माला सम्बन्धी नोट	Series Note
७ नोट्स	Notes
८ विषय-सूची	Contents
९ संकेत या निर्देश	Tracing or Indication

इन भागों के अतिरिक्त मुख्य संलेख और शेल्फ लिस्ट के कार्ड पर पुस्तक की प्राप्तिसंख्या भी लिखी जाती है।

यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक पुस्तक के सम्बन्ध में ये सब विवरण हों, लेकिन यदि पुस्तक ऐसी हो कि उसके सम्बन्ध में इतने विवरण दिए जा सकें तो देना ही चाहिए। उदाहरणार्थ, इस पुस्तक के पृष्ठ १३७ पर मुख्य संलेख का जो उदाहरण दिया गया है, उस पुस्तक में कोई उपाख्या, सीरीज, नोट और विशेष विषय-सूची नहीं है, अतः सूचीकार्ड पर उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

कार्ड पर ये सब विवरण पाठकों को पुस्तकों की पहचान करने, उनकी स्थिति बताने और रुचि के अनुसार पुस्तकें चुनने और अध्ययन करने में सहायता प्रदान करते हैं।

ऊपर के अंगों के विषय में थोड़ा विस्तारपूर्वक जान लेना आवश्यक है।

१. क्रामक संख्या—सूची बनाने में अनेक उद्देश्यों से भिन्न-भिन्न संलेख बनाये जाते हैं। इस लिए कार्डों पर संलेख उन उद्देशों पर निर्भर करता है। सूचीकार्ड पर सब से ऊपर की पहली पड़ी रेखा शीर्षक रेखा (Heading line) कहलाती है। इसी शीर्षक लाइन के सब से बाईं ओर क्रामक संख्या लिखी जाती है। सूचीकार्ड की पहली खड़ी लाल रेखा के बाईं ओर कोने में पड़ी लाइन के ऊपर पुस्तक की वर्गसंख्या और उसके नीचे दूसरी पड़ी लाइन पर लेखक की प्रतीक संख्या लिखी जाती है।

चूंकि पुस्तकालय में पुस्तक सूची तैयार करने का मुख्य उद्देश्य पाठकों को पुस्तकों निश्चित स्थान (Location) बताना है, इस लिए सब प्रकार के संलेखों

में इच कामक संख्या का प्रथम स्थान रखा जाता है। कामक संख्या, वर्ग नंबर और लेखक संख्या या लेखक प्रतीक से मिलकर बनती है, जैसे कि पृष्ठ १३७ पर दिए गए उदाहरण में ८८१४३१ वर्ग संख्या और गुप्त /मै/सा लेखक का प्रतीक है और दोनों मिलकर ८८१४३१ गुप्त /मै/सा) कामक संख्या। यह कामक संख्या पुस्तकालय में पुस्तकों का ठीक स्थान (Exact Location) बताती है। अतः यह संख्या बित्तनी ही रही होती है, अभीष्ट पुस्तक के भिजने में उतनी ही नरलता और तुषिता होती है।

२. लेखक—लेखक का नाम दूची-कार्ड की तरफ से पहली पड़ी लाइन और पहली छड़ी लाल रेखा इन दोनों के संगम से प्रारम्भ होता है। पहली लाइन की समाप्ति पर दूसरी पड़ी लाइन और दूसरी लाल छड़ी लाइन के संगम से भी लिखा जा सकता है। इस लिए पहली छड़ी लाल रेखा को लेखक रेखा (आर्थित इन्डेशन) के नाम से पुकारते हैं।

पुस्तक का रचयिता, विस्तृत अर्थ में व्यक्ति या शासन या संस्था जो कि पुस्तक के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी हो उसे लेखक कहते हैं।

इस प्रकार वह व्यक्ति जो कि अनेक लेखकों की रचनाओं को संग्रहीत करता है वह भी उस पुस्तक का लेखक कहा जा सकता है। कोई संस्था, समाज या शासन (Corporate Body) उस प्रकाशन के लेखक के रूप में समझा जाता है जो कि उसके नाम से या उसके किनी अधिकारी के नाम से प्रकाशित हो।

इस व्याख्या में लेखक के अन्तर्गत वे अनेक उस्थाएँ और समाज तथा शासन भी आ जाते हैं जो समन्वय पर अपना प्रकाशन करते हैं।

इस प्रकार लेखक के अब मुख्य दो वर्ग हो जाते हैं :—

(क) व्यक्ति लेखक (Personal Author)

(ख) संघ लेखक (Corporate Author)

(क) व्यक्ति लेखक—पुस्तक जब एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा लिखी जाती है तो वे किसी भी देश अथवा जाति के हों, व्यक्ति लेखक की श्रेणी में आ जाते हैं। व्यक्ति लेखक के नाम पुस्तकों पर अनेक रूपों में मिलते हैं।

जैसे :—

Goldsmith, Oliver	}	अंग्रेजी नाम	—
Shakespeare, William			

जबर दिए गए अंग्रेजी नामों से स्पष्ट है कि अंग्रेज लेखकों के नाम के दो भाग होते हैं :—

(१) निजी नाम (Forename)

(२) वंशानुगत नाम (Surname)

अतः वे लेखक अपने नाम इन्हीं दोनों भागों को बिला कर लिखते हैं। इस लिए अंग्रेज लेखकों की पुस्तकों का सूचीहरण करते समय वंशानुगत नाम से प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद निजी नाम को पूर्ण रूप से या संक्षिप्त रूप से लिखा चाहिए। अच्छा तो यह है कि सभी निजी नामों के संक्षिप्त रूप ही लिखे जायें क्योंकि सब निजी नामों के पूरे नाम नहीं लिखे हुए निल पाते। कुछ में पूरा निजी नाम और कुछ में संक्षिप्त रूप देने से सूची की एकल्पता नहीं रह जाती। इस लिए अंग्रेज नामों का संलेख इस प्रकार होगा :—

Wells, H. G., आदि

यही नियम प्रायः सभी विदेशी लेखकों पर लागू होता है।

भारतीय नाम :—

उत्तर भारतीय नाम

रामचन्द्र शुक्ल

सूरदास

गुलावराय

जयशंकर प्रसाद

बंगाली नाम

सुभाषचन्द्र चोस

राधाकुमार मुकुर्जी

सुरेन्द्रनाथ दासगुप्ता

उड़िया नाम

गोदावरीश मिश्र

पश्चिम भारतीय

अनन्त सदाशिव अल्टेकर

महाराष्ट्रीय नाम

गोपाल कृष्ण गोखले

गुजराती नाम

मोहनदास करमचन्द्र गांधी

नामित नाम

र्द्दरशतमी श्रावणग
चन्द्रसेनर देकट नमन

इसा कि भारतीय नामों के दिए गये उदाहरणों से स्पष्ट है कि उनमें आपस में समानता नहीं है। 'गृहाम' में कोई वर्णानुकूल नाम नहीं है। रामनन्द शुक्ल में 'शुक्ल' शब्द नुड़ दूया है जो कि बाति को एक शारा का एनक है। गारी जी के नाम के नाथ पटिजा नाम उनका और दूसरा नाम उनके पिता का है। इसी प्रकार अन्य नामों में भी कुछ न कुछ विशेषताएँ हैं।

'८० एस० ए० रेड्जार्सिंग ह्लॉ' पुस्तक पर ७० वाँ नियम भारतीय सेवकों के संकेन बनाने के नम्बर्स में है। उसके सम्बन्ध में नरीनवर परिवर्तन इस पुस्तक में पृष्ठ १३३ पर दिया गया है।

इस रंगनाथन जी ने भारतीय नामों के सम्बन्ध में जो लोक वी है उससे पे इस निष्ठाएँ पर पढ़ूँचे हैं कि वर्तमान भारतीय हिन्दू नामों में निम्नलिखित एक या एक से अधिक वा प्रतिनिधित्व रहता है :—

१. व्यक्ति का व्यक्तिगत नाम

२. व्यक्ति के पिता का व्यक्तिगत नाम

३. स्थान का नाम, प्राच: बन्न का या पूर्वजों का निवाल; और

४. जाति या पेता सूचक पैतृक नाम, या काहे धार्मिक, शैक्षिक, सैनिक या अन्य विशेषज्ञ या पूर्वज के बन्न, निवाल स्थान।

वे सभी दणाश्रों में समानरूप से नहीं पाये जाते।

उन्नीसठी शताब्दी के मध्य के लगभग उच्चर भारत और पश्चिम भारत के हिन्दुओं के नामों में एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वे अपने नाम और नामान्त्य पद अंत्रेबीं दंग से लिप्त हो गए थे। उन्होंने पैतृक नाम को नामान्त्य पद के रूप में अपना कर और दूसरे शब्दों को सदित नामों की भाँति प्रयोग किया।

पश्चिमी भारत में पैतृक नाम दो नामों के द्वाय प्रायः प्रयुक्त किया गया। पहला नाम व्यक्तिगत और दूसरा पिता का व्यक्तिगत नाम, जिसे मोहनदास करमचन्द गांधी ने मोहनदास गांधी जी का व्यक्तिगत नाम और करमचन्द गांधी जी के पिता का नाम है। उन्नीसठी शताब्दी के मध्य तक हृषीक नाम को विशेषता देने का अभ्यास नहीं था या था। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समान व्यक्तिगत नामों को पृथक् करने के उद्देश्य को क्षोड कर दूसरा नाम अविक प्रयोग में नहीं आता या लेकिन

अब पहले के दो नामों को संक्षिप्त रूप में दे कर तीसरा नाम को महत्व देने की प्रथा सी हो गई है।

बंगाल में जाति के नाम के साथ-साथ प्रायः व्यक्तिगत नाम चलता है जो प्रायः मौलिक रूप में एक ही शब्द होता है। यह एक शब्द अब अधिकांश दशाओं में शब्द कर दो भागों में पृथक् सा हो गया है, जैसे 'रामनेहनराय' अब 'राम मोहन' लिखा जाने लगा है, 'रमेशनन्द टत्त' 'रमेश नन्द टत्त' और चितरंजनदास, सी० आर० बस। कुछ जाति नाम दोहरे भी हो गए हैं, जैसे 'राय महाशय राय चौधरी'।

दक्षिणारण भारत में (कुछ नए ढंग को छोड़ रह) व्यक्तिगत नाम के सहायक जाति या पैतृक शब्द भी लगे रहते हैं यद्यपि या तो ये पूर्ण रूप में या पृथक् शब्द के लिए में या व्यक्तिगत नाम के साथ संयुक्त रूप में उसके बाद लिखे जाते हैं जिससे वे एक शब्द से जान पड़ते हैं लेकिन इनमें कभी भी संदिक्षित रूप नहीं होता। कुछ लोग ही शब्द विलक्षण ही छोड़ देते हैं। जिस दशा में यह छोड़ दिया जाता है या व्यक्तिगत नाम के साथ लगा दिया जाता है, नाम का अंतिम शब्द व्यक्तिगत नाम हो जाता है अन्यथा उपान्त शब्द ही व्यक्तिगत नाम होता है। जो शब्द व्यक्तिगत नाम होता है उसके पहले प्रायः एक या दो शब्द और उड़े होते हैं। दक्षिण भारत के जिस भाग में व्यक्ति का सम्बन्ध रहता है वहाँ की परम्परा के अनुसार ये शब्द होते हैं। कै—
गोपाल स्वामी आयंगर

ख. संघ लेखक—इस श्रेणी के अन्तर्गत जिन्हें लेखक के रूप में स्वीकार किया जाता है, उनके सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक नियम 'ए० एल० ए० कैटलार्गिंग रुल' में दिए गए हैं। तदनुसार उनका संलेख बनाना चाहिए। इस पुस्तक में पृष्ठ १४० पर संघ लेखकों के अन्तर्गत शासन और संस्था लेखकों के उदाहरण में दिए गए हैं।

३. आख्या—पुस्तक की आख्या सूची-कार्ड की दूसरी पड़ी रेखा आ० सूची-
खड़ी रेखा के संगम से प्रारम्भ होती है और आवश्यकता पड़ने पर तीसरी खड़ी
लाइन और पहली खड़ी लाल रेखा के संगम से प्रारम्भ करके आगे लिखा जाता है।
आख्या तथा उसके साथ के अन्य विवरण तीसरी पड़ी रेखा पर समाप्त होते हैं। तो आगे लेखक रेखा से ही प्रारम्भ किया जायगा। दूसरी खड़ी लाल रेखा को आख्या
रेखा (टाइटिल इन्डेंशन) कहते हैं।

पुस्तक का नाम प्रत्येक पुस्तक के टाइटिल पेज पर छपा रहता है। आख्या
सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखना आवश्यक है :—

क—सामान्य रूप से आख्या ज्यों की त्यों पूर्ण रूप से लिखी जाय, यदि कुछ
वेकार जान पड़े तो उस स्थान पर...चिह्न बना देना चाहिए।

संस्करण

ल—यदि कोई आख्या गलत छुप गई हो तो ऐसा ! चिह्न बना देना चाहिए और कोप्ट के भीतर उसका शुद्ध रूप बढ़ा देना चाहिए।

ग—यदि एक पुस्तक दो या अधिक आख्या में छपी हो तो प्रत्येक संस्करण का अलग-अलग सलेख बनाना चाहिए और प्रत्येक पुस्तक के सलेख में दूसरे नाम का उल्लेख करना चाहिए।

जैसे :—वेचन शर्मी 'उप्र' की पुस्तक : मनुष्यानन्द, बुधुआ की बेटी।

संस्करण—यदि एक ही सेट की कई पुस्तकें हो और उनका संस्करण पृथक् हो तो शीर्षक के साथ न लिख कर नोट में लिखना चाहिए।

४. मुद्रणाङ्क—पुस्तक की आख्या और उसके संस्करण के बाद घोड़ा स्थान छोड़ कर मुद्रणाङ्क प्रारम्भ किया जाता है। मुद्रणाङ्क में तीन भाग होते हैं :—

१. प्रकाशन का स्थान २. प्रकाशक का संचित नाम और ३. प्रकाशन का वर्ष
जैसे : बनारस, साहिल कुटीर, २००० वि०

५. पत्रादि विवरण—जहाँ मुद्रणाङ्क समाप्त हो, उससे अगली पड़ी लाइन के बीचों-बीच पत्रादि विवरण लिना जाता है। पत्रादि विवरण या कॉलेशन द्वारा पुस्तक का शारीरिक विवरण दिया जाता है। अधांत पुस्तक का आकार, पृष्ठ संख्या, उसके भाग संविच है या नहीं। पुस्तक की ऊँचाई प्रायः सेंटीमीटर में लिखी जाती है।

जैसे : २६६ पृष्ठ, सचित्र, २१ सम

६. माला नोट—यदि पुस्तक किसी सीरीज की हो तो उसका उल्लेख इस भाग में किया जाता है। अगर प्रकाशक ने भागों का निर्देश किया हो तो उसे भी लिखा जाता है। जैसे :—

मुलम पुस्तक माला २६ वाँ पुण्य

७. नोट—कोई आवश्यक चात जो ऊपर के छः भागों में न आ पाई हो, उसे नोट में लिख देते हैं। इसकी आवश्यकता कुछ विशेष पुस्तकों में ही पड़ती है।

जैसे—संस्कृत के 'उक्तिव्यक्तिप्रकरण' नामक पुस्तक में दस पृष्ठों की डा० मुनीति-कुमार चट्टर्जी की भूमिका।

८. विषय-सूची—कुछ विशेष पुस्तकों में विषय-सूची देना भी आवश्यक हो जाता है जब कि उस पुस्तक के नाम से उचिती विशेषता प्रकट नहीं हो पाती। विशेष हस्त से जब कि पुस्तक कई भागों में हो तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। विषय-सूची पुस्तक में दी गई विषय-सूची के क्रम से दी जाती है। यह सूची-कार्ड की पोड पर दी जाती है।

लेखकों से सम्बन्धित नियमों में जो नवीनतम संशोधन और परिवर्तन हुए हैं, उन्हें यहाँ दिया जा रहा है :—

नवीन परिवर्तन

इस कैटलॉगिग रूल्स' में भारतीय नामों से सम्बन्धित नियमों में जो कुछ परि-
वर्तन किए गए हैं उसकी सूचना लाइब्रेरी आफ काप्रेस प्रोसेसिङ डिपार्टमेंट की 'फैट-
लोगिंग सर्विस' बुलेटिन में दिसम्बर १९५६ में प्रकाशित हुई थी। तदनुसार अब
निम्नलिखित परिवर्तन और परिवर्तन स्वीकृत किए गए हैं :—

४५.—महाराज और शासक

E. वर्तमान ४५. E को ४५. H में बदल दिया गया है।

E-F को जापानी और कोरियन शासकों के नामों के नियमों के लिए सुरक्षित
रख दिया गया है।

G—भारतीय उपमहाद्वीप के राजाओं और महाराजाओं का संलेख उनके द्विए
हुए नामों के अन्तर्गत किया जाय, या बिनके उपाधियों के द्वारा पैलोक प्रसिद्ध हों।
उनके साथ पारिवारिक नाम, गोत्र नाम, वश नाम भी दिया जाय यदि द्विए हुए नाम
के साथ अधिकार रूप से प्रयोग किया जाता हो। नुलतान, राजा, महाराजा, नवाच,
पेशवा, निजाम, टाकुर, दरबार आदि देशी शब्द जोड़ दिए जावें और स्थानीय नाम का अंग्रेजी
रूप भी, उनके भी वाचक देशी शब्द जोड़ दिए जावें और स्थानीय नाम का अंग्रेजी
रूप भी। देशी उपाधि के अभाव में उसे अंग्रेजी रूप में दिया जाय। विभिन्न प्रकार के
नामों से और पारिवारिक नामों, गोत्र या वंश जो प्रयोग में उनके नाम में आते हों,
उनमें लिंगें दिया जाए। उपाधि को भी परिवर्तित कर से दे कर उससे भी रिक्स
दिया जाए यदि आवश्यक हो। जैन :—

दौलतरावसिंधिया

न्यालियर के महाराज १८८०-१८९७

सिंधिया, दौलतराव, न्यालियर के महाराज

सिंद्या, दौलतराव

दौलतराव, सिंधिया

न्यालियर, दौलतराव सिंधिया (के महाराज)

नियम ५०.—इस नियम में निम्नलिखित अंग जोड़ दिये गए हैं :—

A. भारतीय लेखक जो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से पूर्व पैदा हुए हों, उनके

६. संकेत—सहायक संलेख और रिफ़ेंस का संकेत मुख्य संलेख के कार्ड की निचली लाइन में दिया जाता है। कुछ लोग कार्ड की पीठ पर यह संकेत देते हैं। परन्तु पाठकों की सुविधा के लिए सामने की ओर ही कार्ड की निचली लाइन पर संकेत देना अच्छा होता है।

ए० एल० ए० कैटलॉगिंग रूल्स

लेखकों और आख्यायों के विभिन्न प्रकार के संलेखों के लिए 'अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन' की ओर से प्रकाशित 'ए० एल० ए० कैटलॉगिंग रूल्स' एक प्रामाणिक पुस्तक है। इसका नवीनतम संशोधित द्वितीय संस्करण १९४८ ई० में 'अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन' शिकागो से प्रकाशित हुआ था। इसमें भूमिका भाग को ३०३-२६६ पृष्ठ हैं जो पाँच अध्यायों में विभक्त हैं।

प्रथम अध्याय में मुख्य संलेख के विकल्प (Choice) के लिए व्यक्तिगत लेखक, संयुक्त लेखक, प्रतियागिता, वातचीत, भेट, संग्रह, पत्रिकाएँ, काशा, विश्वकोश, वर्जनोध, डाइरेक्टरी, सीरीज, विशेष प्रकार की कृतियाँ, पूर्व प्रकाशन से सम्बन्धित कृतियाँ (अनुवाद आदि), अशात तथा संदिग्ध कृतियाँ आदि के सम्बन्ध में दू पृष्ठों में नियम दिए गए हैं।

दूसरे अध्याय में व्यक्तिगत लेखकों, प्राचीन और मध्यकालीन तथा प्राच्य लेखकों के सम्बन्ध में ८२ से १२५ पृष्ठों तक नियम दिए गए हैं।

तीसरे अध्याय में संस्थाएँ जो लेखक के रूप में हों, जिनमें सरकारी प्रकाशनों सामान्य संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, तथा विविव संस्थाओं के प्रकाशन आते हैं, उनके सम्बन्ध में १२६ पृष्ठों तक नियम दिए गए हैं।

चौथे अध्याय में भौगोलिक शीर्षकों के सम्बन्ध में २१५ पृष्ठ से २१६ पृष्ठों तक नियम दिए गए हैं।

पाँचवें अध्याय में सहायक संलेख और रिफ़ेंस सम्बन्धी नियम पृष्ठ २२० से २२६ तक दिए गए हैं।

इसके बाद परिशिष्ट भाग २२६ से २५० पृष्ठ तक है जिनमें पारिभाषिक शब्द तथा संक्षिप्त रूप आदि हैं और अंत में २५१ पृष्ठ से २६६ पृष्ठ तक इन्डेक्स दिया गया है।

इस प्रकार इस पुस्तक में कुल मिलाकर १५८ मुख्य धाराएँ या नियम उदाहरण सहित दिए गए हैं और उनमें से अधिकाँश के अनेक उपनियंत्रण भी हैं। यह सम्भव नहीं है कि सम्पूर्ण नियमों और उपनियमों की चर्चा यहाँ की जा सके किन्तु भारती-

लेखकों से सम्बन्धित नियमों में जो नवीनतम संयोगन और परिवर्तन हुए हैं, उन्हें चर्चा दिया जा रहा है :—

नवीन परिवर्तन

इस केटडागिंग भूत्स' में भारतीय नामों से सम्बन्धित नियमों में जो कुछ परिवर्तन किए गए हैं उसमें यज्ञना लाइटरी आद क्रेस्ट प्रोसेसिङ डिपार्टमेंट की 'केटडागिंग सर्विस' ब्रूलेटिन में दिसम्बर १९५६ में प्रकाशित हुई थी। वदनुसार अब निम्नलिखित परिवर्तन और परिवर्तन सौम्यत किए गए हैं :—

पृ५—महाराज और शारक

E. वर्तमान प५५ E को प५५ H में बदल दिया गया है ।

E-F को ज्यानी और कोरिन शारकों के नामों के नियमों के लिए सुरक्षित रूप दिया गया है ।

G—भारतीय उपमहाद्वीप के राजाओं और महाराजाओं का संलेप उनके द्विष्ट हुए नामों के अन्यर्गत किया जाय, या बिनके उपाधियों के द्वारा वे लोक प्रसिद्ध हैं। उनके साथ पारिवारिक नाम, गोव नाम, वंश नाम भी दिया जाय यदि द्विष्ट नाम के माध्य अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता हो। तुलसान, राजा, महाराजा, नवाब, पेण्डा, निजाम, ठाकुर, दरबार आदि देशी शब्द जो राजत्रय अधिकार को सूचित करते हैं, उनके भी याचक देशी शब्द जोड़ दिए जायें और स्थानीय नाम का अंग्रेजी रूप भी। देशी उगाचि के अमावस्ये में उसे अंग्रेजी रूप में दिया जाय। गिमिन प्रकार के नामों से और पारिवारिक नामों, गोव या वंश जो प्रयोग में उनके नाम में आते हों, उनमें रिकॉर्ड दिया जाय। उपाधि को भी परिवर्तित क्रम से दे कर उससे भी रिकॉर्ड दिया जाय यदि आवश्यक हो। जैन :—

दीलवरावसिंधिया

ग्वालियर के महाराज १८८०-१८२७

सिंधिया, दीलवराव, ग्वालियर के महाराज

सिंद्या, दीलवराव

दीलवराव, सिंधिया

ग्वालियर, दीलवराव सिंधिया (के महाराज)

.नियम ७२—इस नियम में निम्नलिखित अंश जोड़ दिये गए हैं :—

A. भारतीय लेखक जो उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से पूर्व पैदा हुए हों, उनके

नाम के प्रथम शब्द के अन्तर्गत संलेख बनाया जाय और अंतिम शब्द से या अन्तर्वे शब्द आवश्यक जान पड़े, उससे रिफँस दिया जाय।

जैसे :—

ईश्वर कौल ?८३३-?८६३

रिफँस के लिए

ईश्वरकौल

कौल, ईश्वर

ईश्वर कौल

(१) प्राचीन और मध्यकालीन संस्कृत लेखकों, और प्राकृतिक ग्रन्थों के लेखकों का संलेख, नाम के संस्कृत रूप के अन्तर्गत बिना किसी परिवर्तन के जाय। यदि ज्ञात हो तो नाम के देशी रूप से विभिन्न उचारणों से, और उन अन्दर में जिनसे लेखक प्रसिद्ध हो, रिफँस दिया जाय।

जैसे :—

भट्टोजि दीक्षित

रिफँस के लिए

दीक्षित, भट्टोजि

दीक्षित, भट्टोजी

आर्यभट

रिफँस के लिए

आर्यभट

आर्य भट

भट, आर्य

(२) पाली ग्रन्थों के बोद्ध लेखकों को उनके नाम के देशी रूप के संलेख बनाया जाय। यदि ज्ञात हो तो उनके नाम के संस्कृत रूप से दिया जाय।

जैसे :—

धर्मकिति १२४०-१२७५

रिफँस के लिए

धर्मकर्ति

B. वर्तमान भारतीय लेखकों के नाम का संलेख उनके नामान्त्यपद (Sunyavād) के अन्तर्गत किया जाय यदि यह नामान्त्यपद पाश्चात्य प्रयोग के अनुसार भी गया हो।

जैसे :—

मुकर्जी, राधाकमल १८८—

रिफेस के लिए

राधा कमल मुकर्जी

राधाकमल मुहरोपाध्याय

(१) यदि लेखक संयुक्त पारिवारिक नाम (Compound familyname) का प्रयोग करता हो तो उसके अन्तर्गत संलेख किया जाय और जिस भाग को संलेख के लिए न चुना गया हो, उससे रिफेस दिया जाय ।

जैसे :—

दास गुप्ता, सतीशचन्द्र १८८२—

रिफेस के लिए

गुप्ता, सतीश चन्द्र दास

सतीश चन्द्र दासगुप्ता

सतीश चन्द्र दास-गुप्ता

दासगुप्ता, सतीश चन्द्र

(१) यदि कोई लेखक अपने व्यक्तिगत नाम या उपाधि के किसी भाग को रखता है या प्रयोग करता है तो उस नाम के अन्तर्गत संलेख किया जाय और जिस नाम को संलेख शब्द के रूप में नहीं चुना गया है, उससे रिफेस दिया जाय ।
मे :—

शास्त्री, विश्ववंधु १८६१—

रिफेस के लिए

विश्ववंधु शास्त्री

विश्ववंधुशास्त्री

विश्व वंधु विद्यार्थी शास्त्री

विद्यार्थी, विश्व वंधु, शास्त्री

विद्यार्थी शास्त्री, विश्व वंधु

(C) यदि कोई वर्तमान भारतीय लेखक कोई नामान्तरपद, पाइचत्तर द्वंग से अपनाए हो तो उसके व्यक्तिगत नाम (उपाधि छोड़ कर प्रथम शब्द) के अन्तर्गत सेव किया जाय और उसी के साथ नाम में दिए गए क्रम को जोड़ दिया जाय

और अंतिम शब्द से रिफँस दिया जाय। यदि दो शब्दों से अधिक दिए गए हों तो अंतिम दो शब्दों से रिफँस दिया जाय।

जैसे :—

खु वीर
रिफँस के लिए
वीर, खु
खुवीर

दया भाई धोलशाजी १८६६-१८०९

रिफँस के लिए
धोलशाजी, दयाभाई

(D) दक्षिण भारतीय लेखकों के संलेख उनके व्यक्तिगत नाम के अन्तर्गत कि प्रायः अंतिम या उपान्त (Penultimate) शब्द है किया जाय जैसा कि लेख ग्रन्थोग किया है। यदि व्यक्तिगत नाम उपान्त शब्द हो तो अंतिम दो शब्दों को नाम के रूप में लिया जाय। नाम के अन्य भागों से रिफँस दिया जाय।

जैसे :—

रंगनाथन, शियाली रामामृत रावसाहिब १८६२—

रिफँस के लिए
शियाली रामामृत रंगनाथन राव साहिब

जैसे :—

गोपाल स्वामी आयंगर सर नरसिंह दीवान वहाडुर

१८६२—

रिफँस के लिए
आयंगर, सर, नरसिंह गोपाल स्वामी
नरसिंह गोपाल स्वामी आयंगर सर दीवान वहाडुर
आयंगर सर नरसिंह गोपाल स्वामी
गोपालस्वामी आयंगर सर नरसिंह

विभिन्न संलेखों के उदाहरण

पहुँचने का संलेख गुप्त। मै। गा	गुप्त, मैथिलीशरण साकेत, प्रथम सं०, विं	भौंसी, साहित्य सदन, १६८८ पृष्ठ ३८८
पृष्ठ ३८८	१ विषय	२ आख्या

उदाहरण १ व्यक्ति लेखक का सुल्य संलेख

पहुँचने का संलेख चैमचासा	चैमचासा 'सुमन' वथा मालिक, चौगंडकुमार साहित्य-विवेचन : हिन्दी साहित्य के विभिन्न अङ्गों का सैदानिक एवं ऐतिहासिक विश्लेषण, आचार्यनन्द- दुलारे वाजपेयी द्वारा लिखित भूमिका सहित, डिल्ली, आत्मा- राम ऐण्डसंस्च, १६५२ ई०	पृष्ठ ३५२, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा १६५२ ई० में पुस्तक
पृष्ठ ३८८	१ सं० ले०	२ आख्या ३ विषय

उदाहरण २ संयुक्त व्यक्ति लेखक का सुल्य संलेख

३३० अग्र० श्री मा	अग्रवाल, श्री नारायण तथा अन्य — भारतीय अर्थशास्त्र का परिचय, प्रथम सं० , प्रयाग, सेंट्रल बुक डिपो, १९५५ ई० ।
२३५४	१. विषय २. आख्या

उदाहरण ३ अनेक व्यक्ति लेखक का मुख्य संलेख

८६१-४३१ पंत सु क	पंत, सुमित्रानन्दन आदि (सम्पादक) — कवि भारती, चिरगाँव, साहित्य सदन, २०१० वि०
२५४६	१. आख्या २. विषय

उदाहरण ४ सम्पादक का मुख्य संलेख

२६४०१

ऋग् / ज-१

ऋग्वेद संहिता

जगदेव विद्यालंकार भाष्य०, प्र० सं०, अजमेर, आर्य
साहित्यशास्त्रालय लि०, १९८७ वि०

पृष्ठ ७६२

२६२१

१ भाष्यकार २ विषय

○

उदाहरण ५ आख्या का मुख्य संलेख

३७००७

भारत / शि / आ

भारत सरकार—रिक्षा मंचालय, नई दिल्ली

आजादी के सात वर्ष, प्रथम सं०,

दिल्ली

१६५५ | द०

पृष्ठ ३८

(मकायन सं० ११६)

२६२१०

१ आख्या

२ विषय

○

उदाहरण ६ शासन लेखक का मुख्य संलेख

३३० अग्र० श्री भा	अग्रवाल, श्री नारायण तथा वे भारतीय अर्थशास्त्र का परि सेंट्रल बुक डिपो, १९५५ ई० ।
२३५४	१. विषय २. आर ○

उदाहरण ३ अनेक व्यक्ति लेखक का मुख्य स

८६१०४३१ पंत सु क	पंत, सुमित्रानन्दन आदि (सम्पादक कवि भारती, चिर
२५४६	

०२०.७

हिन्दी सा। हि

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रथग

हिन्दी संग्रहालय : संक्षिप्त परिचय, प्र० सं०, २००५ वि०

३०२५२

१ अख्या

○

उदाहरण ७ सभा-लेखक का मुख्य संलेख

८६१.४३१

गुप्त / मे। सा

साकेत

१६८८ वि०

गुप्त, मैथिलीशरण

○

उदाहरण ८ आख्या का अतिरिक्त संलेख

नीतिक दर्शन,
नीतिशास्त्र

देखिए

उदाहरण ६ विषय का अन्तर्निर्देशी संलेख 'देखिए'

नीतिशास्त्र
वरचाल

ओर भी देखिए

उदाहरण १० विषय का अन्तर्निर्देशी संलेख 'ओर भी देखिए'

कहा ? तेवक का अन्तर्निर्देशी संलेख 'देखिए'

उत्तराः
मुद्रां च

काव्य
गुन, मैयिलीशरण
साक्षेत्, प्रथम सं०,

विं०।

पृष्ठ ३८८

କାନ୍ଦିଲ

ପ୍ରାଚୀମଣ ପ୍ରା. ମହିଳାମୂଳି

ପାତ୍ରୀ, କୋଣାର୍କ,

ଓଡ଼ିଆ, ୭୫୧୦୨୫, ୧୯୯୨

ଫୋନ୍

୨୩୮୦୦

କାନ୍ଦିଲ

ପ୍ରାଚୀମଣ ପ୍ରାଚୀମଣ ମହିଳାମୂଳି

କାନ୍ଦିଲ

ପ୍ରାଚୀମଣ

ମହିଳାମୂଳି

ପାତ୍ରୀ, କୋଣାର୍କୀ, ଓଡ଼ିଆ

୭୫୧୦୨୫

ଫୋନ୍

୨୩୮୦୦୦

୨୩୮୦୦୦

ସମ୍ପର୍କ କାନ୍ଦିଲ

डा० रंगनाथन का सूचीकरण सिद्धान्तः अनुवर्ग सूची—भारतीय पुस्तकालय आन्दोलन के जनक डा० रंगनाथन जी ने सूचीकरण के सम्बन्ध में एक विशेष टेक्निक का आविष्कार किया है। मद्रास विश्वविद्यालय में २०-२५ वर्षों के परीक्षण और लगभग २० वर्षों तक छात्रों को इस विषय को पढ़ाने के बाद वे इस निष्कर्प पर पहुँचे हैं कि पुस्तकालयों के लिए 'अनुवर्ग सूची' ही श्रेष्ठ सूची हो सकती है। उनका मत है कि कोश सूची में अनेक दोष हैं और उससे पाठकों को उतना लाभ नहीं हो सकता जितना कि अनुवर्ग सूची से होता है।

अनुवर्ग सूची की रूपरेखा—इस अनुवर्ग सूची के दो भाग होते हैं। (१) अनुवर्ग, आर (२) अनुवर्ण। अनुवर्ग भाग वर्गों का अनुसरण करने वाली विषयों की सूची होती है। अनुवर्ण भाग वर्णों का अनुसरण करने वाली सूची और विषय वर्गों का वर्णानुसारी निर्देशी होता है। इस प्रकार यह द्विभागिक अनुवर्ग सूची ऐसी हो जाती है जिसके अनुवर्ग भाग में कठर द्वारा निर्दिष्ट (ग) (ड) (च) छ तथा (ज) अंकित धर्मों की पूर्ति होती है, जब कि अनुवर्ण भाग (क) (ख) (घ) तथा कुछ अंशों तक (ज) अंकित धर्मों को पूर्ण करता है।

यह सूची चार प्रकार के संलेखों से मिल कर बनती है। इसके प्रथम भाग अर्थात् अनुवर्ग में प्रधान तथा विषयान्तर ये दो प्रकार के सलेख होते हैं और अनुवर्ण भाग में निर्देशी और नामान्तर निर्देशी ये दो सलेख होते हैं।

इन संलेखों में विषयान्तर संलेख, निर्देशी संलेख और नामान्तर निर्देशी संलेख ये तीनों अतिरिक्त संलेख कहलाते हैं।

अनुवर्ग सूची बनाने की पद्धति का पूरा विवरण डा० रंगनाथन जी के 'कलैसीफाइइंग कैटलॉग कोड' तथा उसके हिन्दी अनुवाद 'अनुवर्ग-सूची-कल्प' नामक ग्रन्थ में विस्तारपूर्वक दिया गया है। इसमें ४१३ धाराएँ हैं और लगभग १००० उदाहरण दे कर उनको समझाया गया है। अनुवर्ग सूची का अनुसरण करने के लिए कोलन वर्गोंकरण पद्धति का अपनाना जरूरी नहीं है। किसी भी वर्गोंकरण पद्धति के साथ-साथ इसके अनुसार वर्गोंकृत सूची बनाई जा सकती है।

'अनुवर्ग-सूची-कल्प' में आरंभ के आठ अध्याय ०१ से ०८ उपक्रमणिकाओं से संबंध रखते हैं। वे विषय की प्रारम्भिक जानकारी कराते हैं। उसके बाद अध्यायों का क्रम इस प्रकार है :—

अध्याय १ एक सम्पुटक पृथक् पुस्तक प्रधान संलेख

” २ पृथक् पुस्तक, विषयान्तर संलेख

” ३ पृथक् पुस्तक, निर्देशी संलेख

१ डा० रंगनाथन : अनुवर्ग-सूची-कल्प : के आधार पर

अथवा	४ पृथक् पुस्तक, नामान्तर निर्देशी संलेख
,,	५ अनेक संपुटक पृथक् पुस्तक
,,	६ सगत पुस्तक
,,	७ सामयिक प्रकाशन, सरल प्रकार
,,	८ सामयिक प्रकाशन, वटिल्प प्रकार

इन घटावों के अंतर्गत विस्तृत रूप से विभिन्न प्रकार की धाराओं को उदाहरण देकर सभी समझा गया है। इब से अन्त में एक पारिभाषिक शब्दावली भी दी गई है। यहाँ सभी प्रकार के संलेखों के विस्तृत उदाहरण स्थानाभाव के कारण नहीं दिये जा सकते और न तो संलेख के बनाने की रीतियाँ वया उनकी व्यवस्थापन विधियों को ही लगभग जो सकता है किन्तु उपर्युक्त संलेखों के कुछ मुख्य उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनसे विभिन्न प्रकार के संलेखों का बनावट और तत्सम्बन्धी नियमों का कुछ अनुमान-किंवा जा सकता है। उपर्योग जानकारी 'अनुवर्ग सूची कल्प' या 'इति सोफाइड कैलाग कोड' से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य संलेख :—

मलं १ : य ४ छ द
चतुर्वेदी (लीलापम)
धिक्षा के नवे सिद्धान्त और विभान इति

पृष्ठ १२५

प्रधान संलेख में पांच अनुच्छेद होते हैं :

१. कामक समेक
२. शीर्षक
३. आख्या
४. अधिकान वदि हो,
५. परिवहण समंक

प्रधान संलेख में विवरण व्यापक और विस्तृत बनाया जाता है और इसका निर्णय करना सरल नहीं है। (देलिए अनुवर्ग सूची कल्प पृष्ठ ८४ पर विक्रमाङ्कदेव चरित का उदाहरण)।

विषयान्तर संलेख

विषयान्तर संलेख में चार अनुच्छेद होते हैं :—

(१) विधिष्ट विषयान्तर का वर्ग समंक,

- (२) "ओर द्रष्टव्य" यह देशक पद,
 (३) विषयान्तर की आधार भूत पुस्तक का क्रामक समंक, तथा
 (४) विषयान्तर की आधार पुस्तक का शीर्षक, द्विविन्दु, उस पुस्तक की लक्ष्य
 आख्या, पूर्णविराम तथा अनुसंधान के अध्याय अथवा पृष्ठ आदि।

उदाहरण :—

ल २२५ न क १ : १ : ग ८

ओर द्रष्टव्य

द १५ : १ ग ४० : १ छ ५

विलहण : विक्रमांक देव चरित, सर्ग १-१७ तथा उपोद्घात पृ० १८-४०

अनुसंधान के अध्यायों के अनुसार इस पुस्तक के ओर भी अनेक विषयान्तर
 संलेख हो सकते हैं।

निर्देशी-संलेख

निर्देशी संलेख दो प्रकार के होते हैं :—

(१) वर्ग निर्देशी संलेख, और (२) पुस्तक निर्देशी संलेख

वर्ग निर्देशी संलेख में क्रमशः दो अनुच्छेद होते हैं :—

(१) शीर्षक (अग्रानुच्छेद); और (२) अन्तरीण तथा निर्देशी समंक

चर्ग निर्देशी संलेख जैसे :—

क्षय, फेफड़े

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिए अनुवर्ग
 भाग में सामने दिए हुए वर्ग-समंक के नीचे देखिए

द ४५ : ४२१

पुस्तक निर्देशी-संलेख जैसे :—

त्रिवस्त्रामिनी

प्रस्तुत वर्ग तथा उसके उपभेदों के ग्रन्थों के लिए अनुवर्ग
 भाग में सामने दिए हुए वर्ग समंक के नीचे देखिए

द १५२ : २ ढ द६: २५

नामान्तरनिर्देशी संलेख

यह संलेख पाँच प्रकार के होते हैं :—

१. माला-सम्पादक-संलेख
२. कल्पित-तथ्य-नाम-संलेख
३. सज्जाति-संलेख
४. आवान्तर-नाम-संलेख; और
५. पद-वैल्य-संलेख

माला-सम्पादक-संलेख जैसे :—

मङ्गलदेव शास्त्री सम्पा०

द्रष्टव्य

प्रिसेस आफ वेल्स सरस्वती भवन प्रधमाला

कल्पित-तथ्य-नाम-संलेख जैसे :—

चतुर्वेदी (मातृन लाल)

द्रष्टव्य

एक भारतीय आत्मा

पुस्तकों और सूचीकार्डों का व्यवस्थापन

दूर्जीकार नियमानुसार पुस्तकों के विभिन्न संलेख तैयार करते समय प्रत्येक पुस्तक में उससे सम्बन्धित वैशार दूर्जीकार्डों को रखता जाता है। उसके बाद उन दूर्जीकार्डों को पुस्तक से मिलान कर उसकी जाँच कर ली जाती है। यदि कुछ भूल हो तो उसको सुधार दिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक पुस्तक की पीठ पर उसे लेने लेने के लिए अंगूष्ठ लगाया जाता है और दूर्जीकार्डों को पुस्तकों में से छल्ला कर लिया जाता है। अब पुस्तकों को योहरा में और दूर्जीकार्डों को काई पैट्रिनेट में व्यवस्थित किया जाता है।

पुस्तकों का व्यवस्थापन

यांगूडूह पुस्तकों को योहरा में व्यवस्थित करने की तरफ ने अम्बी इंडिया नह है कि वे यांगूडूह पुस्तकों की सारणी के अनुसार एक कन से रखी जायें और उस कन के अन्तर्गत लेटरों का भी अक्षणादि कम रहे। ऐसे अम्बी नदी के अनुचार ००० से

• नामकरण का अर्थ यह है :—

१—प्रत्येक आवश्यकी के नाम में विचार करने के—जो अंदरकहा पड़ा होगा—उसमें सब युक्ति देने से वह आवश्यक नहीं किए जाते ।

२—प्रत्येक वस्तु को युक्ति के बाहर में उस वस्तु का पड़ा युक्ति को शालिकित करना ।

३—ही नामकरण का प्रत्येक युक्ति को इस छह उन्हें आवश्यक एवं कठ में विचार किया जाय ।

इन गीतियों की आवश्यकता कहा जाता है। लेकिन यदि सामाजिक रूप से लोड लट और नया कम रखा जाता है तो उसे 'संवित्तनम्' या 'कन्मद्व' भी कहा जाता है। इन सभीमें यही विषय उनिह हो, तथा उस प्रबन्ध का कल करना आवश्यक है।

निर्देश (गाइड)

जिन पुस्तकालयों में युवाओं आलगावी की प्रयाली होती है और पाठकों को उन्हीं पुस्तकों पर्सन्ट के अनुसार तुगने की कृपा दी जाती है, तर्हा पुस्तकों के व्यवस्थापन को बताने के लिए और किसी निशेष विषय की पुस्तकों का पता लगाने में वहीं देने के लिए कुछ पथ-प्रदर्शन (गाइड) की जगत्या जल्दी है।

यह कार्य निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है :—

१—सूचीपत्र के द्वारा, चाहे वह वर्गांकृत हो, कोशकम से हो, छपा हो, या किसी रूप में हो ।

२—क्रम-सूचक योजना, जिसके अन्तर्गत वडे अक्षरों में पूरे स्थाक को जित कर व्यवस्थित किया गया हो, उसका ग्रान हो ।

३—वर्ग-पुस्तक गाइड (Class Guide)

४—पूरी आलमारी में व्यवस्थित विषयों के निर्देश—(Tier Guide)

५—शेल्फ निर्देश (Shelf Guide) प्रत्येक स्थाने के बाहर उसमें व्यवस्थित पुस्तकों के विषय के निर्देशक कार्ड ।

६—टायिक निर्देश, विरोप टायिक की पुस्तकों के निर्देश ।

इनके अतिरिक्त कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से पाठकों का पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं और कोई छपी हुई पुस्तिका भी रखी जा सकती है जिसके अन्दर पुस्तकालय में संग-हीत सामग्री के उपयोग करने की विधियाँ और नियम आदि दिये गए हों ।

पुस्तक प्रदर्शन

बगँहुत पुस्तकों की सुली आलमारियाँ एक प्रदर्शन के समान ही हैं । इसलिए वह अच्छा हो कि पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए उनका प्रदर्शन संग्रहालय, कलाकार, दूकान आदि की भाँति सुन्दर ढंग से किया जाय । वह प्रदर्शन पोर्टर्स के द्वारा, या कुछ चुनी हुई पुस्तकों की वर्गसूचियों या कुलेटिन आदि के द्वारा अपने अच्छे दृग से पुस्तकों के प्रत्यक्ष प्रदर्शन द्वारा किया जा सकता है । आधुनिक काल में पाठकों को पुस्तकों की ओर आकर्षित करने और उनसे लाभ उठाने के लिए पुस्तक-प्रदर्शन बहुत आवश्यक है । इस आयोजन में रुचिकर विषयों की पुस्तकों को प्रधानता दी जानी चाहिए ।

सूचीकार्डों का व्यवस्थापन

सूचीकार्डों को कार्ट वैरिनेट में निश्चित नियमों के अनुसार व्यवस्थित करने की क्रिया को कार्ड व्यवस्थापन या कार्ड फाइल जैसा कहा जाता है । इस अव्याय में बताया गया है कि सूची दो प्रकार की होती है, (१) अनुवर्ण सूची, और (२) अनुवर्ण सूची । पुस्तकालय में इन दोनों सूचियों में से जिस प्रकार की सूची अननाई गई हो, उद्दनुसार इन सभ तैयार सूची कार्डों को पहले क्रम-बद्ध कर लेना चाहिए । अनुवर्ण सूची के अन्तर्गत सभी प्रकार के संलेखों को निम्नलिखित दो क्रमों में से किसी एक क्रम से क्रम-बद्ध करना चाहिए :—

(१) अक्षर प्रत्यक्ष क्रम (Letter by letter)

(२) शब्द प्रतिशब्द क्रम (Word by word)

जैसे :—

अन्तर प्रत्यक्षर क्रम

गंध
गंधक
गंधपत्र
गंधमादन
गंधवं
गंधवन्गर

शब्द प्रतिशब्द क्रम

गंध
गंधपत्र
गंधमादन
गंधक
गंधवं
गंधवन्गर

इन दोनों क्रमों में 'शब्द प्रति शब्द क्रम' अच्छा और सरल होता है। इस में एक शब्द की एक इकाई (यूनिट) मानी जाती है।

अनुवर्ण सूची

इस पुस्तक में पृष्ठ १३७ से १४२ तक दिए गए उदाहरणों के सूचीकार्डों (उदाहरण संख्या ७ को छोड़कर) अनुवर्ण सूची के लिए यदि 'शब्द प्रति शब्द क्रम' से क्रमबद्ध किया जाय तो इस प्रकार होगा :—

३३०.	अग्रवाल, शीनारायण
अग्र । श्री । भा	भारतीय अर्थशास्त्र का परिचय
२६४.१	ऋग्वेद संहिता
ऋग् । ज ।	जयदेव विद्वालंकार, भाष्यकार
८६१.४३१	काव्य
८६१.४३४	क्षेमचन्द्र 'सुमन' तथा मल्लिक, योगेन्द्रकुमार
क्षेम च । सा	साहित्य विवेचन
८६१.४३१	गुप्त, मैथिलीशरण
गुप्त । मै । सा	साकेत
—	जन्तु विज्ञान और भी देखिए
—	नीतिशास्त्र और भी देखिए
८६१.४३१	पंत, सुमित्रानंदन आदि—सम्पा०
पंत । सु । क	कवि भारती
३७०.७	भारत सरकार—शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
भारत । शि । आ	आजादी के सात वर्ष

८६१.४३१ साकेत

गुप्त। मै। सा

‘मुमन’ देखिए,

इन क्रमबद्ध काढ़ों को लेकर कार्ड उसके बाद कैविनेट में यथारथान लगाना चाहिए।

अनुबर्ण सूची के दिक्षिण से लगाए गए काढ़ों के चीच-बीच में आवश्यकता-नुसार विभिन्न अद्वारों के निर्देशक कार्ड लगा दिये जाते हैं जिससे प्रत्येक अद्वार से सम्बन्धित सूचीकार्ड एक दूसरे से पृथक् रह सके। ये निर्देशक कार्ड विविध रंग के होते हैं। इनके एक सिरे का भाग कुछ कँचा रहता है जिस पर अद्वार लिख दिए जाते हैं। इनके नीचे के भाग में भी सूचीकाढ़ों के छेद के समान ही छेद होते हैं।

अनुवर्ण सूची

यदि अनुवर्ण सूची अग्रनाहि गई हो तो सभी प्रकार के संलेखों के सूचीकाढ़ों को वगांकरण पढ़ति नै दी गई सारणीके अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। यदि किती वर्ग में अनेक सूचीकार्ड आ जायें तो उनको अद्वारादि क्रम से क्रमबद्ध कर लिया जाता है। उदाहरणार्थ ऊपर जिन सूचीकाढ़ों को अनुबर्ण सूची के लिए क्रमबद्ध करके दिलाशा गया है, यदि उन्हीं सूचीकाढ़ों को अनुवर्ण सूची के लिए क्रमबद्ध करना हो तो उनका क्रम इस प्रकार होगा :—

२६४.१ ऋग्वेद संहिता

क्रग। ज। १ जपदेव विद्यालंकार भाष्य।

३३० अग्रवाल, शीनारायण आदि

अग्र। धी। भा भारतीय अर्थशास्त्र का परिचय

३७०.७ भारत सरकार-शिल्पाविभाग, नई दिल्ली

भारत। यि। धा आजादी के सात वर्ष

८६१.४३१ गुप्त, मैथिलीशरण

गुप्त। मै। सा साकेत

८६१.४३२ पंत, सुभियानंदन आदि संपाद

पंत। सु। क कवि भारती

८६१.४३३ चैमचन्द्र ‘मुमन’ तथा मलिक, योगेन्द्रकुमार

चैम च। मा साहित्य निवेदन

अनुवर्ण सूची के लिए व्यवस्थित इन काढ़ों के बीच-बीच में आवश्यक्यनुचार निर्माण निर्देशक-कार्ड (सन्जैस्ट ग्रैड कार्ड) बाल दिए जाते हैं जिससे एक विषय से

सम्बन्धित कार्ड दूसरे विषयों के सूचीकार्डों से अलग रह सकें। ये विषय-निर्देशक कार्ड तीन प्रकार के होते हैं। मुख्य वर्गों के निर्देशक, विषय के विभागों के निर्देशक और विषय के उपविभागों के निर्देशक। इन्हें क्रमशः मेन वलास गाइड, डिविजनल गाइड और सबडिवीजनल गाइड कार्ड भी कहा जाता है। मुख्य विषय के निर्देशक कार्ड का सिरा पूरा, विषय विभागों के निर्देशक कार्डों का सिरा आधा और उपविभागों के निर्देशक कार्डों का सिरा चौथाई उभरा रहता है जिस पर तत्संबन्धी प्रतीक संख्याएँ लिख दी जाती हैं। ऊपर अनुवर्ग सूची के लिए व्यस्थित कार्डों में २६४.१ के पहले २०० धर्म का मुख्य वर्ग निर्देशक कार्ड, २६० अन्याय धर्म उपवर्ग का निर्देशक कार्ड और २६४ ब्राह्मण धर्म का विभाग निर्देशक कार्ड लगेगा और इसी प्रकार अन्य सूचीकार्डों के पहले भी तत्संबन्धी निर्देशक कार्ड लगेगे। ये निर्देशक कार्ड सूची कैवित्रे में पहले से लगाए रहते हैं और सूचीकार्ड क्रमबद्ध करने पर यथास्थान लगा दिया जाते हैं।

अनुवर्ग सूची के साथ-साथ विषय और लेखक के दो इन्डेक्स भी रखे जाते जो कि अनुवर्गसूची के पूरक होते हैं। इनका व्यवस्थापन अकारादि क्रम से होता है उदाहरणार्थ ऊपर दिए गए कार्डों को अनुवर्ग सूची में लगाया जाय तो उसके विषय और लेखक के इन्डेक्स इस प्रकार होंगे :—

विषय अनुक्रमणिका

अर्थशास्त्र	३३०
काव्य (हिन्दी)	८६१.४३१
धर्म	२०० -
नियंत्रण (हिन्दी)	८६१.४३४
वैदिक धर्म	२६४.१
शिक्षा	३७०
शिक्षा रिपोर्ट	३७०.७
समाजशास्त्र	३३०
साहित्य	८००
साहित्य (हिन्दी)	८६१.४३

लेखक अनुक्रमणिका

अग्रवाल, श्रीनारायण

भारतीय अर्थशास्त्र का परिचय

३३०

चेमचंद्र 'मुमन'	
साहित्य विवेचन	८६१-४३४
गुम, मैथिलीशरण	
सावेत	८६२-४३२
बथदेव विद्यालंकार भाष्य	
फड़वेद सहिता	८६२-४३२
पंत, नुमित्रानन्दन आदि संघा	
भवि भारती	८६१-४३१
भारत सरकार—यित्रा संचालय नई टिल्ली	
आजादी के सात वर्ष	८७० ७
मलिलक, योगेन्द्रकुमार, संयुक्त लेखक	
साहित्य विवेचन	८६१-४३१
यित्रा मंत्रालय, नई टिल्ली 'देविए'	
भारत-सरकार	८६२ ४३४
'मुमन' देखिए	
चेमचंद्र 'मुमन'	

उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए अनुवर्ग सूची के कार्ड कैविनेट की प्रत्येक दराज पर आहर लगे हुए टेबुल होल्डर में उस दराज में व्यवस्थित अद्वारों के कम कोशकम के अनुमार लिख दिया जाता है; जैसे पहली दराज पर अ-अौ, दूसरी पर क-ड आदि। अनुवर्ग सूची के कार्ड कैविनेट की प्रत्येक दराज के टेबुल होल्डर पर विषयों का निर्देश उनकी प्रतीक संख्याओं द्वारा किया जाता है, जैसे दर्शन वर्ग की दराज पर १००-१६८।

शेलफलिस्ट कार्ड

इन कार्डों का व्यवस्थापन शेलफ लिस्ट के कार्ड कैविनेट में वर्गांकरण की सारणी के अनुमार कमबद्ध करके किया जाता है। यदि किसी विषय के वर्ग, उपवर्ग वा विभाग आदि में अनेक लेखकों के सूचीकार्ड हो तो उन्हें अकारादि कम से कम बद कर दिया जाता है। शेलफलिस्ट की प्रत्येक दराज पर टेबुल होल्डर लगे रहने हैं, विषयों की प्रतीक संख्याओं को लेबुल पर लिख दिया जाता है और उसे लेबुल होल्डर में लगा दिया जाता है। इस कार्ड कैविनेट में कार्डों को व्यवस्थित करने के

सूचीकार्ड कैबिनेट के पास 'प्रयोगविधि' छोटे-छोटे बोर्ड पर लिख कर रखनी चाहिए और प्रत्येक दराज में 'इस सूची का प्रयोग कैसे करें' निर्देशक कार्ड भी लगाना चाहिए जिससे उपयोगकर्ताओं को भरपूर सहायता मिल सके।

कार्ड कैबिनेट में सूचीकार्डों का भुकाव पीछे की ओर रखना चाहिए। छड़ के हल्के हाथ से कसना चाहिये। उसकी दराजों में कभी-कभी कृमिनाशक औषधियाँ डाल देनी चाहिए। बीच-बीच में प्रत्येक दराज में व्यवस्थित कार्डों की जाँच करते रहना चाहिए। यदि कार्ड कहीं बेतरतीब हो गये हों तो उन्हें फिर ठीक कर देना चाहिए।



पाठकों द्वारा कार्ड-सूची का उपयोग

अध्याय ११

अनुलय सेवा (रिफ़ेस सर्विस)

इति पुस्तक के निष्ठुते अध्यायों में पुस्तकालय-विज्ञान की पृष्ठभूमि, पुस्तकालय-विज्ञान की लंबरेता, पुस्तकालय-विज्ञान का चेप, पुस्तकालय-भवन, पुस्तकालय कर्मचारी, प्रान्तीचर और निटिंग, पुस्तकों का नुनाय, पुस्तकों की प्राप्ति और उनका नस्ताय, पुस्तक-दर्शकों करण और दूजीकरण का संक्षिप्त विवेचन किया गया है। तदनुसार इनारे दामने पुस्तकालय या एक ऐसा चित्र उपस्थित हो जाता है जिसमें वैज्ञानिक नियम से पुस्तकालय-सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकों बदन भवन (स्टैक रूम) में पहुँच जाती है। अब उनका उपयोग अधिक से अधिक कैसे हो, इस पर विचार करना है। लेदिन इससे पहले यह उनित होगा कि आयुनिक पुस्तकालयों में पुस्तकालय-भवनों को सख्त और आकर्क बनाने वाले कुछ अन्य विभागों की (जैसे- अनुलयनेवा विभाग, बाल विभाग तथा समाचारपत्र और पत्रिका विभाग आदि) भी एक नविकृत रूपरेणा प्रस्तुत की जाय। उसके बाद इन सभी विभागों में संग्रहीत सामग्री के उपयोग पर विचार करना अधिक व्यायामगत होगा। अल्प, अब इस अध्याय में अनुलयसेवा के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

आवश्यकता

पुस्तकालय में संगठन, प्रशासन, अर्थ-व्यवस्था, तथा पुस्तकों की वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था चाहे कितनी ही पूर्ण और सरोपजनक क्यों न हो, किन्तु यदि संग्रहीत सामग्री का उचित उपयोग नहीं हो पाता तो पुस्तकालय-सेवा सख्त नहीं कही जा सकती। आब का युग समस्याओं का युग है और प्रत्येक समस्या इतनी जटिल है कि प्रत्येक पाठक से यह आराया करना कि वह स्वयं सभी समस्याओं से सम्बन्धित खूचनाएँ एकत्रित एवं प्राप्त कर लेगा, व्यर्थ है। दूसरी बात यह भी है कि पुस्तकालयों में शान की अनन्त सामग्री पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य रूपों में मौजूद है लेकिन उनमें यह शक्ति नहीं है कि वे पाठकों को स्वयं अपनी ओर बुला सकें, उन्हें आहुत्य कर सकें। इसलिए समाचारपत्रों में खूचना प्रकाशित करके, पुस्तकों से सम्बन्धित लेख लिख कर, जन सभाओं में व्याख्यान दे कर, विद्यार्थी द्वारा पुस्तकालय सम्बन्धी भाषण दिला कर, संस्थाओं में जाकर, लोगों से भिल कर, और पुस्तक प्रदर्शनी

तथा अन्य परिचयां कर के पहले तो पाठकों को पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद समर्त टेक्निकल और यांत्रिक सहायताओं के होते हुए भी पाठकों को एक अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता प्रतीत होती है जो उनके और अध्ययन सामग्री के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करा सके। पुस्तकालय-विज्ञान के अन्तर्गत इस सहायता को अनुलयसेवा या रिफ़ेंस सर्विस कहा जाता है।

परिभाषा : प्रृष्ठभूमि

प्रत्येक नवीन प्रयोगों की भाँति रिफ़ेंस सर्विस का विकास भी क्रमिक रहा है। आज से सौ वर्ष पूर्व जब पुस्तकालय आन्दोलन का मूल्रपात हुआ, उस समय रिफ़ेंस सर्विस नाम का कोई विचार पुस्तकालय-क्लॉब में नहीं था। विभिन्न पुरालेखों के अध्ययन से वह ज्ञात होता है कि सर्व प्रथम विशेष हैजेल-टाइन और रिचार्ड्सन महोदयों ने इस शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार रिफ़ेंस सर्विस का अर्थ पुस्तकालय भवन के अन्दर पाठकों को केवल अध्ययन में सहायता पहुँचाना ही था। जैसे-जैसे ज्ञान में वृद्धि होती गई, विचारों में परिवर्तन आता गया और पठन-सामग्री का बढ़ाव होता गया, तदनुसार पाठकों की कठिनाइयाँ भी बढ़ती गईं और सामग्री की खोज भी जटिल होती गई। इसी समय पर पुस्तकालय-कर्मचारियों को वह अनुभव हुआ कि विना रिफ़ेंस सर्विस की व्यवस्था के पुस्तकालय का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह विचार प्राचीन विचारों के आधार पर नहीं था किन्तु इसके द्वारा रिफ़ेंस सर्विस के क्लॉब में पर्याप्त परिवर्तन हो गया। पुस्तकालय-विज्ञान के प्रथम नियम के अन्तर्गत 'पुस्तकें उपयोग के लिए हैं' रिफ़ेंस सर्विस का अर्थ^१ "सहानुभूतिपूर्ण ढंग से अध्ययन और अनुसंधान के लिए पुस्तकालय की संगणीत सामग्री की व्याख्या (Interpret) करके सूचनात्मक ढंग से वैयक्तिक सहायता प्रदान करना हो गवा। यह सहायता पठन-सामग्री को घर पर उपयोग के लिए प्रदान करने से सर्वथा भिन्न है। वर्तमान समय में इसका अर्थ इतना व्यापक हो गया है कि मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना प्रदान करना भी इसके अन्तर्गत आ जाता है। इस क्रिया ने सामाजिक जीवन में पुस्तकालयों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने में विशेष सहायता दी है।

सिद्धान्त

पाठक, उनकी समस्याओं, समस्याओं का हल और सूचनार्थ प्रेपित सामग्री रिफ़ेंस सर्विस के मुख्य अङ्ग हैं। इनमें सामंजस्य लाने के लिए पाठकों और उनकी समस्याओं

^१ "Sympathetic and informal personal aid in interpreting library collections for study and research." J. I. Wyer.

अनुलय सेवा (रिफ़ेस सर्विस)

को सहानुभूतिपूर्ण दंग से समरूपा अत्यन्त आवश्यक होता है। उसके बाद उन समस्याओं के दूल में सहायता पहुँचाने के लिए उचित सामग्री, समय और दंग (Manner) का ध्यान रखते हुए प्रत्युत करना अनुलयसेवा प्रदान करने वाले व्यक्ति का मुख्य कर्तव्य है। सेवा प्रदान करने में मानवता और सहानुभूति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अर्थ, ज्ञेव और परिभाषा में मतवैभिन्न्य होने के कारण आनायों ने समय-समय पर इस सेवा की कार्यप्रणाली और उसकी सकलता पर संदेह प्रकट किया है। किस प्रकार के पाठक को किस प्रकार की सेवा की आवश्यकता है, उसके लिए वितना समय प्रदान करना चाहिए? किस पाठक को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसकी उपेक्षा की जानी चाहिए? तथा किस प्रकार की दूजना प्रदान करनी चाहिए? आदि यिष्यों पर सभी आचार्य आज तक एकमत नहीं हो सके हैं। किर भी डा० रंगनाथन के कथन में पर्याप्त सत्यता का आभास मिलता है कि पुस्तकालय-संस्था आधुनिक प्रजातंत्र की देन होने के कारण व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता देने का विचार इस सेवा के अत्यर्गत आना ही नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समान दूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। उसके अनुसार रिफ़ेस सर्विस पुस्तकालय के कर्मचारियों को मानवता द्वारा सौंपा गया एक पुराण कर्तव्य है जिसमें वे प्रत्येक पाठक को मानवों गुणों के विकास के लिये व्यक्तिगत सहायता प्रदान करते हैं। दंग, समय और सामग्री आदि इस कार्य में जावक नहीं, सहायक होने चाहिए।

स्थान-निर्धारण (Location)

उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर यह स्टड हो जाता है कि रिफ़ेस सर्विस वह महान्यपूर्ण क्रिया है जिसके चारों ओर पुस्तकालय का प्रत्येक विभाग इस क्रिया की सहजता के लिए उत्तरदायी है। अतः रिफ़ेस विभाग पुस्तकालय में ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहाँ से अन्य विभागों से इसका संधार समर्क स्थापित हो सके। पुस्तकालय-भवन के केन्द्रस्थल पर यह स्थित हो तो अधिक सुविधाजनक होंगा। सिद्धान्तवतः यदि पुस्तकालय भवन एकमंजिला है तो इस विभाग को प्रवेश द्वार की ओर में निर्माण ही होना चाहिए। यदि भवन कई मंजिलों का है तो निचली मंजिल में ही इसकी स्थापना होनी चाहिए इसके लिया जानु (Inquirer) के समर की बचत ही इस विभाग के स्थान-निर्धारण का आधार भूत किया जाना चाहिए।

फर्नीचर और फिटिंग

फर्नीचर और सिटिंग के सम्बन्ध में कार्य की अर्कमेयदा को दूर करके गति प्रदान करने वाली सभी सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए। अतः इस विभाग में शेल्स, दुसिंगा, बेबे, प्रदर्शनाधारिकाएँ (Display Trolleys), रिफ़ेस डेस्क, बैर्टिंग

फाइलें, तथा हवा और प्रकाश का प्रवन्ध सभी अन्य विभागों से विशेष प्रकार का होगा। इस विभाग की शेल्फ स्टैकर्लम या वाचनालय की शेल्फ से आधा फुट से ले कर एक फुट तक कम ऊँची होनी चाहिए। उनकी गहराई भी दो इंच से ले कर चार इंच तक अधिक होनी चाहिए। संदर्भ ग्रंथों को सुविधाजनक ढंग से रखने के लिए विशेष प्रकार के स्टीलबुक सपोर्टर प्रयोग किए किए जाने चाहिए जिससे मोटी और भारी पुस्तकें सुरक्षित रह सकें। वाचनालय की कुर्सियों की अपेक्षा इस विभाग में कुर्सियाँ कम शारामदायक, सीधी और बिना बाँह की होनी चाहिए क्योंकि जिजासु व्यक्ति इस विभाग में जम कर देर तक नहीं बैठते। इस विभाग की मेजें छोटी और प्रत्येक व्यक्ति के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। इस विभाग में उपयोग की गई पुस्तकों को पाठक या तो अपनी मेज पर ही छोड़ देते हैं अथवा सम्बन्धित शेल्फ के सामने लगी हुई एक फुट चौड़ाई की मेजनुमा लकड़ी के आधार पर रख देते हैं। इससे उन पुस्तकों के व्यवस्थापन में सुविधा होती है। यदि पुस्तकों के शेल्फ दीवारों में चारों ओर लगे हों तो प्रदर्शनाधारिकाएँ चारों कोनों पर या मध्य-भाग में रख दी जाती हैं। अन्यथा ऐसे स्थान पर रख दी जाती है जहाँ सरलतापूर्वक देखी जा सकें। इस विभाग की समस्त क्रियाओं का संचालन केन्द्र उसकी रिफ्रेंस डेस्क है जहाँ पर रिफ्रेंस लाइब्रेरियन समस्त उपयोगी उपकरणों (Tools) के साथ इस प्रकार कार्य-व्यस्त रहता है जैसे किसी टेलीफोन विभाग का आपरेटर। अतः इस डेस्क को विभाग के प्रवेश द्वार के समीप ही इस ढंग से रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक जिजासु की दृष्टि सबसे पहले इसी डेस्क पर पड़े और साथ ही रिफ्रेंस लाइब्रेरियन विभाग की देख-रेख भी कर सके। इसकी ऊँचाई ३ फीट से ४ फीट तक की होनी चाहिए। इसकी बनावट अद्वैत गोलाकार हो और ऊपरी तरहते की चौड़ाई १ फुट से लेकर १५ फिट तक हो जिस पर रिफ्रेंस की पुस्तकें और टेलीफोन तथा जिजासा-पत्रक (इन्क्वायरी कार्ड्स) रखे जा सकें। कटिङ्गस और क्लीपिंगस, सामायिक पुस्तिकाएँ, इक्सटैक्ट्स, रिप्रिंट्स आदि सामग्री को वैज्ञानिक और सुविधापूर्ण ढंग से रखने के लिए इस विभाग में वर्टिकल फाइल्स का होना अत्यन्त आवश्यक है जिनमें विषय-क्रम से इन सब सामग्री का विशेष इन्डेक्स और सूची रखी जा सके। चूँकि इस विभाग में दीवार के चारों ओर पुस्तकों की शेल्फ रहेंगी, अतः इसमें खिड़कियों की व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसलिए प्रकाश के लिए प्रत्येक शेल्फ पर फ्लोरेंट बारलाइट का प्रबन्ध होना चाहिए।

प्रवेश द्वार के बाहर और भीतर, विभाग के बीचों-बीच और रिफ्रेंस डेस्क पर सामान्य रूप से प्रकाश का प्रबन्ध होना चाहिए। प्रकाश के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखने के योग्य बात यह है कि आँखों में चकाचौंध पैदा करने वाला न हो। आकर्षक

और आरम्भादर (Smooth) प्रदर्शन अधिक सामान्यक होता है। लिटकियों के अभाव में तथा इसार वेटिलेशन इनडेहास्ट्रीज का प्रबन्ध होना चाहिए।

रिफ़ेरेंस सामग्री

रिफ़ेरेंस कार्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) असुरु अनुलेप सेवा Ready Reference Service, और

(२) अनाप्स अनुलेप सेवा Long Range Reference Service

(१) प्रश्नुरु अनुलेप सेवा में रिफ़ेरेंस पुस्तकों के द्वाया अभीष्ट घूचना शीघ्रता से प्रसुत वाली बाती है। ऐसी घूचनाओं की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित पुस्तकों साथारण्यतः उपयोगी होती है :—

(क) कौश—इनमें प्रश्नियत सामग्री को बोधगम्य रूप में समित करने वी समवा होता है और यह अद्यते और रान्डो से सम्बन्धित होते हैं।

(ख) विवरकोश—प्रत्येक विषय पर कुछ विस्तृत रूप ने ठोस सामग्री प्रस्तुत करते हैं।

(ग) एटलस, मानवित्र, गजेटियर्स—ये विवरणात्मक घूचनाओं की अपेक्षा चित्रों के रूप में घूचना प्रस्तुत करते हैं।

(घ) विल्योग्रीफीज—यह एक प्रकार की मध्यस्थ या पर्यन्तिरेक पुस्तक होती है जिनके द्वाया पठन-कामग्री उठ पहुँचा जा सकता है।

(ङ) वर्षबोध—सामरिक प्रगति और घटनाओं से सम्बन्धित घूचनाओं की चारणी और चर्क (Tabloid form) के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

(च) हाइरेक्टरो—अन्य पुस्तकों की अपेक्षा ये ही रिफ़ेरेंस पुस्तक के वास्तविक उद्द्याहरण हो सकती हैं। प्रत्येक रिफ़ेरेंस विमाग के लिए यह अनिवार्य सामग्री है जिसके द्वाया सामरिक और स्थायी सभी प्रकार की घूचनाएँ भिना समय नह किए प्राप्त हो जाती हैं।

(छ) इन्डेक्स—ये सामरिक रिफ़ेरेंस सामग्री के किसी भी उपयोगी स्रोत तक पहुँचने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हैं।

(ज) सूचियाँ—अन्य पुस्तकालयों की संदर्भीत सामग्री, स्थान-निर्धारण, और उनकी प्राप्ति के साधन हैं और साथ ही विल्योग्रीफी के पूरक भी हैं।

(२) व्याप्त अनुलेपसेवा में घूचनाओं का प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत अनुलेपसेवा की अपेक्षा कुछ अधिक समय लेता है। सूचनाओं की खोज के लिए पुस्तकालय के

समस्त साधनों का सहारा लेना पड़ता है जिसमें कभी-कभी कई दिन और सप्ताह भी लग सकते हैं। ऐसी दशा में किन्हीं विशिष्ट पुस्तकों को ही इसके अन्तर्गत नहीं गिनाया जा सकता। इसके लिए बहुत समय, अत्यधिक पुस्तकें तथा वोर परिम और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस अनुलय सेवा को सिद्धि का लिए अनेक साधन जुटाने पड़ते हैं। कभी-कभी विभिन्न ग्रन्थों और पत्र-पत्रिकाओं में गहरी छानबीन के बाद कुछ उपयोगी सामग्री हाथ लग पाती है। जो पुस्तकें अपने यहाँ नहीं होतीं उनको दूसरे पुस्तकालयों से मँगाना पड़ता है और कभी-कभी तो उस विषय के विशेषज्ञों से भी परामर्श करने की नौबत आ जाती है। फिर भी व्याप्त अनुलय सेवा ही महत्वपूर्ण सेवा है और पुस्तकालय का सम्मान इसी पर निर्भर करता है। सूचनाओं के उत्तरों का लेखा संदर्भ के लिए रख लिया जाता है और उनका उचित इन्डेक्स बना लिया जाता है। उसी प्रकार की जिज्ञासाओं (Enquiries) की पुनरावृत्ति पर यह लिखित और इन्डेक्स किए गए साधन उस समय प्रस्तुत अनुलय सेवा का कार्य करते हैं। साधारणतः विद्वत् मंडलियों के प्रकाशन, सीरियल प्रकाशन, सरकारी आलेख, स्थानीय इतिहास से सम्बन्धित प्रकाशन, सर्वेक्षण, और रिपोर्ट आदि भी इस दिशा में सहायक होते हैं।

सामग्री की व्यवस्था

रिफ़ेस सर्विस की यह विविध सामग्री रिफ़ेस विभाग में वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित की जाती है। प्रायः यह विभाग एक कक्ष में होता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, इस कमर में चारों ओर पुस्तकों के शेल्फ बने होते हैं। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही सामने वाली दीवार पर लगी हुई शेल्फ में प्रायः विश्वकोश, और विद्वियों-ग्रन्थी के ग्रन्थ रखे जाते हैं। प्रदर्शनाधारों पर, जो शेल्फ के दोनों कोनों के समीप रखे जाते हैं, सामयिक पत्रिकाएँ, और तत्कालीन रुचि से सम्बन्धित विषयों की पुस्तकें रखी जाती हैं। बाईं ओर की शेल्फ में ऐटलस और गजेटियर्स रखे जाते हैं। उनके नीचे सरकारी आलेख और अन्य सभा समितियों या विद्वत् मंडलियों के प्रकाशन व्यवस्थित किए जाते हैं। इसी शेल्फ के सब से नीचे मानचित्रों की आधुनिक ढंग से रखने की व्यवस्था की जाती है। बाईं ओर की शेल्फ में वर्षबोध, तथा अन्य वार्षिक प्रकाशन, सीरियल प्रकाशन—जो कि पुस्तकें नहीं हैं बल्कि उपकरण हैं—आदि रखे जाते हैं। सबसे नीचे स्थानीय इतिहास से सम्बन्धित और अन्य विषयों के ग्रन्थ रखे जाते हैं। इन शेल्फों के तिरों पर सुविधानुसार वर्टिकल फाइल्स, विशेष सूचियाँ और प्रश्नों के दिए उत्तरों के लेखे (जो प्रायः काढ़ों पर रखे जाते हैं) व्यवस्थित किए जाते हैं।

इस विभाग में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थापन रिफ़ेस डेस्क का होता है। इस

डेस्क की कार्य मुद्रित पर ही इस विभाग की सफलता निर्भर होती है। इस अर्थ-गोलानार डेस्क के बाइं और स्टील बुक सपोर्टर में वर्तमान वर्ष के वर्ष वध, डाइरेक्टरों तथा अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकालयों को मुद्रित सूचियाँ रखी जाती है। इसके साहिनी और प्रान्तिक बोश, एक ही भाग का कोई विश्वकोश, स्थानीय बनि से सम्बन्धित डाइरेक्टरीब, (जिन विषयों पर अधिक ते अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है) सामग्रिक पत्रिकाओं की निर्देशिकाएँ, आदि रखी जाती है। इन सब प्रन्थों के व्यवस्थापन का एक अपना हंग है। स्टील बुक सपोर्टरों के सहारे ये सब ग्रंथ उल्ट कर इस दंग से रखे जाते हैं कि उनके पृष्ठ भाग का ऊपरी हिस्सा नीचे वी ढंग रहता है और खुलने वाला भाग बाहर की ओर रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ग्रन्थों को उठाने और खुलने में शीघ्रता और समय की बचत हो। इस डेस्क के बीच में टेलीफोन का होना अत्यन्त आवश्यक है। टेलीफोन रद्दित रिफ़ेन सिभाग अपूर्ण रहता है। टेलीफोन की बाइं और स्टेनग्राफ़ी रखी रहती है और दाहिनी ओर एक ट्रैमें स्टैणडर्ड कार्ड रखे रहते हैं जिन पर प्रश्नों से सम्बन्धित समस्त विवरण संक्षिप्त रूप में अंकित किये जाते हैं।

रिफ़ेन विभाग के कर्मचारी

इत विभाग में कम से कम चार कर्मचारियों का होना आवश्यक है। एक रिफ़ेन-लाइब्रेरियन, दो रिफ़ेन सहायक और एक चपरासी। रिफ़ेन लाइब्रेरियन इस विभाग का प्रमुख वर्कर होता है। दा० रंगनाथन का कहना है कि ‘रिफ़ेन लाइब्रेरियन में पाठकों को सहायता पहुँचाने की सदिच्छा होनी चाहिए, सफल होने की हड्ड धारणा होनी चाहिए और सख्त तथा अवैरता से अकुपित अध्यवसाय होना चाहिए। यदि ये गुण विद्यमान रहे तो वह आवश्यक शक्ति, बुद्धि तथा अवसर अवश्य प्राप्त कर लेगा। वह यह भला भाँति समझ लेगा कि पाठक किस विधिए विषय को चाहता है और सौन सा विशिष्ट ग्रंथ उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। उसका कर्तव्य है कि वह आगर पाठकों से यादगापूर्वक अरनत्य प्रकट करते हुए उसकी इच्छाओं को समझे। वह जाने कि पाठक किस विषय पर क्या जानकारी चाहता है। उसके बाद वह ऐसी रीति से उसकी सहायता करे कि पाठक का समय नष्ट न हो और वह संतुष्ट हो। सके।’

लेकिन ऐसा करना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए यहुत यही तैयारी की जरूरत होती है। रिफ़ेन लाइब्रेरियन को चाहिए कि वह अन्ये विभाग में संग्रहीत सभी प्राचीन ग्रन्थों तथा अन्य सामग्रियों से परिचित हो। सभी पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि ज्ञो-ज्ञो आती जाँच, उन सब को ध्यानपूर्वक पढ़वा रहे और ऐसा करते उम्मण धह-

अपने मर्सियक को दो भागों में बाट ले। एक में तो अश्वयम के विषय और सूचना इकट्ठी ही और दूसरे में वह यह सोच छह कि यह सामग्री किन पाठकों के उपयोग लिए अन्वयी होगी, उनको रखता है। ऐसा करने-करते कुछ उनके बाद उसका मतली पाठकों की सच्ची अनुलय नेवा कर लेंगा।

रिफँस लाइब्रेरियन विज्ञान-विज्ञानों में पढ़ले उनके प्रश्नों को तुनता है। वह ये प्रश्न प्रस्तुत अनुलय सेवा ने सम्बन्धित हैं तो उनके उत्तर वह स्वयं ही दे देता है यदि वे प्रश्न व्यापक अनुलय सेवा के अन्तर्गत आते हैं तो वह उनको स्टैण्डर्ड पर नोट कर लेता है जिससे भविष्य में उनके उत्तर खोज कर दिए जा सकें।

सामारण्यतः प्रत्येक वैयक्तिक सहायता रिफँस लाइब्रेरियन ही प्रदान करता है। यहन्तु अन्य सहायताओं को भी इस विश्वा में सुधारित करने के दिनार से वह रिफँस डेल पर समय-गमय पर उनकी नियुक्ति करता रहता है। इसके अतिरिक्त कार्य विभाग, आवश्यक पुस्तकों का चुनाव, पुस्तकालय के अन्य विभागों से सम्पर्क, आदि कार्य भी रिफँस लाइब्रेरियन के द्वारा सम्पन्न होते हैं।

रिफँस सहायक को भी उन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है जो रिफँस लाइब्रेरियन के लिए आवश्यक हैं। सब से महत्त्वपूर्ण गुण जिस पर अधिक वर्त दिया जाता चाहिए वह यह है कि उन्हें किसी भी प्रकार के कार्य से हिचक नहीं होनी चाहिए। अत्येक प्रकार के कार्य के लिए उन्हें सदैव तत्त्वर रहना चाहिए इसी में उनकी संज्ञिता तथा उन्नति निर्भर है। बहाँ तक उनके कार्य का सम्बन्ध है वह तो रिफँस लाइब्रेरियन के द्वारा ही निर्धारित किया जायगा, किंतु भी सामूहिक रूप से जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए सामग्री एवं सूचना की खोज में वैयक्तिक सहायता करना सर्वप्रथम कर्त्ता है। इसके अन्तर्गत रिफँस पुस्तकों का स्थान-निधारण, सूचियों का अवलोकन, इडेन्टिफँसन, प्रश्नों के उत्तरों का लेखन और जिज्ञासुओं के अनुरोध पर प्रतिलिपिकरण आदि कार्य आ जाते हैं। ऐसे कर्मचारियों के चुनाव में अधिकारियों के विशेष धूर-खाने योग्य बात यह होनी चाहिए कि सम्भावित आवेदक किसी भी एक विषय में वारंगत हो और अन्य विषयों में भी उसको पर्याप्त ज्ञान हो।

इस विभाग के चपरासी अथवा जेनीटर को भी शिक्षित होना अत्यावश्यक है। उसको सुसंस्कृत बनाने के लिए समय-समय पर रिफँस लाइब्रेरियन तथा रिफँस लॉब्यकों को उसके कार्य में सहायता पहुँचानी चाहिए जिससे वह इन लोगों से किंवद्दन और व्यवहार और व्यवस्थित कार्यप्रणाली की प्रेरणा प्राप्त कर सकें। विभाग का लोकन और बन्द करना, फर्स, शेल्फ और पुस्तकों आदि की सफाई तथा प्रवेश द्वारा बैठ कर आगन्तुकों का स्वागत तथा उनके सामान की देख भाल (जिसे वे बाहर

कोइ देंगे) तथा आने-जाने कालो पर इहि राना धारि कार्य उनके द्वारा ही होते हैं।

जिज्ञासाएँ, उनका समाधान तथा लेखा रखना

रिफैस विभाग ने जिज्ञासाएँ तीन प्रकार से प्राप्त की जाती है :—

१—व्यक्तिगत

२—टेलीफोन द्वारा

३—डाक द्वारा

बस्त नगरां और दूसरों में प्राप्त टेलीफोन और डाक द्वारा प्राप्त की गई जिज्ञासाओं की नस्बा व्यक्तिगत जिज्ञासाओं की अपेक्षा अधिक होती है। व्यक्तिगत जिज्ञासाएँ उन विभाग के कर्मचारियों के लिए अधिक बढ़िलगा उत्तम नहीं करती क्योंकि उनके समाधान में विभागीय कर्मचारी द्वारा जिज्ञासु व्यक्ति दोनों का सहयोग समिलित रहता है। केवल उन जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में कुछ कठिनाई प्रतीत होती है कि हिन्दू जिज्ञासु व्यक्ति उचित दफ्तर से या तो प्रस्तुत नहीं कर पाने या उनकी अभिभवकि नहीं हो पाती। ऐसी दशा में रिफैस सहायता की कार्यकुर्यालगा, उनका जान, मनोवैज्ञानिक व्यवहार, तथा सहानुभूतिपूर्ण विचारविनिमय ही अनिष्ट सूचना प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं।

दाक द्वारा प्राप्त जिज्ञासाओं को रिफैस लाइब्रेरियन दो दफ्तर से छाड़ लेता है। या तो जिज्ञासु व्यक्तियों के नाम के अन्यायिक कम से अधिक विषय के अनुसार। वह इन्हाँ ये जिज्ञासाएँ रिफैस सहायता की सूचना की लोज के लिए सौंप दी जाती है। सूचना प्राप्ति पर रिफैस लाइब्रेरियन उनके उचित उचर या तो स्वयं लिख देता है अथवा किसी सहायक के द्वारा लिखवा देता है जो डाक द्वारा तत्सम्बन्धित व्यक्ति को मेज दिये जाने हैं।

जहाँ तक टेलीफोन द्वारा प्राप्त जिज्ञासाओं का सम्बन्ध है, उनकी समाधान विधि उपर्युक्त जिज्ञासाओं से कुछ भिन्न है। टेलीफोन पर प्राप्त हुए प्रत्येक जिज्ञासा को रिफैस लाइब्रेरियन ५" X ३" के कार्ड पर तुरन्त नोट कर लेता है और साथ में जिज्ञासु व्यक्ति का नाम तथा टेलीफोन नम्बर भी अंकित कर लेता है जिससे उचर देने में सुनिया होती है।

इस सम्बन्ध में यह कह देना अत्यावश्यक है कि पथ लेखन-कला तथा टेलीफोन पर वाचांलाप का दफ्तर अत्यन्त शिष्ट, पर्याप्त सद्विस और संतोषप्रद होना चाहिए।

अनुलय सेवा का लेखा तथा उपयोग

रिफ़ेंस विभाग में आई हुई प्रत्येह विश्वासा का लेखा रखना, कार्यक्रमता के दृष्टिकोण से केवल आवश्यक ही नहीं मुनिभागूर्ण भी है। विश्वासाओं की किसी न किसी ढांड में पुनरावृति होने की प्रयोग सम्भालना चाही है। कर्भा-कर्भा उसी प्रकार की या उसने भिलती-बुलती विश्वासाएँ भी प्रयोग मात्रा में प्राप्त की जाती हैं। साथ ही उभी विश्वासाएँ सरल और सुगम नहीं हुआ करती। इन वातों को ध्यान में रखते हुए उनका लेखा रखना, उनका इन्डेक्स बनाना तथा उनकी सूची तैयार करना इस विभाग का अनिवार्य और महत्वागूर्ण कार्य है।

जितने पाठकों को जितने प्रश्नों के रूप में जो अनुलय सेवा प्रदान को जाव, उनमें सेवा का प्रकार कोई भी हो, जानकारी कहीं से भी प्राप्त की गई हो; किन्तु उनका लेखा ५"×३" के कार्ड पर लिख लेना चाहिए। कार्ड पर पहली शीर्षक रेखा पर विषय का नाम, उसके नीचे की लाइन पर उस विषय की वर्गसंख्या, उसके बाद^२ लाइन पर उस प्रश्न का दिया गया उत्तर या सूची की हुई जानकारी। सब से अन्त लाइन पर, कामक रांख्या, शीर्षक, टाइटल, तथा उत्तर अथवा जानकारी के बोत सम्बन्धित पृष्ठ लिखना चाहिए। ऐसे कार्डों को भली भाँति क्रमबद्ध करके कार्ड कैबिनी दराज में सुरक्षित रखते रहना चाहिए। भविष्य में इनके आधार पर अनेक पाठ को बड़ी सरलता से उनकी वातों का उत्तर दिया जा सकेगा।

इस प्रकार की अनुलय सेवा करते हुए अधिक दिनों के अनुभव के बाद अने प्रकार से लेखा रखने की आवश्यकता पड़ी और एक बड़ा ज्ञान कोश मुद्दी में मोदू रहेगा। इस कार्ड-सूची की समय समय पर जोँच करते रहना चाहिए और अस्था महत्व की सूचनाओं को छाँट देना चाहिए जिससे सूची का आकार नियन्त्रित रख जा सके।

इस प्रकार से सुव्यवस्थित और कर्तव्यपरायण रिफ़ेंस विभाग न केवल समाज की बौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा अपितु सामाजिक जीवन में पुस्तकालय सेवा के स्थान को महत्वपूर्ण बनाते हुए अनिवार्य और सुदृढ़ करेगा।

अध्याय १२

बाल विभाग

पृष्ठभूमि

आधुनिक पुस्तकालयों में 'बाल विभाग' विलक्षण एक नई योजना है। इससे पूर्व अधिकांश पुस्तकालयों में एक कोने में एकाध आलमारी में कुछ बालोपयोगी साहित्य रखा जाता था। यह वह साहित्य होता था जो रिक्रिएट्रीडों के लिए हल्का होने के कारण 'बाल साहित्य' कहलाता था। बारतव में उसमें वैज्ञानिकता का प्रायः अभाव रहता था। बच्चों के लिए समाचार-पत्र पत्रिकाएँ तथा अन्य अध्ययन सामग्री की कोई व्यवस्था न थी और न उस ओर ध्यान दी दिया जाता था। उपर्युक्त बाल-साहित्य को बच्चों को उपयोग करने के लिए देने में भी अनेक वैज्ञानिक वाधाएँ हुआ करती थीं और प्रायः विशेष परिस्थिति में ही कुछ सुविधाएँ दी जाती थीं। रूसो ने सब से पहले इस बात को प्रतिपादित किया कि बच्चों का सोचने, समझने का तथा शान को प्राप्त करने का अपना एक अलग दृष्टिकोण होता है और उनकी सभी समस्याएँ ग्रीडों से सर्वथा भिन्न होती हैं। इस प्रकार धीरे-धीरे बाल-जगत का विशेष अध्ययन करने के साथ ही साथ यह अनुभव किया जाने लगा कि सार्वजनिक पुस्तकालयों में बच्चों का अलग विभाग होना आवश्यक है।

महत्त्व

प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य उसके बच्चों के उचित प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। चाल्वकाल में जिन स्वस्थ आदतों का निर्माण और विकास किया जाता है उनसे उनके भविष्य के निर्माण में बहुत सहायता मिलती है। इसलिए राष्ट्र के विकास एवं उत्थान के लिए बच्चों के पुस्तकालय का एक विशेष महत्त्व है। विद्यालयों में बच्चों को बाल्य हो कर निर्धारित पाठ्य ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है लेकिन पुस्तकालय में उनसांस्कारिक उल्कंठा को उचित ढंग से विकसित होने का अवसर मिलता है। यदि एक चार बच्चों में पढ़ने की आदत का निर्माण हो जाय तो किरण सरलतापूर्वक पुस्तकों के द्वारा अनेक नई चारों विना अध्यापक और अभिभावक की सहायता के सील सकते हैं। इस प्रकार उनमें स्वावलम्बन, एवं आन्तरिकश्वास की भावना पुस्तकालय के द्वारा पैदा की जा सकती है। एथिया में पुस्तकालय-विकास की अंतर्राष्ट्रीय गोप्ती में माननीय पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात पर बल दिया कि—

चैत्र

बाल विभाग का चैत्र बहुत व्यापक है। इसके द्वारा खिशु से लेकर पन्द्रह वर्ष के बच्चों को पुस्तकालय-सेवा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। इन बच्चों को आमु के अनुभार तीन बगों में बौट लिया जाता है। प्रारम्भ से पाँच वर्ष, छः से दस वर्ष और ब्याह से पन्द्रह वर्ष। इन सभी बगों के बच्चों को बाल विभाग अपने प्रचार और विविध फार्म-कल्मा द्वारा आकर्षित करता है। उसके बाद यह विद्या की जाती है कि उनमें पढ़ने की आदत का निर्माण हो और वे इस विभाग से पूर्ण लाभ उठा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विभाग को वैज्ञानिक रीति से सुसंगठित किया जाता है जिसमें पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, बाच्चनालय, कहानी-कथन, बालख्यान, तथा अध्ययन केन्द्र आदि की व्यवस्था की जाती है।

बाल पुस्तकालयाध्यक्ष

बाल विभाग के लिए मुख्य रूप से एक ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता होती है जो बाल मनोविज्ञान से परिचित हो। वह प्रशिक्षित अध्यापक हो और पुस्तकालय की टेक्निकों से भी परिचित हो। उच्च प्रकार की पुस्तकों का चुनाव कर के, विविध क्रियाकलापों के द्वारा बालकों में पढ़ने की आदत का विकास करना उसका कर्तव्य है। वह विभिन्न वर्ग के बालकों की आवश्यकता का अनुभव कर सके और तदनुसार उनको अनुकूल अध्ययन सामग्री दे सके। बालकों में पुस्तकों को पढ़ने की रुचि पैदा करने के लिए बाल विभाग में नाटक, संगीत, प्रतिशोभिता, बालख्यान, किलम शो, कहानी-कथन, तथा अन्य आयोजनों को करने में निपुण हो। उसमें बच्चों को अनुशासन में रखने की भी क्षमता हो।

अध्ययन-सामग्री का चुनाव

बाल विभाग में पुस्तकों का चुनाव बहुत सरकंतापूर्वक करना चाहिए। पुस्तकें तीन उद्देश्यों से पढ़ी जाती हैं—सूचना के लिए, ज्ञान के लिए और आनन्द के लिए। बालकों की पुस्तकें मोटे दृश्य में छोटी हुईं एवं सचिव होनी चाहिए। उनका चुनाव बालकों की आमु को दृष्टि में रखते हुए किया जाना चाहिए। छुट्टे छोटे विश्वासोदय, कोहर, मानचिप्र तथा आरुपक चित्रों का भी चुनाव करना उचित है। चित्रों के चुनाव में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि वे किसी वैद्य को, दृश्य को या किसी उद्देश्य को अवश्य प्रकट करते हों। पुस्तकों में प्रतिग्राह विषय को दूर में रखते हुए उनकी विन्दुवन्दी, फागड़ और डिक्कड़न को भी न भूलना चाहिए। छुट्टे अनुवाद भी लाभप्रद हो सकते हैं। समस्त संसार की छोटी पुस्तकों में से अपने

देश के वच्चों के योग्य पुस्तकें चुनी जा सकती हैं। इसके लिए शिक्षक, पुस्तकालय, पुस्तक प्रकाशक और सरकार में सहयोग होना आवश्यक है। जैसे स्वाधीन भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा बाल साहित्य के उत्पादन के लिए लेखकों और प्रकाशकों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बाल पुस्तकालयों की सूचियाँ, अच्छी विभिन्नोंग्रैफी, और विविध सूचियों आदि से पुस्तकों के चुनाव में सहायता ली जा सकती हैं।

इसके बाद इस एकत्रित सामग्री को रखने, सजाने एवं वितरण करने का विचार-शीय प्रश्न सामने आता है। उन्हें किस प्रकार रखा जाय कि उनका अधिकतम प्रचार और भरपूर उपयोग हो सके। इसके लिए बाल-विभाग को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) अध्ययन-कक्ष, और (२) सांस्कृतिक-क्रिया-कलाप कक्ष।

अध्ययन कक्ष

इस कक्ष में पाँच वर्ष से पंद्रह वर्ष के वच्चों के लिए विभिन्न विषयों की चुनी हुई पुस्तकों के अतिरिक्त, बालोपयोगी पत्रिकाएँ और संदर्भ सामग्री आदि की भी व्यवस्था हो। यह कक्ष फूलों और चित्रों आदि से सुसज्जित हो। वच्चों के अन्दर ऐसी भावना का संचार किया जाय कि वे इस कक्ष के लिए सुन्दर और मनोहर चित्र स्वयं बनाएँ। वे अपनी रुचि के अनुसार इसे सुसज्जित करें और इस विभाग में आकर अपनत्व का अनुभव करें।

इस कक्ष में पुस्तकों के केस ५२" से अधिक ऊँचे नहीं होने चाहिए। कुर्सियाँ २५२" × १४२" की हैं। मेंजें आदि भी वच्चों के अनुकूल ऊँचाई की हों। दीवारों पर विशेष घटनाओं से सम्बन्धित चित्र लगाए जायें। श्यामपट, खड़िया मिट्टी और भाड़न आदि की भी व्यवस्था की जाय। पुस्तकों के उपयोग के सम्बन्ध में दो बातें विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो बाल विभाग के खुलने का समय ऐसा रखा जाय कि उस समय स्कूल की पढ़ाई के बंटे न पड़ते हों। दूसरे यह कि पुस्तकों के केस खुले रखे जायें। यह आशा नहीं की जा सकती कि वच्चे सूची से पुस्तकों को देख कर पसंद करेंगे। उन्हें इस बात की खुली छूट दी जानी चाहिए कि पुस्तकों में से अपनी पसंद की पुस्तकें स्वयं चुनें। यह भी हो सकता है कि बाल स्वभाव-वश वे शोर गुल मचायें, हँसी और मजाक करें, किन्तु ऐसे अवसरों पर बाल पुस्तक-लयाध्यक्ष को चाहिए कि वह धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण रीति से उनको अनुशासन में रखे। वच्चे बहुत ही भावुक होते हैं। अतः इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी कोमल भावनाओं को कोई ठेस न पहुँचे, अन्यथा संग्रहीत सामग्री का उपयोग वच्चे निर्भय होकर न कर सकेंगे।



अध्ययन-कक्ष का एक हरय

सांस्कृतिक किया-कलाप-कक्ष

अध्ययन-कक्ष से लगा हुआ एक सांस्कृतिक-किया-कलाप कक्ष (कल्चरल ऐंट्रिं-विटी रूम) होना चाहिए। चाल विभाग में चचों को आकृष्ट करने, उनमें पड़ने की आदत डालने, उन्हें शानदान और देश का भावी मुख्य नागरिक बनाने के लिए पुस्तकों के अध्ययन की मुकिया के अतिरिक्त अन्य मनोरंजक कार्य-क्रमों का आयोजन इस कक्ष में होना चाहिए। इनमें से कुछ कार्य-क्रम इस प्रकार हो सकते हैं :—

कहानी-कथन—चचे कहानियाँ मुनाना विशेष पसंद करते हैं। इस लिए इस कक्ष में कहानी मुनाने का नियमित कार्य-क्रम होना चाहिए जिस समय उन्हें मनो-रंजक अच्छी कहानियाँ मुनाई जायें। इन कहानियों में परियों की कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ, पुराणों की कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, साम्राज्य और भूमण्डली की कहानियाँ, वैज्ञानिक शाविष्यरों की कहानियाँ आदि समिलित ही ज्ञा सुकरती हैं। इन चचों तक की एक योगी बनाई जा सकती है। कहानी मुनाने वाले को स्वाभाविक दृग से, उचित मुश्क और हाव भाव से कहानी चाहिए जिससे वह दिविकर बन जाय। इन कहानियों का इकाला यदि अध्ययन-कक्ष में कठोर पुस्तकों से दिया जाय तो अधिक उपयोगी होगा।

व्याख्यान—समय समय पर इस विभाग में विशेष विषयों पर व्याख्यान का

आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आविष्कारों का इतिहास, ऐतिहासिक घटनाएँ, महापुरुषों की जीवनियाँ, देशों के परिचय तथा अन्य विषय चुने जा सकते हैं।

वादविवाद-प्रतियोगिता, नाटक तथा संगीत आदि के मनोरंजक कार्यक्रम भी रखे जा सकते हैं, किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न रूचि के वच्चों की टोलियाँ बना दी जायें और उनके द्वारा ये आयोजन कराए जायें।

फिल्म शो के द्वारा वच्चों का मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्द्धन भी किया जा सकता है। रेडियो पर वच्चों के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उनसे वच्चों को परिचित कराने और मुनाने के लिए चाल विभाग का संबंध रेडियो से भी स्थापित किया जा सकता है।

इनके अतिरिक्त टिकट संग्रह, फ्रॉयड्राफ्टी तथा अन्य मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन करके वच्चों को पुस्तकालय की ओर आकृष्ट किया जा सकता है।

इस कक्ष में पाँच वर्ष तक के वच्चों के लिए खिलौने, लकड़ी के अक्षर, तस्वीरें और छोटी पुस्तकें हों। छोटे वच्चों को चित्रकला और ड्राइंग के लिए पेट्ल और कलर वक्स भी दिए जायें। छोटे वच्चों की उचित परिच्छया और देख रेख के लिए कुशल शिक्षित परिचारिका की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रोत्साहन

वच्चों को उनके प्रत्येक सुन्दर कार्य में प्रोत्साहन देना बहुत लाभकर होता है। चाल विभाग की ओर से भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो वच्चे पुस्तकों का सब से अधिक और अच्छा उपयोग करें, उन्हें कुछ पुरस्कार दिए जायें। चाल विभाग के अन्य क्रिया कलायों में भाग लेने वाले वच्चों को भी पुरस्कार आदि दे कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाय।

अध्याय १२

समाचार-पत्र और पत्रिका विभाग

इन्हें : छेत्र

पुस्तकालय में ज्ञान की विविध शाखाओं एवं प्रशाखाओं से सम्बन्धित पुस्तकों का संग्रह करना ही पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि ज्ञान के मिन्न चौंकों में तथा भौतिक जगत में जो कुछ अनेक प्रणाली एवं रोध हो रहे हैं तथा इन्हें एवं राजनीतिक घटनाएँ घट रही हैं, उनके सम्बन्ध में भी पाठकों को जानने परीक्षा होती रहे। आबकल पाठकों के लाभार्थे प्रकाशन-क्षेत्र में एक नए प्रयोग का दुमारं हुआ है जिसे 'सामरिक प्रकाशन' कहते हैं। ज्ञान के विविध क्षेत्रों से संबंधित विभान्न-सामग्री समर-समय पर पूर्ण वा आशिक रूप में प्रकाशित होती रहती है। समय (Period) के अनुसार प्रकाशित होने के कारण इसे सामरिक प्रकाशन (पीरियोडिक पब्लिकेशन) भी कहते हैं। इसके अन्तर्गत लमाचार-पत्र (टैक्निक, तात्पादिक) ऐनाएँ (पादिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अद्वार्षिक, एवं वार्षिक) अनियन्त्र प्रकाशन (नभा, समितियाँ, विद्युत् मडलियो आदि की कार्यवाही), तथा माला-शशन, जिनका समय निश्चित है, आते हैं। मोटे तौर पर प्रत्येक प्रकाश के सामरिक ग्राफिक को टी बगों में शिखाजित किया जा सकता है—(१) सामान्य, और (२) विशेष। सामान्य वर्ग के अन्तर्गत वे प्रकाशन आते हैं जिनमें विविध विषयों का समाय होता है। विशेष वर्ग के अन्तर्गत उनकी गणना होती है जो विशेष विषय सम्बन्धी हैं और उनसे सम्बन्धित लेखों का सकलन होता है। शायः ये सभी प्रकाशन एक विचर अवधि के अनुसार प्रकाशित होते रहते हैं। प्रत्येक पुस्तकालय में इन सामरिक प्रकाशनों का एक विशेष स्थान एवं महत्व होता है। रोध-कार्य एवं शीघ्र सूचना सुन करने के लिए ऐसे प्रकाशन आज के युग में निवान्त्र आवश्यक हैं। पाठकों के लिए पुस्तक के रूप में पठन-सामग्री प्रस्तुत करने में सामरिक प्रकाशनों की अपेक्षा विशेष समय और परिश्रम करने के बाद भी उचित समय पर सामग्री उपलब्ध कराने में देर लगती है जब की सस्ती, संक्षिप्त और आवश्यक सामग्री एवं सूचना सामरिक प्रकाशनों के द्वारा शीघ्रता तथा सरलतापूर्वक मिल जाती है। यद्युपर्याप्त है कि अनुसारन केन्द्रों वथा टेक्निकल पुस्तकालयों में घट का एक अच्छा भाग सामरिक प्रकाशनों पर व्यवहार किया जाता है।

चुनाव

सामयिक प्रकाशनों के चुनाव में निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है :—

- १—सम्पादक-मण्डल के सदस्य योग्य विद्वान् हों तथा उन्होंने अपने उस विषय पर स्वतन्त्र रूप से उत्कृष्ट कार्य किया हो।
- २—प्रकाशक सुप्रसिद्ध हो और उसने प्रकाशन के क्षेत्र में अपना एक उच्च स्तर बना रखा हो।
- ३—प्रतिपाद्य विषय अपने पुस्तकालय के पाठकों के लिए उपयुक्त हो।
- ४—प्रकाशन लोकप्रिय हो और पाठकों की माँग के अनुकूल हो।
- ५—अन्त में इन्डेक्स दिया हो जो कि वैज्ञानिक एवं टेक्निकल पत्रिकाओं में विशेष रूप से आवश्यक है।
- ६—चित्रों एवं रेखाचित्रों द्वारा प्रतिपाद्य विषय को समझाने की प्रणाली अपनाई गई हो।

चुनाव के साधन

सामयिक प्रकाशनों की डाइरेक्टरी, विविध योग्यताएँ, विभिन्न सामयिक प्रकाशन में प्रकाशित समालोचनाएँ, विज्ञापन, विशेषज्ञों की सम्मति, तथा पाठकों के सुभाव आदि के आधार पर इनका चुनाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नमूने के अंकों को मँगा कर या बड़े पुस्तकालयों में उनके अंक देख कर भी इस कार्य में सहायता ली जा सकती है। नवीन प्रकाशनों की सूचना देने वाली तथा पुस्तकालय की गति-विधि बताने वाली पत्रिकाओं को प्रत्येक पुस्तकालय में अवश्य मँगाने की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे हिन्दी में 'हिन्दी प्रचारक' और 'प्रकाशन समाचार' तथा 'पुस्तकालय' एवं 'पुस्तकालय संदेश' आदि।

मँगाना

चुनाव के पश्चात् चुनी हुई पत्रिकाओं तथा समाचार-पत्र आदि के आदेश-पार्माण्या आदेश स्लिप भर कर तत्सम्बन्धी प्रकाशकों या एजेंटों को भेज दिया जाता है। आदेश प्राप्त होने पर वे उन प्रकाशनों का एक निश्चित समय (जैसे वार्षिक, अद्वार्षिक आदि) का चन्दे का विल पुस्तकालय को भेज देते हैं जिसका अग्रिम भुगतान आवश्यक होता है।

लेखा रखने की विधि

इन प्रकाशनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित लेखा रखना आवश्यक होता है :—

१. मुगदान का हिसाब और चन्दे का नवीकरण

२. प्रत्येक भाग या छंक की प्राप्ति

३. तारीख जब कि आख्या पृष्ठ और अनुक्रमणिका प्रकारित हो

४. प्राप्ति के सामने का पूरा पता

५. प्रकाशन की श्रेणी

उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखा रखने की आवश्यकता है और इसके लिए अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। उनमें से मुख्य ये हैं :—

१. खाता प्रणाली

२. काढ़ प्रणाली

३. डा० रंगनाथ की त्रि-काढ़ प्रणाली

४. विविध इन्डेक्स

१.—खाता प्रणाली में सामयिक प्रकाशनों का लेखा एक रजिस्टर में रखा जाता है जिसमें पृष्ठों का विभाजन वर्णनालय के आधार पर होता है। उसमें प्रत्येक प्रकाशन अर्गने प्रारम्भिक वर्णों के अनुसार व्याप्तियान लिखे जाते हैं। वर्ण प्रकाशन का नाम, प्रकाशन वर्ष, अंक, आगे की तारीख, तथा चन्दे और बिल्डरन्डी के हिसाब का विवरण विभिन्न लानों में लिखा जाता है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से यह प्रणाली अधिक वैज्ञानिक और सुविधाजनक नहीं है।

२. वाई-प्रणाली में विभिन्न प्रकार के सामयिक प्रकाशनों का लेखा वद्दनुकूल छोड़े हुए ५"×३" के काढ़ों पर रखा जाता है। इनकी पीठ पर वात्सरिक मुगदान, विज्ञ संख्या और उनकी तारीख, प्राप्ति का सामन, विद्वते अंकों के लिए भेजे गए स्मरण-पत्र तथा बिल्डरन्डी आदि का विवरण लिखने के लिए व्यवस्था रहती है। इनके कठर छोड़े अंकों में आवश्यकतानुसार कुछ अभिट परिवर्तन भी छिना जा सकता है। इन काढ़ों को 'सामयिक बौच आलेख' या 'पीरियाडिक्ट बैक रिकॉर्ड' कहा जाता है।

इनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं :—

तारीख	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६	२७	२८	२९	३०	३१
जनवरी																						
फरवरी																						
मार्च																						
अप्रैल																						
मई																						
जून																						
जुलाई																						
अगस्त																						
सितम्बर																						
अक्टूबर																						
नवम्बर																						
दिसम्बर																						

दैनिक समाचार पत्रों के लिए
नाम... आने की संभावित तिथि.....

सप्ताह	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	विशेष
प्रथम													
द्वितीय													
तृतीय													
चतुर्थ													
पंचम													

सप्ताहिक समाचार-पत्रों के लिए

नाम.....आने की संभावित तिथि...भाग प्रवि वर्ष

क्र.	लग्न	पुणि	ज्येष्ठ	षष्ठी	गुरु	बुध	शुक्र	शनि	मंगल	बुध	गुरु	बुध	गुरु

०

मासिक पत्रिकाओं के लिए

इस प्रकार प्रत्येक प्रकाशन के लिए एक अलग-अलग वार्ड रखने से जॉच और लेखा रखने में सुविधा होती है। ये कार्ड इन कम से व्यवस्थित कर लिए जाते हैं जिससे उनकी जॉच और लेखा रखने में सुविधा हो। इनको अक्षरादि कम से दो में लगा कर रख लिया जाता है। अधिक सुविधाजनक यह हो यदि इनकी प्राप्त होने की संभावित तारीख के कम से रखा जाय। इनसे इनकी जॉच करने और प्राप्ति अर्द्धों को प्राप्त करने में सुविधा होती है।

३—डा० रंगनाथन जी ने सामग्रिक प्रकाशनों के लेखा की अधिक वैशानिक दण चे रखने का मुम्भाव देते हुए सुधार को दिखा ने एक कही बोइ दो है। पुस्तकालय-विभाग के प्रथम नियम के ज्ञेय के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकाशक की पठन-सामग्री—जिसमें इस प्रकार के सामग्रिक प्रकाशन भी सम्मिलित हैं—पाठकों को स्वतन्त्र उपयोग के लिए डा० रंगनाथन के विचार के अनुसार अवश्य दिए जाने चाहिए। अतः एक प्रकाशन के लिये तीन कार्ड बना कर लेखा रखने की विधि का प्रयोग कर के उन्होंने इसमें उद्देश्य की पूर्ति को है। तदनुसार विद्य-कार्ड, चार्टिङ कार्ड वा आल्याकार्ड की अवस्था को बताती है।

४—विजिवल इण्डेक्स—रैनिंगटन रेट; नेट्वार्ड वा अन्य कमनियों के द्वारा एक प्रकाशक की सामग्रिक विधियों का पेटेंट करा लिया गया है। इस विधि के अनुसार

एक निर्धारित माप के धारु के बने हुए तख्तों को जिन्हें पेनल कहते हैं, एक स्थान पर जमी हुई छड़ के सहारे इस प्रकार लगा दिया जाता है कि वे तख्ते उसके चारों ओर घूम सकें। ये तख्ते इस प्रकार बने होते हैं कि उनके अन्दर चौथाई इच्छ से लेकर दै इंच की चौड़ाई के मरीला की बर्ना हुई पट्टियाँ लगाई जा सकें। ये पट्टियाँ पारदर्शक प्लैस्टिक के द्वारा ढकी रहती हैं जिससे मैली होने वा टूटने का भय नहीं रहता। पट्टियों की लम्बाई साधारणतः आठ इंच से दस इंच तक की होती है। इन पट्टियों पर प्रकाशनों का नाम अवधि तथा विषय लिख दिया जाता है या टाइप कर दिया जाता है। पेनल में पट्टियों का व्यवस्थापन अकारादि क्रम से किया जाता है। इसको 'लिन्डेक्स' कहते हैं। इसके साथ इनका लेखा रखने के लिए एक अन्य फाइल का प्रयोग किया जाता है जिसे 'कार्डेक्स' कहते हैं। इसका आकार कैविनेट जैसा होता है किन्तु इसके अन्दर कैविनेट की दराज की भाँति उससे कम गहरी द्रैलगी रहती है जो बाहर खींच कर नीचे की ओर इस प्रकार रखी जा सके कि वे कैविनेट से अलग भी न हों। और उनका निरीक्षण आदि भी किया जा सके। इसमें कार्ड के तरह के या अन्य किसी प्रामाणिक माप के प्लैस्टिक कवर से सुरक्षित शीट लगाने की व्यवस्था रहती है। एक द्रैल में लगभग ८० शीट आ सकते हैं। लिन्डेक्स और कार्डेक्स दोनों मिल कर 'विजिवल इन्डेक्स' कहलाते हैं। इनसे प्रकाशनों का लेखा रखने तथा उनके नामों का प्रदर्शन करने में सुविधा होती है।


प्रदर्शन—इन सामयिक प्रकाशनों का प्रदर्शन दो प्रकार से किया जा सकता है :—

१—निश्चित स्थान (Fixed Location)—जहाँ पर पाठकों को स्वयं आकर उनका अध्ययन करना पड़ता है।

२—पृथक कक्ष (Separate room)—इस कक्ष में पाठकों को बैठ कर पढ़ने की सुविधा रहती है। कुर्सियों, मेजों आदि की व्यवस्था की जाती है। पाठक प्रदर्शनाधारों पर से अभीष्ट पत्रिकाएँ लेकर बैठ कर उनका उपयोग कर सकते हैं।

पत्रिकाओं के खुले अंक उपयोग करने से गंदे न हो जायें इसलिए इन्हें ऊपर उनके आकार के सेलोलाइड के बने पारदर्शक मैग्नीज कवर लगा दिए जाते हैं। इसका नमूना सामने १७७ पृष्ठ पर दिया गया है।

प्रदर्शन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शनाधारों का उपयोग किया जाता है जिन्हें 'मैगजीन डिस्प्ले रैक' कहा जाता है। इसका एक नमूना पृष्ठ ३६ पर दिया गया है।



मीराजीन कवर

स्मरण-पत्र

पापः दुष्ट सामरिक प्रकाशन निश्चित समर पर प्राप्त नहीं होने। उनसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रूप में स्मरण-पत्र भेजे जाते हैं :—

हिन्दी पुस्तकालय

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रगति

पिंड महोदय,

हिन्दी पुस्तकालय को..... नवनीति

ए १९५३ दे० का महे० का अद्वा प्राप्त नहीं हुआ। हरया उक अद्वा को प्रयोगिक भेजने की घरेलूग करें।

भद्रीन

पाठ्य कल्पद्रुत

पुस्तकालय

स्मरण-पत्र भेजने समय उच्च प्रक्षयन का लेता थार्ड ट्रैक से नियमित दिन दिव्य है और उस दृष्टि द्वारा भेजने में रुका जाता है जब उसके लिए खटित थार्ड प्राप्त नहीं होता। थार्ड प्राप्त होने पर लेता-थार्ड को पुनः व्याप्त्यान रख दिया जाता है।

रिफँस पुस्तकालयों में सुविधा के लिए सामयिक प्रकाशनों में प्रकाशित लेखों की अनुक्रमणिका भी तैयार कर ली जाती हैं जिसे 'इन्डेक्सड आफ पीरियाडिकल आर्टिक्ल्स' कहते हैं।

जिल्दवन्दी

सभी सामयिक प्रकाशनों की वर्ष समाप्ति एक समान नहीं होती। अतः इस और भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक सामयिक प्रकाशन की वर्ष समाप्ति तक उसके सम्पूर्ण अंकों की पूर्ति कर लेनी चाहिए। उसके बाद वह देखना चाहिए कि उनका आख्या पृष्ठ और अनुक्रमणिका किस अंक के साथ और कब प्रकाशित होगी। उस अंक को प्राप्त कर लेने पर जिनकी फाइलें रखनी हों उनकी जिल्दवन्दी की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि अनुक्रमणिका के पृष्ठ अंतिम अंक के द्वारा के सिलसिले के हों तो वह अंत में लगेगी और यदि स्वतन्त्र हों तो जिल्दवन्दी में आख्या पृष्ठ के साथ प्रथम अंक के प्रारम्भ में लगेगी। यदि एक जिल्द में सब अंक एक साथ बँधने में अधिक भारीपन हो तो उन्हें यथोचित भागों में बँधवाना उचित है। विशेषाङ्क के पृष्ठ यदि स्वतन्त्र हों तो स्वतन्त्र अलग बँधाए जायें, यदि एक सिलसिले में हों तो उसी क्रम में उसकी जिल्दवन्दी होनी चाहिए। गजट के एक-एक भाग अलग-अलग कर के बँधाना ठीक है।

चर्चाकरण : सूचीकरण

जिल्दबँधी पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों के साथ पुस्तकों की भाँति व्यवहार किया जाता है। उनका लेखा अलग प्राप्तिसंख्या रजिस्टर पर या प्राप्तिसंख्या कार्ड पर रखा जाता है। उनका चर्चाकरण और सूचीकरण कर लिया जाता है और कार्ड सूची कार्ड कैबिनेट में यथोचित निर्देशक काडों के साथ व्यवस्थित कर ली जाती है। सामयिक प्रकाशन के सूचीकरण के संलेख का उदाहरण इस पुस्तक में पृष्ठ १४३ पर दिया गया है। इस प्रकार सुव्यवस्थित 'सामयिक प्रकाशन विभाग' पाठकों के लिए अस्वन्त उपयोगी होता है।

अध्याय १४

पुस्तकों का लेन-देन विभाग

उद्देश्य : नदूर्ज्य

पुस्तकालय विभाग के इतिहास से पता चलता है कि आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय की पारंपरा के उद्देश्य ने पूर्ण पुस्तकों को पुस्तकालय से पर ले जा कर पढ़ने की सुविधाएँ पाठकों को उपलब्ध नहीं थी। आधुनिक युग के पुस्तकालय सम्बन्धी विकसित विचारों ने पुस्तकालय के अन्य नियम-क्रान्तिकारी के साथ इन और भी ध्यान दिया। उनमें उनमें वर्तमान विचारों में भी इसका समर्थन किया। रसीदी कानूनी के अध्यूत लेनदेन ने कहा कि 'किसी सार्वजनिक पुस्तकालय की गोपनीयता विभाग नहीं, उसमें संग्रहीत दुर्लभ पारंपरिक विचारों की अत्यधिक संख्या में नहीं, प्रायुक्त पुस्तकों का विलूप्त देव ये प्रचार-प्रसार, सदस्यों की संख्या में कमिश विभाग, पाठकों की अस्थिरता युक्त तथा तरह-तरह, तथा वालों के पुस्तकालय के उपयोग की दशि देख करने में ही निर्दिष्ट है।' पुस्तकालय परिचयोंमें भी दराघर इन चात पर एवं दिया जाता रहा कि "अधिकार की सामग्री बहुत तक आज्ञा दे, अधिक से अधिक पुस्तकें यह पर पढ़ने के लिए दी जायें।" तरनुसार आज अधिकांश पुस्तकालय पाठकों को अपने संमित साधनों के अन्तर्गत ऐनी सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। यह व्यवस्था जिस विभाग के अन्तर्गत थी जाती है उसे 'सरकुलेशन विभाग' 'होनरीडिज्न विभाग' या सोंडिज़ विभाग कहा जाता है। साधारण शब्दों में उसे पुस्तकों का लेन-देन विभाग भी कह सकते हैं।

स्वरूप

चूंकि पुस्तकों के लेन-देन में पाठक, पुस्तकालय कर्मचारियों की अपेक्षा पुस्तकों के अधिक समर्क में आता है, इत्तिष्ठ यह विभाग, इसके अन्य उपकरण तथा फोर्म भी व्यापकी जो इस कार्य के लिए अपनाई जाय, इस कसौटी पर खरी होनी चाहिए कि पाठकों का कम से कम समय पुस्तकों के लेन-देन में लग सके। एक और स्टेक रूम, वाचनालय और टेक्निकल विभाग से सम्बन्धित कार्य और दूसरी ओर पाठकों की पुस्तकें देने तथा उपयोग के पश्चात् वापस लेने का कार्य, इन दोनों के एक सम्बन्धित कार्य होता है।

पुस्तकालय के नियम

इस विभाग को सफल बनाने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि पुस्तकालय के द्वारा 'पुस्तकालय के नियम' उधार की सुविधाएँ, और उधार की शर्तें निश्चित कर ली जायें। साधारण रूप से ये नियम निम्नलिखित रूप में हो सकते हैं:-

सामान्य नियम

१—पुस्तकालय प्रति दिन (छुट्टियों को छोड़ कर) ... से ... बजे तक खुला रहेगा।

२—सदस्य को अपना छाता, हाकी, स्टिक, ओवर कोट, पुस्तकें तथा भोला आदि प्रवेश द्वार पर जमा कर देना होगा।

३—कुत्ते तथा अन्य जानवरों को साथ ले कर प्रवेश करना मना है।

४—पुस्तकालय में शान्तियूर्बक पढ़ना चाहिए।

५—थूकना, धूम्रपान करना तथा सोना वर्जित है।

६—सदस्यों को पुस्तकों और चित्रों आदि पर किसी प्रकार का चिह्न नहीं बनाना चाहिए और न उन्हें किसी प्रकार की हानि पहुँचानी चाहिये।

७—सदस्य पुस्तकालय की पुस्तकों तथा अन्य सम्पत्ति को यदि हानि पहुँचाएँगे तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे और उनका मूल्य देना अथवा प्रतिस्थापन (Replacement) करना होगा। यदि किसी सेट की एक पुस्तक क्षति-ग्रस्त होगी तो पूरे सेट का मूल्य देना या प्रतिस्थापन करना होगा।

८—पुस्तकालय से जाते समय पाठकों को पुस्तकालय से ली गई पुस्तकें आदि काउन्टर पर वापस कर देनी होंगी।

उधार की सुविधाएँ

१—पुस्तकालय से प्रत्येक सदस्य को...रुपया जमा करने पर ही पुस्तकें दी जायेंगी, यह धन तब तक न दिया जायगा जब तक कि पुस्तकालय की पुस्तकें, इन तथा अन्य देय धन (Dues) जमा न किए जाएँगे।

२—प्रत्येक सदस्य को पुस्तकालय टिकट दिए जायेंगे और उनके बदले में पुस्तकालय से पुस्तकें मिल सकेंगी। ये टिकट सदस्य को पुस्तक लौटाने पर बाहर कर दिए जायेंगे। यदि पुस्तक अति देय हो तो विलम्ब शुल्क आदि दिए जाना चाहिए।

३—टिकट खो जाने पर उसकी सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को तत्काल देनी होगी।

४—खो जाने की तिथि के तीन महीने बाद प्रतिशा-पत्र भरने और ... शुल्क करने के बाद दूसरा टिकट दिया जायगा।

उधार की शर्तें

- १—प्रत्येक सदस्य टिकट के बदले पुस्तकें ले सकेगा।
 - २—लेन-देन स्थान (काउन्टर) छोड़ने से पहले उसे सन्तुष्ट हो जाना चाहिए कि जो पुस्तकें उसे दी गई हैं वे उत्तम दशा में हैं। यदि ऐसा नहीं है तो उसे तासम्बन्धी सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को दे देनी चाहिए, नहीं तो उसे पुस्तक की अच्छी प्रति जना करनी पड़ेगी। यदि किसी सेट की कोई पुस्तक नष्ट भ्रष्ट होगी तो उस सेट का मूल्य जमा करना पड़ेगा।
 - ३—मातिक पत्रिकाएँ, कोश तथा ऐसी सामग्री जिसका प्रतिस्थापन न किना जा सके, वथा पुस्तकालयाध्यक्ष जिन पुस्तकों को फिरें सुस्तकें घोषित कर दे, वे उधार न दी जायेंगी।
 - ४—पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तक को दूसरों को उधार देना मना है।
 - ५—उब पुस्तकें निर्गत तिथि से दो सप्ताह के अन्दर वापस आ जानी चाहिए। यदि पुस्तकालयाध्यक्ष चाहे तो किसी भी पुस्तक को बीच में भी वापस मँगा सकता है।
 - ६—देव तिथि तक पुस्तक न लौटाने पर प्रति पुस्तक प्रति दिन एक आना अर्पणरड देना होगा।
 - ७—यदि किसी पुस्तक की अवश्यकता अन्य सदस्य को न हो तो वह फिर दी जा सकती है।
 - ८—जिस सदस्य के ऊपर पुस्तकालय का किसी प्रकार का पावना थाकी हो उसे पुस्तक न दी जायगी।
- उपर्युक्त नियम तथा यहाँ विशेष प्रगतिशील देशों के पुस्तकालयों की नहीं हैं। इनका कारण यह है कि जिन देशों में ‘राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली’ वा ‘नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम’ के अनुसार पुस्तकालय-सेवा प्रदान की जाती है, वहाँ समुदाय के किसी व्यक्ति से जमानत के लिए धन जमा करने वथा विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर अर्पणरड आदि का वधन नहीं रखा जाता।

सदस्यों से सुरक्षित निधि के रूप में कुछ धन जमा कर के कुछ निश्चिर शर्तों के अनुसार पुस्तकों के लेन-देन के सम्बन्ध में पुस्तकालयों की अपनी अलग-अलग प्रणालियाँ हैं तो हैं। किन्तु यहाँ पर एक बड़े आदर्श पुस्तकालय को लेन-देन प्रणाली के सम्बन्ध में विचार किया जायगा जिसमें सदस्यों से जमानत के लिए धन न बना कराया जाता हो और कुछ दराओं को छोड़ कर प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकों के लेन-देन का निशुल्क अधिकार हो।

लेन-देन विभाग का संगठन

अध्ययन सामग्री को घर पर उपयोग के लिए देने लेने में सुविधा के विचार से इस विभाग को मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है :—

(१) स्टैक रूम (२) निर्गत स्थान या चार्जिङ्ग काउन्टर (३) वापसी का स्थान या डिस्चार्जिङ्ग काउन्टर ।

स्टैक रूम के सम्बन्ध में इस पुस्तक के पृष्ठ ३२ पर बताया जा चुका है। स्टैक रूम या चयन भवन में संग्रहीत सामग्री से अभीष्ट पुस्तकें प्राप्त कर लेने के बाद पाठक उनको दो प्रकार से उपयोग करते हैं एक तो वहाँ बैठ कर और दूसरे घर ले जा कर।

चार्जिङ्ग और डिस्चार्जिङ्ग उपविभाग

घर पर पुस्तकें ले जाने के लिए जो उपविभाग सुविधा देता है उसे चार्जिङ्ग उपविभाग कहते हैं। वाचनालय से सम्बन्धित क्रियाएँ इस उपविभाग से केवल उस सीमा तक सम्बन्ध रखती हैं जहाँ तक कि पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को घर के प्रयोगार्थ देने के लिए उनकी प्राप्ति का प्रश्न है क्योंकि इस उपविभाग की सम्पूर्ण क्रियाएँ मुख्यतः घर के प्रयोगार्थ दी जाने वाली पुस्तकों से ही सम्बन्धित रहती हैं। इसी प्रकार घर से प्रयोग के पश्चात् पुस्तकें वापस आने पर उनको पुस्तकालय में जमा करने के लिए एक अलग उपविभाग की व्यवस्था की जाती है, जिसे 'डिस्चार्जिङ्ग उपविभाग' कहते हैं। इस उपविभाग के अन्तर्गत पुस्तकों की वापसी, पुस्तक वापसी में विलम्ब से उत्पन्न समस्याओं, अर्थदरड तथा अँकड़ों के तैयार करने आदि का कार्य आता है।

स्थान

पुस्तकालय भवन में इस लेन-देन विभाग का स्थान पुस्तकालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है। साधारणतः जो सिद्धान्त इस विभाग के व्यवस्थापन के लिए अपनाया जाता है वह 'पाठकों का समय चाचाओं' नियम आधारित रहता है। इसके अनुसार चार्जिङ्ग उपविभाग, स्टैक के समीप और डिस्चार्जिङ्ग उपविभाग प्रवेश द्वार के समीप होने चाहिए। किन्तु यह स्थापन उन सर्वेतनु पुस्तकालयों के दृष्टिकोण से किया जा सकता है जिनका सेवा-क्षेत्र विस्तृत और व्यापक हो। छोटे पुस्तकालयों में स्थानाभाव, संकुचित सेवा-क्षेत्र आदि के कारण ये दोनों उपविभाग अलग नहीं रखे जाते बल्कि प्रवेश द्वार के समीप ही एक ही स्थान पर कार्य निभाए जाते हैं। प्रवेश द्वार के पास इनकी व्यवस्था इसलिए की जाती है। पाठकों को पुस्तकें चहुत दूर तक न ले जानी पड़ें। वहाँ पर आने और जाने वालों को अलग-अलग व्यवस्था (one way traffic) होनी चाहिए।

फर्माचर : चिट्ठी

चार्चिंग उत्तिष्ठान

इस उत्तिष्ठान के केन्द्रस्थान उत्तर काउन्टर होता है। इसमें विवरण हृषि एवं रर दिला गया है। इस काउन्टर की पार्ट और एक बुक हैल्फ होनी चाहिए। काउन्टर हैल्फ में पुस्तके चुन कर में आने पर भी कभी-कभी उसे पर से अना नहीं जाते। ऐसी पुस्तके उत्तर पुक शेहर में इन छोटी जाती है जो बाद में वप-ए-खन नामकी ही जाती है। इस काउन्टर में पार्ट और सामग्री पर एक दर्बन 'विभिन्न होल्ट' होने चाहिए जिस पर वर्गमनकारी के दो लेनदेन कम के साथ लिख दिए जाते हैं। जड़हों द्वाय पुलके से जाने के पश्चात् तत्त्वज्ञानी पुस्तकों के टिकट और उत्तर-दार (चार्चिंग) उन्हीं विभिन्न होल्ट के जाना में कमज़ोः छाट कर स्वतंत्रिपद भर दिए जाने हैं। पार्टहों को पुनर्जै देना और उनमें प्राप्त चार्चिंग को विभिन्न होल्ट में रखना के दोनों क्रियाएँ जारः जाय पाय हो ही जाती हैं। दारिनो थोर एक डेटर, चार्चिंग है, पुस्तक मुख्यिण (रिवर्स) करने के लिये सारे सारे, पुस्तकों के पुनर्जै-धर्य (रिवर्स) पीर्ट्र प्राप्ति तत्त्वज्ञानी लेना रता जाता है, होने चाहिए। चार्चिंग काउन्टर के भाग एवं एक विभिन्न चेत्र और एक साड़ी पालन् कुसां भी होनी चाहिए।

दिग्गजिंग उत्तिष्ठान

इस उत्तिष्ठान का भी केन्द्र स्थान उत्तर काउन्टर ही होता है। इस काउन्टर के भंड एक लम्बी नीबू दो विभिन्न ऊंचाईं २०" और चौकाईं ३६" और लम्बाईं भी से दो फौट तक भी जानी चाहिए। विभिन्न वारस आदि पुस्तकों पर्यं पर न रप कर इसी में दर लगा जा सके। चार्चिंग ट्रै वर चार्चिंग काउन्टर से यही जाती है तो उसको बदल कर रखने के लिए वाले चार्ची को व्यवस्था होनी चाहिए।

यदि यह अधिक पुस्तक न बना ही जाये इसलिए एक बुक ट्रॉली भी होनी चाहिए जिसमें पर वर पुस्तकें यहाँ से प्रयास्थान पहुंचा दी जायें। इस काउन्टर के भंड एक विभिन्न नीबू भी होनी चाहिए जिसमें उस पर बैठे बैठे पुस्तकों घूम कर में दर लगा जा सके। विभाग से लोटार गई पुस्तकों पर अर्थेशड लेने से सम्बन्धित मिडर (fine chip) एक ट्रै में होना चाहिए। यदि अर्थेशड को यहीं पर जमा करने की व्यवस्था है तो एक कैश वर्क और अर्थेशड की रसोइ भी यहीं होनी चाहिये। इन दोनों चार्चिंग और डिस्चार्चिंग के स्थान पर प्रकाश की मुचाक व्यवस्था आवश्यक है जिसमें पुस्तकों की वर्गमंडवाएँ आदि सरलतापूर्वक पढ़ी जा सके।

स्टाफ़

पुस्तक लेन-देन विभाग में एक अध्यक्ष और उसके दो काउन्टर सहायक होना आवश्यक है। इनके अतिरिक्त एक रजिस्ट्रेशन सहायक, एक पाठकों का परामर्शदाता तथा एक या दो चपरासी की भी आवश्यकता पड़ती है। चूंकि विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है, अतः उपर्युक्त कर्मचारियों को शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ सम्बन्धित कार्य का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये। सामारणिक समत्त कर्मचारियों को (चपरासी को छोड़ कर) बर्गोकरण प्रणाली, पुस्तकों का स्थापनक्रम तथा सूचीकरण की फाइलिंग पद्धति का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि यह ज्ञान आंकड़े तैयार करने में सहायक होगा।

चार्जिङ्ग काउन्टर के सहायक को स्वास्थ, फुटोंला (active) और हँसगुल होना चाहिए जिससे कार्य व्यवस्था के क्षणों में भी वह अपनी प्रत्युत्पन्नमति द्वारा पाउंडों को विलम्ब होने से उत्पन्न होने वाली उदासीनता का आभास न होने दे। इसी प्रभाव डिस्चार्जिंग काउन्टर के सहायक में समय मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। उसमें को जमा करने के लिए आने वाले पाठक शीघ्रातिशीघ्र नई पुस्तकों को खोजने के लिए पुस्तकालय में प्रवेश करना चाहते हैं, और पुस्तक वापस करने में आगे अनुल्य समय कम से कम देना चाहते हैं। इसके लिए सहायक को विलम्ब नहीं या प्रत्येक क्रिया को त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिये। यह योग्यता तभी समझी जाएगी है जब चार्जिङ्ग, और डिस्चार्जिङ्ग के सहायकों का आपस में स्थान परिवर्तन नहीं होता रहे। चार्जिङ्ग काउन्टर के सहायक को जिलदवन्दी का प्रारम्भिक ज्ञान भी करना चाहिये। उसके पास पुस्तकों की प्रारम्भिक मरम्मत के लिए मुर्द, तागा, गोद,

रखना है कि पाठक परामर्शदाता किसी प्रकार की सूचना प्रेपित न करके केवल सूचना प्राप्ति के साथनों एवं उपकरणों की सूची में ही सहायता दे सकते हैं।

प्रशासन पद्धति

लेन-देन विभाग के प्रशासन पद्धति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं :—

१. सदस्यों का रजिस्ट्रेशन।

२. उन्हें पुस्तकालय-टिकट देना।

३. नई चड़ी हुई पुस्तकों को तथा प्रयोग के पश्चात् सदस्यों और पाठकों द्वारा वापस की गई पुस्तकों का यथास्थान व्यवस्थापन।

४. आँकड़ों का तैयार करना।

५. स्टाक में से जिल्हावन्दी के द्वेष्य पुस्तकों को छाँटना।

६. संकानक रोगों के चेत्रों से आई हुई पुस्तकों के निरोगीकरण (Disinfection) की व्यवस्था।

७. पाठकों से पुस्तकालय संबंधी नुस्खाओं को ग्रात करना तथा पुस्तकों के चुनाव में सहायता प्रदान करना।

८. पुस्तकों को सुरक्षित करना, (बुक रिजर्वेशन), नवीकरण करना, वापस लेना, अर्थदेह लेना तथा इन सब का लेखा रखना।

९. यथानंभव पाठकों की सहायता करना।

१०. सदस्यों का रजिस्ट्रेशन

बिल चेत्र में पुस्तकालय सेवा-प्रदान की जा रही है उसमें नियास करने वाले सदस्यों को पुस्तकालय में प्रवेश और उसकी सानखी के उपयोगार्थं अनुमति प्रदान करना 'रजिस्ट्रेशन' कहलाता है। रजिस्ट्रेशन का अर्थ उस सम्बन्ध में पुस्तकालय के कर्मचारियों की जानकारी के लिए प्रत्येक सम्भावित सदस्य का पर्याप्त तथा संक्षिप्त विवरण लियने से है जो भविष्य में सदर्भ के बाम आ सके। किसी भी पुस्तकालय के कर्मचारियों के लिए पुस्तकालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी रखना अत्यधिक भा है। अतः प्रत्येक पाठक को पढ़चानने के लिए एक विशेष प्रकार का परिचय-पत्र दे देना आवश्यक है। परिचय-पत्र प्रदान करने के लिए सदस्यों का बगोंकरण करना पड़ता है। सामान्यतः किसी भी चेत्र के—जहाँ पुस्तकालय सेवा उपलब्ध हो—सदस्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

१. २१ वर्ष के ऊपर के वयस्क व्यक्ति जो उस चेत्र के स्थायी निवासी हैं।

२. २१ वर्ष के ऊपर के वयस्क व्यक्ति जो उस चेत्र के स्थायी निवासी नहीं हैं।

३. २१ वर्ष से कम के विद्यार्थी जो शिक्षा स्थानों में प्रवेश पाए हुए हों।

४. २१ वर्ष से कम के व्यक्ति जो शिक्षण संस्थाओं में न पढ़ते हों।

५. क्षेत्र के बाहर से अस्थायी निवास के लिए आए हुए व्यक्ति (कैज़ुअल विजिटर्स) रजिस्ट्रेशन विधि

उपर्युक्त वर्गों के सदस्यों की जानकारी के लिए पुस्तकालय के कर्मचारी अनेक प्रकार के उपलब्ध आलेखों का सहारा लेते हैं, जैसे स्थायी निवासियों के परिचय के पुष्टीकरण के लिए मतदाता सूचियाँ, राशनकार्ड, किराए की रसीद, और विजली के विल आदि। अस्थायी निवासियों के लिए उनके व्यवसाय या कार्यालय का प्रमाण-पत्र, स्कूल न जाने वालों से उनके माता पिता एवं अभिभावकों के गारंटी फार्म तथा बाहरी आगन्तुकों के लिए स्थानीय अधिकारियों के प्रमाण-पत्र या जिनके अतिथि हैं, उनके गारंटी फार्म के आधार पर वर्गीकरण करके रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

इस प्रकार के परिचय की जानकारी तथा उसका पुष्टीकरण हो जाने के पश्चात् रजिस्ट्रेशन सहायक प्रत्येक संभावित सठस्य को एक छुग हुआ आवेदन-पत्र : ५" X ३" के कार्ड के आकार का होता है, भरने के लिए दे देता है। उसमें एक अं पुस्तकाल के नियम, उपनियम संक्षेप में दिए रहते हैं और दूसरी ओर सदस्य के ना का स्थान, हस्ताक्षर और तिथि के स्थानों को छोड़ कर आलेख की भाषा छपी रहती है।

कम संख्या.....
.....समाप्ति.....

इस रेखा के ऊपर न लिखें

मैं पुस्तकालय का उपयोग करना चाहता हूँ। मैं पुस्तकालय के सभी नियमों
और उपनियमों का पालन करूँगा।

(हस्ताक्षर स्वाही से).....

स्थानीय पता.....

स्थायी पता.....



यदि पुस्तकालय अधिकारी चाहे तो प्रत्येक वर्ग के लिये विभिन्न रंगों के आवेदन-पत्र प्रयोग में ला सकते हैं। इन पत्रों में आवेदक इसका भी जिक्र कर देता है कि उसे किन्तु टिकटों की आवश्यकता है। आवेदन-पत्रों के भर जाने पर रजिस्ट्रेशन सहायक सदस्यों की पुस्तकालय में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर देता है जिससे कि वे अपना समय नट किए दिना ही पुस्तकालय सामग्री का लाभ उठा सकें। पुस्तकालय के टिकट उसी दिन या दूसरे दिन तक आवेदक को मिल जाते हैं।

पुस्तकालय टिकट

सदस्यों को जो टिकट दिए जाते हैं उनको दी भागों में विभाजित किया जाता है— एक बदलकों के लिए और दूसरा अवयवको (नामालिंग) के लिए।

बदलकों को निम्नलिखित टिकट प्रदान किए जाते हैं :—

सामान्य (बनाल)—१

विशेष विषय (नानाचिकित्स)—१

कथा साहित्य (प्रिक्शन)—१

संगीत (भूजिक)—१

अवयवकों को सामान्य १ और विशेष विषय १। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों और नियिट प्रकार के व्यवसायियों को उनके विषयों से सम्बन्धित टिकट भी किन्तु पुस्तकालयों में दिये जाते हैं।

ये टिकट एक निश्चित समय तक वैध रहते हैं। साधारणतः दो वर्ष का समय मान्य किया गया है। उसके बाद उनका नवोकरण पुराने टिकटों के बापस होने पर कर दिया जाता है।

आँकड़े

सदस्यों और टिकटों के आँकड़े प्रायः प्रत्येक सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुस्तकालय-सेवा की प्रगति और कार्य-विस्तार जानने के लिए रखे जाते हैं।

ऐसे कार्य दैनिक विधियों के अन्तर्गत आते हैं जो इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में दिए गए हैं, किन्तु नवोकरण, रिक्वेशन, और अर्थदण्ड के सम्बन्ध में योड़ा जाना आवश्यक है।

नवोकरण

धर पर उपयोग के लिए पुस्तकें प्रायः एक निश्चित अवधि के लिए दी जाती हैं। वहुव से सदस्य अनेक कारणों से निर्गत पुस्तकों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते।

ऐसी स्थिति में वे उनको निर्धारित समय से अधिक अवधि के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। इसके लिए वे या तो व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या टेलीफोन द्वारा पुस्तकालय को सूचित कर देते हैं। इस कार्य के लिए एक विशेष प्रकार का नवीकरण कार्ड होता है। व्यक्तिगत रूप से सूचना देने वाले सदस्य इस को स्वयं भर कर चार्जिङ्ग काउन्टर पर दे देते हैं। अन्य साधनों से प्राप्त सूचनाओं की दशा में पाठक-परामर्शदाता ही इस कार्ड पर समुचित विवरण लिख कर चार्जिङ्ग सहायक को दे देता है। ऐसी पुस्तकों का नवीकरण ठीक घर के लिए टी जाने वाली अन्य पुस्तकों की भाँति ही किया जाता है। इस सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि नवीकरण की जाने वाली पुस्तक की अन्य सदस्यों द्वारा माँग न हो।

रिजर्वेशन

जब किसी सदस्य को कोई अभीष्ट पुस्तक जो निर्गत हो, उपयोग के लिए आवश्यक होती है तो वह उसकी सूचना पाठक-परामर्शदाता को दे देता है जिससे वापस आने पर उसे प्राथमिकता मिले और उने ही वह पुस्तक दी जाय। इसके लिए छोटी हुई 'उक्त रिजर्वेशन स्लिप' पोस्टकार्ड साइज में होती है। उस पर एक और सदस्य का पता लिखने का स्थान निर्धारित रहता है और दूसरी ओर पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, वर्ग संख्या आदि के साथ सुरक्षित कराने का संक्षिप्त कारण भरने का स्थान भी रहता है। ऐसी पुस्तक पुस्तकालय में वापस आने पर उसी कार्ड पर पता की ओर टिक्ट लगा कर सदस्य के पास भेज दिया जाता है कि उपर्युक्त पुस्तक तीन दिन या अन्य निश्चित समय तक उस सदस्य के लिए सुरक्षित रखी जायगी।

अर्थदण्ड

प्रायः प्रत्येक पुस्तकालय में निर्धारित अवधि के बाद में आई हुई पुस्तकों के लिए नियमानुसार एक निश्चित दर से अर्थदण्ड लिया जाता है, जैसे एक या दो आने प्रति पुस्तक प्रतिदिन। यद्यपि यह प्रणाली पुस्तकालय-विज्ञान के आचार्यों के अनुसार दोषपूर्ण एवं विवादग्रस्त है, फिर भी किसी अन्य उपाय के न होने पर अभी तक प्रचलित है। इसमें विलग्व के दिनों की संख्या और अर्थदण्ड की दर की गणना के अनुसार अर्थदण्ड का धन सदस्य से लेकर उसके बदले में उसे सीधे दे दी जाती है और पुस्तकों के लिये जमा किया हुआ टिक्ट भी वापस कर दिया जाता है। अर्थदण्ड का धन न देने पर पुस्तकों तो वापस कर ली जाती हैं किन्तु टिक्ट अर्थदण्ड के जमा होने तक रोक लिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह कहा अनुचित न होगा कि अर्थदण्ड को पुस्तकालय की आय का साधन बनाने की अपेक्षा उसे पुस्तकों के आदान-प्रदान का माध्यम बनाए रखना ही उत्तम होगा। यह धन

हित्याक्रिह्य का उन्नर पर जिसी एक दिटेप काउन्टर पर बना होता है जो घाद में निर प्रति पुस्तकालय के गवाने में बैंक में बना हो जाता है।

पुनर्दोष की प्रयोग के लिए देने की प्रणालियाँ :—

सरकारी पर पर उत्तरांग के लिए पुस्तक देने लेने के संबंध में अनेक वैशालिक व्यवस्थाएँ हैं। उसमें से निम्नलिखित उत्तरांगीय हैं :—

१. इंटीस्टर प्रणाली।
२. याता (लेन्डर) प्रणाली।
३. न्यूज़ार्क प्रणाली।
४. नेउन प्रणाली।
५. डिस्ट्रिब्यूटर प्रणाली।
६. पंचूड़ कार्ड प्रणाली।
७. चौथो चार्डिन का या फौथोनार्डर प्रणाली।
८. ऐस्ट्रिक्टर दाइवरी का थोरन प्रणाली।

एनेक्स चूक्ति १ और २ की प्रणालियाँ आवश्यक के समय में अनुपयोगी और अधिक नमय लेने वाली होने के कारण प्राय एवं उपादेय नहीं हैं, यद्यपि याता प्रणाली गिरुड़ द्वारा देयों के पुनरालयों में अभी तक प्रचलित है। यिर भी पुस्तकालय जैव नैत्रिक आने के कारण वहाँ भी इनका स्थान अन्य उपयोगी प्रणालियाँ तो गये हैं। सर्वतो डिस्ट्रिब्यूटर प्रणाली व्याविक होने के कारण मैंहगी है और अभी उनका प्रचलन नहीं हो पाया है। पंचूड़ कार्ड प्रणाली अन्यथिक टेक्निकल होने के कारण आकर्षक नहीं है। फौथो चार्डिन प्रणाली बहुत मैंहगी पड़ती है तथा उसके पर में नियंत्रित टेक्निकल लाने होने के कारण उसका प्रयोग भी कठिन है। ये तीनों प्रणालियाँ अभी तक परिवर्तनक दशा में हैं।

आठवीं प्रणाली भी अभी परीक्षणात्मक है। युलो आलमारी-प्रथा का विकसित स्पृह होने के कारण यह विधि आकर्षक, सर्वांगी और कम समय लेने वाली है। वेल्स्ट्रिक्टर पुस्तकालय के नाम्य अधिकारी भी मैरक्कालविन महोदय—जिन्होंने इसको संवर्धयन प्रयोग किया है—का कथन है कि ‘पुस्तकालय-नेवा की सार्वभीमता को याकार स्पृह देने के लिए पुस्तकालय सरकारी पर पूर्ण विश्वास रखना इस विधि का सूखभूत लियान्वत है। पुस्तकालय की मानवी सामाजिक सम्पत्ति होने के कारण तमाज के मद्दती की है। उन्हें उनके प्रयोग का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। यदि उनके ऊपर नियंत्रण और नियमानुहाल कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत कर दी जाय तो सम्पत्ति के अनुचित प्रयोग की संभावना स्वतः कम हो जायगी।’

इस पद्धति में प्रत्येक सदस्य को सदस्यता-सूचक एक टोकेन दे दिया जाता है जो पूर्णतः अपरिवर्तनीय होता है। सदस्य उस टोकेन के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। पुस्तकालय से पुस्तकें लेने के लिए सदस्य को यह टोकेन चार्जिङ काउन्टर पर छोड़ देना पड़ता है। इस टोकेन के बदले में वह निश्चित संख्या तक पुस्तकें ले जा सकता है। पुस्तकों पर तिथि देने का आवश्यकता नहीं समझी जाती और न अन्य लेवा रखने की ही आवश्यकता होती है। केवल टोकेन-तिथि-निर्देशकों से पुस्तक वापसी की तारीख का पता लगता है।

न्युआर्क प्रणाली

इस प्रणाली को अपनाने में पुस्तक पाकेट, पुस्तक कार्ड, तिथि-पत्र और सदस्य कार्ड इन चार वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। पुस्तकों का संस्कार करते समय उनमें पुस्तक पाकेट लगा कर पुस्तक-कार्ड रख लिए जाते हैं और तिथि-पत्र भी चिपका दिया जाता है। इसका वर्णन इस पुस्तक के अध्याय द में पृष्ठ ७२ पर किया गया है। अब प्रत्येक सदस्य का रजिस्ट्रेशन होने के बाद पुस्तकालय की ओर से एक कार्ड दे दिया जाता है। इसे सदस्य-कार्ड या वारोअर्स कार्ड कहते हैं। इसका नमूना इस अकार है :—

‘सदस्य पुस्तकालय से अपनी अभीष्ट पुस्तक चुन कर अपने कार्ड सहित चार्जिङ्ग फाउन्टर पर ले जाता है। चार्जिङ्ग सहायक पुस्तक जिस तारीख को आना उचित हो, उस तारीख की या निर्गत तारीख की मुहर डेयर द्वारा तिथि-पत्र, सदस्य कार्ड और पुस्तक कार्ड इन तीनों पर लगा देता है और उनी सभी सदस्य का कमांड, पुस्तक-कार्ड पर तथा पुस्तक-कार्ड की कामक सख्ता, नदस्य कार्ड पर वधानिर्दिष्ट स्थानों पर लिख दी जाती है। फाटक पर तैनात चारोंसी कार्ड और पुस्तक की कामक सख्ताओं का लिखान करके सदस्य को बाहर जाने देता है। इधर पुस्तक कार्ड चार्जिङ्ग ट्रे में तारीख क्रम से व्यवस्थित कर लिये जाते हैं और मुक्तिया के लिए उनके बीच ‘तारीख निर्देशक कार्ड’ भी लगा दिए जाते हैं। जब पुस्तक वापस आती है तो पुस्तक-कार्ड को चार्जिङ्ग ट्रे में ते निकाल लिया जाता है और उन्हें पुस्तक पाकेट में रख कर उनको व्यापार रखवा दिया जाता है।

ब्राइडर प्रणाली—इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सदस्य को उतने टिकट दे दिए जाते हैं जितनी पुस्तकें लेने का वह अधिकारी होता है। यह टिकट पाकेटनुमा होता है। उसका जर्मी और दाहिने भाग भा मुँह नुला रहता है। इसका नमूना पृष्ठ १६३ पर दिया गया है।

पुस्तक कार्ड—इस प्रणाली में पुस्तक कार्ड छोटा सा होता है। उस पर तारीख आदि के कालाम नहीं होते। इसका नमूना पृष्ठ १६३ पर दिया गया है।

वह कार्ड पुस्तक पाकेट में रखा रहता है। नदस्य जब पुस्तक लेने आता है तो वह अपनी पसंद की हुई पुस्तकें चुन कर पुस्तकालय के काउन्टर पर ले जाता है। वहाँ वह अपना टिकट और अपनी पुस्तक दे देता है। पुस्तकालय कर्मचारी पुस्तक के पाकेट में ने पुस्तक कार्ड निकाल कर सदस्य के पाकेटनुमा टिकट के भीतर रख कर नदस्य का वह टिकट अपने पात्र रख लेता है और पुस्तक में लगे हुए तिथि-पत्र पर डेयर से उस तारीख की मुहर लगा कर पुस्तक सदस्य को दे देता है। इन प्रकार वह काम मिनटों में पूर्य हो जाता है।



इन टिकटों को एक ट्रे में क्रमशः रखा जाता है, जिसको चार्जिङ्ग ट्रे कहते हैं।

इस चार्जिङ्ग ट्रे में वे टिकट तारीख के क्रम से व्यवस्थित किए जाते हैं और उनके पीछे ‘डेट गाइड कार्ड’ लगा दिए जाते हैं। जब नदस्य पुस्तक वापस लाता है तो उस तिथि-पत्र पर लगी मुहर ने निर्गत तारीख का पता लगा कर चार्जिङ्ग ट्रे में से उस पुस्तक का टिकट निकाल लिया जाता है और उने पुस्तक के पाकेट में रख कर घोल के रखवा दिया जाता है।

डा० रंगनाथन ने अंग्रेजी प्रक्रिया के अध्याय ३ में इस प्रणाली में कुछ मुधार भी कर दिया है।


इन प्रणालियों में से कोई भी प्रणाली अपनाई जाय किन्तु सदा यह ध्यान में रखना चाहिए कि समय कम लगे, लेखा पूर्ण हो (किसको पुस्तक दी गई ? कौन सी पुस्तक दी गई और कितने समय के लिए टी गई आदि), अधिक से अधिक पुस्तकें दी जा सकें और वापसी शीघ्रता और सरलतापूर्वक हो सके।

१५



चार्जिङ ट्रे (एक दराज की)

तिथि निर्देशक कार्ड



डेटर

चार्जिङ ट्रे (दो दराजों की)



पुस्तकालय का काउन्टर

दिली पञ्चिक लाइब्रेरी
पुस्तक ले जाने का टिकट
भी ! इमारी.....

इस टिकट को दूसरे के उपयोग
के लिए देना चाहिए है। इसे
आप
चो दुनिया चालू करा लें।

पने के बदल जाने की
खबरों बदल से बदल दीजिये।
डायरेक्टर

पुस्तक-कार्ड

पुस्तक.....

कामक चंख्या.....

मानि लख्या.....

स्मरण-पत्र

पुस्तकों के लेन देन में कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है जब कि सदस्य पुस्तकों को टीक समय पर वापस नहीं कर पाने और न तो नवीकरण कराने के लिए कोई सूचना ही देने हैं। ऐसी दशा में सम्बन्धित सदस्य को निम्नलिखित रूप में एक स्मरण-पत्र भेजना आवश्यक हो जाता है।

फोन : २४८१०

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी

क्वीन्स रोड, दिल्ली ६

तारीख १६५

प्रिय महोदय ! महोदया,

आपने लाइब्रेरी की नीचे लिखी पुस्तक जिसके लौटाने की तारीख..... थी, अभी तक नहीं लौटाई है। निवेदन है कि उसे अतिदेय शुल्क के साथ तुरन्त लौटाने की कृपा करें।

आपका शुभेच्छा

दे. रा. कालिया

डायरेक्टर

लेखा रखना

सदस्यों को विभिन्न विषयों की जो पुस्तकें घर पर पढ़ने के लिए दी जाती हैं उनका दैनिक लेखा रखना भी आवश्यक है। इससे वार्षिक-विवरण तैयार करने में तथा कुछ अन्य कार्यों में सहायता मिलती है। यह लेखा एक प्रकार के शीट पर तैयार किया जा सकता है। इसका एक नमूना सामने १६५ पृष्ठ पर दिया गया है।

इस प्रकार पुस्तकालय के लेन-देन विभाग को पुस्तकालय-सेवा-क्षेत्र के अनुल्प वैज्ञानिक ढंग से सुसंगठित कर लेने पर उसकी उपयोगिता और लोकप्रियता बढ़ जाती है।

दिल्ली पञ्चिक लाइब्रेरी
 लेन-देन विभाग / बाल विभाग
 निर्गत पुस्तकों के गिनने का पत्रक (काउन्टिङ शीट)
 दारीख.....

	हिन्दी	श्रांगेची	उर्दू
०००			
१००			
२००			
३००			
४००			
५००			
५००			
६००			
७००			
८००			
९००			
१००			
१२०			
कथा साहित्य			
प्रोग्राम			

अध्याय १५

पुस्तकालय : सामुदायिक केन्द्र

सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा अपने क्षेत्र के साक्षर पाठकों को विविध रूप से पुस्तकालय सेवा की वैज्ञानिक व्यवस्था करने पर भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वे केवल 'किताबी कीड़े' ही न बने रहें बल्कि अपने समान रुचि वाले पुस्तकालय के अन्य उपयोगकर्ताओं से मिल सकें, उनसे विचार-विनिमय कर सकें, और पुस्तकालय की सीमा के अन्तर्गत सामूहिक रूप से अपनी सांस्कृतिक रुचियों का विकास भी कर सकें।

इनके अतिरिक्त पुस्तकालय के क्षेत्र में जो निरक्षर व्यक्ति हैं, विकलाङ्ग हैं, तथा निवास-स्थान दूर होने के कारण जो पुस्तकालय तक नहीं आ पाते हैं, उनको भी पुस्तकालय-सेवा प्रदान करना पुस्तकालय का कर्तव्य है। इस प्रकार अशिक्षितों के लिए मौलिक शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षित पाठकों के लिए सांस्कृतिक रुचियों के विकास का अवसर प्रदान करना भी पुस्तकालय का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जिसकी व्यवस्था आवश्यक है।

मौलिक शिक्षा की समस्या—उस प्रकार की न्यूनतम और सामान्य शिक्षा की मौलिक शिक्षा कहते हैं जिसका लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा की भी सुविधा न पाने वाले वालकों और प्रौढ़ों की सहायता करना है जिससे कि वे व्यक्तिगत रूप में और नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य और अधिकार समझ सकें तथा अपनी तात्कालिक समस्याएँ सुलभता सकें और अपने समुदाय की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से भाग ले सकें।

इस प्रकार की शिक्षा प्रारंभ में संसार के उन क्षेत्रों में आवश्यक है जहाँ कि निरन्तरता, वीमारी और गरीबी ने मनुष्य की प्रगति में वाधा डाल रखी है। इस शिक्षा के अन्तर्गत सरल नए विचार, ज्ञान का कुछ वैज्ञानिक आवार तथा लिखने, पढ़ने और साधारण व्यावसायिक दृष्टा का ज्ञान आदि सम्प्रिलित है। अभी संसार के बहुत बड़े भाग में ऐसी 'मौलिक शिक्षा' की बहुत आवश्यकता है।

व्यवस्था—जब पुस्तकालय द्वारा इन दो समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की जाती है तो पुस्तकालय के रूप को बदलना पड़ता है। उस समय पुस्तकालय एक 'विक केन्द्र' के रूप में बदल जाता है। ऐसे पुस्तकालयों को केन्द्र धूम

पर स्थारित किया जावा है जिसे चारों ओर से आ कर अधिक से अधिक लोग उत्तर उत्तरोग करते हैं। अबने लद्य के विश्वार के साथ-साथ इन पुस्तकालयों के किया-कलाप भी बढ़ जाते हैं। पुस्तकालय-विश्वान की नई टेक्निकों, तथा अन्य वैज्ञानिक उपकरणों एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों के सहयोग से ये पुस्तकालय बनता के लिए एक आकर्षक ज्ञानकेन्द्र बन जाते हैं। सक्रेप में ऐसे दोचे में ढले हुए पुस्तकालयों में निम्नलिखित प्रकार के किया-कलाप किये जा सकते हैं जिनके द्वारा पुस्तकालय 'बनता का विद्यालय' बन सकता है :—

सांस्कृतिक किया-कलाप

इस प्रतियोगितात्मक संघार में जहाँ जनता का अवकाश का समय अपनी ओर

- स्थिरने के अनेक सस्ते साधन (सिनेमा आदि) मीजूद हैं, वहाँ केवल पुस्तकों को उभार देने की मुखिया से पुस्तकालय आकर्षक नहीं बन सकता। इसके लिए आवश्यक है कि पुस्तकालय की ओर से अच्छी दृच्छियों का निर्माण; प्रेस और रेडियो द्वारा पुस्तकालय की सेवाओं का प्रचार, उत्तम साहित्य का प्रदर्शन, और फ्रैंस सर्विस सम्बन्धी कार्य तत्त्वता से किया जाय। आज पुस्तकालय को मीलिक शिक्षा की प्राणधारक शक्ति और सामुदायिक केन्द्र (कम्युनिटी सेंटर) के रूप में होना चाहीर है जिसके चारों ओर सांस्कृतिक किया-कलाप (कल्चरल एक्टिविटीज) संगठित हों। ऐसा ही पुस्तकालय व्यक्ति को तथा समूह को त्वयं शिक्षा प्राप्त करने में और उनमें शान की ओर दृच्छा चढ़ाने में सहायक होता है। पुस्तकालय की ओर से लोगों को व्यक्तिगत और समूदृगत ऐसी मुखियाएँ प्रदान की जानी चाहिये कि वे पुस्तकालय में आ कर अपने समान रुचि वाले लोगों से मिल सके और उनसे उन विषयों पर चाचांलाप कर सकें जो उन्हांने पुस्तकों और पत्रिकाओं में पढ़ा है। ऐसा होने से समाजदः विभिन्न रुचि के लोगों के अनेकों समूह (ग्रूप) बन जायेंगे और दूसरे लोग भी आकृष्ट हों कर उन समूहों में शामिल होते रहेंगे।

इस प्रकार पुस्तकालय के सदस्य जब अनेक समूहों में बैठ जाते हों तो वे 'अपनी-आपनी' रुचि के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में अपने विकास के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन कर सकते हैं, जैसे नाटक, संगीत, कला, साहित्य और भाषण आदि। यह समूह गत सांस्कृतिक किया-कलाप (कल्चरल एक्टिविटी) कहलाता है। पुस्तकालय, उनके आयोजन को सफल बनाने के लिए उस विदेशी व्यापिक की पुस्तकों की दृच्छियाँ दैवत करके देता है, जिस पर बाद-विवाद का आयोजन किया जाता है और इस प्रकार सदस्यों का ध्यान भी उस सामग्री की ओर आकर्षित करता है, जो पुस्तकालय ने सुखम है। ऐसे वर्गों में ग्रामः प्रीड़ वर्ग, संगीत और नाट्यवर्ग, साहित्यानुशीलन वर्ग,

एवं सामाजिक अध्ययन वर्ग आदि अनेक वर्गों के कार्य-क्रम पुस्तकालय को आकर्पक बनाते रहते हैं।

पुस्तकालय के द्वारा क्रियाकलाप—इन वर्गों के अतिरिक्त सामाजिक शिक्षा विभाग प्रदर्शनी, फ़िल्म शो, व्याख्यानमाला, पुस्तक-परिचर्चा, समाचार-पत्र कठिन प्रदर्शन, ग्रामोफोन रिकार्ड उधार देने की सुविधा, नवसाक्षर प्रौढ़ों के लिए साहित्य ज्युनियोन, तथा अन्य संगठनों से सम्पर्क स्थापित करना आदि कार्य करता है।

पुस्तकालय में प्रदर्शनी के लिए एक कक्ष सुरक्षित रखना चाहिए जो वैज्ञानिक साधनों से युक्त हो। उसमें पोस्टर्स, चार्ट्स, ग्रैफ, चित्र, फोटोग्रैफ, चित्रकला तथा इस प्रकार की अन्य सामग्री को भी समयानुसार व्यवस्थित किया जाय तथा पुरस्कार आदि देकर सदस्यों को प्रोत्साहित भी किया जाय।

फ़िल्म शो—दृश्य और शब्द साधन जनता को अधिक आकर्षित और ध्यानस्थ कर सकते हैं। इनके द्वारा प्रचारित ज्ञान की छाप गहरी पड़ती है। ये शिक्षाप्रसार और समाज सुधार में भी बहुत उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि लोगों की अधिकाधिक रुचि इस ओर हो रही है। पुस्तकालय में दृश्य-शब्द उपकरणों से युक्त एक कक्ष होना चाहिए जिसका उपयोग ज्ञान का प्रसार, मन बहलाव और साहित्यिक सौन्दर्य के मूल्य-क़ङ्गन के लिए किया जाय। इसमें प्रायः १६ एम० एम० का प्रोजेक्टर, टैप रिकार्डर, रेडियोग्राम, फ़िल्मस्ट्रिप, मानचित्र और चार्ट आदि आवश्यक हैं। इनकी सहायता से बच्चों, नवशिक्षितों और प्रौढ़ों का 'फ़िल्म शो' के द्वारा ज्ञान-बद्धन और मनोरंजन किया जा सकता है।

पुस्तकालय की ओर से व्याख्यानमाला और वार्तालाप का भी आयोजन सदस्यों तथा विषय में रुचि रखने वाले लोगों के लिए समय-समय पर किया जाना चाहिए।

कम्युनिटी लेसनिङ्ग और प्लेबैक प्रोग्राम


पुस्तकालय की ओर से विशेष संगीतात्मक प्रोग्राम की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जहाँ ग्रामोफोन, पुराने क्लैसिकल रिकार्ड्स और हल्के संगीत बोकल और हन्ट्स्ट्रॉमेंटला का प्रयोग किया जाय। कभी-कभी आकाशवाणी के आयोजन टैप रिकार्डर पर रिकार्ड कर लिए जायें और बाद में उनका प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाय। आकाशवाणी से प्रसारित बच्चों के विशेष प्रोग्राम विजली के एक पाइप के द्वारा बच्चों के कक्ष में प्रसारित कर दिए जायें। विभिन्न विदेशी भाषाओं के सीखने के लिए रिकार्ड्स को घर के लिए भी उधार दिए जा सकते हैं। ग्रामोफोन के अन्ते रिकार्ड्स को घर के लिए भी उधार दिए जा सकते हैं।

नवसाक्षर प्रीड़ों का साहित्य

पुस्तकालय अन्य किया-कलाओं के साथ ही संसार के कोने-कोने से ऐसे साहित्य का संग्रह कर सकता है जो नवसाक्षर प्रीड़ों के लिए उपयोगी हो। ऐसे साहित्य को चलते लिखे पुस्तकालयों (मोबाइल वानों) और पुस्तक-वितरण-केन्द्रों (डिपार्टमेंट स्टोरों) के द्वारा नवसाक्षर प्रीड़ों के उपयोग के लिए उन तरह पहुँचाया जा सकता है। कुछ उपयोगी प्रीड़-साहित्य को पुस्तकालय स्वयं प्रकाशित भी करने की व्यवस्था कर सकता है।

शिक्षा-प्रसार-कार्य

पुस्तकालय से दूर रहने वाली बनता को पुस्तकालय की ओर से चल पुस्तकालय और पुस्तक-वितरण-केन्द्रों द्वारा पुस्तक-सेवा प्रदान की जा सकती है। मोबाइल वान-वर्ड-केन्द्र में जाव वो मोबाइल यूनिट के द्वारा फिल्म शो और सर्वांत आदि की व्यवस्था कर सकता है।



मोबाइल वान द्वारा पुस्तकालय सेवा का एक दृश्य

इन प्रकार पुस्तकालय अपने द्वारा आयोजित विविध अविरिति किया-कलाओं के एक लादगारिक केन्द्र बन सकता है।

अध्याय १६

पुस्तकालय के आन्तरिक प्रशासन कार्य

पुस्तकालय-विज्ञान की टेक्निकों और सिद्धान्तों के अनुसार पुस्तकालय-सेवा के चतुर्मुखी विकास की एक संक्षिप्त रूपरेखा देने का प्रयास पिछले अध्यायों में किया गया है। इसके बाद यह आवश्यक है कि पुस्तकालय के आन्तरिक प्रशासन से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर भी विचार किया जाय। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित विषय आते हैं :—

- १—पुस्तकालय की पुस्तकों की जाँच
- २—पुस्तकों की सुरक्षा
- ३—पुस्तकालय का वार्षिक विवरण
- ४—पुस्तकालय समिति का संगठन और उसका कार्य

१. पुस्तकालय की पुस्तकों की जाँच

व्यास्था

पुस्तकालय-आनंदोलन से पूर्व जब कि पुस्तकालय-जगत में आधुनिक विचारों का समावेश नहीं हो पाया था, उस समय तक संगृहीत सामग्री के उपयोग की अपेक्षा उसकी सुरक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। उस समय सामग्री की देख-रेख और समय-समय पर उसकी जाँच करना पुस्तकालय-कर्मचारियों का प्रमुख कार्य तभी जाता था। पुस्तकालय सामग्री की वार्षिक जाँच उसी का परिवर्तित रूप है जो आउ भी अमेरिका के पुस्तकालयों को छोड़ कर प्रायः सभी देशों के पुस्तकालयों में प्रचलित है, इस प्रथा के अन्तर्गत प्रत्येक पुस्तक की शारीरिक जाँच (फिजिकल चेक अप) की व्यवस्था की जाती है। आधुनिक विचारों के अनुसार पुस्तकों की शारीरिक जाँच का अर्थ अपेक्षाकृत अधिक व्यापक हो गया है किन्तु प्रचलित प्राचीन प्रथा के अनुसार प्रत्येक पुस्तक की भौतिक उपस्थिति की ही जाँच की जाती है।

इस प्रकार की जाँच पाठकों के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयोगी ही रहती है। कौन-सी पुस्तक पुस्तकालय में नहीं है इसमें रुचि नहीं रखता। उसका प्रयोग

केवल पुस्तकालय में उपस्थित संग्रह से ही रहता है चूंकि पुस्तकालय का अस्तित्व पाठकों के लिए ही होता है, अतः उसकी प्रत्येक किना भी पाठकों के दृष्टिकोण से उपयोगी होनी ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो उसमें पर्याप्त संशोधन कर देना चाहिए। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए पुस्तकालय-विज्ञान के आचार्यों ने अनेक वर्षों के अनुभव के पश्चात् पुस्तकों की शारीरिक जाँच की व्याख्या विस्तृत कर दी है। इसके अतर्गत उपस्थिति के अतिरिक्त, वर्गाङ्कत पुस्तकों की सापेक्षिक जाँच, प्रतिवाच विपरीती की सम्बन्धित उपयोगिता, वर्गसंख्याओं की जाँच तथा आवश्यक परिवर्तन, जिल्दबन्दी की जाँच, संस्करण की आधुनिकता की जाँच, द्वित्रिस्तत्त्व, पुस्तकों से कर्मचारियों का व्यक्तिगत परिचय, महत्वहीन पुस्तकों का संग्रह में से पृथक् करण तथा सूचनाप्रस्तुतीकरण सम्बन्धी विचाराधीन समस्ताओं का समावान आदि कियाएँ आ जाती हैं।

उद्देश्य

उपर्युक्त व्याख्या के अत्यार्थ प्रमुख उद्देश्यों की भलक मिल जाती है। किंतु भी इस कार्य के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है :—

१—पुस्तकालय की कार्ड-सूची जो संग्रह का वास्तविक प्रतीक होती है, उसे आधुनिक बनाया जाता है।

२—खोई हुई पुस्तकों के प्रतिश्वसन के आधार पर पुस्तकों के खोने का कारण ज्ञात किया जाता है और उसकी रोक के उपाय निकाले जाते हैं।

३—संपूर्ण संग्रह का पुनर्गठन हो जाता है।

४—अस्वच्छता तथा विभिन्न प्रकार की त्रुटियों का नियकरण हो जाता है।

५—संग्रह के विभिन्न वर्गों की दुर्बलताओं का ज्ञान तथा उनको सबल बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

विधियाँ

पुस्तकालयों को पुस्तकों आदि की जाँच करने के सम्बन्ध में दो विधियाँ प्रचलित हैं। उनमें से एक को 'वार्षिक जाँच' और दूसरे को 'निरन्तर जाँच' कहा जा सकता है। पहली विधि प्राचीन प्रथा है और दूसरी विधि आधुनिक विचारों का प्रत।

वार्षिक जाँच—यहें कहाया गया है कि प्रत्येक पुस्तक का एक 'शेल्फ लिस्ट कार्ड', भी तैयार किया जाता है जो शेल्फ लिस्ट के कार्ड कैडिनेट में रखा रहता है और नए घाँट उसमें बराबर लगे रहते हैं। जिन महीनों में पुस्तकालय का उपयोग कम होता हो, उन्हीं महीनों में वार्षिक जाँच होनी चाहिये।

निरन्तर जाँच—आधुनिक पुस्तकालय-वैज्ञानिकों का मत है कि जाँच का कार्य वाधिक होने पर खर्च बहुत पड़ता है। उदाहरणार्थ यदि किसी पुस्तकालय में पचास द्वारा पुस्तकें हैं तो सारे स्टाफ को महीनों सब काम बन्द करके जाँच करनी पड़ती है। उन दिनों पुस्तकालय के उपयोग से जनता वंचित रहती है और एक सा ही जाँच का कार्य करने से स्टाफ भी यह सा जाता है। यदि अन्त में दस-त्रीस पुस्तकें खोई हुईं निकलीं भी तो उनके मूल्य का कई गुना स्टाफ का वेतन ही हो जाता है जो जाँच कार्य में लगा रहा। इसलिए उनका मत है कि जाँच कार्य 'निरन्तर' प्रतिदिन नियमित होना चाहिए और दैनिक कार्य-क्रम में इसको शामिल किया जाना चाहिए। कुछ कर्मचारी जिनको 'ट्रेसर' कहा जाता है, प्रतिदिन एक निश्चित समय तक एक ओर से जाँच का कार्य करते हैं। इससे पुस्तकालय बन्द नहीं करना पड़ता, अतिरिक्त व्यय भी नहीं करना पड़ता और गलतियाँ जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। ऐसा करने से स्टाफ पर कोई जोर भी नहीं पड़ता।

जाँच के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए :—

१—जो पुस्तकें गलत स्थान पर पाई जायें उन्हें ठीक स्थान पर लगा दिया जाय। जिनके लेखुल उखड़ गए हों उनको फिर से ठीक कर दिया जाय। तिथि-पत्र यदि भर गया हो तो उसे बदल दिया जाय। जो प्लेट या पन्ने ढीले हो गए हों, उन्हें चिपका दिया जाय।

२—जिन पुस्तकों की जिल्ड टूट गई हों या पन्ने फट गए हों उन पुस्तकों को अलग छूँट लिया जाय और ऐसी सब पुस्तकों की मजबूती से जिल्डन्डी कर ली जाय।

३—जो पुस्तकें खो गई हों उनके 'शेलफलिस्ट कार्ड' दराज में से निकाल लिए जायें और उनको विषय-क्रम से एक अलग दराज में रख लिया जाय। उन पुस्तकों को खोजने की चेष्टा की जाय और अन्त में जिनके विषय में अन्तिम रूप से निश्चय हो जाय कि वे खो गई हैं, उनके शेलफ लिस्ट कार्ड तथा लेखक, शीर्षक आदि सभी प्रकार के सम्बन्धित कार्ड, कार्ड कैविनेट से निकाल कर अलग कर लिए जायें। पुस्तकालय-समिति की स्वीकृति लेकर वापसी रजिस्टर पर ऐसी पुस्तकों को विवरण सहित चढ़ा लिया जाय और वापसी की क्रमसंख्या रजिस्टर या एक्सेशन कार्डों पर दी जाय।

४—जो पुस्तकें समय की गति से चिल्ड गयी हैं, या जिनकी उपयोगिता समाप्त हो, उसको भी छूँट लेना चाहिये और उनसे सम्बन्धित सभी स्वीकृतों शेलफ लिस्ट कार्डों को कार्ड कैविनेट से निकाल लेना चाहिये। पुस्तकालय

बिनियों के निर्यात के अनुमार ऐसी पुस्तकों को या वो रही (Discarded) की मुहर लगा कर रही ने बेच देना चाहिए या यदि इधान हो वो उसे Dunning के तीर पर अड्डन आलमारियों में बिन्दकम से रख देना चाहिए और उनके कार्ड भी अलग दण्ड में व्यवस्थित करके यह देना चाहिए। समिति जाहे तो उन पुस्तकों को यदि और पुस्तकालय मार्ग करे तो उन्हें दे सकती है। किन्तु हर शालत में छाती हुई सभी पुस्तकों के ऐसेहन रजिस्टर या ऐसेहन कार्ड तथा देत्तन लिस्ट कार्ड में अधिकारी का हस्ताक्षर भी अनश्वर होना चाहिए। पुस्तकों की छुट्याई से पुस्तकालय का स्वरूप हो जाता है। आलमारियों से अनावश्यक पुस्तकें निकल जाने से उनके स्थान पर नई अच्छी पुस्तकें आ जाती हैं और पुस्तकालय आधुनिक हो जाता है एवं उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है।

५—यदि दुष्क पुस्तकें ऐसी हों जिनमा वर्गांकरण गलत हो गया हो अथवा किसी सारणीया उन्हें दूसरे वर्ग में स्थानान्तर करना हो तो उनके लेत्रुल, पुस्तक-कार्ड, सभी कार्ड तथा रेत्र लिस्ट कार्ड आदि सभी में आवश्यक संशोधन कर देना चाहिए।

६—यदि परंतु अवश्य भिले तो पुस्तकों में किए गए वैसित के चिह्नों को भी नियमों देना चाहिए।

७—पुस्तकालय की पुस्तकों की विलेवन्दी भवरूत और टिकाऊ करानी चाहिए जिसमें वे बहुत जीर्ण-शीर्ण होकर नष्ट न हो गए।

८—दिन पुस्तकों को लोड हो रही हो और न भिज्ञ सरने के कारण तत्त्वज्ञनी केरी नृचना आदि विचाराधीन पड़ी हो उन पर यथोचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

९—जैविके बाद एक बिसाव पत्र (Balance sheet) तैयार करना चाहिए जिसमें गोई हुई, अनुपरोगी समझार छाती हुई, कटी-फटी और जोर्य शीर्ण होकर बेघर हो जाने वाली पुस्तकों का लेखा हो। इन पुस्तकों को द्याक रजिस्टर से अलग कर देना चाहिए और उनसे सम्बन्धित समस्त बाड़ी को एक अलग ट्रैमें व्यवस्थित कर देना चाहिए। बासी रजिस्टर यहि रखा जाय तो उसमें इन पुस्तकों को चढ़ा लेना चाहिए।

पुस्तकालय के संग्रह की बाँच सम्बन्धी रिपोर्ट को संरक्षित करने के पधात् उसे चार्टिंग रिपोर्ट में पुस्तकालय समिति के विचाराधीन समिक्षित कर लिया जाता है। यदि किसी वर्ग विशेष की पुस्तकें अधिक लो गई हों तो उस पर आन्तरिक तुरद्वा की अपरत्या बढ़ा दी जाती है। यहि लोने का अनुगत अनेक पर्सों में समान हो तो आप तुरद्वा को विशेष अवस्था कर दी जाती है। प्रत्येक दिया में पुस्तकों के लोने

का उत्तरदायित्व पुस्तकालय के कर्मचारियों पर नहीं डाढ़ा जना चाहिये, जैसा कि अभी तक प्रवृत्ति रही है। ऐसा करने से पुस्तकालय-सेवा के विस्तार में बाधा पड़ेगी।

२. पुस्तकों की सुरक्षा

आवश्यकता

समुचित और सफल पुस्तकालय-सेवा प्रदान करने का साधन अध्ययन सामग्री ही होती है। इसका संग्रह करने में तथा इसकी व्यवस्था करने में पुस्तकालय का धन पुस्तकालय-स्टाफ का समय और श्रम लगता है। यह सामग्री एक प्रकार से मूलाधार होती है जिस पर सारी पुस्तकालय-सेवा निर्भर रहती है। इसके द्वारा वर्तमान पीढ़ी के लोग ज्ञानार्जन करते हैं और भावी पीढ़ियों का भविष्य भी इन्हीं पर निर्भर करता है। अतः राष्ट्र की इस सार्वजनिक एवं सांस्कृतिक निधि की सुरक्षा सभी सम्भावित आपत्तियों से करना अत्यन्त आवश्यक है।

आपत्तियाँ और निवारण

हम मनुष्यों की भाँति पुस्तकों के भी दैविक, दैहिक और भौतिक आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। ये आपत्तियाँ पुस्तकों पर निम्नलिखित रूप में आती हैं:—

१. दैविक आपत्ति—अति वर्षा या बाढ़ से तथा आग लगने आदि से पुस्तकों को जो हानि पहुँचती है, उसे दैविक आपत्ति कहा जा सकता है।

इनसे बचने का उपाय यह है कि पुस्तकालय भवन का घरातल ऊचा बनाया जाय और स्थान ऐसा हो जहाँ अतिवृष्टि और बाढ़ आदि से कम से कम खतरा हो। पुस्तकालय के आस-पास ऐसी दुकानें, कारखाने या मकान न हों जिनसे आग लगने का डर हो। आग से बचने के लिए अग्निशामक यंत्र (फायर इक्सट्यूंगिशर) लगवा दिया जाय तो अच्छा है। पुस्तकालय का आग का बीमा करा लेना भी आवश्यक और लाभदायक होता है। पुस्तकालय के भीतर कोई भी भक से उड़ जाने वाला पर्याप्त (इक्सप्लोजिव) न रहे। पाठकों को बीड़ी, सिगरेट आदि पीने की मनाही रहे अथवा उनके लिए राख भाड़ने की द्रें (एश ट्रे) रहे जिसमें वह सिगरेट के बचे डुकड़े बुझ कर डाल सकें।

२. दैहिक आपत्ति—बहुत पढ़ी जाने वाली या आलमारियों में टेड़ी-मेड़ी पड़ी रहने वाली या अन्य असावधानी का शिकार होने वाली पुस्तकों का शरीर रोगी हो जाता है और उन्हें भी हमारी तरह डाक्टर की जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति आने ते पहले ही प्रत्येक आकार-प्रकार की पुस्तकों की जिल्दवन्दी का रेट दफ्तरी से पूछ कर

इसे लिखेत रह में रखत में रखना चाहिए और अवश्यकता पड़ने ही तुल्य दफ्तरी की तुला कर मध्यम कहा होनी चाहिए।

बिल्डिंग और मरम्मत—आवश्यक पुस्तकालयों में पुस्तकों की बिल्डिंग और मरम्मत का विषेष इन इमारिए भी रखना पड़ता है जिसकी पुस्तकों का सार्व-दलिक इरण्डग अथवा पहले ही श्रेणी अधिक होने लगा है जिससे पुस्तके बढ़व व्याप हो जाती है। इसी बात पर है कि आवश्यक जो बिल्डिंग पुस्तकों वाजार में आती है उनमें बिल्ड भी एक जाति से जागा नहीं ठिक पाठी, विशेष रूप से उपन्यास और छानियों आदि को पुलाई का। इसलिए पुस्तकालय की पुस्तकों की बिल्डिंग की जगत्ता पर्सनल पुस्तकों से अंतर्क मवृत्त कराई जानी चाहिए। बिल्डिंग की मजबूती उच्ची निलाई पर निर्भर है। इसके साथ ही साथ रग, रूप और सुन्दरता भी आवश्यक है। वैसे अब तो आले या भूंर चमड़े की बिल्डिंग का पुग बीत गया क्योंकि आज इन रेगिस्टरें चमड़े, चमड़े और चमड़े भिजने लगे हैं जिनमें मुन्दर बिल्डिंगों हो जाती है। सार्वजनिक पुस्तकालयों का सदा अनुभवों दफ्तरी से काम लेना चाहिए। बिल्डिंगों के मामले में चालापन बहुत धारक होता है। जिल्डे चार-चार दूट जाती है और इस प्रकार 'सला रोरे चार-चार' वाली कहावत चरित्रार्थ होती है। जिल्डिंगों पुस्तकों की सुधार का एक प्रमुख अङ्ग है। अतः यह गजत दंग से कभी भी न होनी चाहिए। इसमें बिल्डिंग यदि अच्छे न हो तो कुछ दूर याले अच्छे जिल्डिंग से भी बिल्डिंग कराई जा सकती है। यदि पुस्तकालय की स्थिति अच्छी हो तो उसे अपना निजी जिल्डिंग रखना चाहिए और अपनी देश-देश में अपनी आवश्यकता के अनुसार बिल्डिंग करनी चाहिए। बिल्डिंग के लिए डेंडर मैगाना टीक नहीं है। इसमें प्राप्त धोना हो जाता है।

दृष्टिकौशल के प्रकार : नियारण

पुस्तकों का दृष्टिकौशल के प्रकार से हो सकती है : इल्की (माइनर) और मारी (निक)। बिस प्रकार मनुष्य के शरीर पर चोट लग जाने पर उसे तालालिक चिकित्सा प्रदान की जाती है उसी प्रकार पुस्तकों को भी सामान्य दृष्टि पहुँचने पर प्रायामिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। इन दृष्टियों के अनेक रूप हो सकते हैं जैसे पक्षों से भिजन जाना, किनारों का मुड़ जाना, दाशिये का फड़ जाना और जिल्ड के ताग घट जाना आदि। अनुभव दर्शाता है कि पुस्तकालय के प्रत्येक कर्मचारी को दृष्टि और इस प्रायामिक चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है। इस ज्ञान के अन्तर्गत दूटी हुई जिल्ड की सिलाई, कठे हुए श्यान को उचित प्रकार के कागज से जोड़ना, पूँछों के लिए कुड़िनों को बराष्टर कर देना तथा उसड़े हुए प्लेट और चित्रों को सावधानी से व्यास्थापन दिया जाना आदि समिलित है।

इसके लिए मुख्यतः निम्नलिखित क्रियाओं का परिचय आवश्यक है :—

(क) सिकुड़न का ठीक करना—प्रायः पृष्ठों के कोने अधिक संख्या में मुड़े हुए देखे जाते हैं। कभी-कभी बीच के पन्ने भी पाठकों की असाधारणी से मुड़ जाते हैं और उनमें सिकुड़न पड़ जाती है। इसके फलस्वरूप पुस्तक की आकृति विगड़ जाती है और जिल्द फैल जाती है। यदि समय पर ध्यान न दिया गया तो ऐसे पन्ने कुछ दिनों बाद फट जाते हैं। इनको ठीक करने के लिए दो विधियाँ अपनाई जाती हैं। प्रेस्ड काटन को भिगो कर उससे सिकुड़न द्वारा बनी हुई रेखाओं के स्थान को धीरे-धीरे नम कर दिया जाता है और उसके बाद उस पृष्ठ के नीचे ऊपर ब्लाइङ रस कर उसे दबा दिया जाता है और कम से कम २४ घंटे दबा रहने दिया जाता है जिससे पन्ने अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी विधि में आर्द्रक यंत्र (ह्यूमिडि फायर) के द्वारा पृष्ठों को नम कर लिया जाता है और उसके बाद रेगुलेटेड आर्द्र प्रेस से दबा कर सुखा लिया जाता है।

(ख) पृष्ठों के फटे भागों को जोड़ना—अधिकतर पन्नों के दाहिने हाईरिंग और फर्मों की सिलाई के बीच वाले पन्ने अधिक प्रयोग या लापस्वाही के कारण फट जाते हैं। ऐसे स्थानों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का हैशडमेड पेपर पुल कालय में सदैव रखना चाहिए जिसकी आधे इंच से लेकर १३ इंच तक की पट्टियाँ काट कर स्टैक रूप, लेन-देन विभाग आदि के कर्मचारियों के पास सदैव रस देना चाहिए। इन पट्टियों के फटे हुए स्थान के बराबर दुकड़े काट कर इस ढंग से निकाना चाहिए कि हाशिया विकृत न होने पाए। हाशिये के साथ-साथ लिखित भाग भी फट गया हो तो जापानीज टीसू पेपर का प्रयोग करना चाहिए। यह पृष्ठों के साथ मिल कर एक हो जाता है और लिखित अंश को सरलतापूर्वक पढ़ा जा सकता है। यदि कहीं से सिलाई टूट जाने से या अन्य किसी कारणावश दो पन्ने एक लाई निकल आएँ तो उनके नीचे से पुस्तक की सिलाई के स्थानों को छोड़ कर योग्य भूमि पर पतले कागज की पट्टियाँ चिपका दी जाती हैं जिससे पृष्ठ भी दक जाय और यह की मोटाई भी अधिक न बढ़ सके।

(ग) जिल्द के तागों का टूट जाना—यह सबसे कठिन मरम्मत होती है। इन लिए पूरी जिल्द को तोड़ कर फिर से नई जिल्द बाँधनी पड़ती है। अथवा इन पुलकालय का अपना जिल्दवंदी विभाग हो तो अपने जिल्दसाज के द्वारा उन्हें मरम्मत करा लेनी चाहिये। इसका तुरन्त ठीक हो जाना इसलिए आवश्यक है। नने अन्य पन्नों के निकल जाने का भय रहता है।

(घ) पुस्तक का ऊपरी कार्डबोर्ड या पुढ़े का टूट जाना—उसके द्वितीय

ये पुष्ट छों सेंद से तुरन्त चिन्हगा देना चाहिए। यदि ये कारी उसक गए हैं तो उनके समान पर नर कोने या पुष्ट की पूर्ति कर देनी चाहिए।

(क) द्विट पुट खंडित पनों की पूर्ति—कभी-कभी ऐसा होता है कि अधिक उच्चेन के कारण पठन सामग्री के एक या दो पनों से बाने हैं। इससे पुस्तक की उच्चेनिया कम हो जाती है जब कि अन्य दशाओं में पुस्तक पूर्ण सरोप्रद होती है। उच्चेन उच्चेनिया के अभाव से बचाने के लिए उन पनों को उच्ची पुस्तक की प्रामाणीक शर्त से (रक्षण आदि प्रशान रखने तुर) साप से लिल कर या दाहृ करा र चिरग्य देना चाहिये। इसमें पुस्तक के पृष्ठ वीं लगाई और चौड़ाई का विशेष रूप रखना चाहिए।

पारी चृति : सापाय

इन प्रकार की इच्छी मरम्मत के अविरिक तुल्य ऐसी पठन सामग्री भी होती है जिके द्विए उच्चेनी से उपरोग चाहते हुए भी तुरन्त मरम्मत की आवश्यकता होती है। वैसे, अविरक पुरानी पुस्तकों बिनके पृष्ठ टूटने की दशा में हो, इस्तलिखित ग्रन्थ, जिसे ही कंशहीन अंगारकता और दुपाघ पुस्तकों आदि। ऐसी सामग्री को पुनर्बिन और अधिक उच्चेनिया प्रदान करने के लिए कुराल तथा दब सहायता की आवश्यकता होती है। सापारख्यतः बही आधुनिक यन्मों की सहायता नहीं ली जा सकती, उन पुस्तकालयों में, दो प्रकार से उनकी मरम्मत की जाती है। यद्यपि इस अर्थ की मरम्मत कुछ योग्य मौहरी होती है किर भी ५० वर्ष से लेकर १०० वर्ष तक द्विए उच्च पठन-सामग्री को बीचन-प्रदान किया जा सकता है।

(क) टूट जाने वाले पनों को मरम्मत—इसके लिए दो प्रकार के कागज की व्यवस्था होती है, हैरडमेड पेपर और जागानी टीयू पेपर। जागानी टीयू पेपर को यों के नाम से चारों ओर अथवा सूत बढ़ा काट लेते हैं और प्रत्येक पनों के दोनों ओर उच्चेन भरने के आटे की कियोग प्रकार की लैई (डेलाइन पेस्ट) से चिपका देते हैं। इसके बाद एक हैरडमेड पेपर के द्वाने बड़े दुकड़े में दो पनों को एक घण्य, पनों के नाम या स्थान काट कर, चिपकाया जाता है कि आधा सूत का निकला छाया जागानी टीयू पेपर उस खेरे के ऊपर चिपक जाय और हैरडमेड पेपर का ढुकड़ा गड़ देने पर भीतर की ओर एक इंच का हारिया दोनों पनों के लिए छोड़ दे। ऐसा योग्य को जानने समझ पनों के चारों ओर के हारियों की चौड़ाई का भी ध्यान लें जावा है। किन्तु भीतर की हारियों की चौड़ाई एक इंच या उच्चेने कुछ अधिक लिखिए तूटनी चाहिये कि पुस्तक के समस्त पनों को उपरोक्त रूप से चिपका लेने के अवाकृ उनकी विश्ववन्दी करते समझ पर्यात हारिया प्राप्त हो सके।

जिल्दबन्दी का लेखा और जाँच

जिल्दसाब के पास जो पुस्तके जाती हैं उनका लेखा रखना आवश्यक है। उसमें हिदायत भी दी जानी चाहिए और उसकी प्रतिलिपि अरने पास रख लेनी चाहिये। लेखाभन्द्र का नमूना इस प्रकार है :—

मेजने की तारीख	लेटरिंग	वर्ग-संख्या	हिदायत	लौटाने की तारीख

पुस्तकों को जिल्दबन्दी के लिए ले जाने से पहले इस फार्म के द्वारा पृष्ठ पर जिल्द-साब का दस्तखत होना चाहिये। आज ता० को पुस्तकालय से पुस्तकें। पत्रिकाएँ प्राप्त हुईं।

६० जिल्दसाब

इस फार्म पर पुस्तकालय की मुद्रा और तारीख भी लिखी जानी चाहिए। जिल्द-बन्दी के बाद आई हुई पुस्तकों की जाँच और भिलान ऊपर दिए हुए इसी लेखाभन्द्र के अनुसार कर लेनी चाहिये।

कीड़े—पुस्तकों में कभी-कभी कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े कई प्रकार के होते हैं। कीड़े सभी पुस्तकों को दी० दी० का मरीज समझ कर अन्य पुस्तकों से अलग घर देना चाहिए। निर जैवा उचित हो उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। कीड़ों से बचने का सरल और पुराना उपाय यह है कि नीम की सूखी पत्तियों को पुस्तक के पंद्रों के बीच में रख दिया जाता था। लेकिन आब कल दी० दी० दी० नाम का एक घोल (मिस्सन चर) और चूलं (पाड़डर) भिलता है। इसको छिड़कने की एक चिकित्सारी भी भिलती है। चिकित्सारी में दी० दी० दी० का घोल भर कर पुस्तकों पर छिड़कने से कीड़े मर जाते हैं। किन्तु भारतीय पुण्यतेल संग्रहालय (नेशनल आर्काइव) के वैशानिक अनु-संधान विभाग की खोजों के अनुसार इस घोल का प्रयोग पुस्तकों के लिए बहुत हानिकारक होता है। फर्या और खालों रैक आदि पर दी० दी० दी० का प्रयोग किया जा सकता है। पुस्तकों के लिए इस स्थान पर नैथलीन की गोलियाँ या ईटे प्रयोग में लाई जा सकती हैं या एक विशेष प्रकार की आलमारी में रख कर पुस्तकों पर फ्रांसीसी गोलियाँ लाई जा सकती हैं।

किया जा सकता है। जाँच करते समय पुस्तकों की गर्द गुचार को भी साफ कर लेना चाहिए। बड़े बड़े पुस्तकालयों में धूल को साफ करने की 'बैकुअम फ्लीनर' नामक मशीन भी होती है। यह मशीन विजली के द्वारा चलती है। इसमें एक नली होती है जिसे जहाँ भी लगा दीजिए वहाँ से आस पास की गर्द अपने भीतर खींच लेती है और यदि उड़ाना चाहें तो वह भी उड़ा देती है।

३ भौतिक आपत्ति—पुस्तकालय के इतिहास में भौतिक आपत्ति सबसे प्रबल रही है और पुस्तकों को सदा भौतिक आपत्तियाँ सहनी पड़ती रही हैं। युद्धों के कारण प्राचीन काल से ही पुस्तकालय नष्ट होते रहे हैं। मनुष्य जहाँ एक और कला और साहित्य का उपासक रहा है, वहाँ दूसरी और वह उसका विव्यंस करने वाला भी रहा है। पुस्तकों, स्कूलों और कलाकृतियों को दुष्ट इन्सान नष्ट करते रहे हैं, लेकिन कला का दुश्मन मिर्फ आदमी ही नहीं है, क्योंकि चित्रों, मूर्तियों, उपासना-गृहों और पुस्तकालयों के लिए—जिन सब से भिज कर ही मानवता की सांस्कृतिक परम्परा बनती है—काल से और उपेत्ता से भी बड़ा भारी संकट पैदा हो सकता है।

भारत के नालन्दा और तक्षशिला जैसे महान् पुस्तकालय इन्सान ने बताए। इस्कन्दरिया का महान् पुस्तकालय भी इन्सान की गलती से भर्त हो गया। नमर वे तो पुरानी थांते हैं। आज के सभ्य संसार का उदाहरण भी हमारे सामने है। पिछले युद्ध में आक्रमण से मनीला, केन, लूबौ, मिलान, लन्डन, कोरिया और शंघाई में पुस्तकालय नष्ट किए गए। चेकोस्लोवैकिया में ५३७ पुस्तकालय नष्ट हो गये और पांचौर में पोलिश भाषा की एक पुस्तक थार्की न बची। द्वितीय महायुद्ध के युग में पुनर्जन्म पर वेरहमी से वस वरसाए गए, और ६ साल बाद १९५० की वसन्त ऋतु में नार्म संडा के थालोवनस नगरपालिका के पुस्तकालय का हमले से किसी तरह पुनर्जन्म किया गया। वेचारे २५ उनेश और त्वीडिश थात्रों ने गर्भी की सारी कुर्दार्मा न प्रक्षतकों की सफाई करने हुए और उनकी जिल्दवन्दी करते हुए चिताई। इन पुकारों में

पुस्तकों के पने पाड़ लेते हैं, चित्र निकाल लेते हैं, उनको चुपा लेते हैं और इन्होंना पाठकों को उनके उपयोग से सदा के लिए बंचित कर देते हैं। इसके लिए कुछ निम्न-लिखित उत्तर पुस्तकालय में किए जा सकते हैं :—

(१) पुस्तकालय के दरवाजे और लिफ्टकियों पर बारीक तार की जालियाँ लगाई दें।

(२) प्रवेश द्वार पर आने जाने वाले पाठकों पर कड़ाई रखी जाय।

(३) पुस्तकालय के कर्मचारी संदिग्ध पाठकों की गतिविधि का ज्ञानपूर्वक अध्ययन करें।


(४) जिन पाठकों पर यह दोष प्रमाणित हो, उन्हें पुस्तकालय-सेवा से तबाल बंचित कर दिया जाय।

(५) पाठकों के भेदों, छाते, श्रेवर कोट आदि को प्रवेश द्वार पर ही रखने की व्यवस्था की जाय।

(६) उपरोक्तरांशों के भीतर नागरिक भावनाओं का विचास किया जाय और वह घोष कराया जाय कि पुस्तकालय सार्वजनिक समति है और उसकी किती दलु की घोष स्तर से व्यक्तिगत उपयोग के लिए लेना घोर अन्तराध है और उस चन्ननि द्वी हानि उनकी अपनी हानि है।

(७) पुस्तकों के शाकार की झुक्का के लिए आलमारियों में 'स्टील चूक सेपोर्ट' का उपयोग करना चाहिए। ये सेपोर्ट लोहे के बने होते हैं और पुस्तकों की इस्त-ब्लडर गिरने और ढूँढने से रोकते हैं।

यदि उपर्युक्त उपायों से पुस्तकालय की अव्यवस्था की झुक्का की जाय तो पुस्तकालय-सेवा अधिक उपयोगी और प्रभावशाली हो सकेगी और भानव की सांस्कृतिक परम्परा का उद्धरण विकास हो सकेगा।



स्टील चूक सेपोर्ट

३—पुस्तकालय का वार्षिक विवरण (रिपोर्ट)

सभी प्रभार के पुस्तकालय अपने सेवा कार्यों का किती न किसी रूप में आँकड़े

सहित विवरण तैयार करते रहते हैं। एक निश्चित अवधि, जैसे छः मास या एक वर्ष के समत्त कार्यों के आँकड़ों को एक स्थान पर रख कर विवरण तैयार करने को क्रमशः अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक विवरण कहते हैं। श्री ज० डी० ब्राउन के कथनानुसार यह “पुस्तकालय के समत्त विभागों के क्रिया-कलापों का एक सर्वाङ्गिक इतिहास है।” “वार्षिक विवरण पुस्तकालय संस्था के परिश्रम का सार और समिति तथा समाज के बीच सीधे सम्पर्क का माध्यम है।” दूसरे शब्दों में वार्षिक विवरण के दो मुख्य उद्देश्य हैं :—

१—पुस्तकालय सेवा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सारगमित चित्र उपस्थित करना,

२—जन सम्पर्क बढ़ाने के लिए विज्ञापन की उपयोगिता का कार्य करना। श्री ई० वी० कार्वेट महोदय इसी को इन शब्दों में प्रत्युत करते हैं कि वार्षिक विवरण “पुस्तकालय में किए गए कार्यों का निर्देशन तथा पुस्तकालय-सेवा-भार का प्रदर्शन है”

अङ्गः—

वार्षिक रिपोर्ट में सामान्यतः निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है :

१—सामान्य विवरण

(क) आख्या प्रष्ठ

(ख) समिति के सदस्यों की सूची तथा पुस्तकालय-स्टाफ की तालिका,

(ग) संक्षिप्त पठनीय तथ्यपूणे और साहित्यिक वर्णनात्मक विवरण,

(घ) जनसंख्या विषयक आँकड़े जैसे कुल जनसंख्या, कर देने वोग्य जनसंख्या, पुस्तकालय-सेवा प्राप्त प्रतिशत जनसंख्या आदि

२—आय और व्यय

इसके सम्बन्ध में ‘पुस्तकालय की अर्थ व्यवस्था’ अव्याय ३ में दर्श दुन्हा है।

३—स्टाफ और लेन-देन के आँकड़े

इसके सम्बन्ध ने अव्याय १४ में वराया गया है।

“न सूदमतम और विश्लेषणात्मक संख्यायन (टैटिलिक) व्याय ३ में दर्श देने वाले तथा ज्ञानेतर विवरण इन आँकड़ों की अदिक उत्तराधीन हैं एवं अत्यन्त आवश्यक है।

४—स्टाफ और पुस्तकालय उक्त के आँकड़े—

५—अन्य प्रमुख तथा बैतो :—

- (क) पुस्तक-संलग्न-वृद्धि के आँकड़े (दान या विनिमय)।
- (म) टेक्निकल कार्य के आँकड़े।
- (ग) भावनालय की उपस्थिति।
- (घ) रिजर्वेशन्स, नवीकरण, अतिदेव शुल्क और वापसी आदि।
- (ङ) सांस्कृतिक और विगापन सम्बन्धी किया-कहाप।

६—प्राचार-कार्य सम्बन्धी सेवाएं

बैतो—विद्यालय, अस्पताल, समाजसेवाकेन्द्र (Social Service Centre) आदि।

चौथे

ऊर वार्षिक विवरण के दो उद्देश्यों का जिक्र किया गया है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति भी इसके द्वारा हो जाती है :—

१. समुदाय—जिसको पुस्तकालय-सेवा प्रदान की जा रही है—के सदस्यों का परिचय और जान प्राप्त हो जाता है।
२. सेवा के प्रधार (व्यालिदी) वा ज्ञान हो जाता है।
३. पाठकों की मांगों और उनकी सचि का पता चल जाता है।
४. पुस्तकालय के विकास का ज्ञान होता रहता है।
५. देवी दुर्घटनाओं के समय—यदि पुस्तकालय का चीमा करा जिया गया है—मूल्यांकन का आधार हो सकता है।
६. पुस्तक-नुनाव और आगामी वर्ष की माग का आधार होता है।

इस प्रकार, संदेश में हम कह सकते हैं कि, वार्षिक विवरण पुस्तकालय के कार्यों को प्रदर्शित करने हुए हमें भावी कार्य-क्रम निर्धारित करने के लिए लाभदायक निर्णय प्रदान करने में महायक होता है।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित धारों ध्यान देने योग्य हैं :—

१—चूंकि ये आँकड़े अपेक्षाकृत परिमाणात्मक होते हैं अतः पुस्तकालय-सेवा के द्वारा कार्य में इनके बनाने और रखने आदि को इतनी प्राथमिकता न दी जानी चाहिए विसने पुस्तकालय के दैनिक सेवा कार्यों में बाधा उत्पन्न हो सके।

२—बहाँ तक हो सके वार्षिक विवरण में वर्णन की अपेक्षा रेखाचित्र, सुभवरिधि आँकड़े देखा अन्य सारणी एवं चक्र आदि यथास्थान अवश्य दिये जायें।

४—पुस्तकालय समिति का संगठन और उसका कार्य आवश्यकता

पुस्तकालय की चतुर्मुखी कार्य प्रणालियों की देख-रेख करने, उसके शक्ति के स्रोत को उचित मार्ग पर प्रवाहित करने के लिए तथा जनता के समक्ष पुस्तकालयकर द्वारा अर्जित धन के व्यय के ग्रांचित्य के प्रति उत्तरदायी होने के लिए एक ऐसी अधिकार-सत्ता की आवश्यकता होती है जो उचित नीति निर्धारित करके पुस्तकालय-सेवा को व्यापक और सफल बना सके। यह अधिकार सत्ता पुस्तकालय सम्बन्धी कार्य-प्रणाली के प्रति तभी उत्तरदायी हो सकती है जब उसका संगठन जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा ही हो।

प्रकार

साधारणतः पुस्तकालय जगत में तीन प्रकार की समितियाँ संगठित होते हुए देखी गई हैं। १—कार्यसंचालिका समिति २—रिपोर्टिङ समिति, और ३—सुझाव समिति।

संगठन

इनके कार्य को समझने से पहले यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन समितियों का संगठन राष्ट्रीय पुस्तकालय कानून को अपनाने के पश्चात् प्रान्तीय पुस्तकालय कानून के आधार पर किया जाता है। प्रान्तीय पुस्तकालय कानून में समिति विशेष की रूपरेखा पहले से ही दी रहती है। समिति के सदस्यों की संख्या तथा सदस्यों की योग्यताएँ भी पहले ही निर्धारित कर दी जाती हैं। प्रायः समिति में दो प्रकार के सदस्य रहते हैं। दो तिहाई सदस्यों की संख्या की पूर्ति स्थानीय निकायों के सदस्यों में से की जाती है। शेष एक तिहाई सदस्य समाज के विभिन्न जीवन-स्तर के उच्चों के प्रमुख व्यक्तियों में से रहते हैं। इन्हें मनोनीत (क्वाण्टेड) सदस्य कहा जाता है। पूर्ण सदस्यों में से एक तिहाई प्रतिवर्ष अपना स्थान रिक्त करते रहते हैं और उनके स्थान की पूर्ति तत्सम्बन्धी द्वेष्ट्रों के नए सदस्यों से होती रहती है। किन्तु उपर्युक्त अनु-पात में किसी प्रकार का विघटन नहीं होने पाता।

इन समितियों का वर्गीकरण उनके कार्य करने की रीति के आधार पर किया जाता है क्योंकि समितियों की कार्यक्रमता तथा क्षेत्र स्थानीय निकायों के द्वारा स्थानांतरिक किए गए अधिकारों पर निर्भर करता है। यदि समिति को स्थानीय निकाय और से नीति निर्धारित करने तथा कार्य-संचालन के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त है तब कार्य-संचालिका समिति कहलाएगी। यदि उसे केवल प्रस्ताव पारित करने का

ही अधिकार है और किसी नहि को चाहं सर ने परिषेव करने के लिए स्थानीय नियम की संतुष्टि की पठाया करनी पड़ती है तो वह रिपोर्टिंग समिति पहलाएगी। इनके अन्तर्गत कुछ ऐसी समितियों का भी संगठन किया जाता है जिनको नीति-निर्धारण करने के अधिक अधिकार ही प्रदान किए जाते हैं और महत्वपूर्ण नीतियों के द्वितीय स्थानीय नियम करना अधिकार नुस्खित रखते हैं किन्तु प्रत्येक दशा में प्रत्येक घरं हेरिटेज उत्तराधिकार स्थानीय नियम को अन्तर्गतता स्वीकृत करना पड़ता है, ऐसी समिति को मुन्हार नहिं कहते हैं।

अब सभी अधिकार हों तो तुरं भी वह घटना देने योग्य है कि किसी भी नियम की समिति को पुस्तकालय कर तथा पुस्तकालय-सेवा सम्बन्धी नीति-नियांत्रण अधिकार नहीं होगा। वह अधिकार को तथा स्थानीय नियम के पात्र नुस्खित रहता है और पुस्तकालय समिति को चाहूं पर्यं के लिए नियांत्रित पुस्तकालय-धन के अन्दर ही अन्तर्गत पर्याप्तता करनी पड़ता है।

चाहं

एन समितियों के पर्यं नियांत्रित हो सकते हैं :—

१.—पुस्तकालयाधिकार की नियुक्ति—पुस्तकालय समिति की नीतियोंको कार्यान्वयित देने के द्वितीय तथा सभी नियम पर नियमित हो। पेड़ों के संगठन के द्वाया सदस्यों को उपचालन की स्थिति से परिवर्त करने के लिए एक ऐसे अधिकारी की आवश्यकता होती है जो देश विद्यालय की न हो वरन् समिति के सदस्यों का तथा अन्तिम रूप से बनवा जा दिया जाना चाहिए। अतः समिति का सर्वप्रथम कार्य अग्रणी विचारों तथा अद्यों के अनुस्त एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति है।

२.—पुस्तकालय सेवा से सम्बन्धित नोतियों का नियांत्रण—पुस्तकालय-सेवा धन जो चेत्र नियांत्रित हो और उस चेत्र से सदस्य प्रतिनिधि स्वर से इस समिति में आए हा, वे चेत्र की आवश्यकताओं के अनुलय सर्वोप्रद पुस्तकालय-सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालयाधिकारी की सहायता तथा टेक्निकल सम्भति से समुचित नीति का नियांत्रण करते हैं। इसके अन्तर्गत चेत्र का सर्वेक्षण, भवन का निर्माण, संग्रह तथा नेत्र जा प्रशार आदि जाते आ जाती हैं।

३.—शास-पुस्तकालय-धन का समुचित वितरण—इसके अन्तर्गत व्यव की नियम पटों में धनराहित का मित्रव्यवहार्य और वैशानिक वितरण आवश्यकतानुसार दिया जाता है जितना विवरण इस पुस्तक के अध्याय ३ में दिया गया है।

४—सामान्य देख-रेख—इसके अन्तर्गत पुस्तकालय भवन, फर्नीचर, साज-सामान आदि की देख-भाल और उनमें सामयिक सुधार आदि आ जाता है।

५—वार्षिक बजट सम्बन्धी कार्य—इसके अन्तर्गत चालू वर्ष का आर्थिक विवरण-पत्र तथा अग्रिम वर्ष के लिए अनुमानित बजट का तैयार करना, उस पर विचार करना तथा उसे समन्वित स्थानीय निकाय में भेजना आदि कार्य आ जाते हैं।

६—पुस्तकालय-स्टाफ का तथा पाठकों के कल्याण का ध्यान रखना—इसके अन्तर्गत पुस्तकालय-स्टाफ की विभिन्न कठिनाइयों पर सहानुभूतिपूर्ण रीति से विचार करना, उनके सेवा कार्यों का मूल्यांकन करना तथा उन्हें समुचित सुविधाएँ प्रदान करना एवं प्रोत्साहन देना और पाठकों की अध्ययन सम्बन्धी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनके लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता प्रदान करना आदि कार्य आ जाते हैं।

७—उपसमितियों का संगठन—विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए समय-समय पर उपसमितियाँ बनाना, जैसे—पुस्तक चुनाव उपसमिति, कर्मचारी-नियुक्ति उपसमिति, अर्थ उपसमिति, आदि।

इनके अतिरिक्त निश्चित समय के अन्तर्गत बैठक बुलाना जिससे पुस्तकालय-सेवा से समन्वित समस्याओं पर विचार और उनका समाधान किया जा सके।

इस सम्बन्ध में यह बतला देना अत्यन्त आवश्यक है कि समिति के समस्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता होती है जो, पुस्तकालय की समस्याओं को न केवल समिति में ही सुलभा सके अपितु उनका जोखार समर्थन स्थानीय निकाय की बैठकों में भी कर सके। अतः अधिकतर स्थानीय निकायों के लिए चुने गए जन प्रतिनिधियों में से—जो सदस्यों के रूप में पुस्तकालय समिति में आते हैं—इस पद के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं तथा उचित समझे जाते हैं जिन्होंकि मनोनीत सदस्यों में से निर्वाचित अध्यक्ष स्थानीय निकायों की बैठकों में भाग न ले सकने के कारण पुस्तकालय-पत्र का प्रस्तुतीकरण नहीं कर सकता। किर मी मनोनीत सदस्यों में से योग्य सदस्य अध्यक्ष हो सकते हैं इसके लिए कोई कठोर नियम नहीं है।

अध्याय १७

पुस्तकालय अधिनियम

परिमापा

सार्वजनिक पुस्तकालयों की संगठीत सामग्री की सुरक्षा, विकास तथा उसके अधार उपयोग को और इस संस्था तथा इसकी सेवाओं को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक वैधानिक पुष्टभूमि की आवश्यकता पड़ती है; और उसके लिए जो अधिनियम किसी भी देश की सच्चम सत्ता (Competent Authority) द्वारा बनाया जाता है, उसे पुस्तकालय-कानून या पुस्तकालय-अधिनियम (लाइब्रेरी लेनिस्ट्रेशन) कहते हैं।

महत्व : आवश्यकता

आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालय जैसी संस्था वर्तमान प्रजातंत्रीय मुग की एक अनुवृत्ति देने हैं। किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति का एक मात्र आधार साक्षरता तथा शिक्षा-प्रसार को ही माना गया है और यदि कोई ऐसी संस्था है जो इन दोनों की माध्यम हो सके तो उसे विद्यालय कहा जा सकता है। किन्तु लगभग सौ वर्षों के अनुभव के पश्चात् अनेक शिक्षाराज्यों तथा राज-कार्य-संचालन करने वाले नेताओं ने प्रक्रम देकर यह बात स्वीकार कर ली है कि केवल शिक्षा संस्थाएँ शिक्षा-प्रसार और साक्षरता को स्थायित्व प्रदान करने में स्वयं समर्थ नहीं हैं। साथ ही साथ पुस्तकालय-आनंदोलन के फलस्वरूप उन्हें यह भी अनुभव होने लगा है कि शिक्षा संस्थाओं की द्वाइने के पश्चात् साक्षरता को बनाए रखना, प्रारंभिक शिक्षाओं में सहायता पहुँचाना तथा शीघ्रतांशीघ्र सामूहिक रूप से एवं शिक्षात्मक ढंग से आवश्यक सूचना प्रयोगित करना सार्वजनिक पुस्तकालय जैसी संस्था ही कर सकती है। ऐसी संस्था की केवलों को तभी स्थायित्व एवं कार्यक्षमता प्राप्त हो सकती है जब कि उसका आर्थिक आधार सुट्ट हो, प्रशासन-गद्द नियमित और सचेत हो तथा जनता की सहानुभूति मान करने पर्यं उसमें पुस्तकालय के प्रति रुचि उत्पन्न करने की पर्याप्त दृमता हो। यह तभी संभव है जब कि इसके पांछे कोई वैधानिक आधार हो।

सामाजिक, वैदिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिए मन्दिर प्रगतिशील तथा उन्नत देशों में वहाँ के सार्वजनिक पुस्तकालय आव अपना नेतृत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उनकी 'रिपोर्ट' तथा कार्य-विवरणों से प्रकट होता है कि देश के अन्य देशों की भाँति यह क्षेत्र भी अपने में आत्मनिर्भर एवं

४—सामान्य

सामान आदि की देख

५—वार्षिक वर

विवरण-पत्र तथा अग्रिम
करना तथा उसे सम्बन्धि

६—पुस्तकालय-संस्था

इसके अन्तर्गत पुस्तकालय
विचार करना, उनके सेवा
ग्रदान करना एवं प्रोत्साहन
व्यान रखते हुए उनके लिए
कार्य आ जाते हैं ।

७—उपसमितियों का

के लिए समय-समय पर उपसमिति
नियुक्ति उपसमिति, अर्थ उपसमिति

इनके अतिरिक्त निश्चित सम्बन्धित समस्थाओं पर विचार वा

इस सम्बन्ध में यह बतला देन
को सुचारू रूप से चलाने के लिए
पुस्तकालय की समस्थाओं को न केवल
समर्थन स्थानीय निकाय की बैठकें
निकायों के लिए चुने गए जन प्रतिनिः
समिति में आते हैं—इस पद के लिए
ज्योकि मनोनीत सदस्यों में से निर्वाचित
न ले सकने के कारण पुस्तकालय-पक्ष
मनोनीत सदस्यों में से योग्य सदस्य
नहीं हैं ।

पूर्ण नहीं है। सेवाओं के द्वारा पूर्ण संतोष प्रदान करने के लिए यहाँ भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता की आवश्यकता होती है। यह सहकारिता भी संतोषपूर्ण ढंग से तभी प्राप्त हो सकती है जब कि उसे वैधानिक रीति से नियमितता प्रदान कर दी जाय। इसके अतिरिक्त किसी भी देश की सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा वैज्ञानिक लिखित सामग्री का संग्रह कापी राइट ऐक्ट के द्वारा ही हो सकता है जिसकी व्यवस्था पुस्तकालय-कानून के अन्तर्गत रहती है।

क्षेत्र

किसी भी देश में पुस्तकालय-सेवा को सर्व सुलभ बनाने के लिए तथा उस देश के साहित्य के संरक्षण और विकास के लिए पुस्तकालय कानून को साधारणतः दो स्तरों पर बनाया जा सकता है—(१) राष्ट्रीय स्तर, और (२) प्रदेशीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए पुस्तकालय कानून में पुस्तकालय-सेवा के औचित्य को वैधानिक रूप से स्वीकार किया जाता है और राष्ट्र की प्रादेशिक इकाइयों को पुस्तकालय सेवा-प्रदान करने की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदेशीय स्तर पर बनाए गए पुस्तकालय कानून में अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आवश्यक पुस्तकालय-सेवा की व्यवस्था तथा प्रसार का कार्य आ जाता है। इन दोनों स्तरों पर बने पुस्तकालय-कानून में जनसंख्या का बनत्व, साक्षरता का स्तर, लोगों के रहन-सहन का स्तर, पूर्व प्रचारित पुस्तकालय-सेवाओं का परिणाम, यातायात और आर्थिक विधि आदि का सर्वेक्षण करके आवश्यकतानुसार पुस्तकालय अधिकारी, पुस्तकालय इनार, अर्थ-व्यवस्था, पुस्तकों का संग्रह तथा पुस्तकालय-सेवा के प्रकार की सुनिश्चित व्यवस्था की जाती है।

अङ्ग

पुस्तकालय-सेवा के आवश्यक अङ्गों की समुचित व्यवस्था यों तो पुस्तकालय कानून के अन्तर्गत रहती है, फिर भी कुछ मुख्य अङ्गों की व्याख्या यहाँ उपलब्ध होगी :—

१. प्रशासन २. टेक्निकल ३. सेवा ४. अर्थ।

१—प्रशासन

राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय-सेवा संचालन के लिए जो प्रशासन की व्यवस्था जाती है वह अधिकार, केन्द्रीयकरण तथा सामान्य निरीक्षण के लिए ही होती है।

सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी संस्था इसका आवार होती है। इस संस्था के द्वारा कानून पर पुस्तकालय सम्बन्धी उपयोगी निर्देश, विकास की योजनाएँ तथा अनुसन्धान किए जाते हैं।

पूर्ण नहीं है। सेवाओं के द्वारा पूर्ण संतोष प्रदान करने के लिए यहाँ भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता की आवश्यकता होती है। यह सहकारिता भी संतोषपूर्ण ढंग से तभी प्राप्त हो सकती है जब कि उसे वैधानिक रीति से नियमितता प्रदान कर दी जाय। इसके अतिरिक्त किसी भी देश की सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा वैज्ञानिक लिखित सामग्री का संग्रह कापी राइट ऐक्ट के द्वारा ही हो सकता है जिसकी व्यवस्था पुस्तकालय-कानून के अन्तर्गत रहती है।

क्षेत्र

किसी भी देश में पुस्तकालय-सेवा को सर्व सुलभ बनाने के लिए तथा उस देश के साहित्य के संरक्षण और विकास के लिए पुस्तकालय कानून को साधारणतः दो स्तरों पर बनाया जा सकता है—(१) राष्ट्रीय स्तर, और (२) प्रदेशीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए पुस्तकालय कानून में पुस्तकालय-सेवा के औचित्य को वैधानिक रूप से स्वीकार किया जाता है और राष्ट्र की प्रादेशिक इकाइयों को पुस्तकालय सेवा-प्रदान करने की व्यवस्था के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदेशीय स्तर पर बनाए गए पुस्तकालय कानून में अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की आवश्यक पुस्तकालय-सेवा की व्यवस्था तथा प्रसार का कार्य आ जाता है। इन दोनों स्तरों पर वे पुस्तकालय-कानून में जनसंख्या का घनत्व, साक्षरता का स्तर, लोगों के रहन-सहन का स्तर, पूर्व प्रचारित पुस्तकालय-सेवाओं का परिणाम, यातायात और आर्थिक विधि आदि का सर्वेक्षण करके आवश्यकतानुसार पुस्तकालय अधिकारी, पुस्तकालय इकाई, अर्थ-व्यवस्था, पुस्तकों का संग्रह तथा पुस्तकालय-सेवा के प्रकार की सुनिश्चित व्यवस्था की जाती है।

अङ्ग

पुस्तकालय-सेवा के आवश्यक अङ्गों की समुचित व्यवस्था यों तो पुस्तकालय कानून के अन्तर्गत रहती है, फिर भी कुछ मुख्य अङ्गों की व्याख्या यहाँ उपयुक्त होगी :—

१. प्रशासन २. टेक्निकल ३. सेवा ४. अर्थ।

१—प्रशासन

राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय-सेवा संचालन के लिए जो प्रशासन की व्यवस्था की जाती है वह अधिकार, केन्द्रीयकरण तथा सामान्य सिरीज़ ही होती है। नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी जैसी संस्था इसका समय पर पुस्तकालय सम्बन्धी प्रदान किए जाते हैं।

नेटवर्क पर पुस्तकालय-सेवा संचालन के लिए जो प्रशासन की व्यवस्था है उच्ची स्तरेंगा सामान्यतः राष्ट्रीय स्तर के अनुच्छेद पर प्रादेशीय चेत्र होंगे हैं। इनके केन्द्र रहना होता है नि नियमित तथा अधिकार की तीव्रता यह होती है। इनके अधिकारियों पुस्तकालयों को एक सुनिश्चित रूपरेखा प्रदान करने वाले प्रशासन की व्यवस्था करने का कार्य भी प्रदेशीय स्तर पर ही है। यानी पुस्तकालय-सेवा प्रशासन करने का उत्तराधिकार एक नियमित संज्ञा है जिसे सो दुर्गुण पुस्तकालय उभिति द्वारा होने के लिए प्रदेशीय पुस्तकालय-सेवा स्तर व्यवस्था होती है। व्यानीय अधिकारियों के तुने हुए प्रतिनिधियों और इनके द्वारा में विभिन्न विद्यों के अधिकारी विद्यार्थी को मिला कर यह समिति होती है यह पुस्तकालय-सेवा की नीति नियमांकित करती है।

नियमित

यहाँ स्तर पर पुस्तकालय-कानून के अन्तर्गत टेक्निकल कार्य की व्यवस्था उन नियमों के लिए ही बाती है जो कानी राष्ट्र एकट के अन्तर्गत प्राप्त होती है। इन नियमों को पुस्तक नुनाव में सहायता देना, प्राप्त हुई समत्त पुस्तकों का नियन्त्रण कर्त्तीय सूचीकरण करना और सूचीकृत काढ़ों को वितरित करना इन्हें राष्ट्र के धन और भ्रम की बचत होती है—इसमें आते हैं। प्रान्तीय स्तर पर नियम धर्म की व्यवस्था के अन्तर्गत संगठित पुस्तकों का वर्गीकरण तथा सूची-रूप उनके काढ़ों का वितरण चेत्रोंन संयुक्त सूची (Regional union catalo-^e) द्वारा देना तथा राष्ट्रीय संयुक्त सूची तैयार करने में सहायता पहुँचाना इस बात है। व्यानीय पुस्तकालयों में टेक्निकल कार्य की व्यवस्था साधारणतः इनके अन्तर्गत नहीं आती।

यहाँ स्तर पर पुस्तकालय कानून के अन्तर्गत मुख्य सेवा कार्य है देश के नियमों पुस्तकालय से मिली गई यूनाव को प्रलूब करना। उसके लिए यथोच्च संयुक्त यूनियन विभिन्न विभागीय, सामयिक बुलेटिन, अन्तर्पुस्तकालय-सहकारिता तथा पुस्तकालय संघ आदि संघों का प्रयोग किया जाता है। नेशनल फिलेस नेशनल यात्रा पुस्तकालय सेवा की व्यवस्था भी पुस्तकालय कानून में इस बाती है। स्तर पूर्व सेवा-कार्यों की व्यवस्था

संयोजनात्मक

के

कार्य प्रदेश की सीमा में
की व्यवस्था का लक्ष्य

शिक्षा और पुस्तकालय-सेवा में एक रूपता सामंजस्य और सहयोग उत्पन्न करना है जिससे सृजनशील मानव मस्तिष्क का पूरण विकास हो सके और उसकी परम्परागत निधियों की सुरक्षा भविष्य के उपयोग के लिए हो सके।

४—अर्थव्यवस्था

पुस्तकालय की आय की अनिश्चितता और धन की कमी को दूर करके सेवा के स्थायित्व प्रदान करने के लिए पुस्तकालय कानून के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से एक 'पुस्तकालय-कर' की व्यवस्था की जाती है। इसकी दर प्रत्येक देश में कुछ सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न रूप में होती है। इसका उल्लेख इस पुस्तक के पृष्ठ ४८ पर किया गया है।

पुस्तकालय कानून और भारत

जैसा कि इस पुस्तक के पृष्ठ १२ पर लिखा जा चुका है, पुस्तकालय कानून का श्री गणेश १८५० ई० से हुआ और धीरे-धीरे प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में पुस्तकालय कानून बनाने की ओर ध्यान दिया गया। फलतः अनेक देशों में पुस्तकालय कानून बनाए जा चुके हैं। भारत एक नवस्वतन्त्र राष्ट्र है। इसका निर्माण अब आवड़ी अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अनुसार समाजवादी ढाँचे पर होगा। इसमें सब को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त करने की व्यवस्था रहेगी। समाज को इस प्रकार के आदर्शवादी ढाँचे में ढालने के लिए भारत की वहुसंख्यक निरक्षर जनता को शिक्षित करने तथा उसकी साक्षरता को कायम रखने के लिए पुस्तकालयों के व्यापक प्रसार की आवश्यकता है। उनकी सेवाओं को वैशानिकता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए पुस्तकालय कानून जितना जल्दी बन सके, उतना ही श्रेयस्कर है।

भारत में पुस्तकालय कानून की रूपरेखा बनाने, उसे प्रस्तावित करने और स्वीकार कराने के लिए डा० रंगनाथन जी ने भगीरथ प्रयास किया है, किन्तु खेद है कि अभी केवल आंशिक सफलता ही मिल सकी है। डा० रंगनाथन जी ने सर्वप्रथम १६३० ई० में आदर्श पुस्तकालय कानून की एक रूपरेखा बनाई। उसके बाद श्री बशीर अहमद सैयद महोदय ने मद्रास एसेम्बली में यह बिल मद्रास पुस्तकालय संघ की ओर से प्रस्तुत किया। इससे कुछ पहले इसी प्रकार के एक बिल को कुमार मुनीद्रदेव राय ने बंगाल एसेम्बली में बंगाल पुस्तकालय संघ की ओर से प्रस्तुत कराने की चेष्टा की थी। लेकिन नियमानुसार इन बिलों को पेश होने के लिए गवर्नर जनरल की, वै स्वीकृति न मिल सकी। अतः वे पेश न हो सके। सन् १६३८ ई० में श्री राज जी के सुख्य मन्त्रित्व काल में बिल को सुधार कर पुनः प्रस्तुत कराने का

ग्रन्त हित छिन्नु दिग्गीव विभवुद के मानसे को सेहर मतभेद हो जाने के कारण चंद्रेश्वर ने त्याग पत्र दे दिया और बिल्कुल पेटा न हो सका। उसके बाद सन् १६४२ में भारतीय पुस्तकालय संघ के निम्नप्रय पर डा० रंगनाथन ने 'आदर्श जन पुस्तकालय रिझर्व' की स्थरेता घोषित की। उसको उसी वर्ष अलिल भारतीय पुस्तकालय संघ ने फ्रेंचेन में बन्दर में विचार-विनियम के बाद स्वीकार किया गया। मद्रास में जो इंशाइद बाबून लागू है वह इसी पर आधारित है। सन् १६४६ ई० से १६५० के बीच डा० रंगनाथन ने मध्यप्रदेश, द्रावनकोट-कोचीन, बंगर्द, उत्तर-प्रदेश आदि के द्वारा सुस्तकालय विल तेगर किए। यद्योप युस्तकालय कमेटी के एक सदस्य की नियन्त्रण से १६४८ ई० में उन्होंने एक सर्वीय पुस्तकालय विल की भी रचना की थी। १६५० ई० में उन्होंने अब ने विद्यालय प्रथ 'पुस्तकालय विकास योजना' (लाइब्रेरी डेवलप-मेंट योजना) को लिखा जिसमें भारत के लिए तीस वर्षांय कार्यक्रम (फेन्ड तथा यात्रों के द्वारा पुस्तकालय लिये सहित) वित्तारपूर्वक दिया गया है। तब से आज तक अनेक इन्हीं पुस्तकालयों को वया पुस्तकालय संघों द्वाय अपने अपने प्रदेशों में पुस्तकालय विकास योजनों में रखने-रखाने का चेता होती रही है किन्तु प्रारम्भ से अब तक के यों के प्रदानरूप केवल मद्रास, आम और हैदराबाद में ही पुस्तकालय कानून पास अलाग हो चके हैं। देश के विभिन्न विद्यालय के लिए वह आवश्यक है कि भारत और इसकी ओर यथार्थीय व्यापार है।

मद्रास पुस्तकालय अधिनियम १६४८

भवत राज में सर्वांगिक पुस्तकालय खोलने और उनके गाँवों और शहरों में चार वर्ष से पुस्तकालय-सेवा के गठन के लिए १६४८ ई० में जो अधिनियम स्वीकार किया गया, उक्ती स्थरेता इस प्रकार है:—

इस अधिनियम में १६ धाराएँ निम्नलिखित अंगों में विभक्त हैं:—

प्रारम्भिक

१. संकेत नाम, सिलार श्रीं प्रारम्भ
२. परिमाणाएँ

प्रान्तीय पुस्तकालय समिति

३. प्रान्तीय पुस्तकालय समिति और उसके काम-कानून
४. निदेशक और उसके कर्तव्य
५. फ्रेंचेन की नियुक्ति और कर्तव्य
६. स्थानीय पुस्तकालय संस्था (लोकल लाइब्रेरी अथोरिटी)।
७. स्थानीय पुस्तकालय संस्थाओं का गठन

६. स्थानीय पुस्तकालय संस्थाओं का नियमन

७. स्थानीय पुस्तकालय संस्थाओं की कार्यपालिका समितियाँ और उपसमितियाँ

८. स्थानीय पुस्तकालय संस्थाओं द्वारा योजनाओं का प्रस्तुत किया जाना

कोई भी स्थानीय पुस्तकालय संस्था

९. स्थानीय पुस्तकालय संस्थाओं के अधिकार

१०. स्थानीय पुस्तकालय संस्थाओं में सम्पत्तियों का निहित हो जाना

११. स्थानीय पुस्तकालय संस्थाओं के विनियम

वित्त और लेखे

१२. पुस्तकालय उपकर, मद्रास अधिनियम ४, १६१६, मद्रास अधिनियम ५, १६२०; मद्रास अधिनियम १४, १६२०।

१३. पुस्तकालय निधि

१४. लेखाओं का रखा जाना

१५. पुस्तकालय संस्थाओं का अवक्षण या पुनर्गठन

प्रतिवेदन (रिपोर्ट), विवरणी और जाँच

१६. प्रतिवेदन और विवरणी

१७. पुस्तकालयों की जाँच

१८. नियम बनाने का अधिकार

विविध

१९. प्रान्त के लिए प्रयोग होने की अवस्था में, प्रेस एड रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट १८६७ का संशोधन। केन्द्रीय अधिनियम २५, १८६७

अनेक उपधाराओं के द्वारा इस अधिनियम को स्पष्ट और विस्तृत बनाया गया है। इस दाँचे को देखकर प्रदेशीय पुस्तकालय कानून की रूपरेखा का कुछ अनुमान किया जा सकता है।

I—इनके अन्तर्गत संपत्ति कर या गृह कर पर प्रति पूर्ण स्पया ६ पाई की दर से पुस्तकालय उपकर लगाने का अधिकार 'स्थानीय पुस्तकालय संस्था' को दिया गया है। सरकार की पूर्व स्वीकृति लेकर यह दर बढ़ाई भी जा सकती है।

अध्याय १=

वाह्मपत्रसूची (विविलयोग्रेफ़ो)

इस देशमिह तुम में बड़न-बड़न, घटरसन का य-रेखण आदि चौथों
चूहाएं प्रभवति लिह गठन गयी है। गठन के दैर में यह एक अनिः
चल है। इस दृष्टि द्वारा कि नारदरहना के विभा शन वीं गोव असम
में हैं और प्रभवति है, कि यनुविजन है। इस पुस्तकालयों तथा पुस्तकाल
प्रस्तुति के लिह यहूत्तरहीं लिह वा रसेव वान तथा विनिष्ठ प्रश्ना।
चूहाएं या चौथों द्वारा दृष्टा घटना घासरह है। उन्नतरात्र विजान के चू
हेन घटना का मूल 'व्याप्रों' से वैज्ञान वाने के लिह वाह्मपत्रसूचियों
प्रभवति द्वारा दृष्टवैष्णव हो गय है। दृष्टवैष्णव हा क्यों को प्रवाहृति
प्रस्तुति द्विर, यनुविजन को विविलयों के लिह, तथा सापेक्षिक सम्बन्ध
प्रस्तुति से यनुविजन का एक राजन पर विवेन के लिह यह एक महत्वपूर
द्वय है।

चौथों

ये प्रस्तुति द्वयों के दृष्टवैष्णव 'विविलयों' एक वला है और साथ ही सा,
स्त्रियों है। यहाँ है युग्मों के व्याप्रोंनां वा थीर विजान है पुस्तक निर्माण और
प्रस्तुति द्वय या। दूसरे दृष्टों में यह दृष्ट द्वय विभाग वीं व्याख्या करते हो इसे
दृष्टवैष्णव के ही धन द्वारा यहो है—एक धन पुस्तक के निर्माण से
विविलय हो यह दृष्ट धन उनके भागी प्रवेश के लिह आलेखन आदि से
विविलय है। यहाँ यह पुस्तक निर्माण या यम्भव है, उनके अन्वर्गत लेतक
द्वय का दृष्टवैष्णव लिह, दृष्टवैष्णव, प्रागव और विलदटी, आदि विषय आ जाते
हैं। ये द्वय दूसरे धन के अन्वर्गत आने गाने विषयों में प्रतिशत विषय का
धन, युग्मों का व्याप्रोंनां, यनुविजिता तथा उनका विवानिक दंग से आले-
लाल हो जान्दा है। यहाँ पा दातर्य यह है कि इन दृष्टों विवेन के अन्वर्गत
द्वयों द्वारा निर्माण या प्रियव दुलारायों के वर्मचारियों, विशेषतः पुस्तकालय
ये द्वय याने वापर्यन्त वर्मचारियों को दोनों अक्षरता आकर्षक है। इस प्रकार के
द्वयों के द्वारा के लाभ हो नहो है। पदला तो यह कि पुस्तकों की मुख्या
विविलय दंग से वीं या याही है। दूसरे, अच्छे प्रकार की पुस्तकालय सेवा कम
सा है वेदव्यापन वीं या महारी है।

आवश्यकता

प्रकाशन के क्षेत्र में प्रतिदिन पुस्तकों, पुस्तिकाएँ और लेख इतनी अधिक संख्या में और लगभग संसार की सभी भाषाओं में हमारे सामने आ रहे हैं कि उन सब का उचित और संतोषप्रद उपयोग कर लेना लगभग असम्भव सा ही है। किन्तु यदि एक सुव्यवस्थित ढंग से भावावार, विषय गत, अथवा अन्य किसी क्रम से उनकी सूचना समय-समय पर हमें प्राप्त होती रहे, तो सम्भवतः उनका उपयोग अपेक्षाकृत सुलभ और अधिक हो सकता है। पुस्तकों की सूचनाओं के सम्बन्ध में जो नई-नई विधियाँ प्रयोग में लाई गई हैं, उन्हीं पर वाड्मयसूची के प्रकार तथा निर्माण विधियाँ आधारित हैं। अतः पुस्तकालय-सेवा के क्षेत्र में वाड्मयसूची की आवश्यकता स्पष्ट है। अब संक्षेप में इसके दोनों अङ्गों की चर्चा की जायगी।

१—पुस्तक-निर्माण अंग

कागज

लेखक अपने विचारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा दूसरों को बताने के लिए लेखन सामग्री का आश्रय लेता है। लेखन कला का इतिहास बतलाता है कि पत्थरों, मिट्टी की पट्टियों, धातु यन्त्रों, हाथी दौतियों, लकड़ियों तथा पेड़ की छालों और चमड़ों आदि का उपयोग इस कार्य के लिए समय-समय पर किया जाता रहा है। आजकल कागज का उपयोग किया जा रहा है। कागज शब्द अँग्रेजी के 'पेपर' शब्द का पर्यायवाची है जो स्वयं लैटिन के 'पेपिरस' शब्द से लिया गया है। 'पेपिरस' एक प्रकार की धास होती है जो मिश्र में पाई जाती है। पेपिरस के बाद पार्चमेंट और बैलम (एक प्रकार का विशेष चमड़ा) का उपयोग किया गया। आधुनिक कागज का इतिहास पर्याप्त प्राचीन है। सर ऑरेल स्टीन को चीनी तुर्किस्तान में द्वितीय ईस्टी के कागज के डुकड़े प्राप्त हुए हैं। चीन वालों ने और उनसे फिर अन्य योरोपीय देशों ने इसको धीरे-धीरे अपनाया। आधुनिक कागज अनेक आकार के होते हैं, जैसे लार्ज फुलस्केप, क्राउन, लार्जपोस्ट, डिमार्ड, मीडियम, रॉयल, लार्ज रायल और इम्पीरियल आदि।

छपाई

मुद्रण के इतिहास विशेषज्ञ श्री कार्टर महोदय का मत है कि चीनियों ने क्वाचित् छठीं शताब्दी में छपाई की विधि का प्रयोग किया था। यह छपाई लकड़ी के ठप्पों से की जाती थी। चीनी लोग घ्यारहवीं शताब्दी में मिट्टी से बने हुए सचल याइप (मूवेतुल याइप) का प्रयोग करने लगे थे। लगभग तेरहवीं शताब्दी में व्यापारियों, आक्रमण-कारियों और नाविकों के द्वारा छापने की यह कला ताश छापने के रूप में मुत्तिरम-

कानुन देखो जो होने हुए योरोपियन देशों में होती। पीटे-पीटे- इस कला में सुधार होता गया। दूसरा बाबू के आविष्कार और भावु के बने यहाँ के प्रयोग का अध्ययन जर्मनी युरोपियनों द्वारा किया गया है। दूसरा पिण्डि के अन्तर्गत कम्पोजिंग, इन्सोबीयन, एंटरप्रेनर डिंट्टू को अनुकूल किया गया है। आज कल योनोदाहप, जीनो-दाहप वा इन्सोडाहप की दृश्यरूपी भौतिक उपकरणक मरीनो का आविष्कार हो चुक्या है।

पुत्रकों की भृंगारिक प्रथा

प्रारम्भ से ही युस्तांसी की आदर्श बनाने के लिए किसी न किसी ढंग से चिन्ह-बन्ध प्राप्ति भी आभार किया जाता रहा। भोज-पश्चों और वाइप्रों पर लिलिट फल्सों वे भी इच्छा पुष्ट होती है। आब के ब्जार और अन्य भृंगारिक प्रसाधन उन्हीं नाचेत देखाई के विकलित रूप हैं। इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, १—रिंडोन् २—हैंडिलिंगों और ३—फ्लैनोप्रेत। उठे हुए धरातल, ऊपे और ऊनपरावर द्वारा प्राप्त चित्र प्रमणः इन भेषियों के अन्तर्गत आते हैं।

जिल्दवन्दी

जिल्दों बाने या छार जाने के बाद पुस्तकों को व्यावहारिक रूप-देने वथा उसे स्थायित्व देने के लिए जिल्दवन्दी की प्रथा का प्रारम्भ हुआ। जिल्दवन्दी से पुस्तक निर्नायक का दर्प, प्रायु वथा लेतक सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। जिल्दवन्दी प्रारम्भ से ही सार्दी वथा अलजारिक इन दो रूपों में होती रही है। मध्य युग और युनानेयन युग की यतानिदिंगों में रेमन बाइंडिङ, दूर्ल बाइंडिङ, हाफ कवर बाइंडिङ, बेनेहियन और फ्लॉरेंटाइन बाइंडिङ, इंटेलियन रीली, प्रोलियरस रीली और स्ट्रीरेन रीली आदि जिल्दवन्दी की प्रमुख रीलियाँ रही हैं। आज की जिल्दवन्दी इनी रीलियों का परिवर्तित और परिवर्द्धित रूप है। इनमें अन्वर वथा नाम-परे रेमन सामग्री और वाय्य भृंगार की विभिन्नता के कारण हो गया है। जिल्दवन्दी घ अर्थ सायरण्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है १—फारबिंग, और २—पिन्चिंग। फारबिंग के अन्तर्गत वे नव आवश्यक कार्य आ जाते हैं जिनके द्वारा इनको एक सुखित इच्छाएँ के रूप में आवरण सुदृढ़ प्राप्त किया जाता है। पुस्तक और जिल्दवन्दी ही जाने पर कवर पर लेतक का नाम, पुस्तक का संक्षिप्त किन्तु आकर्ति नाम, प्रकाशन काल, वथा आवश्यक सजावट का कार्य होता है। कभी-कभी नियरक आवास परिचय-संरेत भी पुढ़े पर या कवर पर दे देते हैं। ये कार्य फिनिशिंग के अन्तर्गत आते हैं।

रूपरेखा पुस्तक-आलेखन अङ्ग

वाड्मयसूचीकार के सामने जब कोई पुस्तक आती है तो उसके आलेखन से पूर्व कुछ प्रारम्भिक कार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं। इसके अन्तर्गत पुस्तक के संस्करण की जाँच, काल निर्धारण तथा पुस्तक की सम्पूर्णता की जाँच के कार्य आ जाते हैं। संस्करण की जाँच पुस्तक के उद्घव, काल और वास्तविकता के निर्धारण में सहायक होती है। संस्करण का ज्ञान वाड्मयसूचीकार को आख्या पृष्ठ, पुष्टिका (कोलोफोन), और जिल्दबन्दी के प्रकार से अथवा पुस्तक की लिखाई या छपाई के लिए प्रयोग किए गए कागज और स्थाही से हो सकता है। इसी प्रकार काल का निर्धारण आख्या पृष्ठ, प्रकाशन तिथि; अंतिम पृष्ठ और कागज के वाटर मार्क से किया जा सकता है। जहाँ तक पुस्तक की सम्पूर्णता की जाँच का प्रश्न है उसमें फार्मेट और मुद्रणाङ्क (इंप्रिंट) तथा उसी पुस्तक की उपलब्ध अन्य प्रतियों से सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार की जाँच हो जाने पर और आलेखन के लिए प्रस्तुत वास्तविक पुस्तक का संतोष हो जाने पर वाड्मयसूचीकार के सामने पुस्तक के वार्तविक आलेखन का कार्य आता है।

सूचीकरण के सिद्धान्तों के अनुसार भी वाड्मयसूची में पुस्तकों का आलेखन किया जाता है। अतः वाड्मयसूचीकार के महिताङ्क में पुस्तक के प्रति अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण, लेखक का आशय और पुस्तक की खोज करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण इन तीनों का संमिश्रण होना स्वाभाविक ही है। किन्तु पुस्तकालय-विज्ञान के विद्यार्थियों को सूचीकरण और वाड्मयसूची में पुस्तक वर्णन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। वर्णन की दोनों विधियाँ सिद्धान्ततः एक होते हुए भी उनमें पर्यात अन्तर है। किसी भी पुस्तक का सूचीकरण किसी संग्रह विशेष से सम्बन्धित पुस्तक का वर्णन मात्र है जो उस पुस्तक के उस संग्रह में खोजने का काम देता है जब कि वाड्मयसूची से सम्बन्धित पुस्तक का वर्णन पुस्तक की खोज में सहायक तो अवश्य होता है किन्तु उस पुस्तक का स्थान-निर्धारण किसी पुस्तकालय विशेष तक सीमित नहीं रहता। किसी एक लेखक के समस्त ग्रन्थ किसी भी पुस्तकालय विशेष में हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उस पुस्तकालय में लेखक विशेष के उन ग्रन्थों का सूचीकरण भी पुस्तकों की उपस्थिति और अभाव के अनुसार ही किया जायगा किन्तु वाड्मयसूची में यदि वह लेखक विशेष के ग्रन्थों की वाड्मयसूची है तो उस लेखक के समस्त उपलब्ध ग्रन्थों का वर्णन उसमें आ जायगा। इसी प्रकार विशेष की वाड्मयसूचियों में तत्सम्बन्धी विषयों की सब पुस्तकों का वर्णन होना अवश्यंभावी है।

इसके अतिरिक्त सूचीकरण में पुस्तक का जो वर्णन किया जाता है वह सर्वीस्लग की उपयोगिता से सम्बन्धित परिस्थितियों पर निर्भर करता है जब कि वाड्मयसूची

ने किया गया पुस्तकों का वर्णन आत्मनाल्यानक (सेल्फ इक्सेनेट्री), अभ्यासित, निष्पद्व, लड़ और पूर्ण होता है जिससे कि लेखक या विषय विशेष से सम्बन्धित किसी भी पुस्तक को खोज करने वाले व्यक्ति उसे बिना किसी अन्य माध्यम की सहायता के पढ़चान कर सकते हैं कि वर्णन इस दंग का हो कि पुस्तक अरना परिचय स्वयं ही खोज करने वाले को प्रश्न कर दे। किन्तु यह तभी हो सकता है जब पुस्तक से सम्बन्धित प्रत्येक विवरण (Detail) उसमें दिया गया हो। इत्थ प्रकार के वर्णन को 'पूर्ण आमाणिक वर्णन' या ऊल स्टैशनरी डिस्कन्स कहते हैं जिनमें निम्नलिखित याते सम्मिलित रहती हैं :—

१—लेखक या नाम : संक्षिप्त न होकर यह पूर्ण होना चाहिए।

२—आठना : तृनीकरण के विद्वान्तों के अनुतार होनी चाहिए।

३—प्राप्ति विवरण : पृष्ठ संख्या, पार्टेट, सम्पूर्ण प्रथ से सम्बन्धित फॉर्म की संख्या, (Signatures covering the entire volume) स्लैट्स, ।

४—मुद्रणाल : प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का स्थान और प्रकाशन काल।

५—मुद्रक का नाम और स्थान।

६—पुस्तक के विषय में महत्वपूर्ण वथा सम्बन्धी टिप्पणियाँ : उद्धृत, इतिहास प्रतिशब्द, वथा लेखक का निष्पत्त आशय आदि।

७—जिस्टबंडी, पारेडुलिपि (मन्युस्क्रिप्ट), स्वामित्व (Ownership) वथा पूर्णता या अपूर्णता से सम्बन्धित विवरण।

पुस्तक से सम्बन्धित विवरण या लेखक के आशय से सम्बन्धित विवरण प्रत्येक दशा में निष्पत्त और आलोचनारदित होना चाहिए। यह वाद्मयसूची तैयार करने का महत्वपूर्ण विद्वान्त है और साथ ही उसका प्रयोग सातमक गुण भी है।

प्रकार

वाद्मयसूची के दो प्रकार हो सकते हैं :—(१) लेखक वाड्मयसूची, और (२) विषयगत वाद्मयसूची।

लेखक वाड्मयसूची से आशय किसी लेखक के सम्बन्ध प्रयोग की विभिन्न संकरणों, अनुवादों और Adaptations सहित पूर्णता से है। लेखक वाड्मयसूची के अन्तर्गत दो भेदियों की पुस्तकें आती हैं। प्रथम, लेखक के द्वारा लिखी गई पुस्तकें और दूसरे लेखक के सम्बन्ध में या उसकी पुस्तकों के सम्बन्ध में लिखी गई अन्य

लेखकों की पुस्तकों । यदि किसी वाङ्गायसूची में प्रथम श्रेणी की पुस्तकें ही ती गई हैं तो उसे केवल 'लेखक वाङ्गायसूची' कहेंगे किन्तु यदि उस वाङ्गायसूची में दोनों प्रकार की पुस्तकों का समवेश है तो उसे 'द्वारा और विपक्ष' (By and on type) कोटि की 'लेखक वाङ्गायसूची' कहेंगे ।

इसी प्रकार विषयगत वाङ्गमयसूची में भी दो श्रेणियाँ हो सकती हैं । किसी एक विषय की ही सम्पूर्ण पुस्तकों की वाङ्गमयसूची या उस विषय की और उस विषय से सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों की वाङ्गमयसूची ।

क्रम-व्यवस्था

लेखक वाङ्गमयसूची में पुस्तकों को निम्नलिखित क्रम से व्यवस्थित किया जाता है :—

- १—संग्रहीत कृतियाँ (Collected works)
 - २—एक या दो कृतियों के छोटे संग्रह (Smaller Collection)
 - ३—एक कृति अकारादि क्रम में (Single works in alphabetical order)
 - ४—सम्भावित कृतियाँ (Supposititious works)
 - ५—संकलन (Selections)
 - ६—अनूदित या संपादित कृतियाँ, लेखक द्वारा
 - ७—आलोचनाएँ, लेखक की कृतियों से सम्बन्धित
 - ८—जीवनियाँ (लेखक से सम्बन्धित सामग्री)
- नोट—एक और पाँच के अनुवाद उनके मौलिक संस्करणों के साथ ही वर्णित किए जाते हैं ।

विषय वाङ्गमयसूची में पुस्तकों की क्रम व्यवस्था किसी प्रामाणिक वर्गीकरण सारणी, अकारादि क्रम, टॉपिक या अन्य किसी उपयोगी ढंग के अनुसार की जाती है । साधारणतः वर्गीकरण सारणी के क्रम का अनुसरण ही अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है और अकारादि क्रम, अनुक्रमणिका या परिशिष्ट के लिए सुरक्षित रखा जाता है ।

वाङ्गमयसूचियों में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि या तो सापेक्षिक विषयों कों का रिफ्रेंस दिया जाय अथवा उन विषयों के अन्तर्गत पुस्तकों के वर्णन वृत्ति की जाय । बहु विषयक पुस्तकों के सम्बन्ध में ऐसा करना वाङ्गमय के लिए आवश्यक-सा हो जाता है ।

विधि

सी भी प्रकार की वाङ्गमयसूची का निर्माण करने के लिए सर्व-प्रथम यह

आवश्यक है कि प्रधार विशेष की तन्त्र पुस्तकों से वर्गानुसार विभाजित कर लिया जाय। दूसरे शब्दों में इसे बाह्यमयसूची की रूपरेखा तैयार करना कहते हैं। यदि लेखक बाह्यमयसूची को रूपरेखा तैयार करनी है तो ऊपर दिए गए क्रम के अनुसार शीर्षक तैयार करके उनके अन्तर्गत पुस्तकों का विभाजन कर लिया जाता है। इसी प्रधार विशेष बाह्यमयसूचियों में भी एक रूपरेखा तैयार कर ली जाती है। इस सम्बन्ध में दूसरा कार्य सामग्री की सूची का होता है जिसके लिए विभिन्न सामग्रीयों तथा सौखों की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :—

- | | |
|--------------------------------------|---|
| १—डिस्ट्रीब्यूटर्स विनियोगप्रैषीज | ५—फापीराइट लिस्ट्स |
| २—सेपेक्टर हैरड कैटलॉग्यूस | ६—ट्रेड विनियोगप्रैषीज |
| ३—ट्रिचार्पेस्ट्रिक्य विनियोगप्रैषीज | ८—नेशनल विनियोगप्रैषीज |
| ४—फाइल आफ कैटलॉग्यूस | १०—ट्रिप्पल इन स्पूजपेपर्स, पीरियाडिक्यूस |
| ५—बुक्स—इन—प्रिंट कैटलॉग्यूस | ११—हन्डेक्सेज, आदि |
| ६—कैटलॉग्यून आफ गणनमेट पब्लिकेशन्स | |

इनके अतिरिक्त बाह्यमयसूचीकार के लिए यह आवश्यक होता है कि विभिन्न पुस्तकालयों का वह व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करे और अपने कार्य से सम्बन्धित सामग्री स्थान एकत्रित करे।

सामग्री एकत्रित हो जाने के पश्चात् "५" × "३" या "८" × "५" की भाष्य के प्रामाणिक कार्ड पर पूर्य प्रामाणिक विवरण लिदान्त के अनुसार एक कार्ड पर एक पुस्तक का आलेखन किया जाता है। उसके बाद इन लिखित कार्डों को तैयार की गई रूप रेखा के अनुसार व्यवस्थित कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि निर्धारित व्यवस्था का अनुरूप पालन होता रहे। बाह्यमयसूची का कार्य केवल काट-चुर्चैट का कार्य नहीं होगा। अतः पुस्तक विशेष की विना व्यक्तिगत जाँच किए हुए उसे अपने रिकार्ड में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी लेखक की या विदेशी पर आने वाली नई पुस्तकों का भी बाह्यमयसूचीकार को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बाह्यमयसूची में आधुनिकता लाने के लिए इस सम्बन्ध में उसे विशेष सावधान रहने चाही आवश्यकता है। चूंकि पुस्तक सम्बन्धित साहित्यिक सामग्री प्रदान करने के साधन हैं और बाह्यमयसूची के द्वारा उन साधनों का अध्ययन किया जाता है, अतः उसके विवरण में विशेष सावधानी, कुरालता तथा पूर्णता अपेक्षित है।

परिशिष्ट (क)

पारिभाषिक शब्दावली

हिन्दी

अक्षर-प्रत्यक्षर
अङ्क
अतिदेय
अतिरिक्त संलेख
अनुक्रमणिका
अनुलय सेव
अनुवर्ग क्रमा
— — — सूची
अनुवर्ण क्रम
— — — सूची
अनुवादक
अन्तर्निर्देशी
— — — संलेख
आख्या
— — — पृष्ठ
सूची
आदेश-पत्र
इकाई
उपनाम
उपशीर्षक
उपाख्या
‘और भी देखिए’
कल्पित नाम
कार्ड-सूची
काल-क्रम
क्रामक संख्या
खुली-प्रणाली
चयन-भवन
तिथि-पत्र
— — — निर्देशक
दशमलव वर्गीकरण
दान संख्या
‘देखिए’

अंग्रेजी

Letter-by-letter
Digit
Overdue
Added entry
Index
Reference service
Classified order
— — — Catalogue
Dictionary order
— — — Catalogue
Translator
Cross reference
— — — Entry
Title
— — — Page
Catalogue
Order form
Unit
Secondary name
Sub-heading
Sub-title
‘See also’
Pseudonym
Card catalogue
Chronological order
Call number
Open access
Stack room
Date slip
— — — Guide
Decimal classification
Donation number
‘See’

देय तिथि	Due date -
दिविन्दु वर्गाकारण	Colon classification
नामाद्य शब्द	Forename
नामान्य शब्द	Surname
निर्गत	Issued
निदेशक	Guide
— कार्ड	— Card
निर्देशिका	Directory
पत्रादि विवरण	Collation
परिमार्जन	Weeding
पाठक	Reader
पुस्तिका	Colophon
पुस्तक	Book
— कार्ड	— Card
— चुनाव	— Selection
— प्रदर्शनी	— exhibition
— बनरखापन	— Arrangement
— संख्या	— Number
पुस्तकालय	Library
— अधिनियम	— Act
— विज्ञान	— Science
— संगठन	— Organization
— संचालन	— Administration
पुस्तकालयाध्यक्ष	Librarian
पुस्तिका	Pamphlet
प्रकाशक	Publisher
प्रखाली	System
प्रतिपाद्य विषय	Subject matter
मर्ताक संख्या	Notation
प्रयोग-वह	Practical side
प्रदर्शनापारिका	Display trolley
प्रस्तुत अनुक्रमसेवा	Ready reference service
प्रातिसंख्या	Accession number
मामाणिक	Standard
फलक	Shelf
भाग	Part
भौगोलिक क्रम	Geographical order
माला	Series
— नोट	— Note
— संकेत	— Entry

माला संख्या	Serial number
मुख्य	Main
— वर्ग	— Class
— संलेख	— Entry
मुद्रक	Printer
मुद्रणाङ्क	Imprint
मूल उत्तरक	Original work
न्या वर्ग	Form class
त्वय विभाग	Form division
लेखक	Author
— सूची	— Catalogue
लेखकाङ्क सारणी	Author Mark Table
वर्ग	Class
वर्गकार	Classifier
वर्गसंख्या	Class number
वर्गोंकरण	Classification
— पद्धति	— Scheme
वर्णक्रम	Alphabetical order
वाइम्यसूची	Bibliography
वाइम्यसूचीकार	Bibliographer
विस्तीर्ण रजिस्टर	Withdrawal register
विश्वकोश	Encyclopaedia
विषय	Subject
— शीर्षक	— heading
— सूची	— Catalogue
विचारात्मक	Cross reference
अंकि लेखक	Personal author
वर्तस्थापन	Arrangement
वर्तस्थापक	Commentator
बहु अनुलयसेवा	Long range reference service
	Word-by-word
	Heading
	Tracing
	Number
	Organization
	Collection

परिशिष्ट (६)

चंचाल्लन	Administration
संयुक्त सेवक	Joint Author
संलेख	Entry
संस्करण	Edition
संदिता	Code
समिति	Committee
सम्पादक	Editor
— — — संलेख	— — — Entry
सामग्रिक	Periodical
— — — बॉच-आलेख	— — — Check record
— — — प्रकाशन	— — — Publication
सामान्य वर्ग	General Class
सारणी	Schedule
सार्वजनिक पुस्तकालय	Public library
— — — — भवन	— — — — building
सिद्धान्त	Theory
सुझाव-पत्र	Suggestion Slip
सूची	Catalogue
— — — कार्ड	— — — Card
— — — कैबिनेट	— — — Cabinet
— — — अवस्थापन	— — — Filing
सूचीकरण	Cataloguing
सूचीकार	Cataloguer

परिशिष्ट (ख)

सहायक पुस्तकों की सूची

पारिभाषिक शब्दावली

थास्न, ई० एच० ए० एल० ए० ग्लोसरी आफ लाइब्रेरी टर्म्स ; विद ए

सेलेक्शन आफ टर्म्स इन रिलेटेड फ़ील्ड्स, शिकागो, ए० एल० ए०, १६४३।

इतिहास

क्लार्क, जे० डब्ल्यू० केयर आफ बुक्स : दि डेवलपमेन्ट आफ लाइब्रेरीज एण्ड देयर फिटिंग्स टु दि एण्ड आफ दि एट्रीन्थ सेन्चुरी, लन्दन, ओ० य० पी०, १००६।

रिचर्ड्सन, ई० सो० विगनिड्ग्स आफ लाइब्रेरीज, ग्रैफ्टन, १६३१।

सैवेज, ई० ए० स्टोरी आफ लाइब्रेरीज एण्ड बुक कलेक्टिङ्ग, रुट्लेज, १६०६।

उपयोग और नीति

त्राउफील्ड, ए० ए फिल्सफी आफ लाइब्रेरियनशिप, ग्रैफ्टन, १६४६।

वटलर पियर्स एन इन्ड्रोडक्शन टु लाइब्रेरी साइंस, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, १६३३।

रंगनाथन एस० आर० फाइब लाज आफ लाइब्रेरी साइंस, मद्रास लाइब्रेरी एसोसियेशन, १६३१।

भवन और साज सामान

एशवर्नर, ई० एच० मार्डन पब्लिक लाइब्रेरीज ; देयर प्लार्निंग एण्ड डिजाइन ग्रैफ्टन, १६४६।

स्मिथ, आर० डी० एच० लाइब्रेरी विल्डग्स ; देयर हीटिंग, लाइटिंग एण्ड डेकोरेशन, ए० एल० ए०, १६३३।

अर्थ-व्यवस्था

बर्ली फ्रेड पब्लिक लाइब्रेरी फाइनेन्स, ग्रेब्ज एण्ड फिलिप १६२८।

पुस्तक-चुनाव

डूरी, एफ० कै० डब्ल्यू० बुक सेलेक्शन, शिकागो, ए० एल० ए०, १६३०।

मैककालिवन, एल० आर० थोरी आफ बुक सेलेक्शन फार पब्लिक लाइब्रेरीज, ग्रैफ्टन, १६२५।

रंगनाथन, एस० आर० लाइब्रेरी बुक सेलेक्शन, इंडियन लाइब्रेरी एसोसियेशन, १६५१।

वर्गीकरण : सिद्धान्त

फिलिप्स, डब्ल्यू० एच० प्राइमर आफ बुक क्लैसीफिकेशन, लन्दन, ए० ए० एल०, १६५४।

एण्ड शेल्क अरेंजमेन्ट ।

१० ए० ।

रंगनाथन, एस० आर० लाइब्रेरी क्लैसीफिकेशन, फ़ल्डमेन्टल्स एण्ड प्रोसी-
बस, मद्रास ला० ए०, १६३३ ।

सेयर्स, डब्ल्यू० सो० वरविक, मैनुअल आफ क्लैसीफिकेशन ।

ओथर टेबुल

कटर सो० ए० भी किगर डेसिमल एल्फाबेट ओथर टेबुल, बोटन, १६०१ ।

सूचीकरण : सिद्धान्त

एक्सेस, एस० जी० सिमल लाइब्रेरी कैटलागिंग, ए० एल० ए०
मान, मार्गेरेट, इन्ड्रेडक्शन दु कैटलागिंग एण्ड क्लैसीफिकेशन, ए० एल०
ए० १६४२ ।

रंगनाथन, एस० आर० लाइब्रेरी कैटलाग; फ़ल्डमेन्टल एण्ड प्रोसीबर, मद्रास
ला० ए० ।

विश्वनाथन, सो० जी० कैटलागिंग खोरी एण्ड प्रैक्टिस, चनारस, १६५४ ।

सूचीकरण : कोड

ए० एल० ए० कैटलागिंग रूल्स फार ओथर एण्ड टाइटिल इन्ट्रोज, ए०
एल० ए० १६४६ ।

कटर, सो० ए० रूल्स फार एक डिस्चानरी कैटलाग

रंगनाथन, एस० आर० क्लैसीफाइड कैटलाग कोड, मद्रास ला० ए०, १६५१
अनुवर्गसूची कल्प, द० ला० ए०, १६५३ ।

सूचीकरण : सबजेक्ट हेडिङ

सियर्स, एम० ई० लिस्ट आफ सबजेक्ट हेडिंग्स फार स्माल लाइब्रेरीज, न्यूयार्क,
विल्सन, १६३३ ।

अनुलयसेवा

मैककाल्विन, एल० आर० तथा अन्य, लाइब्रेरी स्टक एण्ड असिस्टेन्स दु
रीडस, प्रैफ्टन, १६३६ ।

रंगनाथन, एस० आर० एण्ड सुन्दरम रिकेंस सर्विस एण्ड विन्जयोप्रैसी,
मद्रास ला० ए०, १६४१ ।

वायर, जे० आई० रिकेंस बर्क, शिकागो, ए० एल० ए०, १६३० ।

रिफेस साधन :

मज आई० जी० गाइड दु रिकेंस बुक्स, शिकागो, ए० एल० ए०

विन्चेल, सो० एम० गाइड दु रिकेंस बुक्स, शिकागो, ए० एल० ए०, १६५२ ।

वाल-विभाग

सेयर्स, डब्ल्यू० सो० वरविक मैनुअल आफ चिह्नेस लाइब्रेरीज, एलेन एण्ड
अनविन, १६०२

परिशिष्ट (ख)

सहायक पुस्तकों की सूची

पारिभाषिक शब्दावली

थाम्सन, ई० एच० ए० एल० ए० ग्लोसरी आफ लाइब्रेरी टम्स
सेलेक्शन आफ टम्स इन रिलेटेड फील्ड्स, शिकागो, ए० एल० ए
इतिहास

क्लार्क, जे० डब्ल्यू० केयर आफ बुक्स : दि डेवलपमेन्ट अ
एण्ड देयर फिटिंग्स दु दि एण्ड आफ दि एड्वीन्य सेन्चुरी, ल
पी०, १००६।

रिचर्ड्सन, ई० सी० विगनिड्ग्स आफ लाइब्रेरीज, ग्रैफ्टन,
सैवेज, ई० ए० स्टोरी आफ लाइब्रेरीज एण्ड बुक कलेक्टझ,
उपयोग और नीति

त्राडफील्ड, ए० ए फिल्सफी आफ लाइब्रेरियनशिप, ग्रैफ्ट
बटलर पिर्स एन इन्ट्रोडक्शन दु लाइब्रेरी साइंस, शि
१६३३।

रंगनाथन एस० आर० फाइब लाज आफ लाइब्रेरी
एसोसियेशन, १६३१।

भवन और साज सामान

एशबर्नर, ई० एच० मार्डन पब्लिक ला
ग्रैफ्टन, १६४६।

स्मिथ, आर० डी० एच०
डेकोरेशन, ए० एल०

अर्थ-व्यवस्था

बर्ली फ्रेड पब्लिक

पुस्तक-चुनाव

हूरी, एक०

आउन जे० ढो० मैत्रुअञ्ज आक लाइब्रेरी क्लैंसीचिकेन परेड शेल्ट अरेबमेन्ट।
मेरिल, इब्ल्यू० एम० कोड फार क्लैंसीकायर, ए० एल० ए०।

रंगनाथन, एस० आर० लाइब्रेरी क्लैंसीकिकेन, फ़न्डमेन्टल्स परेड प्रोसी-
बर्च, मद्रास ला० ए०, १६३२।

सेयर्स, इब्ल्यू० सी० वरविक, मैत्रुअञ्ज आक क्लैंसीचिकेन।

आँधर टेबुल

कटर सी० ए० भी किगर डेसिनज एल्सबेट आँधर टेबुल, शेटन, १६०१।

सूचीकरण : सिद्धान्त

एकर्स, एस० जी० तिम्रलु लाइब्रेरी कैटलार्गिंग, ए० एल० ए०

मान, मार्गेरेट, इन्स्ट्रोडक्यन दु कैटलार्गिंग एण्ड क्लैंसीकिकेन, ए० एल०
ए० १६४२।

रंगनाथन, एस० आर० लाइब्रेरी कैटलार्गिंग; फ़न्डमेन्टल परेड प्रोसीबर, मद्रास
ला० ए०।

विश्वनाथन, सी० जी० कैटलार्गिंग घोरी परेड प्रैक्टिस, चनारस, १६५४।

सूचीकरण : कोड

ए० एल० ए० कैटलार्गिंग रूल्स फार आँधर एण्ड टाइटिल इन्ट्रोज, ए०
एल० ए० १६४६।

कटर, सी० ए० रूल्स फार एक दिक्षणनी कैटलार्गिंग

रंगनाथन, एस० आर० क्लैंसीपाइड कैटलार्गिंग कोड, मद्रास ला० ए०, १६५१
अनुवर्गमूली कल्प, इ० ला० ए०, १६५३।

सूचीकरण : सबजेक्ट हेडिङ्ग

सियर्स, एम० ई० लिस्ट आफ सबजेक्ट हेडिंग्स फार स्माल लाइब्रेरीज, न्यूयार्क,
पिल्सन, १६३३।

अनुलयसेया

मैक्काल्विन, एल० आर० तथा अन्य, लाइब्रेरी स्टाक परेड असिस्टेन्स दु
र्टिंडस, प्रैफ्टन, १६३६।

रंगनाथन, एस० आर० एण्ड सुन्दरम रिफेंस सर्विस परेड विनियोप्रैषी,
मद्रास ला० ए०, १६४१।

वायर, जे० आई० रिफेंस वर्क, शिकागो, ए० एल० ए०, १६३०।

रिफेंस साधन :

मज आई० जी० गाइड दु रिफेंस बुक्स, शिकागो, ए० एल० ए०

विन्चेल, सी० एम० गाइड दु रिफेंस बुक्स, शिकागो, ए० एल० ए०, १६५२।

घालविभाग

सेयर्स, इब्ल्यू० सी० वरविक मैत्रुअञ्ज आक चिंडेन्स लाइब्रेरीज,
अनविन, १६०२।

सोहनसिंह मैनुअल आफ लाइव्रेरी सर्विस फार चिल्ड्रेन्स फार यून इन दि
इंडियन लाइव्रेरीज, आक्स यू० प्र०, १६४६।

ग्रचार और प्रसार

ए० एल० ए० लाइव्रेरीज एशड एडलट एजूकेशन, न्यूयार्क, मैक०, १६२६।

बार्ड, जी० ओ० पब्लिसिटी फार पब्लिक लाइव्रेरीज; प्रिंसिपल्स एण्ड मैथड्स,
न्यूयार्क विल्सन, १६३५।

समाचार-पत्र तथा पत्रिका विभाग

हारिस गेकुल जे०, मैनुअल आफ सीरियल्स वर्क; ए० एल० ए० १६३७।

लेन-देन विभाग

गियर, एच० टी० गाइड दु चार्जिंग सिस्टम्स, ए० एल० ए०, १६५५।

हैरोड, एल० एम० लेडिङ्ग लाइव्रेरी मैथड्स, ग्रैफ्टन, १६३३।

प्रशासन: सामान्य

डबुल डे, डब्ल्यू० ए० प्राइमर आफ लाइव्रेरियनशिप, एलेन एण्ड अनविन,
१६३१।

ब्राउन, जे० डी० मैनुअल आफ लाइव्रेरी एकोनोमी, ग्रैफ्टन, १६३७।

रंगनाथन, एस० आर० लाइव्रेरी ऐडमिनिस्ट्रेशन, मद्रास ला० ए०, १६३५।

रंगनाथन, एस० आर० लाइव्रेरी मैनुअल, आलाइंडिया ला० ए०, १६५१।
ग्रंथालय प्रक्रिया (हिन्दी अनुवाद—१६५१)

विश्वनाथन, सी० जो० पब्लिक लाइव्रेरी आर्गनाइजेशन : विद स्पेशल रिफ़ेस
दु इंडिया, वम्हई, एशिया पब्लिशिंग, १६५५।

हेडीकार, वी० एम० मैनुअल आफ लाइव्रेरी आर्गनाइजेशन, एलेन एण्ड
अनविन, १६३५।

पुस्तकालयाध्यक्ष और समिति

मैककाल्विन, एल० आर० लाइव्रेरी स्टाफ, एलेन एण्ड अनविन, १६३६।

सेयर्स, डब्ल्यू० सी० वरविक दि लाइव्रेरी कमेटी, ए० ए० एल० १६४८।

सैवेज, ई० ए० दि लाइव्रेरियन एशड हिन कमेटी, ग्रैफ्टन, १६४२।

जिल्दबन्दी

कोकरेल, डगलस, बुक वाइंडिंग एण्ड दि केयर आफ बुक्स, आइजक पियमैन,
१६२०।

पुस्तकालय अधिनियम

रंगनाथन, एस० आर० लाइव्रेरी लेजिस्लेशन, मद्रास ला० ए० १६५३।

हिवेट, ए० ए समरी आफ पब्लिक लाइव्रेरी लॉ, ए० एल० ए०, १६४७।

बिल्योग्रैफी

ईस्टेल, ए० ए स्टूडेन्ट्स मैनुअल आफ बिल्योग्रैफी, एलेन एण्ड अनविन,
१६५४।

वाट, हेनरी दि बुक; इट्स प्रिन्टर्स, इलस्ट्रेटर्स एण्ड वाइन्डर्स फ्राम गुडेनवर्ग
दि दि प्रेजेन्ट टाइम, ग्रेवेल, १८६०।

परिशिष्ट (ग)

अनुक्रमणिका

अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ, १३, कठर-चाल्स ए० २७, घ६, ११३, १२१	आधर मार्फ़ ११३
२२१	डिव्हिनरी कैटलॉग कोड १२१
अतिदेय शुल्क	विस्तारशील वगांकरण पद्धति घ८-६३
स्परण पत्र १६४	कर-पुस्तकालय ४७
अधिकार-सचा (पुस्तकालय) २१८	कर्मचारी—देलिए स्टाफ
अधिनियम ६३, २१७	कहानी-कथन १६६
मद्रास पुस्तकालय २२१	काउन्टर ३२
विभिन्न देशों के— १३	लेन-देन १८३
अनुलय सेवा विभाग १५४-१६४	अनुलयसेवा १६३
फाँचर १५७	कानून—देलिए-अधिनियम
लाइब्रेरियन १६१	कापी राइट—देलिए अधिनियम
व्यवस्था १६०	
अनुवर्ग सूची १२३, १२४, १४४, १४५ कार्ड	
अनुवर्ण सूची १२३, १२४, १५०, १५१	कैविनेट १६-३८
अमेरिकन लाइब्रेरी एसो० १३, १५	सूची ११६, १२०
अध्यन्देश	४८, १८८ कार्ड ई० वी० २१२
अर्थ-चयवस्था	कुर्सी ८८
आख्या सूची १२३, १२४	अनुलयसेवा विभाग १५७, १५८
आदेश	कैविनेट सूची-कार्ड ३६-३८
जिल्दयंदी २१०	व्यवस्थापन १४६-१५२
पुस्तकों का ६५	कोलन क्लैसीफिकेशन ६६-१०५
आवेदन पत्र	लिङ्गिक्या० ३२
लेन-देन १८६	चयन-भवन २१
इन्टर नेशनल कांप्रेस, ब्रुशेल्स १०	चार्जिंग १८३-१८४
इन्डिकेटर प्रणाली १८८	प्रणाली १८८-१९३
इण्डियन लाइब्रेरी एसो० जरनल २७	चाल्स काफिन जेवेट १२
उभार की शर्तें १८१	चाल्स एम. मोहरहस्ट २७
सुविधाएं १८१	द्वैटी पुस्तकें ६४, १०२, २०३
एकोमर, एम० फ्ल्यू १८१	जवाहरलाल नेहरू १६६

जिल्दवंदी	१७८, २०५, २०६, २२५	चुनाव	५३-५५, ५७, ६४, ११८
टिकट-पाठकों का	८७	साधन	५८
टेबुल, पढ़ने की	३८	विधि	६०
डिक्मैन चार्जिङ् प्रणाली	१८६	मँगाना (आदेश)	६५
डेस्क—अनुलय-सेवा	१६३	मरम्मत	२०५-२०६
ड्युवी, मेलविल	१५, ८३, १००	वितरण	१६६
दशमलव वर्गीकरण	८३, ८६	संस्कार	६५-७७
तिथि-पत्र	७०	पुस्तक-प्लेट	६६
दशमलव वर्गीकरण पद्धति	८३-८७	पुस्तक-स्वच्छता	
ड्युवी	८३	परिमार्जन	६२-६४
सार्वभौम	१०८	मरम्मत	२०४-२०८
दान रजिस्टर	७६	पुस्तकालय	
द्विविन्दु वर्गीकरण	८६-१०५	अधिकार-सत्ता	२१४
नवीकरण-पुस्तकों का	१८७, १८८	आनंदोलन	१३
नागर मुरारिलाल	२६, ४१, ५८	उद्देश्य	६, १०
नियम		कर	४७, २२०
पुस्तकालय	१८०	जन्म	१०
लेन-देन	१८०-१८१	परम्परा	११
निर्देशक (गाइड)		भवन	२७-३५
कार्ड	१५१, १५२	पुस्तकालय-विज्ञान	६-२६
चार्जिङ् ट्रे	१८३	पृष्ठभूमि	६-१५
पंचडकार्ड प्रणाली	१८८	रूपरेखा	१६-१६
पत्रिका विभाग	१७१-१७८	क्षेत्र	२४-२६
चुनाव	१७२	सिद्धान्त	१६-२४
टेबुल	३८	पुस्तकालयाध्यक्ष	४३, ४६, १६७
रैक	३८	प्रकाश	२७, ३२
स्मरण-पत्र	१७७	प्रतीक संख्या	८१, ८७, ८१, ८५, ८७
पाठक परामर्शदाता	१८४	सहायक	११३
पुटनम हरवर्ट	८३	प्रदर्शन	
पुस्तक		समाचार-पत्र, पत्रिका	१७६
कागज	२२४	सूची	१५४
कार्ड	७२, १६३	प्रभीलचन्द्र वसु	१५, ११५

प्रासादन, आन्तरिक	२००-२१६	मेगडानल्ड एंगस स्टीड	३५
प्रसुत असुलयसेवा	१५८	मोथाइल थान	१६६
प्राप्ति संख्या—विधि	१३-१७	सुदूर—पुस्तकालयों पर प्रभाव	
रोडस्टर	७३	(भौतिक आपत्ति)	२१०
फर्नीचर	१६, १७, १८	यूनेस्को	६, १४, ५३
बालविभाग	१६८	रगनाथन एसःशार०	१६, ३०, २६
अनुलयसेवा विभाग	१५३	४१, ५६, ८३, ८८, १०५, ११४, १२१	
लेन-देन विभाग	१८३	१२६, १८४, १३७, १७५, १६१, २२०	
सिटिन 'देशिए' फर्नीचर		रजिस्ट्रेशन	१८५-१८६
फिल्म-शो	१६८	राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली	१३, १८०
बजट	५०-५१	राहुल सर्कार्यायन	१०
वाल विभाग	१६५-१६७	रिजर्वेशन-पुस्तक	१८८
पुस्तक जुनार	५५, १६३	रिपोर्ट 'देशिए-नार्विंक विवरण'	
पुस्तकालयान्वयन	१६७	स्सो	१६५
साहित्य-किंग-क्लार	१६६-१७०	लेपक	१२७-१३२
विमलकुमार दत्त	३६	नूची	१२३
वृद्धिश लाइब्रेरी एसोसिएशन	१६	लेखकाङ्क्ष सारणी	११२, १२५
ब्राउन जै० डी०, विष्व वर्गांकरण		लाइब्रेरीआफ-कांप्रेस वर्गांकरण	८३-१८८
पदति	१६-१८	लेखा	
मैनुश्वस आफ लाइब्रेरी एकोनोमी		निर्णत पुस्तको का	१६४
५४, ६०, ६२, ६५, ६६		अनुलय विभाग	१६४
७६, ८०, ८६, ११२, १३४		लेयुल	६३-०७
चिलस-एच-इ०	८८, १०५	लेन-देन विभाग	१७५-१८५
वाह्यव वर्गांकरण	१०५-१०८	चार्विन डिस्चार्विन काउन्टर	१८३
भवन-पुस्तकालय	२७-३५	नियम	१८८
— अन्न	२७-३२	प्रणाली	१८६-१८३
भारत-पुस्तकालय कानून- 'देशिए' अधि-		लेनिन	१७६
नियम		वर्गांकरण, पुस्तक का	७८-११६
भारतीय नाम	११८	पदतियाँ	८३-१०८
माइयुलर कन्सल्टेशन	४३	सिडान्त	११०-११२
मुहर	६७	वर्टिकल फाइल्स	१७५-१७६
मेक्काल्विन एल० आर०—	१८८	वाह्यव वर्गांकरण	१०५-१०८

वाड्मयसूची	२२३-२२६	समाचार-पत्र	१७०
वाचनालय-आकार	३१	चुनाव	१७२
वापसी रजिस्टर	७६-७७	लेखा	१७३-१७६
वायर, जे० आई०	१५६	समिति-पुस्तकालय	२१४-२१६
वार्षिक विवरण	२११-२१३	सयाजी राव गायकवाड़	१३
विजिबुल इन्डेक्स	१७५२	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	४२
वितरण-केन्द्र, पुस्तक	१६६	साज सामान—देविए—फर्नीचर	
विवरण वार्षिक	२११-२१४	सार्वभौम दशमलव प्रणाली	१०८
विषय-निर्धारण; पुस्तक	१०८-११६	सूची	११७
विषय-वर्गीकरण (ब्राउन)	६६-६६	कार्ड	११६
विषय-सूची	१२४-१३१	मेद (प्रकार)	१२३-१२४
विश्वनाथन, सी० जी०	३४	प्रदर्शन	१५४
व्यवस्थापन	१४७-१५४	सूचीकरण	११६-१५४
कार्ड	१४६-१५२	नियम (लेखक, आख्या)	
पुस्तक	१४७-१४६	ए० एल० ए० कैट० रूल्स	१२१,
समाचार-पत्र	१७८		१२३, १३६
शोफोर्ड, ई० वी०	८६	कटर सी० ए० डिक्शनरी कैट०	१२१
संग्रह, पुस्तकों का	१११	रंगनाथ, वलैसीफाइड कैटलाग	
संघीय सूची	२१६	कोड १२३, १२४, १४४, १४५	
संलेख	१२१	सूचीकार	११६-१२५
उदाहरण	१३७-१४३	सेयर्स डब्ल्यू० सी० वर्विक	१०५
प्रकार	१२२-१२३	स्टाफ-पुस्तकालय	४२-४६
भाग	१२६-१३२	स्टेशनरी	४१
मेद	१२१	स्टैक-रूम	२७-३२
संहिता: सूचीकरण १२१, १२३-१३८,		स्मरण-पत्र	१७७, १६४
पुस्तकालय	१४४, १४७	पुस्तकें	१६४
न्द्र गुह	१६६	हिन्दी विश्वकोश	११, १८
टिक्ट	११५	हैरोड, एल०, एम०	५५
	१८७	होवार्ड फिलिप्स	७८, ८१

